सोमवार, 12 मई, 1997

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार), 1997/1919 (शक)]

अंक 8, सोमवार, 12 मई, 1997/22 वैशाख, 1919 (शक)

विषय		कालम
पूर्वोत्तर ईरान में आए भूकंप के मरे व्यक्तियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	501 से 503 और 508	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	504 से 507 और 509 से 520	31-49
अतारांकित प्रश्न संख्या	5550 से 5779	49-328
सभा पटल पर रखे गए पत्र		329-337
महिला आरक्षण विधेयक के बारे में		337-343
बिहार के चारा घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भूमिका के बारे में		343-358
दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में		361-371
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर सरोवर से गाद निकालने के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता — प्रो० रासा सिंह रावत	371
(दो)	उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चीनी मिल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता — श्री देवी बक्स सिंह	372
(तीन)	कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता — श्री अमर पाल सिंह	372-373
(चार)	उड़ीसा में मयूरभंज में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता — कुमारी सुशीला तिरिया	373
(पांच)	चिलका झील में से नियमितत रूप से गाद निकालने के लिए उड़ीसा के पुरी जिले में अरखा कुला में स्थायी अभियांत्रिकी स्कंध स्थापित करने की आवश्यकता — श्री अनादि चरण साहू	373-374
(छः)	तमिलनाडु में लघु पत्तनों को विकसित करने तथा महाबलीपुरम में लघु पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता — श्री के० परसुरामन	374

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय

(सात) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अजध्या पहाड़ी पर कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वीर सिंह महतो. 374-375

(आठ) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता 375

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में प्रस्ताव

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ 375

श्री जगमोहन 382

श्री अनादि चरण साहू 396

श्री सुधीर गिरि 405

श्री सुरेश प्रभु . . . . . .

श्री शिवराज वी पाटिल . . . . . .

आधे घंटे की चर्चा

बाक्साइट खनन

श्री के०पी० सिंह देव 422

प्रो० रासा सिंह रावत 427

श्री राजीव प्रताप रूडी 428

प्रो० सैफुद्दीन सोज 430-438

लोक सभा

सोमवार, 12 मई, 1997/22 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर ईरान में आए भूकम्प से मरे व्यक्तियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 10 मई, 1997 को पूर्वोत्तर ईरान के एक शहर क्वान में आए विनाशकारी भूकम्प में असंख्य लोग असमय मारे गए।

यह सभा ईरान के लोगों के साथ हुई इस त्रासदी पर अपना दुख और उनके प्रति अपनी संवेदना यक्त करती है। मैं अपनी तथा इस सम्पूर्ण सभा की ओर से शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

सभा अब मृतकों की याद में कुछ समय के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उर्दू के संरक्षण के लिए गठित समितियां

***501. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा गठित की गई गुजराल तथा सरदार जाफरी समितियों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) अभी तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सभी सिफारिशें कब तक कार्यान्वित कर दी जायेंगी; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गुजराल समिति की रिपोर्ट सदन के सभा पटल पर 21 फरवरी, 1979 को रखी गई थी। इसमें शिक्षा, प्रशासन, विधान, आदि से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से उर्दू की प्रोन्नति के लिए व्यापक प्रकार की सिफारिशें शामिल थीं। इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा जाफरी समिति द्वारा की गई थी जिसने इन सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकृति प्रदान की।

शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं – उन क्षेत्रों में उर्दू माध्यम वाले प्राथमिक स्कूलों की स्थापना जहां उर्दू भाषी जनसंख्या 10% अथवा इससे अधिक है, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में, जहां भी आवश्यक हो, उर्दू माध्यम के अनुभाग खोलना, और त्रिभाषा सूत्र में संशोधन ताकि उर्दू के शिक्षण को सुकर बनाया जा सके।

(ख) और (ग) जाफरी समिति तथा गुजराल समिति की अनेक सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। इनमें ये शामिल हैं :–

1. उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो को एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद, में परिवर्तित किया गया है।

2. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के माध्यम से अनुसंधान तथा उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोन्नत करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई।

3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उर्दू पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

4. एन०सी०पी०यू०एल० द्वारा सुलेख प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी जा रही है। उर्दू संदर्भ तथा शोध कार्य को प्रोन्नत करने के लिए, एन०सी०पी०यू०एल० ने 10 खण्ड वाले विश्वकोश का प्रथम खण्ड प्रकाशित किया है।

5. एन०सी०पी०यू०एल० द्वारा उर्दू पाण्डुलिपियां तथा पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। उर्दू-अंग्रेजी शब्दकोश के दो खण्ड प्रकाशित किए गए।

6. साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू में सृजनात्मक लेखन के लिए प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिए गए।

7. भारत के संविधान का उर्दू रूपान्तर प्रकाशित किया गया।

8. कतिपय चुनाव क्षेत्रों में उर्दू में मतदाता सूचियां तैयार की गई।

9. आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर उर्दू में अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है।

10. दूरदर्शन पर प्रतिदिन उर्दू समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है।

11. प्रेस सूचना ब्यूरों के मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों पर उर्दू एकक स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के संवर्धन हेतु मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 436 उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए; 22 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय किया गया और दो उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय किया गया 527 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अध्यापन सामग्री प्रदान की गई।

2. मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत 810 मदरसों को सहायता दी गई।

3. 22 विश्वविद्यालयों और 62 कालेजों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित छात्रों के शिक्षण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 48,856 अभ्यर्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

4. सामुदायिक पॉलिटेक्नीक योजना के अन्तर्गत चालीस अल्पसंख्यक बाहुल जिले शामिल किए गए हैं।

5. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले विधेयक को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

6. उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति और छात्राओं को प्रोत्साहन देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

7. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समिति गठित की गई है।

कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। त्रिभाषा सूत्र सिफारिश पर राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। सरकार ने राज्य सरकारों से पत्राचार किया है। सरकार का प्रयास राज्य सरकारों के परामर्श से यथाशीघ्र अपेक्षित कदम उठाने का है।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : जनावे स्पीकार साहब, आजाद हिन्दुस्तान गोल्डन जुबली के साल में दाखिल हो गया और बहुत जल्द गुजराल कमेटी की रिपोर्ट उर्दू के बारे में भी सिल्वर जुबली मनाने वाली है। 1975 में यह रिपोर्ट पेश हुई, 1979 में यह रिपोर्ट मेज़ पर रखी गई, फिर सरदार जाफरी कमेटी बनी जिसने 1990 में अपनी रिपोर्ट पेश की। दो सौ से ज्यादा रिकमेंडेशन्स और सिफारिशात गुजराल कमेटी की रिपोर्ट उर्दू के बारे में है और इस जवाब में जो आज हमें दिया जा रहा है, गिनती के चंद रिकमैंडेशन्स का जिक्र है। वह भी कैसे, जैसे उर्दू प्रमोशन सोसं को नैशनल काउंसिल में वदल दिया गया और इस तरह के चंद। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी का क्या होगा ? वाकी कितने रिकमैंडेशन्स गुजराल कमेटी के हैं। स्पीकर साहब, यहां पर 1993 में एक अनस्टार्ड क्वश्चन 660 था और उसके जवाब में हमें कहा गया था कि सरदार जाफरी कमेटी जो बनी है, उसने अपनी रिपोर्ट दी।

उर्दू के बारे में जो रिकमेंडेशंस हैं, वे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स ऑफ दि सैण्ट्रल गवर्नमेंट से मुताल्लिक हैं तो इन सैण्ट्रल मिनिस्ट्रीज़ से, सैण्ट्रल गवर्नमेंट्स से कन्सलटेशन करना होगा, को आर्डीनेटिड व्यू लिया जायेगा और फिर कुछ कर सकते हैं। यह बात भी 1993 की है, जिसको चार साल हो गये। वड़ा मायूसकुन जवाब आज मिल रहा है, गुजराल कमेटी की 200 से ज्यादा में बाकी की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनके साथ किसी किस्म का कोई कन्सलटेशन जाफरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया गया ? अगर हुआ, तो उसका नतीजा क्या था ? गुजराल कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद अब तो वे प्राइम मिनिस्टर भी बन गये, अब तो कम से कम तेजी लाकर किसी तरीके से उसकी रिकमेंडेशंस पर अमल होना चाहिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : महोदय, गुजराल समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। वे केन्द्रीय सरकार के विभागों और राज्य सरकारों से सम्बद्ध हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार के विभागों का संबंध है, जैसा कि उत्तर में पहले ही विस्तार से बताया जा चुका है, मैं बताना चाहूंगा कि इन सिफारिशों में से अनेक कार्यान्वित की जा चुकी हैं। उत्तर में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद की स्थापना की गई है जो कि एक स्वायत्त निकाय है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के माध्यम से अनुसंधान तथा उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोन्नत करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसका आपने लिखित विवरण में पहले ही उल्लेख कर दिया है। इसके अतिरिक्त और क्या है ?

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : 200 में से 11 की बात कर रहे हैं।

شری جی۔ایم۔ بنات والا : ۲۰۰ میں سے ۱۱ کی بات کر رہے ہیں۔

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, प्रमुख सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। कुछ सिफारिशें जिनमें से एक ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलने से संबंधित है जहां 10 प्रतिशत से अधिक लोग उर्दू बोलने वाले हैं। यह मामला राज्य सरकारों से सम्बद्ध है और प्राथमिक शिक्षा पूर्णता राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम उनकी सहायता करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही अधिसूचित किया है कि सरकार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नीति को अंतिम रूप देगी और उर्दू सीखने वाली लड़कियों को 20/-रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

महोदय, सरकार के कार्यालय का प्रभार संभालने के तत्काल बाद मैने 3.2.97 को मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा और पुनः उन्हें याद दिलाते हुए एक पत्र 24.4.97 को लिखा। मुझे राज्यों से जानकारी प्राप्त होने की आशा है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा हूं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों का सम्बंध है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के उर्दू समाचार आदि उर्दू में कार्यक्रम हैं। दूरदर्शन के बाजवी कार्यक्रम हैं और इसके अतिरिक्त अन्य वृत्तचित्र भी तैयार किए जा रहे हैं।

जहां तक रेलवे का संबंध है, कुछ रेलवे में स्टेशन के नाम उर्दू में लिखे गए हैं। उत्तर रेलवे ने उर्दू में समय-सारिणी प्रकाशित की है। रोजगार समाचार भी उर्दू में छपता है और इसके अतिरिक्त कुछ एअर बुलेटिन भी उर्दू में जारी किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक उर्दू प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

जहां तक अनुवाद का संबंध है, भारत का संविधान उर्दू में अनुवादित किया गया है और हम अन्य अधिनियम भी उर्दू में अनुवाद करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उर्दू में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश क्रियान्वित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मैसूर प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ प्रशिक्षण केन्द्र और सोलान प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां 3000 से भी अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

जहां तक सरकारी विभागों का संबंध है, हम उनमें समन्वय स्थापित कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं रिपोर्ट के क्रियान्वयन के संबंध में भलीभांति पुनरीक्षा करने के लिए मामले को पुनः मंत्रिमंडल के समक्ष उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : कम से कम एक एशोरेंस मिला, उसका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 200 में से सिर्फ चंद गिनती की बात यहां होती है। जबकि पोस्ट एंड टेलीग्राफ और कितने ही विभाग तथा हकूमत के महकमें हैं जिनके बारे में रिकमंडेशंस हैं। दो किस्म की रिकमंडेशंस हैं। कुछ का ताल्लुक सेंटर से है और कुछ का ताल्लुक स्टेट से है। जिनका ताल्लुक सेंटर से है, कम से कम उस पर आप इस बात का एशोरेंस दें कि आपकी मिनिस्टरी में कोई उर्दू सेल कायम किया जाएगा, मैं अलग से विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, जो उर्दू के मामलात के ऊपर, उर्दू की रिकमंडेशंस के इम्पलीमेंटेशन के ऊपर कुछ नजर रखे और उसको अटेंड करे। कैसे-कैसे मामले सामने आते हैं, अभी कुछ रोज पहले पंजाब में वक़्फ बोर्ड 60 उर्दू टीचर्स को डिसमिस कर दिया। यू०पी० में एजूकेशन मिनिस्टर ऐलान से मालूम होता है कि तीन लेंगुएज फार्मूले से उर्दू गई और संस्कृत कम्पलसरी बनाई जा रही है। बिहार के अंदर उर्दू टीचर्स को अर्से से वेतन नहीं मिल रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। इन पर नजर रखनी है तो क्या आप अपने मंत्रालय में ऐसा उर्दू का सेल कायम करेंगे जो गुजराल कमेटी, जाफरी कमेटी की रिपोर्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन पर और इन सारे मामलों पर गौर कर सके ? जहां तक राज्यों का ताल्लुक है, आप कब तक उनसे खतो-किताबत और कोरेस्पेंडेंस करते रहेंगे ? वजीर और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग कराकर कोई रास्ता निकालें, क्या इनके ऊपर कोई तवज्जो दी जाएगी ?

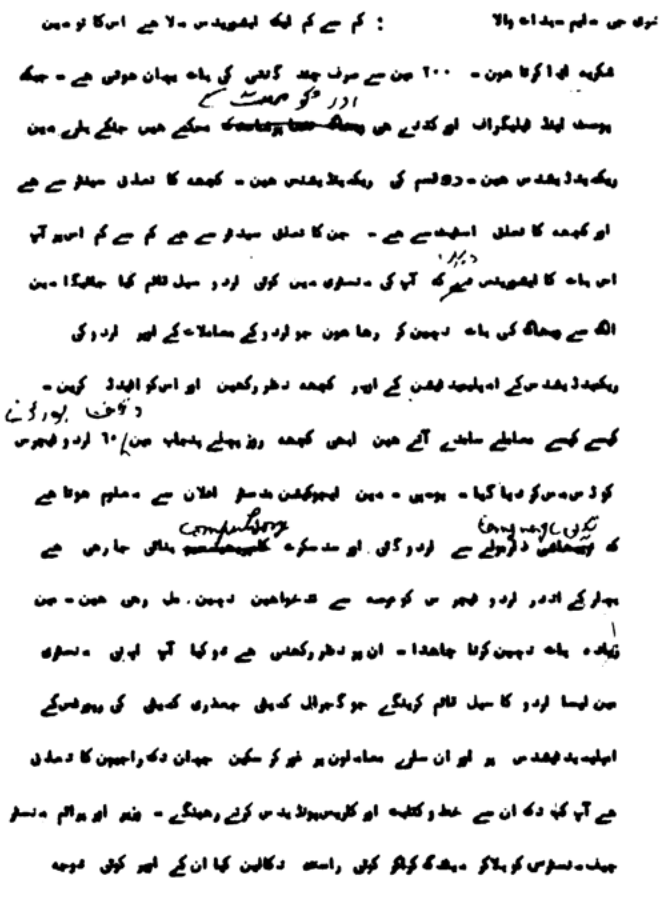

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : महोदय, जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संबंध है, 36 सिफारिशें विभाग से संबंधित हैं। मंत्रालय में पहले से ही प्रकोष्ठ है जोकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी मामलों की देखरेख कर रहा है।

श्री जी०एस० बनातवाला : मैं एक व्यापक प्रकोष्ठ की बात कर रहा था जो कि केवल शिक्षा से संबद्ध न हो बल्कि सभी सिफारिशों पर ध्यान दे सकें।

श्री एस०आर० बोम्मई : लेकिन मेरा विभाग शिक्षा से सम्बद्ध है।

श्री जी०एम० बनातवाला : लेकिन गुजराल समिति की रिपोर्ट आपके विभाग में है। मेरा कहना केवल यह है कि अब इस प्रकोष्ठ को सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिए।

श्री एस०आर० बोम्मई : लेकिन क्रियान्वयन अन्य अनेक विभागों से भी संबद्ध है।

श्री जी०एम० बनातवाला : इसलिए आप कुछ भी नहीं करेंगे ?

श्री एस०आर० बोम्मई : अब हम इसे शीघ्र क्रियान्वित करने पर विचार कर रहे हैं। जब इस सरकार ने प्रभार संभाला था तो मैंने सभी राज्यों को लिखा था। मैंने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई थी और विस्तार से चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य उस दिन उपस्थित थे अथवा नहीं। मेरी श्री राय बहादुर के साथ भी बैठक हुई थी जो कि वाइस चैयर मैन है और गुजराल समिति के सदस्य भी है। वह एक विद्वान हैं। हमने विस्तार से चर्चा की है और हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। हमने एक कार्य-योजना तैयार की है। जहां तक पूरी रिपोर्ट के क्रियान्वयन का संबंध है, मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाया है कि मैं यथासंभव शीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष मामला उठाऊंगा।

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में भारतीय भाषाओं के संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण मसला है। निश्चितरूप से हमारे देश में सभी भारतीय भाषाओं के विकास करने की दृष्टि से और इनके संरक्षण तथा अनुरक्षण करने की दृष्टि से केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने भारतीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोन्नत करने के लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सुविधाएं क्या-क्या हैं और उनकी उपलब्धियां क्या-क्या हैं ? साथ ही राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद ने संस्कृत के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए तथा संस्कृत को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए क्या कोई विशेष उपाय किए हैं, यदि किए हैं तो वे क्या हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : उर्दू और संस्कृत दोनों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रश्न उर्दू से सम्बन्धित है। यदि माननीय मंत्री महोदय विधिवत सूचना देकर अलग प्रश्न करते हैं तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा : मंत्री जी ने अपने जवाब के पेज नम्बर 2 में आइटम 5 में बताया है कि यहां मौलाना आजाद उर्दू युनिवर्सिटी कायम करने के लिए कानून पास हुआ था। इस युनिवर्सिटी को और

दूसरा बिल जो महात्मा गांधी हिन्दी युनिवर्सिटी का पास हुआ था, इनको कब तक अमली तौर पर भारत सरकार कायम करना चाहती है और आज तक इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाने की क्या वजह है ? इसी तरह आइटम नम्बर 6 में कहा है कि सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कूल में उर्दू के अध्यापक लगाने के लिए और गर्ल्स स्कूलों को मदद देने के लिए आप राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कब लिखा और क्यों अब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई और कब तक आप मंगाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : महोदय, जहां तक उर्दू और हिन्दी विश्वविद्यालयों का संबंध है। हमने प्रत्येक विश्वविद्यालय को 4 करोड़ रु० उपलब्ध कराए हैं। मैं चालू वर्ष में इन विश्वविद्यालयों को शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक राज्य सरकारों को लिखने का संबंध है, मैंने पहले भी कहा है कि मैंने दो पत्र लिखे हैं – एक फरवरी में और दूसरा अप्रैल में। मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने पहले जवाब में उर्दू के बारे में दो बातें खास तौर से कही। एक तो यह कि जहां 10 प्रतिशत आबादी है वहां हम लागू कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि 10 प्रतिशत का क्राइटेरिया क्या है। मेरे अपने क्षेत्र में दो जिले ऐसे हैं जहां उर्दू जानने वालों की आबादी 18-20 प्रतिशत से कम नहीं है और वहां उर्दू के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात लागू नहीं है। रेलवे की बात जहां तक आपने कही, पता नहीं कहां से ऐसे लिखने वालों को बुला लिया जाता है जो उर्दू जानते तक नहीं। जहां भी आपके बोर्ड उर्दू में हैं, वे पढ़े नहीं जा सकते। मेरी मादरी जुबान उर्दू है और मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, मैं भी उनको पढ़ नहीं पाता कि वह किस भाषा में, अरबी में, फारसी में या लैटिन में लिखे हैं। कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जाता ? इससे पैसा भी खर्च होता है और उर्दू जानने वाले पढ़ भी नहीं पाते। मैंने यू०पी० में देखा है सचिवालय में मंत्रियों की नेम प्लेट ऐसे लोगों से लिखवाई जाती है जो उर्दू वाले पढ़ ही नहीं सकते। मेरा सवाल यह है कि अब त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ था, उस वक्त यह बात साफ थी कि जो जुबान अवाम में बोलचाल में है, वह लागू होगी, न कि क्लासिकल होगी, लेकिन लगता है कि क्लासिकल के नाम पर उर्दू को खदेड़ा जाता है। जैसा कि बनातवाला जी ने कहा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आएं।

श्री इलियास आज़मी : क्या त्रिभाषा फार्मूला में आप क्लासिकल जुबान भी शामिल करते हैं या वह जुबान जो आम बोलचाल में रोज प्रयोग में होती हैं। जहां तक संस्कृत का सवाल है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपने घर में संस्कृत बोलता हो। ···*(व्यवधान)* मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं मिला। ···(व्यवधान) नहीं, मैं उर्दू की यह बात कर रहा था कि ···(व्यवधान)।

डा० सत्यनारायण जटिया : मेरे अपने नगर में एक मुहल्ले में सारे लोग संस्कृत में बात करते हैं। ···*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक में एक पूरे गांव में संस्कृत बोली जाती है। ···*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : मैं यह पूछ रहा था कि क्या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले में क्लासिकल जबान शामिल है ? ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : देश में सभी मुख्य मंत्रियों और सरकार ने खूब सोच समझ कर त्रिभाषा सूत्र को स्वीकृति दी है। यह 1966 से लागू है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। जहां तक त्रिभाषा सूत्र का संबंध है, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, मुख्यरूप से एक दक्षिण भारत की भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती हैं यह फार्मूला है। जो भी संशोधन करने हों, वह हम उन्हें हमारे जैसे संघीय देश में राज्य सरकारों के परामर्श और सहमति के बिना नहीं कर सकते। अतः मतैक्यता लाना जरूरी है। अब तक हम इस मामले में सहमति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अतः गुजराल समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन एक अन्य प्रश्न है। भाषा की दृष्टि से अनेक अल्पसंख्यक हैं। उत्तर-पूर्व में भाषायी अल्पसंख्यक हैं। कर्नाटक में, तेलगू अल्पसंख्यक हैं। कोंकणी अल्पसंख्यक हैं। यह बहुत ही जटिल और बहुत ही संवेदनशील मामला है और सरकार को राज्य सरकार से परामर्श कर बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : यह बात साफ हो गई कि आधुनिक भाषाओं पर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले में जो चीज आपने तय की थी, क्या उसको पूरी ताकत से लागू करेंगें ?

[अनुवाद]

नेत्रहीनता

***502. श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में 42 मिलियन नेत्रहीन व्यक्तियों में से 12 मिलियन नेत्रहीन व्यक्ति अकेले भारत में ही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार और पूर्वी राज्यों में नेत्रहीन व्यक्तियों की प्रतिशतता सबसे अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों को नेत्रहीनता के उपचार हेतु विभिन्न योजनाएं चलाने के लिए सहायता दे रही है;

(घ) यदि हां, तो देश में नेत्रहीनता निवारण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गयी है;

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। भारत में 12 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के नेत्रहीन होने का अनुमान लगाया गया है जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता सही नेत्र में 6/60 से कम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से इस समय राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित पांच योजनाओं के अन्तर्गत अलाभकारी गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है :–

(1) शिविरों के माध्यम से निःशुल्क मोतिया बिन्दु शल्य-चिकित्सा की योजना।

(2) नियम की गई सुविधाओं में निःशुल्क मोतिया बिन्दु शल्य-चिकित्सा के लिए योजना।

(3) नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या और पहुंच बाह्य कार्यकलापों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करने की योजना।

(4) स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण की योजना।

(5) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या एककों की स्थापना अथवा विस्तार की योजना।

सभी पांच योजनाओं के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान सीधे अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस केन्द्र द्वारा 9,90,51,758/- रुपये की धन राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठन 44,89,00,000/-रुपये की धनराशि, जिसे पिछले 5 वर्षों के दौरान सोसाइटियों को विमुक्त किया जा चुका है, में से योजना सं० 1 से 3 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं।

(च) देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :–

(1) नेत्र संबंधी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

(2) नेत्र जनशक्ति का प्रशिक्षण

(3) जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों की स्थापना।

(4) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं का विस्तार।

(5) जन-साधरण में नेत्र परिचर्या के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(6) वार्षिक बजट में वित्तीय परिव्यय बढ़ाना; और

(7) केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नेत्र परिचर्या संबंधी कार्यकलापों की मानीटरिंग सुदृढ़ करना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

*503 **श्री डी०पी० यादव :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इस समय चल रहे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यान्वयन कार्यनीतियों में परिवर्तनों का प्रस्ताव करके इसे अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार हैं–

1. इंट्राआकुलर लेंस प्रत्यारोपण के लिए मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करना।
2. प्रत्येक जिले में सचल नेत्र परिचर्या इकाइयों की स्थापना।
3. नेत्र परिचर्या के लिए उप जिला अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन।
4. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वैच्छिक क्षेत्र के अन्तर्गत नेत्र परिचर्या इकाइयां स्थापित करने/विस्तार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।
5. नेत्र बैंकों और नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु संशोधित योजना।

6. स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम का विस्तार।

7. आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों का कार्यान्वयन।

(ग) नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 175 लाख मोतियाबिंद आपरेशन करने का प्रस्ताव है।

(घ) नौवीं योजना में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 550 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

श्री आर०एल० जालप्पा : अपने सहयोगी श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से मैं प्रश्न सं० 502 और 503 के उत्तर सभा पटल पर रखता हूं। प्रश्न सं० 502 और 503 एक जैसे है। अतः मेरा सुझाव है कि आप इन दोनों प्रश्नों को एक साथ ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रश्न संख्या 502 और 503 एक जैसे हैं। हम उन्हें एक साथ ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं यह जरूर रखना चाहूंगा कि जब सत्र चलता है तो देश के मंत्री विदेश चले जाते हैं, ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि जलप्पा साहब जवाब दे रहे हैं और जिस समय निर्णय लेना होगा तो उस समय और कोई मंत्री जी जाकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मेरा कहना है कि या तो पोर्टफोलियो डिसाइड कर दिया जाए। . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब सरकार देती है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर देश के मंत्री सत्र के दौरान बाहर जाएंगे तो हमारे प्रश्न का क्या होगा? *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : एक-दो दिन के लिए जाने की बात तो समझ में आती है लेकिन दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के लिए पार्लियामेंट के सैशन के दौरान मंत्री जी बाहर जाएंगे तो काम कैसे चलेगा ? आपकी तरफ से कोई ऐसा रूल बनना चाहिए कि कोई दो दिन से ज्यादा न जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी का जवाब आया है, मैं समझता हूं कि इनको इनके विभाग के लोगों ने अच्छी तरह से ब्रीफ किया होगा। इन्होंने बताया है कि पूरे विश्व में 42 मिलियन लोग अंधे हैं। उसमें 12 मिलियन हिन्दुस्तान के हैं और उसमें मंत्री जी ने जब जवाब बनाया तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैंने प्रश्न के दौरान किए थे, जो मेरे पास उपलब्ध थे, वे वर्ल्ड हैल्थ ऑरगेनाइजेशन द्वारा 1986 से 1989 के बीच में किए गए सर्वे के हैं। यह 1997 है और अभी तक वे उन्हीं आकड़ों के लेकर चल रहे हैं जो 1986 में लेकर चले थे। उस संदर्भ में दूसरा प्रश्न जो मैंने उसी संदर्भ में किया है :–

[अनुवाद]

क्या यह सच है कि बिहार और पूर्वी राज्यों में नेत्रहीन व्यक्तियों की प्रतिशतता सबसे अधिक है। इसका एकदम सीधा उत्तर है 'जी नहीं'।

[हिन्दी]

उसका एक एबरप्ट जवाब आया है "जी नहीं" जब उन्होंने 1986-1989 के सर्वे के बाद कोई सर्वे किया ही नहीं है तो इस बात का जवाब इनके पास कहां से आया कि आज इस देश में बिहार और ईस्टर्न राज्यों में ही सबसे अधिक अंधे हैं। इसका जवाब "नहीं सर" के रूप में इनके पास कहां से उभरकर आया ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्हें कैसे मालूम है कि इस देश में नेत्रहीन लोगों की संख्या बड़ी है ?

[हिन्दी]

यह प्रश्न बड़ा विशेष महत्व रखता है। इन्हीं के जवाब के अनुसार बिहार में लगभग एक मिलियन लोग अन्धे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग दो मिलियन लोग अन्धे हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में लगभग 0.5 मिलियन लोग अन्धे हैं। 1993 में स्टार्ड प्रश्न संख्या 314 के अनुसार, उस समय जितने लोग अन्धे थे, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने तय किया था।

[अनुवाद]

2000 ई० तक नेत्रहीनता के प्रतिशत को 1.49 प्रतिशत से कम करके 0.3 प्रतिशत करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम 20 से 30 लाख मोतियाबिंद के आपरेशन करने चाहिए।

[हिन्दी]

पिछले पांच वर्षों में और सन् 2000 तक सरकार का टार्गेट है कि ब्लाइन्डनैस 0.3 प्रतिशत तक ले आयेंगे। इसी सन्दर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस दिशा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? कृपया मुझे एक वर्ष यानि 1996-97 का आंकड़ा बतायें कि कितने प्रतिशत ब्लाइन्डनैस कन्ट्रौल का जो आंकड़ा रखा था, उसमें कितने प्रतिशत कमी आई है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, हमें यह आंकड़े मंत्रालय से

प्राप्त हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें यह आंकड़े कहां से प्राप्त हुए हैं। 1989 में एक सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद फिलहाल कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ···*(व्यवधान)* इस सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के मामले में, यह संख्या 200 लाख है। राजस्थान के संबंध में यह 224 लाख है। गोआ के संबंध में यह 203 लाख है। तमिलनाडु के संबंध में, यह 265 लाख है। उत्तर प्रदेश के संबंध में यह 158 लाख है और बिहार के संबंध में यह 128 लाख हैं अतः इसका मतलब है कि बिहार की संख्या उन राज्यों में नहीं है जहां नेत्रहीनों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे कम दरें सिक्कम, मेघालय और नागालैण्ड की है। इन राज्यों में ऐसी घटनाएं सबसे कम हैं।

जहां तक पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च और प्राप्त हुए लक्ष्य का संबंध है, मैं बताना चाहूंगा कि 1993-94 में हमने लगभग 19.70 करोड़ रु० खर्च किए और 1.9 मिलियन आपरेशन किए। वर्ष 1994-95 में 2.16 मिलियन आपरेशन किए गए और इनमें 37.25 करोड़ रु० खर्च हुए। वर्ष 1995-96 में 2.47 मिलियन लोगों के आपरेशन किए गए और इनमें 54.95 करोड़ रु० खर्च हुए। वर्ष 1996-97 में फरवरी तक हमने 2.55 मिलियन आपरेशन किए और 59.50 करोड़ रु० खर्च हुए। इस समस्या का आकार बहुत बड़ा है। यद्यपि 12 मिलियन आपरेशन अभी किए जाने हैं, इनमें 12 मिलियन लोग शामिल हैं और 20 मिलियन आंखों के आपरेशन किए जाने हैं, परन्तु प्रतिवर्ष केवल दो मिलियन आपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त डाक्टर नहीं है। हमारे यहां सरकारी डाक्टरों और गैर सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे डाक्टरों को मिलाकर केवल 8000 डॉक्टर हैं। हम इसके भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम बकाया आपरेशन यथासंभव निपटाए जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। देश में 12 मिलियन लोग अन्धे हैं और 60 वर्ष की आयु से अधिक लगभग 70 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो अन्धेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह स्थिति उन राज्यों की है, जहां गरीबी अधिक है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कुपोषण है। ऐसे राज्यों में अन्धापन ज्यादा प्रभावित है। विश्व बैंक की योजना के तहत कैट्रेक्ट ब्लाइन्डनैस कन्ट्रोल प्रोजैक्ट में सात राज्यों का चयन किया गया था, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य हैं, लेकिन बिहार इससे वंचित रह गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, बृहद पैमाने पर बिहार की गरीबी, कुपोषण और आर्थिक कमियों को देखते हुए, बिहार में अन्धेपन के नियन्त्रण के लिए कोई योजना देना चाहेंगे ? साथ ही साथ ईस्टर्न क्षेत्र में बिहार के बाद, उत्तर प्रदेश के भाग में और पश्चिम के भाग में अन्धेपन के नियन्त्रणके लिए कोई नेशनल हास्पिटल फॉर ब्लाइन्ड देने का प्रस्ताव रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, इन सात राज्यों में विश्व बैंक ने सर्वेक्षण कराया था ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बिहार के अन्धेपन के बारे में केन्द्र के रूख पर मिश्रा जी हँस रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : बिहार के लोगों को रात में ज्यादा दिखाई देता है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : आजकल हर कोई बिहार के बारे में सोच रहा है, महोदय ···*(व्यवधान)*

इन सात राज्यों में विश्व बैंक ने सर्वेक्षण कराया था और उन्होंने 554 करोड़ रुपयों की सहायता दी है। दुर्भाग्यवश, इन सात राज्यों में बिहार को सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु हम बिहार की स्थिति को सुधारने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम कुछ भी नहीं दे पाए थे क्योंकि उस वर्ष वहां मांग नहीं थी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : बिहार के गरीब लोग दृष्टिबाधित ही रहेंगे

श्री आर०एल० जालप्पा : यह कार्य राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्हें आगे आना चाहिए।

अब जब आप इसे हमारे ध्यान में लाए हैं तो हम स्वयं इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : पूर्वी राज्यो या बिहार में दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय अस्पताल की स्थापना किए जाने सम्बंधी विशिष्ट प्रस्तावों के बारे में पूछना चाहूंगा ···*(व्यवधान)*. मैं माननीय मंत्री से केवल विशेष प्रश्न पर प्रतिक्रिया चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे दो लोग और हैं जिनका नाम सूची में है। मुझे पहले उन्हें बोलने का अवसर देना होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र में इन गरीब राज्यों की सहायता करने के लिए दृष्टि-बाधित लोगों के लिए राष्ट्रीय अस्पताल की स्थापना करने का विचार रखती है ? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री आर०एल० जालप्पा : इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा। हम इस मामले पर विचार करेंगें।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं नहीं जानता कहां से लिए गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो लिखित में जवाब

दिया गया है, मूल प्रश्न का जवाब, वहीं से आंकड़े लिए गए हैं। अगर सरकार वास्तव में इन मुद्दों के प्रति गम्भीर है, तो यह प्रतिशत 1.98 से बढ़कर 1.49 प्रतिशत कैसे हो गया ? साथ ही दृष्टिहीनता के कन्ट्रोल के लिए जो 550 करोड़ रुपया रखा गया है, वह भी अपने आप में पूरी राशि नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार पूरे विश्व की गिनती के आधार पर हर पांचवां दृष्टिहीन व्यक्ति भारतीय है। सरकार ने लिखित उत्तर में दिया है कि गांव-गांव में जाकर सर्वेक्षण हो रहा है, लोगों से पता लगाया जा रहा है और पिछली योजनाओं में परिवर्तन करके इस पर नियन्त्रण करने की कोशिश की जा रही है। महोदय, गावों में हम लोग भी जाते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार आज तक किसी गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति हमको नहीं मिला है, जिसने यह कहा हो यहां दृष्टिहीनता के नियन्त्रण के विषय में कोई व्यक्ति पूछने आया हो या कोई कमेटी गठित की गई हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार वास्तव में दृष्टिहीनता नियन्त्रण के बारे में गम्भीर है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज गांवों में सबसे ज्यादा दृष्टिहीनता है। यह स्थिति चाहे कूपोषण के कारण रही हो या सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के कारण रही हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार दोहरा रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : आज गांवों में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, जिसमें दृष्टिहीनता व्यक्तियों की नामज़दगी की जाती हो या लिस्ट बनाई जाती हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार के स्तर पर कोई ऐसा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि दृष्टिहीनता के शिकार लोगों के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : वृद्धि दर को 1.2 से 1.49 तक पहुंचने से रोकना दुर्भाग्यवश, धन की कमी के कारण सम्भव नहीं हो सका। अब स्थिति भिन्न है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे देश में सारे विश्व के दृष्टिवाधितों का एक चौथाई हिस्सा है। देश की स्थिति से तुलना की जाये तो, इन सात राज्यों में देश के कुल दृष्टि-बाधितों का दो-तिहाई भाग वसता है इसी कारण विश्व बैंक ने इन सात राज्यों के लिए 554 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस समय हमने वित्त मंत्री से अधिकाधिक निधियों का आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है जिससे कि हम समस्या को हल करने का प्रयास कर सकें। परन्तु मैं आपको कह सकता हूं कि तत्काल ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि आठ हजार डॉक्टरों की कमी है। कुछ राज्यों में आपरेशन करने के बजाय अन्य कार्य उन्हें सौंपा गया है। कुछ व्यक्तियों को अस्पतालों का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। कुछ को कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया गया है इसी कारण हम इन सभी आठ हजार डॉक्टरों को नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं। हमनें राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि इन व्यक्तियों को कार्यकारी पदों से हटाइए और उन्हें आपरेशन के कार्य में लगाइए।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और छोटा सा सवाल मंत्री जी से जानना चाहूंगा। सरकार ने कहा है कि सचल नेत्र परिचर्या इकाइयों की स्थापना की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया कि वे इकाइयां फंक्शन में हैं। वे फंक्शन में रह पाएंगी या उनका ढर्रा, उनकी सोच वही रहेगी जो अब तक रहती आई है। क्या इन इकाइयों को सही प्रारूप दे करके फंक्शन में लाने की विधि तथा और कोई कार्यक्रम सरकार के पास हैं ? क्या सरकार ने अलग से कोई ऐसी नीति घोषित की है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 550 करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है, इस रुपए का दुरुपयोग न हो, यह सही रूप में उन दृष्टिहीनता नियंत्रण लोगों तक पहुंचे, जो जरूरत मंद हैं। उन लोगों को सुविधा मिल सके, उनका उपचार हो सके, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के पास है, क्या इसमें कोई चयन, परिवर्तन सरकार करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : इसका विकेन्द्रीकरण करने के लिए अब हमने यथास्थिति उप आयुक्तों या कलेक्टरों, की अध्यक्षता में जिला दृष्टि-बाधिता नियंत्रण समितियों का गठन किया है। वे इस मामले पर ध्यान दे रहें हैं। मैं बहुत खुश नहीं हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी बहुत प्रसन्न नहीं है। हम अपनी खामियों को जानते हैं। हम इन बातों से निपटने का प्रयास करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री संदीपन थोरात : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अंधापन है, खास तौर पर आदिवासी और जो जंगल में रहते हैं उनके जो लड़के हैं उनको जो जीवन सत्व शुरू में मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। इसकी वजह से उनमें अंधापन ज्यादा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई योजना है कि उन बच्चों को खाने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, जीवन सत्व मिलना चाहिए। उसको देने के लिए वे क्या कर रहे हैं ? दूसरी बात यह है कि ऐसे जो एरियाज़ हैं वे डिमार्केट करके उसमें खास तौर पर ऐसे कोई होस्पिटल लगाने की क्या कोई योजना है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : हम तालुका अस्पतालों और साथ ही गैर सरकारी संगठनों को भी साधन-सम्पन्न बना रहे हैं। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए हम उन्हें 250 रुपये दे रहे हैं, यदि वे सरकारी सुविधाओं

का प्रयोग न करते हो तो। यदि वे सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते है तो यह राशि 175 रुपए है। इसके अतिरिक्त आदिवासा क्षेत्रों में 50 रुपए ज्यादा दे रहे हैं।

हम उनकी सहायता चश्मे की खरीद में भी कर रह हैं।

गांवों में लोग रोग ग्रस्त होते हैं और अस्पतालों को कभी भी नहीं जाते हैं। जब उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है तब वे अस्पताल जाते है। हम प्रोत्साहनकर्त्ताओं को ऐसे व्यक्तियों को अस्पतालों को लाने के लिए बढ़ावा दे रहे है। हम प्रत्येक व्यक्ति पर 25 रुपए खर्च कर रहे हैं। हम इसे बढ़ाना चाहते हैं।

ऐसा कुपोषण के कारण होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब समुचित देखभाल नहीं की जाती है। ये सभी समस्याएं वहां उपस्थित है। यह वास्तव में एक विवादग्रस्त समस्या है। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इसमें यथासम्भव कमी लाई जाये।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं अंधेपन की रोकथाम के लिए बनाई गई सरकार की प्रमुख रणनीति को जानना चाहूंगा। रणनीतियां प्रत्येक रोग के लिए अलग-अलग होती है। क्या यह कैम्प दृष्टिकोण है ? क्या यह आवासीय दृष्टिकोण है ? या क्या यह विद्यालय स्वास्थ्य दृष्टिकोण है; जहां आप कम आयु में ही ऐसे मामलों को ढूंढ कर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यथासम्भव रूप से दृष्टिबाधिता को रोका जा सके? इनमें से किस दृष्टिकोण का अनुसरण किया जा रहा है। शायद, यदि इसमें से सभी का अनुसरण किया जा रहा हो तो, प्रमुख तरीका कौन-सा है ?

यदि कैम्प लगाने का तरीका है तो अभी तक कितने कैम्प लगाए जा चुके हैं ? उन कैम्पों का विवरण क्या है ? वहां पर कितने डाक्टर तैनात होंगे ? वहां कितने मरीज लिए जा सकते हैं ? क्या यह केवल मोतियाबिन्द के लिए है या अन्य रोगों के लिए भी ? इनमें से कुछ ब्यौरा, यदि मंत्री महोदय हमें संक्षेप में बताते हैं तो हम बाद में और ज्यादा विस्तार में जा सकते हैं। शायद यही माननीय सदस्य जानना चाहेंगें।

श्री आर०एल० जालप्पा : हम ऐसी कैम्प गातिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूलों में भी, हम गैर सरकारी संगटनां और सरकारी संगठनों से ... *(व्यवधान)*

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं 'में भी' की बात नहीं कर रहा हूं। प्रमुख तरीका क्या है ?

श्री आर०एल० जाल्पा : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनका 'प्रमुख तरीका'' से क्या आशय है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : प्रमुख तरीका वह तरीका है जिसके द्वारा अधिकांश रोगियों का, सांख्यकीय रूप से, इलाज किया जाता है।

श्री आर०एल० जालप्पा : हमारे पास लगभग 301 जिलों में गतिशील इकाइयां है ... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप कह सकते हैं कि तरीके में कोई बदलाव नहीं है।

श्री रूप चन्द्र पाल : वे मंत्री को कैसे परामर्श दे सकते हैं ? क्या वो साभा के भीतर मंत्री के परामर्शदाता बन गए है ? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री आर०एल० जालप्पा : हमारे पास लगभग अस्सी केन्द्रीय गतिशील इकाइयां और लगभग 301 जिला गतिशील इकाइयां है। जहां कहीं भी हमारे पास ये सुविधाएं हैं, हम उन्हें भेज रहे हैं। वे गांवों में दृष्टि-बाधितों का पता लगाने, उन्हें अस्पतालों को लाकर और उनको इलाज करने का प्रयास करने हेतु घूम रही है ... (व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार : आप सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दृष्टिबाधिता की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय किस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि का अनुसरण कर रही है ? यह केवल एक पद्धति नहीं हो सकती। इसका प्रमुख तरीका क्या है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी मामलों पर एक टिप्पणी तैयार करवाएं क्योंकि यह सांख्यकीय ब्यौरा है जिसे प्रत्येक सदस्य प्राप्त करना चाहता है। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वे गम्भीर है; वास्तव में सरकार गम्भीर है। उसे गम्भीर होना ही चाहिए। परन्तु गम्भीरता का समय-समय पर, महीनेवार और वर्षवार क्या परिणाम है ? यही हम जानना चाहेंगे। इसीलिए यदि उनके पास इस समय इन सब बातों का उत्तर तैयार न हो तो वे इन सभी पहलुओं पर एक विस्तृत टिप्पणी भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं समझता हूं कि वे एक टिप्पणी भेज सकते हैं।

श्री आर०एल० जालप्पा : मैं ऐसा अवश्य करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 504; श्री दिलीप सिंह भूरिया-अनुपस्थित।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास केवल दस मिनट बचे हैं। और हम उसी प्रश्न पर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 505; श्री एन०एस०वी० चित्तयन–अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 506; श्री अय्यन्ना पटरूडु – अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 507; श्री आर० साम्बासिवा राव – अनुपस्थित; श्री राजशेखर सिंह; – अनुपस्थित।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन

*508. **श्री नारायण अठावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में किन राज्यों का कार्य उत्कृष्ट रहा है; और

(घ) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा निष्पादन में रही कमियों को पूरा करने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है ?

वस्त्र मंत्री श्री (आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण कवरेज की राज्यवार प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण-I सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सभी पांच वैकसीनों के सम्बन्ध में 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ने 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त की है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र देश के रूप में शतप्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान नगद सहायता का राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला विवरण-II सभा पटल पर रख दिया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले सभी रोगों तथा शिशुओं की मौतों में भी प्रभावशाली रूप से कमी आई है।

विवरण-I

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1996-97 के अन्तर्गत उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीपीटी	प्रतिशत				पल्स पोलियो	
		ओपीवी	बीसीजी	खसरा	टीटी (पी डब्ल्यू)	7.12.96	18.1.97
1	2	3	4	5	6	7	8
बड़े राज्य							
आंध्र प्रदेश	99.00	99.11	103.48	91.61	97.39	109.60	111.07
असम	68.2	68.58	79.56	67.15	62.76	93.71	108.89
बिहार	45.43	53.96	71.11	46.80	31.94	94.32	97.56
गुजरात	82.36	83.51	85.42	79.16	78.08	112.14	114.87
हरियाणा	85.65	84.83	97.78	77.14	74.27	109.00	116.54
कर्नाटक	96.55	96.70	102.17	91.52	97.82	100.83	108.23
केरल	93.42	94.11	97.11	78.73	77.03	94.80	100.24
मध्य प्रदेश	89.30	89.15	95.06	84.20	84.12	102.93	99.61
महाराष्ट्र *	79.94	80.29	87.19	75.38	68.23	94.69	96.7
उड़ीसा	93.06	93.23	98.16	86.12	78.87	99.48	102.57
पंजाब *	87.72	93.47	98.84	91.51	85.63	108.27	111.03
राजस्थान	92.71	92.81	94.66	87.11	80.04	101.31	107.24

1		2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु		104.16	105.20	117.00	105.50	99.14	99.31	108.35
उत्तर प्रदेश		101.17	101.44	101.67	84.41	82.70	103.31	117.58
पश्चिम बंगाल		80.65	82.82	89.24	69.08	72.29	90.05	91.06
छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
हिमाचल प्रदेश		94.13	94.82	98.67	94.33	89.28	106.69	110.6
जम्मू व कश्मीर	**	63.69	64.37	76.24	54.99	32.73	104.89	111.28
मणिपुर	*	73.27	73.35	89.07	59.74	62.45	104.96	108.74
मेघालय	**	50.04	44.12	58.61	34.88	39.53	83.84	95.47
नागालैंड	*	49.22	49.25	41.92	28.00	48.14	95.75	96.37
सिक्किम	*	74.91	72.94	84.60	69.60	43.32	110.52	109.31
त्रिपुरा		82.84	83.37	93.70	73.21	63.04	93.78	101.72
अण्डमान व नि० द्वीप स०	*	90.13	90.13	96.47	83.33	74.60	98.85	99.46
अरुणाचल प्रदेश	*	31.57	32.24	36.91	25.28	23.21	105.68	98.52
चंण्डीगढ़	*	123.81	74.08	93.36	65.01	123.52	100.00	106.07
दादरा व नगर हवेली	*	83.34	83.06	89.96	83.85	85.03	105.31	104.51
दिल्ली	**	77.07	78.98	105.19	57.16	52.73	100.40	108.02
गोवा		108.20	112.20	125.51	107.04	89.51	96.67	98.58
दमण व दीव		137.04	145.37	103.48	104.78	98.67	105.18	107.28
लक्षद्वीप	**	60.53	60.53	48.40	54.13	65.44	100.00	100.26
मिजोरम		74.87	74.44	75.68	70.66	62.12	101.76	106.59
पाण्डिचेरी	*	104.75	104.75	157.59	91.14	99.41	124.60	126.09
भारत @		85.73	87.21	93.68	78.48	75.06	100.28	106.08

नोट : आंकड़े अनन्तिम

* : फरवरी 97 तक की उपलब्धि

** : जनवरी 97 तक की उपलब्धि

@ : अखिल भारतीय आंकडों में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय का कार्यनिष्पादन भी शामिल है।

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 97-98 के दौरान नगद सहायता का आवंटन	वर्ष 1996-97 के दौरान पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए निधियां	
			सू० शि० व संचार कार्यकलाप	पी०ओ०एल० और परिवहन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	122.30	46.00	55.50

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.50	6.50	35.75
3.	असम	70.90	11.50	57.25
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.90	1.00	5.50
5.	बिहार	153.90	27.00	111.50
6.	चण्डीगढ़	4.80	0.50	4.00
7.	दादर व नगर हवेली	4.60	0.50	2.75
8.	दमण व दीव	5.00	1.00	5.50
9.	गुजरात	91.50	9.50	45.75
10.	गोवा	7.20	1.00	4.00
11.	हिमाचल प्रदेश	36.50	6.00	30.00
12.	हरियाणा	55.00	8.50	32.00
13.	जम्मू व कश्मीर	38.10	7.00	37.75
14.	कर्नाटक	103.50	10.00	45.75
15.	केरल	69.00	7.00	31.50
16.	लक्षद्वीप	4.20	0.50	2.75
17.	मध्य प्रदेश	177.00	22.50	103.25
18.	महाराष्ट्र	166.50	15.00	75.50
19.	मेघालय	17.00	3.50	16.25
20.	मणिपुर	23.20	4.00	22.00
21.	मिजोरम	13.00	2.00	11.00
22.	नागालैंड	22.40	3.50	19.25
23.	उड़ीसा	73.90	15.00	69.50
24.	पंजाब	54.00	8.50	34.00
25.	राजस्थान	121.10	15.50	71.75
26.	सिक्किम	9.40	2.00	10.25
27.	तमिलनाडु	127.10	12.50	56.00
28.	त्रिपुरा	12.10	2.00	11.00
29.	उत्तर प्रदेश	261.00	34.00	172.25

1	2	3	4	5
30.	पश्चिम बंगाल	98.00	9.50	46.00
31.	दिल्ली	17.90	4.50	20.00
32.	पाण्डिचेरी	10.50	2.00	8.00
	भारत	2000.00	299.50	1253.25

[हिन्दी]

श्री नारायण अठावले : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में जो प्लस पोलियो कार्यक्रम है, उसकी कार्य निष्पत्ति बहुत अच्छी तरह से हुई है लेकिन बाकी बच्चों की जो बीमारियां हैं जैसे डिपथीरिया, खसरा, काली खांसी और टी०बी० है, इनको रोकने के लिए जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम हैं, उनकी कार्य निष्पत्ति बिहार, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ठीक तरह से नहीं हुई। इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय क्या मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। इसे अगली बार लिया जा सकता है, महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको सोमवार और शुक्रवार का हर प्रश्न के लिए तैयार रहना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर देने का प्रयत्न कर सकते।

(व्यवधान)

श्री आर०एल० जालप्पा : मेरे पास कुछ उत्तर है ··· *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय जो जैसे चाहे, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। यह कोई तरीका नहीं है क्वश्चन लिस्टिड है। आपका कहना है कि कोलैक्टिव रिस्पॉसिबिल्टी है। हम भी इस बात को मानते हैं। अगर मिनिस्टर विदेश में हैं और दूसरे मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उनको तैयार होकर आना चाहिए था। इसका क्या मतलब है ? अगर इस तरह से जवाब आएगा तो यह हाउस की अवमानना होगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : महोदय आपने पिछले प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी थी; और अंततः अब इसके परिणामस्वरूप कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर देंगे। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री आर०एल० जालप्पा : यह प्रतिरक्षण कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दमन और दीव और चण्डीगढ़ में 90 प्रतिशत तक सफल रहा है। इन राज्यों में प्रतिरक्षण कार्यक्रम 90 प्रतिशत तक सफल रहा है। अन्य राज्यों में, यह 78 और 93 प्रतिशत सफल रहा हैं हम अगामी दिसम्बर – जनवरी में भी इस प्रकार के एक कार्यक्रम को चलाएंगें। हम एक बार फिर इस कार्यक्रम को दोहराने जा रहे हैं ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अठावले, आप दूसरे अनुपूरक प्रश्न को पूछ सकते हैं। कृपया धीरे-धीरे पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण अठावले : अध्यक्ष महोदय, मैंने खास तौर से बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था। आपने जो फीगर्स दी हैं, उनमें बिहार की फीगर्स ऐसी हैं जिसमें बी०सी०जी० वैक्सिन को छोड़ कर बाकी वैक्सिन्स 50 परसैंट के नीचे हैं। इसकी क्या वजह है ? पैसा नहीं है, या आदमी नहीं हैं ?

श्री आर०एल० जालप्पा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस काम के लिए पैसे बहुत है और आदमियों का सपोर्ट भी मिल रहा है।

[अनुवाद]

राज्य सरकार को इसके लिए पहल करनी होगी।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम बनाया है। मेरा यह कहना है कि अनेक बीमारियों की चिकित्सा वैक्सिन के माध्यम से फेल हो गई है। विशेष रूप से टी०बी० में तमाम वैक्सिन्स फेल हो गई हैं। इस कारण से पिछले पांच सालों में देश में क्षय रोगों का प्राबल्य बहुत अधिक हो गया है। क्या विभाग ने क्षय रोग की चिकित्सा के लिए वैक्सिन बनाने पर [illegible]

पास करने का तय किया है ? क्या कोई समुचित व्यवस्था क्षय रोग की रोकथाम के लिए की गई है ? अगर ऐलोपैथी में इसका इलाज नहीं है तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेकर टी०बी० को क्षरण करने के लिए आप कोई समुचित व्यवस्था करेंगे या नहीं ? कृपया यह स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, टी०बी० के इलाज के और भी कई तरीके हैं। यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई है कि इस टीके को लगाने के बावजूद भी टी०बी० के मरीजों की संख्या में बढ़ौतरी हुई है। यदि कोई बच्चा पहले से टी०बी० से पीड़ित हो तो यह टीका उसके काम नहीं आएगा। परन्तु यह बात हमारे ध्यान में नही आई है कि यह टीका असफल हो गया है। यदि यह बात हमारे ध्यान में लायी जाती है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। आजकल हमारे पास टी०बी० की घटनाओं से निपटने के लिए अन्य विधियां भी है।

[हिन्दी]

श्री सुब्रता मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी कुछ राज्यों के सवाल पर और खासकर बिहार के बारे में बताया कि वहां पर प्रॉपर हैल्प नहीं मिली। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रॉपर हैल्प किसको कहते हैं। वहां पर आम आदमी की तरफ से मदद नहीं मिली या सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने वैस्ट बंगाल ही नहीं, बाहरी इलाकों का भी दौरा किया है तो मालूम हुआ कि आम लोगों में इस प्रोग्राम को लेकर खलबली मची हुई है। हमारा स्टेट बिहार से लगा हुआ है और बिहार के बहुत से लोगों ने इम्युनाईजेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया हैं हमारे हिन्दुस्तान में अवेयरनैस की कमी है और इस अवेयरनैस की कमी को हटाने के लिये या इस प्रोग्राम को पापुलराइज करने के लिये, जैसा कि कहा गया, क्या इस स्कीम को रिवाईज करने जा रहे हैं? मेरा मंत्री जी से यह भी पूछना है कि क्या नया स्टैप लेने के पहले या रिवाईज करने के पहले आदमी में जो अवेयरनैस पैदा करने का तरीका अपनाया जा रहा है, यह अपनाया जायेगा या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, हम जनता में जागरूकता लाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रेस और पोस्टर लगाकर और अन्य माध्यमों से अधिकतम प्रयास कर चुके हैं। हम इस सम्बन्ध में पूरे प्रयास कर चुके हैं। इसी कारण हम 90-95 प्रतिशत सफलता प्राप्त कर पाएं हैं।

बिहार में, बुनियादी सुविधाओं की शायद कमी हो और इसी कारण प्रगति उतनी नहीं हुई जितनी कि हमने अपेक्षा की थी। जब हम आगामी दिसम्बर और जनवरी में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को चलाएंगें तो यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष लक्ष्य को प्राप्त कर लें।

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महादेय, मैं टी०बी० या कैंसर जैसे बीमारी के बारे में नहीं पूछना चाहता बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मच्छरों का प्रकोप चारों तरफ हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? अध्यक्ष महोदय, संसद में भी मच्छर ज्यादा हैं और काटते हैं। इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाई की जानी चाहिए। हम राज सहायता और सहायता, उन्हें जैसी भी मदद चाहिए उसे देकर ... *(व्यवधान)*

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि कई दिनों से सभाओं में स्वास्थ्य का विषय विस्तृत चर्चा के लिए नहीं आया है। मुझे इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा होने पर प्रसन्नता होगी। यह मामला वास्तव में गम्भीरतापूर्वक और पूरे विस्तार से नहीं लिया गया है जोकि आवश्यक है। पूरी दुनिया में कई योजनाएं हैं। हम एक विशेष निर्धारित लक्ष्यप्राप्ति सीमा 2000 ईस्वी तक सभी को स्वास्थ्य' को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। ऐसा कहां हो रहा है ? इसी कारण हमें यह देखना है कि इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा देश कहां है और इसके लिए मैं एक विस्तृत वाद-विवाद हेतु अनुरोध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः इस बार मैंने स्वयं कार्यमंत्रणा समिति में सुझाव दिया था कि यह उन मंत्रालयों में से एक होनी चाहिए जिन को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान लिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए हैं और इस प्रकार हम इसे चर्चा में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

परन्तु मैं तहे दिल से यह महसूस करता हूं कि इस पर – मैं नहीं जानता कि किस रूप में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं – हमें चर्चा करनी चाहिए, समय की उपलब्धता के अध्यधीन।

श्री पी०वी० नरसिम्हा राव : अभी नहीं, मैं नहीं समझता कि हम इस सत्र में इस पर चर्चा कर सकेंगे क्योंकि आधे घण्टे या एक घण्टे के लिए इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। इस पर पूरे दिन वाद-विवाद होना चाहिए, शायद अगले सत्र में, क्योंकि स्वास्थ्य के कई पहलु है जोकि सभा के समक्ष समग्र रूप से चर्चा के लिए वास्तव में नहीं आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं भी इससे सहमत हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

*504. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्र सरकार द्वारा 60.51 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय आवंटन 100.00 करोड़ रुपए है ।

[अनुवाद]

जन्म दर

*505. **श्री एन०एस०वी० चित्तन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जन्म दर कम करने के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जन्म दर नियंत्रित करने के लिये लोगों को सलाह देने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम लोगों के प्रजननात्मक आचरण पर प्रभाव डालने के लिए माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परामर्शी और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्यक्रम देश में जन्म दर कम करने के लिए गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों के लिए सूचना और सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के लिए अब तक कोई जनांकिकीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम में उपयुक्त परिवार नियोजन के तरीकों को स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना शामिल है। ऐसी सलाह डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकताओं के साथ-साथ जन संचार के साधनों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण उप-केन्द्रों में दी जाती है।

जियो-सिंथेटिक्स

*506. **श्री अय्यन्ना पटरुघु :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई भवन निर्माण सामग्री, "जियो-सिंथेटिक्स" का अमरीका और अन्य देशों में सड़कों के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के सिविल इंजिनियरिंग निर्माण कार्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत द्वारा "जियो-सिंथेटिक्स" के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों तथा प्राकृतिक आपदा प्रवरण क्षेत्रों में एक जियो-सिंथेटिक्स विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां। भारत में विभिन्न संस्थाओं ने इस बारे में पर्याप्त अनुसंधान किए हैं। प्रबलित मिट्टी की दीवारों, नालियों, आवरण के निर्माण और भू-कटाव निवारण उपायों इत्यादि के रूप में सीमित मामलों में भू-संशलिष्ट का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसकी लागत अधिक होती है।

(घ) निजी क्षेत्र में निर्माण इकाइयों का स्थापित किया जाना बाजार की आर्थिक स्थिति तथा उस सामग्री की मांग पर निर्भर करता है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई इकाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नदियों को जोड़ना

*507. **श्री आर० साम्बासिवा राव :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी बड़ी और छोटी नदियों को जोड़ने के लिए एक 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना और विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग में विशेषज्ञों और वैज्ञानियों को भी शामिल किया गया है;

(घ) सरकार ने उन्हें कब तक अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में दूषित भूमिगत जल का प्रयोग करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कराया है;

(च) क्या सरकार भूमिगत एवं भूजल सम्बन्धी संसाधनों का विकास करने के लिए वचनबद्ध है और क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परस्पर जोड़े जाने के लिए चुनी गई नदियों के नामों सहित इसके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की कार्यालय ज्ञापन सं० 2/11/96-बी०एम०/ 645-661 दिनांक 13.9.1996 द्वारा की थी, इसके अध्यक्ष डा० जी०वी० के० राव थे। तथापि श्री राव ने स्वास्थ्य के आधार पर त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात् दिनांक 22.11.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/11/96- बी०एम०/965-985 द्वारा श्री हनुमंत राव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भी अपनी पूर्व व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इस पद पर बने रहने की असमर्थता व्यक्त की। तत्पश्चात्, योजना आयोग के सदस्य डा० एस०आर० हाशिम को दिनांक 14.2.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/96-बी०एम०/182-206 के तहत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

इस आयोग का वर्तमान संगठन इस प्रकार है :

1. डा० एस०आर० हाशिम — अध्यक्ष
   सदस्य
   योजना आयोग

2. श्री वी० रामचन्द्रन — सदस्य
   भूतपूर्व मुख्य सचिव
   केरल सरकार
   तिरूवनन्तपुरम

3. डा० बी०एस० व्यास (अर्थशास्त्री) : सदस्य
   निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान
   8-बी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया
   जयपुर-302004

4. डा० डी०एन० तिवारी — सदस्य
   भूतपूर्व कुलपति
   एफ०आर०आई० (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
   देहरादून

5. श्री एस० प्रकाश : सदस्य
   भूतपूर्व प्रमुख अभियंता
   दिल्ली जल आपूर्ति एवं
   मल व्ययन संस्थान

6. श्री सी०सी० पटेल — सदस्य
   भूतपूर्व सचिव (जल संसाधन)
   भारत सरकार

7. डा० भरत सिंह — सदस्य
   उप कुलपति (सेवा निवृत्त)
   रूड़की विश्वविद्यालय

8. श्री एस०पी० कैपरीहन — सदस्य
   प्रमुख अभियंता (सेवा निवृत्त)
   मध्य प्रदेश सरकार

9. महानिदेशक — सदस्य-सचिव
   राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
   (एन०डब्ल्यू०डी०ए०)
   नई दिल्ली

आयोग की सहायता करने के लिए अन्य विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा रहा है अथवा नौ कार्यकारी दलों के साथ जोड़ा जा रहा है।

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास से संबंधित समन्वित जल योजना तैयार करना।

(ii) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़कर अधिक जल का जलाभाव वाले बेसिन को स्थानान्तरण करने से संबंधित तौर-तरीकों का सुझाव देना,

(iii) चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न चरणों

के साथ पूरा किया जायेगा, को अभिज्ञात करना,

(iv) लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से जल क्षेत्र के लिए एक प्रौद्योगिकीय एवं अन्तरविषयी अनुसंधान योजना का पता लगाना,

(v) जल क्षेत्र के लिए भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने से संबंधित नीतियों का सुझाव देना,

(vi) अन्य कोई संबंधित मामला।

रिपोर्ट दो वर्षों में प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

(ङ) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की उपयोज्यता निर्धारित करने के वास्ते खोज के दौरान जल में डूबे हुए बोर होल्स में पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए लगभग 15000 विद्यमान हाइड्रोग्राफ केन्द्र और बनाये जाने वाले अतिरिक्त लगभग 2000 केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए देश में भूजल गुणवत्ता की मानीटरी करता है।

(च) और (छ) जी, हां। विभिन्न संगठनों के जरिए तकनीकी सलाह देने के अलावा, भूमि और सतही जल के विकास के लिए सरकार द्वारा कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

जल संसाधन मंत्रालय के एक संगठन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 17 और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत 19 जल हस्तांतरण सम्पर्कों का अध्ययन के लिए पता लगाया है। ब्यौरा इस प्रकार है :

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी–गोदावरी लिंक
2. कृष्णा (श्रीसेलम)–पेन्नार लिंक
3. पेन्नार (गांदी कोटा)–पलार-कावेरी लिंक
4. कावेरी–वेगाई लिंक
5. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक
6. कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमसिला) लिंक
7. कृष्णा (आलमट्टी)–पेन्नार लिंक
8. पेन्नार (सोमसिला)–पलार-कावेरी (कोलीरून) लिंक
9. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक
10. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक
11. *पार–तापी–नर्मदा लिंक*
12. दमनगंगा–पिंजल लिंक
13. पम्बा–अचनकोविल–वार वैपार लिंक
14. वेदती–वर्धा लिंक
15. नेत्रावती–हेमवती लिंक
16. केन–बेतवा लिंक
17. पारवती–कालीसिन्ध–चंबल लिंक

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी–मीची
2. कोसी–घाघरा
3. गण्डक–गंगा
4. करनाली-यमुना
5. शारदा-यमुना
6. यमुना–पश्चिमी यमुना नहर की सिरसा शाखा (राजस्थान)
7. गंगा–सिरहन्द नहर
8. ताजेवाला–भाखड़ा
9. हरिके–राजस्थान नहर का अंतिम सिरा
10. राजस्थान नहर का साबरमती तक विस्तार
11. चुनार–सोन बराज
12. सोन बराज–कियुल
13. सोन बांध–दक्षिणी वितरणी
14. ब्रह्मपुत्र–गंगा (मानस संकोश-तीस्ता-गंगा)
15. फरक्का–सुन्दरबन
16. फरक्का-दुर्गापुर
17. दुर्गापुर–दारकेश्वर
18. दुर्गापुर–सुवर्णरेखा
19. सुवर्णरेखा–महानदी

डेंगू बुखार

*509. **श्री आर० देवदास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंगू बुखार के संबंध में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सी०सी०आर०यू०एम०) को अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या डेंगू बुखार के उपचार हेतु यूनानी औषधालयों अथवा अन्य औषधालयों से आम जनता को औषधियां वितरित की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को डेंगू ज्वर के बारे में चिकित्सा परिचर्योन्मुखी अनुसंधान कार्य करने के लिए बजट प्रावधान में से 8.00 लाख रु० की धनराशि का उपयोग करने के लिए अनुमति दी है और इस उद्देश्य के लिए परिषद को कोई पृथक वित्तीय सहायता अथवा अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) परिषद ने दिल्ली में अपनी अनुसंधान यूनिटों तथा "मजीदिया अस्पताल" के माध्यम से जनता में डेंग्यू ज्वर के लिए औषधियां वितरित की हैं।

चिकित्सा सेवाओं को त्रि-स्तरीय प्रणाली

*510. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश की चिकित्सा सेवाओं को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है तथा ग्राम और जिला स्तर पर जनता को त्रि-स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अपनाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (घ) गांव स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा को त्रि-स्तरीय प्रणाली 5वीं पंचवर्षीय योजना से अपनाई गई है। इस प्रणाली में जनसंख्या के मानकों के आधार पर स्थापित किए गए उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। बुनियादी ढांचे, द्वारा प्रदत्त सेवाओं में क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निवारक, संवर्धक तथा उपचार्य स्वास्थ्य परिचर्या शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया है।

शिशुओं की मृत्यु

*511. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में शिशुओं की मृत्यु होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में शिशु की मृत्यु रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्तमान परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार लाने तथा इनमें और वृद्धि करने हेतु इन राज्यों से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) भारत के महापंजीयक को नमूना पंजीयन पद्धति में उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से लगातार कम रही है। जहां 1995 के दौरान देश में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 74 थी वहां आंध्र प्रदेश में यह दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 66 थी। राज्यों में शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) 1992 में शुरू किया गया शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य रोग प्रतिरक्षण, अतिसार रोगों पर नियंत्रण, तीव्र श्वसनी संक्रमण के रोगियों की परिचर्या, नवजात शिशुओं को आवश्यक परिचर्या उपलब्ध करना तथा विटामिन "ए" की कमी से बचाव जैसे माध्यमों से शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

विभाग में अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगातार वृद्धि की जा रही है।

विवरण

I. शिशु मृत्यु दर

भारत तथा बड़े राज्य 1995 (अनन्तिम)

भारत	*74**
आंध्र प्रदेश	66
असम	77
बिहार	73
गुजरात	62
हरियाणा	68
हिमाचल प्रदेश	21
कर्नाटक	62
केरल	16
मध्य प्रदेश	99
महाराष्ट्र	55
उड़ीसा	103
पंजाब	54
राजस्थान	85
तमिलनाडु	56
उत्तर प्रदेश	86
पश्चिम बंगाल	59

(*जम्मू कश्मीर और मिजोरम को छोड़ कर)

II. छोटे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1993-95 की अवधि के शिशु मृत्यु दर के अनंतिम अनुमान

अरूणाचल प्रदेश	63
गोवा	14
मणिपुर	27
मेघालय	45
नागालैंड	6
सिक्किम	47
त्रिपुरा	45
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32
चंडीगढ़	42
दादरा व नगर हवेली	*78*
दमण व दीव	36
दिल्ली	39
लक्षद्वीप	37
पाण्डिचेरी	25

(स्रोत—नमूना पंजीयन पद्धति)

भू जल स्तर

***512. श्री सुरेश प्रभु** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भू जल स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे पहुँच गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस दिशा में राज्यवार क्या-क्या निवारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा भूजल स्तरों के लिए किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि देश में कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

(ख) भूजल स्तर में गिरावट मुख्यतः वार्षिक पुनर्भरण से अधिक भूजल का दोहन करने और वर्षा की मात्रा और उसके वितरण में भिन्नता होने के कारण हुई है। भूजल के स्तर में कमी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं :-

(i) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मॉडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान बना सकें।

(ii) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल का परिचालन ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष में कृत्रिम पुनर्भरण योजनाएं तैयार कर सकें।

(iii) संबंधित राज्यों के साथ तालमेल करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित

क्षेत्र चंडीगढ़ में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल के पुनर्भरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना का कार्यान्वयन।

(iv) राज्यों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार करना। इस योजना पर परामर्श चल रहा है।

(v) भूजल प्रबंध और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड का प्राधिकरण के रूप में गठन।

थल सेना में अफसरों की कमी

*515. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में अधिकारी संवर्ग में कुल कितनी कमी है;

(ख) समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए कितने आवेदन मंत्रालय में लम्बित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अधिकारी संवर्ग में इस कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) सेना के अफसर संवर्ग में कुल 12,972 अफसरों की कमी है।

(ख) 30 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार 144।

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों में विश्वविद्यालय भर्ती योजना शुरू करना, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे बिना राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों की सीधी भर्ती, स्थायी कमीशन प्राप्त असफरों व अल्प सेवा कमीशन अफसरों की अधिक भर्ती तथा सेना में अफसर के रूप में महिलाओं की भर्ती किया जाना शामिल है। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में नियुक्ति की एक नई योजना भी अनुमोदित की गई है। सेना में कैरियर के लाभों का मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है।

तम्बाकू उत्पादों का विश्लेषण

*514. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं पर पान मसाला तम्बाकू उत्पाद "गुटका" के संभावित दुष्प्रभावों को जानने के लिए कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके उत्पादन तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि पान मसाला तथा गुटका खाने तथा उनके प्रतिकूल प्रभावों के सह-संबंध का पता लगाने के लिए एक क्रमबद्ध नैदानिक/जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जानपदिक रोग विज्ञानी तथा जानवरों पर आधारित अध्ययन, के दो प्रस्ताव, जिनकी अवधि दो से तीन वर्ष की होगी, विचाराधीन हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार पान मसाला खाए जाने वाले तम्बाकू के उत्पादों के पैकेटों के लेबल पर एक सांविधिक चेतायनी लिखी जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 1990 से दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर पान मसालों तथा तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास

*515. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है, और

(ग) प्राथमिक शिक्षा के विकास/सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) भारत सरकार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। 1992 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में, 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व ही प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने

के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा विभागों के केन्द्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बजट में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आवंटित की गई निधियों की प्रतिशतता निम्नवत है :-

1993-94 — 46%

1994-95 — 47%

1995-96 — 47%

चालू वित्त वर्ष के दौरान इसी पैटर्न को बनाए रखे जाने की संभावना है।

(ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है) तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं ने प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन तथा विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करने से यह आशा की गई है कि इससे शिक्षार्थियों की उपलब्धि स्तर में सुधार होगा।

वयस्क शिक्षा

*516. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री हाराधन राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में वयस्क शिक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त योजना पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इससे राज्यवार और वर्षवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को धन के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(च) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार ने इसके लिए धन के आवंटन में वृद्धि की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत जिन विशेष राज्यों में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन राज्यों को धनराशि प्रदान की गई, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार की जानकारी में निधियों के दुरूपयोग का कोई प्रमाणित मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(च) और (छ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 127.00 करोड़ रु० का आवंटन है। इस समय इसके आवंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.68	884.21	1081.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	71.56	25.63	20.72
3.	असम	1159.04	961.09	194.29
4.	बिहार	1628.87	1977.84	1062.52
5.	गोवा	11.59	5.95	3.32
6.	गुजरात	884.50	262.98	458.78
7.	हरियाणा	243.01	175.31	57.12
8.	हिमाचल प्रदेश	109.15	26.43	49.18
9.	जम्मू और कश्मीर	190.40	132.70	50.47
10.	कर्नाटक	1041.84	319.58	350.16
11.	केरल	57.32	7.00	537.97
12.	मध्य प्रदेश	2821.52	977.67	548.58
13.	महाराष्ट्र	1024.55	1153.63	432.83
14.	मणिपुर	72.67	17.62	20.63
15.	मेघालय	29.08	127.74	112.45

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	16.42	2.29	0.57
17.	नागालैंड	39.73	47.81	56.90
18.	उड़ीसा	606.36	801.36	310.13
19.	पंजाब	277.61	570.34	135.00
20.	राजस्थान	1745.00	1681.76	1304.62
21.	सिक्किम	11.22	—	11.22
22.	तमिल नाडु	1594.58	1212.48	261.21
23.	त्रिपुरा	6.77	0.10	4.73
24.	उत्तर प्रदेश	2505.58	889.01	943.27
25.	पश्चिम बंगाल	1583.69	908.40	728.11
26.	चंडीगढ़	25.62	20.12	41.37
27.	दिल्ली	120.77	322.58	158.57
28.	पांडिचेरी	—	—	—
29.	दमन और दीव	0.56	0.56	—
30.	अंडमान और निकोबार	12.15	8.12	12.56
31.	दादरा और नगर हवेली	0.83	—	—
32.	लक्षद्वीप	7.41	1.62	4.32
	जोड़	19032.31	12121.93	8852.66

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7641434
2.	अरूणाचल प्रदेश	59612
3.	असम	1080861
4.	बिहार	4273168
5.	गोवा	71237
6.	गुजरात	6013535
7.	हरियाणा	285743
8.	हिमाचल प्रदेश	511070
9.	जम्मू और कश्मीर	163892
10.	कर्नाटक	9963218
11.	केरल	1560152
12.	मध्य प्रदेश	4542980
13.	महाराष्ट्र	5067075
14.	मणिपुर	67371
15.	मेघालय	84225
16.	मिजोरम	61919
17.	नागालैंड	63123
18.	उड़ीसा	2107023
19.	पंजाब	553922
20.	राजस्थान	2566498
21.	सिक्किम	13604
22.	तमिलनाडु	5974839
23.	त्रिपुरा	174130
24.	उत्तर प्रदेश	5911311
25.	पश्चिम बंगाल	8625496
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14492
27.	चंडीगढ़	40404
28.	दादरा और नगर हवेली	7293
29.	दमन और दीव	3451
30.	दिल्ली	378754
31.	लक्षद्वीप	986
32.	पांडिचेरी	99965
	जोड़	61982783

ऐतिहासिक महत्व की कलाकृतियों की खरीद

*517. डा० एम० जगन्नाथ :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में इयूबियस आर्टफिक्ट्स वर्थ करोर्स फाइंड वे इनटू नेशनल म्यूजियम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रकाशित समाचार में, कलाकृतियों की खरीद के संबंध में राष्ट्रीय संग्रहालय के विरूद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय अपने संग्रह के लिए कलाकृतियों का अधिग्रहण केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग द्वारा गठित कला अधिग्रहण समिति की सिफारिशों पर करता है, जिसमें कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध विशेषज्ञ होते हैं।

राष्ट्रीय संग्रहालय के पास एक पूर्ण रूप से सज्जित संरक्षण प्रयोगशाला है जिसमें निपुण संरक्षणविद और वैज्ञानिक हैं। कलाकृतियों का अधिग्रहण करते समय, उनके द्वारा हमेशा वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है और कलाकृतियों की विशुद्धता के संबंध में उनकी सिफारिशों पर, उनका अधिग्रहण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण के पश्चात् राष्ट्रीय संग्रहालय के क्यूरेटरों द्वारा कलाकृतियों का एक विस्तृत अध्ययन नियमित रूप से किया जाता है उनमें से अधिकतर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये इन कृतियों का शैक्षिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने में भ्रमण करने वाले विभिन्न विद्वानों या स्थानीय रूप से उपलब्ध विशेषज्ञों से भी सहायता लेते हैं। इसके अतिरिक्त, खरीद प्रक्रिया में प्रावधान है कि यदि खरीद के तीन वर्षों के भीतर किसी कृति में कोई कमी पायी जाती है, तो यह विक्रेता/डीलर को वापस की जाती है और भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, उनसे वसूली जाती है। इस आशय का एक करार नियमित रूप से विक्रेताओं/डीलरों के साथ किया जाता है, जब उनकी कलाकृतियां खरीदी जाती हैं। इस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, विशेषज्ञों की एक समिति उक्त कलाकृतियों की जांच करती है।

चूंकि, शिल्प तथ्यों की खरीद में अब तक कोई अनियमितताएं *प्रकाश में नहीं आयी हैं, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त* कदम उठाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

*518. कुमारी उमा भारती :
श्री भक्त चरण दास :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में प्रतिबंधित दवाएं बड़े पैमाने पर बेची जा रही हैं तथा उनके विक्रेता देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी दवाइयों के उत्पादकों तथा विक्रेताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों अथवा किसी अधिकारिक स्रोत से प्रतिबंधित औषधों की बिक्री के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृष्णा नदी के जल का बंटवारा

*519. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के फालतू जल के बंटवारे के मुद्दे के समाधान हेतु कोई अंर्राज्यीय सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों का दर्जा बढ़ाना

*520. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का नौंवी योजना के दौरान इनका दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यद्यपि 9वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछेक औषधालयों के उन्नयन की बात सोची गई है तथापि यह कार्य उपलब्ध कराए गए संसाधनों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों संबंधी एस०आई०यू० के नवीनतम अध्ययन के परिणाम पर भी निर्भर करेगा।

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट

5550. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने "ब्रिटिश मेडिकल जर्नल" में प्रकाशित रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा उक्त जर्नल में बताए गए रोगों जो शारीरिक और गैर-शारीरिक कार्य करने वाले कामगारों विशेषरूप से गरीब लोगों में जो इन रोगों के मुख्यतः शिकार होते हैं, की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) 22 फरवरी, 1997 के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित "लाइफ टाइम सोशिओ इकोनोमिक पोजिशन एंड मोर्टेलिटी : प्रोस्पेक्टिव आजजरवेशनल स्टडी" नामक रिपोर्ट देखी गई है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

- स्वास्थ्य और समयपूर्व मृत्यु के खतरे का निर्धारण जीवनभर के सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा किया जाता है।
- मृत्यु के खास कारणों में सामाजार्थिक प्रभावों का अलग-अलग नाजुक समय हो सकता है।
- हृदयवक्ष रोगों से समयपूर्व मृत्यु का खतरा विशेषरूप से जीवन के आरम्भिक समय में सामाजार्थिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होना है।
- सामाजार्थिक परिस्थितियों में अध्ययनों के आंकड़े जीवन के किसी एक स्थिति में स्वास्थ्य के सामाजार्थिक कारकों के योगदान को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए अपर्याप्त हैं।

(ग) और (घ) कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें एड्स, कुष्ठ, क्षय रोग, मलेरिया, कैंसर तथा आयोडीन अल्पता जन्म विकार की रोकथाम और नियंत्रण करना शामिल है। सरकार ने मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की हैं जिनमें हृदय वक्ष रोग नियंत्रण, सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, मधुमेह नियंत्रण और चिकित्सीय पुनर्वास आदि शामिल हैं। शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ अतिसार रोगों, बच्चों में तीव्र श्वसनी संक्रमण तथा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता रोकथाम/नियंत्रण के लिए रोग-निरोधन स्कीमों और बच्चों में विटामिन "ए" की रोकथाम/नियंत्रण को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार इन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी दिशानिर्देशन, सामग्री सहायता, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री आदि प्रदान करती है तथा मानीटरिंग एवं समन्वय करती है। कार्यान्वयन उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है।

जनसंख्या नियंत्रण

5551. **श्री विजय पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 को बाल वर्ष के रूप में घोषित करके जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव को सफल बनाने के लिये कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रजननात्मक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत

अवसंरचना में सुधार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को परामर्शी सेवाएं, सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों को सुदृढ़ करने, परिवार कल्याण सेवा प्रदाय में गुणवत्ता उन्नयन और औषध उपस्करों के प्रावधान करने जैसे उपायों की योजना है। सरकार कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहनों पर निर्भर नहीं करती है।

जल प्रदाय योजना के लिए धनराशि

5552. श्री परसराम भारद्वाज : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए राज्य वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है, और

(ख) क्या राज्यों को प्रदान की गई धनराशि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जारी की गयी राशि के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) राज्यों द्वारा निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों को जारी की गई निधियाँ प्रर्याप्त थी।

विवरण-I

सातवीं योजना के दौरान जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जारी निधि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	108.380
अरूणाचल प्रदेश	4.738
असम	71.120
बिहार	108.722
गोवा	1.160
गुजरात	75.784
हरियाणा	32.336
हिमाचल प्रदेश	44.580
जम्मू और कश्मीर	100.089
कर्नाटक	95.446
केरल	55.068
मध्य प्रदेश	145.080
महाराष्ट्र	126.638
मणिपुर	17.780
मेघालय	17.203
मिजोरम	8.708
नागालैंड	21.063
उड़ीसा	58.819
पंजाब	29.038
राजस्थान	171.710
सिक्किम	16.426
तमिलनाडु	95.510
त्रिपुरा	17.805
उत्तर प्रदेश	199.600
पश्चिम बंगाल	66.509
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.650
चंडीगढ़	0.000
दादर व नगर हवेली	0.060
दिल्ली	0.130
लक्षद्वीप	0.050
पांडिचेरी	0.980
दमन व दीप	0.240
कुल	1692.422

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जारी निधि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	248.675

1	2
अरूणाचल प्रदेश	43.420
असम	92878
बिहार	161.704
गोवा	11.234
गुजरात	158.750
हरियाणा	98.227
हिमाचल प्रदेश	62.287
जम्मू और कश्मीर	150.567
कर्नाटक	237.264
केरल	116.727
मध्य प्रदेश	265.222
महाराष्ट्र	307.496
मणिपुर	18.046
मेघालय	21.656
मिजोरम	13.543
नागालैंड	12.501
उड़ीसा	137.080
पंजाब	49.820
राजस्थान	411.690
सिक्किम	22.487
तमिलनाडु	203.196
त्रिपुरा	31.630
उत्तर प्रदेश	440.498
पश्चिम बंगाल	156.173
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.000
चंड़ीगढ़	0.000
दादर व नगर हवेली	0.580
दिल्ली	0.269
लक्षद्वीप	0.400
पांडिचेरी	1.220
दमन व द्वीव	1.185
कुल	3476.425

अजन्ता एलौरा और एलीफेन्टा गुफाओं का नवीकरण

5553. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि महाराष्ट्र में अजन्ता, एलौरा और एलोफैन्टा गुफाएं बहुत ही बुरी हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गुफाओं की मरम्मत करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अजंता, एलोरा और एलीफेंटा की गुफाएं परिसंरक्षण की अच्छी स्थिति में है। वार्षिक देखभाल और रखरखाव के साथ ही पुरातात्वीय मानदण्डों के आधार इनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप संरचनात्मक मरम्मत रासायनिक परिरक्षण और पर्यावर्णीय विकास किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाक्टरों की तैनाती

5554. श्री एल० रमना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के किसी अस्पताल/औषधालय में जो डाक्टर दस या अधिक वर्षों से कार्यरत हैं उन्हें चालू वर्ष के दौरान उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना ग्रामीण क्षेत्रों/दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में तैनात किए गए डाक्टरों के स्थानान्तरण सामान्यतया क्रमिक आधार पर किए जाते हैं। अन्तर संस्था कमियों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के डाक्टरों और विशेषज्ञों को स्थानान्तरित किया जाता है।

दिल्ली में कोई ग्रामीण औषधालय नहीं है।

रोजगार आश्वासन योजना

5555. श्री केशव महन्त : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के किन-किन जिलों में रोजगार आश्वासन योजना चलाई जा रही है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना में किन-किन जिलों को शामिल किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई अनुदान की राशि कितनी है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) असम के सभी जिलों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1996-97 के दौरान असम को 10,820.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र को सहायता

5556. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र ने इस अनुदान सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार को 1996-97 के दौरान 11734.71/- लाख रुपए (नगद और सामग्री रूप में) की राशि प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) व्यय/समुपयोजन रिपोर्ट राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रायः 2 से 3 माह के बाद प्राप्त हो जाती है और इसलिए 1996-97 की रिपोर्ट जून 1997 के आसपास प्राप्त होने की आशा है।

प्रयोगशाला स्टाफ फेडरेशन की मांगें

5557. डा० असीम बाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 96 में भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रयोगशाला स्टाफ फेडरेशन का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के समस्त प्रयोगशाला तकनीकी स्टाफ को शामिल किया जाये;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जुराला परियोजना

5558. श्री शिवानंद एच० कोजलगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जुराला के बांध की ऊँचाई बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ग) क्या कर्नाटक उपरि धारा परियोजना की तुलना में जुराला परियोजना की बाढ़ का पानी विसर्जित करने की अधिकतम क्षमता कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरि धारा परियोजना द्वारा बाढ़ का पानी विसर्जित करने से यह सुरक्षित रहता है और इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गढ़वल, महबूबनगर जिले में बेंच मार्क के संबंध में जुराला परियोजना का निर्माण 318.516 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर तक किया है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के इंजिनियरों द्वारा रायचूर में जी०टी०एस० बेंच मार्क के संबंध में दिनांक 7.10.95 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में जुराला परियोजना का पूर्ण जलाशय स्तर अधिक बैठता है।

(ख) यह परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करने योग्य पाई गई थी। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा निवेश पहलू से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ग) जी, नहीं। जुराला परियोजना की अधिकतम बाढ़ का पानी

छोड़ने की क्षमता 42,476 क्यूमेक है वहां दूसरी और नारायणपुर जो जुराला परियोजना के प्रति प्रवाह (अपस्ट्रीम) पर है, में अपर कृष्णा परियोजना की अधिकतम बाढ़ का पानी छोड़ने की क्षमता 37,945 क्यूमेक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास के लिए सहायता

5559. श्री के०पी० नायडू : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 135 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित राज्य को सहायता देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास हेतु 135 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते।

कपार्ट के अन्तर्गत परियोजनाएं

5560. श्री टी० गोविन्दन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपार्ट के आरम्भ से अब तक केरल में इसके अन्तर्गत जिलावार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) केरल में उन एजेन्सियों के उनके स्थान सहित नाम बतायें, जिन्हें कपार्ट के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक एजेंसी को अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है, कितनी स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) तत्संबंधी अन्य विवरण क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) कपार्ट द्वारा केरल में स्वैच्छिक संगठनों को इसके शुरू होने से लेकर 31.3.1997 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और स्वीकृत राशि का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केरल में स्वैच्छिक संगठनों को 31.3.1997 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए लगभग 13.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

कपार्ट द्वारा केरल में स्वैच्छिक संगठनों को उसके शुरू होने से लेकर 31.3.1997 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और स्वीकृत राशि का जिलावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5
1.	तिरूवनंतपुरम	225	116	772.70
2.	वायनाड	25	12	131.66
3.	कोल्लम	50	25	172.15
4.	एल्लेपेई	24	14	163.11
5.	पालघाट	10	9	24.42
6.	कोट्टयम	60	22	304.13
7.	इडुक्की	33	14	147.37
8.	कन्नोरे	6	6	9.58
9.	इरनाकुलम	19	14	61.44
10.	कोजीकोडे	9	9	26.98
11.	पथानथित्ता	50	20	208.07
12.	त्रिचूर	52	26	276.88
13.	मालप्परम	4	3	8.73
14.	कसरागोड	1	1	1.30
	कुल	568	291	2307.92

शक्ति प्रदान करने वाले "बी" टीके को अनिवार्य रूप से लगाना

5561. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों को शक्ति प्रदान करने वाले विटामिन "बी" टीके को अनिवार्य रूप से लगाने का है;

(ख) क्या इस योजना के प्रथम चरण में किसी विशेष आयु

वर्ग के बच्चों अथवा किसी अति संवेदनशील क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस टीके को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल न करने का क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

(घ) देश में हेपाटाइटिस-बी कैरियर स्टेटस पर अपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी आंकड़ों, हेपाटाइटिस-बी के कारण 2 प्रतिशत से कम यकृत कैंसर होने, प्रति वर्ष नए पैदा होने वाले 25 मिलियन बच्चों को वैक्सीन की तीन अपेक्षित खुराक प्रदान करने के लिए वैक्सीन आयात करने पर होने वाले भारी खर्च (लगभग एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रतिजिला) तथा देश में बहुत से और प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य समस्याओं के कारण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हेपाटाइटिस-बी को शामिल नहीं किया जा सका है।

दीर्घकालिक कार्य योजना

5562. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के अविभाजित जिलों कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट के विकास हेतु दीर्घकालिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के मूल वार्षिक योजना अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार दीर्घकालिक कार्ययोजना के मूल स्वरूप को बनाए रखने, इसे संशोधित करने अथवा इसे समाप्त करने का है;

(ग) क्या यह सही है कि विभिन्न सरकारी विभागों के सचिवों की समिति दीर्घकालिक कार्ययोजना पर निगरानी रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो, समिति की बैठक कब और कितनी बार हुई और उसकी सीमायें क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा अविभाजित जिलों कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुर के विकास के लिए तैयार की गई दीर्घकालिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए वार्षिक कार्ययोजना संलग्न विवरण-I और II में देखी जाए।

(ख) उड़ीसा सरकार ने दीर्घकालिक कार्ययोजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। भारत सरकार का दीर्घकालीक कार्ययोजना को सहायता देने का प्रस्ताय है, जो कि जिले में क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन मशीनरी की क्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने तथा उसकी समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तिथियों को सात बार सचिवों की समिति की बैठक हुई :-

11 मार्च 1993, 24 मार्च 1993, 24 जनवरी 1994, 21 अप्रैल, 1994, 1 जून 1995, 20 जुलाई, 1995 तथा 10 अक्टूबर 1996।

विवरण-I

कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों के लिए दीर्घकालीक कार्य योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए वार्षिककार्य योजना

(क) ग्रामीण रोजगार क्षेत्र (करोड़ रुपए में)

	निधियां एक नजर में			अतिरिक्त आवश्यकताएं		कुल
	राज्य अंश	केन्द्रीय अंश	उपयोग	राशि	मद	
1	2	3	4	5	6	7
1. जवाहर रोजगार योजना (गहन जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना सहित)	20.18	80.73	100.91	14.41	इन्दिरा आवास योजना	115.32
2. सुनिश्चित रोजगार योजना	14.99	59.97	74.96	43.04	—	118.00

1	2	3	4	5	6	7
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि	10.39	10.39	20.78	2.88	मिनी आई० टी० आई० सहित प्रशासनिक ढांचा	23.66
कुल	45.56	151.09	196.65	60.33		256.98

(ख) क्षेत्रीय कार्यक्रम

क्षेत्र का नाम	राज्य योजना		केन्द्रीय योजना		कुल
	सामान्य	अतिरिक्त	सामान्य	अतिरिक्त	
1. कृषि	1.4824	3.1964	2.3125	13.7823	20.7792
2. बागवानी	0.4430	—	0.8341	1.6569	2.9340
3. मृदा तथा जल संरक्षण	3.4238	—	8.5539	3.6547	15.6324
4. पशुपालन	0.9350	1.0371	—	5.5000	7.4721
5. मछलीपालन	0.4715	0.3712	0.3460	0.3712	1.559
6. वानिकी	4.0341	—	2.3272	—	6.3613
7. नवीकरण योग्य ग्रामीण ऊर्जा	0.1430	—	0.8770	—	1.0200
8. कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प	0.3532	0.0950	—	—	0.4482
9. रेशम उद्योग एवं हथकरघा	0.5346	0.0127	1.1728	0.6306	2.8907
10. ग्रामीण आवास	5.2800	—	—	—	5.2800
11. लघु सिंचाई (प्रवाह)/	10.9039/0.7836	—	—	—	10.9039/0.7830
(लिफ्ट)	0.7836	—	—	—	10.7836
12. ग्रामीण जल आपूर्ति	6.5083	—	6.5083	—	13.0166
13. ग्रामीण स्वच्छता	0.5500	—	0.5500	—	1.1000
14. स्वास्थ्य	9.6080	—	11.8310	—	2.14390
15. सड़कें	8.2890	—	—	—	8.2890
16. ग्रामीण सड़कें	3.8479	—	—	—	3.8479
17. पी०एस० एवं जी०पी० सड़कें०	0.5095	—	—	—	0.5095
कुल	58.1008	4.7124	35.8528	25.6013	124.2673

कुल योग

विवरण-II

वार्षिक कार्य योजना 1996-97

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	क्षेत्र/योजना का नाम	सी०एस०पी० की राज्य योजना तथा राज्य अंश			सी०एस०पी० की केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रीय अंश			कुल		
		जिलों को सामान्य प्रवाह	अतिरिक्त	कुल	जिलों को सामान्य प्रवाह	अतिरिक्त	कुल	जिलों को सामान्य प्रवाह	अतिरिक्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि	142.97	282.99	425.96	720.11	956.47	1676.58	863.08	1239.46	2102.54
2.	बागवानी		20.39	67.88	99.86	405.82	505.68	147.35	426.21	573.56
3.	मृदा संरक्षण	390.05		390.05	1670.61	867.00	2537.61	2050.66	867.00	2927.66
4.	पशुपालन	154.55	172.28	326.83	338.61	50.00	388.61	493.16	222.28	715.44
5.	मछली पालन	62.33		62.33	20.06		20.06	82.39		82.39
6.	वानिकी	397.04		397.04	503.59		509.59	900.63		900.63
7.	ग्रामीण रोजगार	2843.72	1440.84	4284.56	11374.85	5200.16	16575.01	14218.57	6641.00	20859.57
8.	जल संसाधन	13085.90		13085.90				13085.90		13085.9
9.	ग्रामीण नवीकरण योग्य ऊर्जा	13.71		13.71	99.45		99.45	113.16		113.16
10.	हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग	37.34	36.36	73.70		241.86	241.86	37.34	278.22	315.56
11.	स्वास्थ्य	122.87		122.87	335.55		335.55	458.42		458.42
12.	हथकरघा तथा रेशम उद्योग	699.90		699.90	1372.30	20.00	1392.35	2072.25	20.00	2092.25
13.	आपातकालीन पोषण	150.00		150.00				150.00		150.00
14.	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	636.99		636.99	958.09		958.09	1595.08		1595.08
15.	अनु०जा० तथा अ०ज० जा० का कल्याण	1134.52		1134.52	247.52	1659.88	1907.47	1382.11	1659.88	3041.99
	कुल योग	19919.39	1952.86	21872.24	17740.72	9401.19	27141.91	37660.10	11354.05	49014.15

मध्य प्रदेश के लिए 30 प्रतिशत कोटा

5563. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ई०आ० योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास लंबित कृष्णा जिले से संबंधित विभिन्न योजनाओं को अनुमति प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण उत्पन्न श्रवणदोष

5564. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण देश में श्रवणदोष बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए या किए जाने वाले सुरक्षात्मक/उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) भारत में ध्वनि-प्रेरित श्रवण दोष के बारे में समुदाय आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा उद्योगों में किए गए कुछ अध्ययनों से ध्वनि प्रेरित श्रवण दोष का पता चला है।

(ग) समग्र प्रदूषण नियंत्रण कार्यनीतियों के अतिरिक्त ध्वनि क्षीणकारक यंत्र जैसे कान के प्लग तथा कान के दस्ताने सुरक्षा उपायों के रूप में प्रभावी पाए गए हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा स्थापित अनुसंधन केन्द्र

5565. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधी मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिये अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है अथवा स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित केन्द्र की कुल कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) संयुक्त सेवा संस्था अनुसंधान केन्द्र (यू०एस०आई०सी०आर०) 1995 में स्थापित किया गया था।

(ख) संयुक्त सेवा संस्था अनुसंधान केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों में नीतिगत समस्याओं में स्वतंत्र रूप से विशिष्ट अनुसंधान और अध्ययन करना तथा भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक तथा बिना किसी तरफदारी के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेनाओं से संबद्ध मामलों में विकल्प प्रस्तुत करना है।

(ग) इस समय संयुक्त सेवा संस्था अनुसंधान केन्द्र प्रतिवर्ष तीन शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है।

कानूनों का संहिताकरण

5566. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या ग्रामीण क्षेत्र और **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि संबंधी विभिन्न कानूनों का संहिताकरण किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) भूमि संबंधी विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करने को कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के लिए प्रस्ताव

5567. श्री ए०सी० जोस : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड को एक स्यायत संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस पर क्या रूख अख्तियार किया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, सरकार ने भूजल प्रबंध और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रूप में एक प्राधिकरण का गठन किया है।

कोनार नहर सिंचाई परियोजना

5568. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उत्तर छोटानागपुर की महत्वाकांक्षी कोनार नहर सिंचाई परियोजना (1978) की शुरूआती अनुमानित लागत क्या थी तथा वर्तमान में इसकी संशोधित लागत क्या है;

(ख) क्या वर्तमान समय में उक्त नहर का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोनार नहर सिंचाई परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) परियोजना की प्रारम्भिक अनुमानित लागत वर्ष 1971 में 11.43 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1988 को संशोधित लागत 187.67 करोड़ रुपए थी।

(ख) से (ङ) अब तक कोई सिंचाई क्षमता सृजित किए बिना मार्च, 1994 तक 77.90 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। चूंकि राज्य सरकार ने सभी केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की है इसलिए परियोजना को आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रिक्त पद

5569. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबे समय से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित संवर्ग समूह "घ" के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरा जाना है; और

(ग) उक्त पदों को भरने के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) संस्थान में ग्रुप "डी" के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लगभग 119 पद रिक्त है। इनमें से सफाई परिचर (ग्रुप-3) और अस्पताल परिचर (ग्रुप-3) के 84 पद है। अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सिंचित क्षेत्र

5570. श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं, छठी, सातवीं तथा आठवीं योजना के दौरान देश में सिंचित भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा नवीं योजना के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा भूमि प्रयोग सांख्यिकी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। ये आंकड़े विभिन्न स्त्रोतों द्वारा केवल सिंचित क्षेत्रों के वर्षवार आंकड़े दर्शाते हैं। तथापि, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वृहत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई की सृजित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

योजना आयोग ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सृजित राज्य-वार सिंचाई क्षमता

(हजार हेक्टेयर में)

		V	VI	VII	VII
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	543.00	666.0	545.00	487.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–		15.8	17.0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	47.0	112.0	192.0	98.0
4.	बिहार	862.0	1182.0	1203.0	1025.0
5.	गोवा	—	15.3	14.9	36.0
6.	गुजरात	379.0	281.0	320.3	245.0
7.	हरियाणा	326.0	284.0	199.0	117.0
8.	हिमाचल प्रदेश	11.0	26.5	11.6	10.0
9.	जम्मू व कश्मीर	22.0	52.0	24.3	29.0
10.	कर्नाटक	301.0	325.0	350.4	511.0
11.	केरल	68.0	155.0	116.4	311.0
12.	मध्य प्रदेश	544.0	747.40	612.4	496.0
13.	महाराष्ट्र	466.0	854.0	661.1	425.0
14.	मणिपुर	2.0	46.7	26.9	14.0
15.	मेघालय	8.0	11.3	5.4	11.0
16.	मिजोरम	-	6.4	3.1	3.0
17.	नागालैंड	—	9.0	11.7	3.0
18.	उड़ीसा	307.0	480.0	216.2	316.0
19.	पंजाब	314.0	172.0	170.7	276.0
20.	राजस्थान	219.0	352.0	477.1	434.0
21.	सिक्किम	7.0	5.0	6.4	4.0
22.	तमिलनाडु	110.0	145.0	148.4	84.0
23.	त्रिपुरा	6.0	19.6	24.5	12.0
24.	उत्तर प्रदेश	3008.0	3485.0	4955.0	5104.0
25.	पश्चिम बंगाल	395.0	233.0	981.6	624.0
	कुल राज्य	7945.0	9664.8	11293.2	10691.0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	7.0	2.4	17.1	11.0
	कुल योग	7952.0	9667.2	11310.3	10702.0

*संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल।

भूमि सुधार की समीक्षा

5571. श्री नामदेव दिवाये : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्यों में की जा रही भूमि सुधार के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च 1997 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगभग सभी राज्यों का कार्यनिष्पादन अभी भी अपेक्षित स्तर से काफी पीछे चल रहा है; और

(घ) इस संबंध में ताजा पहल का क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। राज्यों में भूमि सुधार के कार्यान्वयन की समीक्षा 28 जनवरी को आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में और तत्पश्चात 28 और 29 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली में आयोजित राजस्व सचिवों के सम्मेलन में की गई थीं।

(ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लक्ष्यों को इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस विषय पर गत तीन वर्षों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य काफी घटिया रहा है।

(घ) इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों के ब्यौरे में निम्नलिखित के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शामिल है :-

1. अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान भूमि और सरकारी बंजर भूमि के वितरण कार्य को पूरा करना।
2. संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरणों का गठन करना और/अथवा संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए ऐसी खण्डपीठों की स्थापना करना,
3. लंबित आदिवासी भूमि के हस्तातरण के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तहसील/उप-मंडल मुख्यालय/विकास खण्ड मुख्यालय में विधि प्रकोष्ठ बनाना।
4. जिन राज्यों में काश्तकारों के संरक्षण के लिए सरकारी दस्तावेजों में उनको अधिकार प्रदान करने के लिए कानून नहीं है, वे काश्तकारों और बढ़ाईदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाये।
5. पंचायती राज संस्थाओं को सम्पत्ति के साझा संसाधनों का प्रबंध करने, फालतू भूमि, छिपी काश्तकारी और अपंजीकृत बटाईदारों आदि का पता लगाने में राजस्व कर्मचारियों को मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

विवरण

राज्य का नाम	1994-95		1995-96		1996-97 (फरवरी, 97)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	103180	13002	7578	10773	9000	2280
असम	57280	8359	38040	3228	28570	579
बिहार	94000	4156	4515	5816	3300	1068
गुजरात	40270	4499	1600	1530	1600	1014
हरियाणा	2380	285	4483	189	1460	65
हिमाचल प्रदेश	1970	0	4183	0	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर	6000	0	5575	0	शून्य	शून्य
कर्नाटक	32000	717	शून्य	शून्य	8160	328
केरल	9230	239	1992	171	2620	165

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	50000	200	922	85	9260	7
महाराष्ट्र	14250	799	238	171	520	421
मणिपुर	50	0	3	0	शून्य	शून्य
उड़िसा	5680	1069	696	833	870	900
पंजाब	15180	96	80	50	50	0
राजस्थान	35750	6579	8190	8898	5050	2769
तमिलनाडु	5330	5346	102	3354	1320	3124
त्रिपुरा	60	0	शून्य	शून्य	10	0
उत्तर प्रदेश	56970	11249	947	5624	5000	4716
पश्चिम बंगाल	32990	5267	98	10788	शून्य	शून्य
दादर व नगर हवेली	690	125	343	76	340	0
दिल्ली	460	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	140	0	31	0	100	0
योग :	563860	61927	79616	51886	77230	17436

[हिन्दी]

स्मारक और मंदिर

5572. श्रीमती कमल रानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि उत्तर प्रदेश के घाटमपुर, जहानाबाद तथा बियूर में पुरातत्व महत्व के स्मारकों तथा मंदिरों की अवस्था खराब देखभाल के कारण बुरी स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी देखभाल तथा संरक्षण के लिए निकट भविष्य में उचित कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में स्थित जहानाबाद में कोई भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। बियर और घाटमपुर में स्थित स्मारक परिसंरक्षण की अच्छी स्थिति में है, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इनके वास्तविक आवश्यकताओं और पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुरूप इनका रखरखाव किया जाता है।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय सड़क परियोजनाएं

5573. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भदेरवा/डोडा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय चम्बा-भदेरवा सड़क परियोजना कब शुरू की गई थी तथा इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई तथा दोनों ओर की सड़क की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सड़क को परिवहन के लिए खोल दिया गया है तथा कार्य को पूरा करने और परिवहन यातायात शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) भदेरवा-बसोली सड़क परियोजना कब शुरू की गई थी तथा इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा इस सड़क परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

5574. **श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री पवन दीवान :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव 1996-97 के लिए स्वीकार किए गए हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में कम्प्यूटर तथा अनुषंगी प्रौद्योगिकी संस्थान

5575. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक कम्प्यूटर तथा अनुषंगी प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा तथा यह कहां पर स्थित होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तन क्षेत्र में भूमि

5576. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हल्दिया-कलकत्ता पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ, कलकत्ता से कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तन क्षेत्र में भूमि के आवंटन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हल्दिया-कलकत्ता पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ को छोड़कर सभी श्रमिक संघों को कलकत्ता या हल्दिया में भूमि आवंटित की है, और

(ग) यदि हां, तो इसे भूमि आबंटित नहीं किए जाने के कारण क्या हैं विशेष रूप से तब जबकि यह भारतीय मजदूर संघ देश में सबसे बड़े श्रमिक संघ से संबद्ध है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

5577. **श्री ए०जी०एस० राम बाबू** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं;

(ख) क्या मदुरै और तिरूचिरापल्ली के बीच वरास्ता मेलूर एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) नौ राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् रा०रा०-4, 5, 7, 7क, 45, 45क, 46, 47 और 49 तमिलनाडु राज्य से गुजरते हैं, जिनकी कुल लम्बाई 1896 कि०मी० है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) निधियों के अभाव के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

5578. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अर्जित लाभ का क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1994-95,

1995-96 और 1996-97 के दौरान अर्जित किया गया कर-पूर्व लाभ क्रमशः 69.62 करोड़ रुपए, 85.64 करोड़ रुपए और 105 करोड़ रुपए (अनंतिम) था।

[हिन्दी]

टिहरी से भागीरथी में जल की मात्रा

5579. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिहरी में बह रही जल की मात्रा का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो टिहरी में भागीरथी में जनवरी, 1995 से दिसंबर, 1996 के बीच तथा जनवरी, 1997 से आज तक मासिक औसत जल की मात्रा कितनी है; और

(ग) टिहरी में भागीरथी में 15 जून, 1995 से सितम्बर, 1995 तक तथा 15 जून, 1996 से सितम्बर, 1996 तक जल की कितनी मात्रा थी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना गुप्त समझी जाती है।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजना

5580. डा० अरविन्द शर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के वे कौन-कौन से जिले हैं जहां रोजगार गारंटी/आश्वासन योजना लागू की जा रही है;

(ख) 1997-98 के दौरान उक्त योजना में कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) 1996-97 के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए कितनी सहायता अनुदान दी गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) 1.4.1997 से हरियाणा के सभी जिलों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान हरियाणा को 2680.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार

5581. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने अस्पताल हैं जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकृत और विस्तारित किया जाना है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक की सहायता से राज्य में नए अस्पताल/औषधालय स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी

5582. श्री बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की ऐतिहासिक वस्तुओं अर्थात् क्रमशः जेब घड़ी और हाथ की घड़ी जो नेहरू पवेलियन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई थीं, की चोरी हो गई है या वे खो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे;

(ग) क्या गुम हो गई वस्तुएं प्राप्त कर ली गई हैं;

(घ) क्या इन ऐतिहासिक वस्तुओं के गुम होने/चोरी होने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की ऐतिहासिक वस्तुओं को नेहरू पवेलियन, प्रगति मैदान

में कभी प्रदर्शित नहीं किया गया। इन वस्तुओं की केवल प्रतिकृतियां ही प्रदर्शित की गयी थीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मलेरिया

5583. श्री सुशील चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेघालय राज्य में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में मलेरिया के कारण कुल कितनी मौतें हुई; और

(घ) बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मेघालय राज्य में वर्ष 1995 के मुकाबले वर्ष 1996 के दौरान मलेरिया का घटनाओं में कमी हुई है। तथापि सूचित मौतों में वृद्धि हुई है।

मेघालय राज्य से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मलेरिया से होने वाली मौतें इस प्रकार थी :-

वर्ष	मौतों की संख्या
1994	38
1995	39
1996	45

(घ) इस रोग के प्रकोप पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :-

- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, के अन्तर्गत दिसम्बर, 1994 से मेघालय सहित सात उत्तर पूर्वी राज्यों, को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, अस्पतालों/औषधालयों, मलेरिया क्लीनिकों आदि तथा ग्रामीण स्तर पर औषध वितरण केन्द्र, ज्वर उपचार डिपुओं के माध्यम से मलेरिया का शीघ्र निदान और तत्काल उपचार करना;
- तकनीकी निर्धारण के आधार पर अनुसूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी छिड़काव तथा शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी आपरेशनों के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण करना;
- सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तेज करना तथा सामुदायिक सहभागिता पर निर्भरता;
- राज्यों को कीटनाशकों तथा मलेरिया रोधी औषधों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति;
- तकनीकी सहायता के रूप में इस स्थिति से निपटने के लिए उपचारी कार्रवाई का सुझाव देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर केन्द्र के विशेषज्ञ दल प्रतिनियुक्त किए जाते हैं।
- प्रति वर्ष जून में मलेरिया रोधी माह मनाने के लिए जून 1997 से शुरू होने वाली एक कार्य योजना (व्यापक दिशा-निर्देश) राज्यों को उपलब्ध कराई गई है।

आवश्यक औषधि सूची

5584. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में "आवश्यक" औषधि सूची को वापिस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवश्यक औषधि सूची में उल्लिखित औषधियों में से लगभग आधी औषधियां भी उपलब्ध नहीं होतीं जबकि नियमानुसार वे औषधियां सदैव अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक औषधि सूची में शामिल की गई दवाओं के न मिलने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों में वृत्तिकोन्मुखी कार्यक्रम शुरू करना

5585. श्री बी०एल० शंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश के सभी विश्वविद्यालयों में वृत्तिकोन्मुखी स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जैसा कि 1997-98 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर वर्ष

1997-98 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (वि०अ०आ०) प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए एक योजना आरंभ की है। 31 विश्वविद्यालयों तथा 692 कालेज उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और अर्थशास्त्र, कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पहले ही आरंभ कर चुके हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए 26.00 करोड़ रु० का परिव्यय विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सिविल इंजीनियरी विभाग की परियोजनाएं

5586. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सिविल इंजीनियरी विभाग को कुछ परामर्शदात्री परियोजनाओं का कार्य इस संस्थान के उस वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा देखा जा रहा है जो कुछ वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है और जो दिल्ली से बाहर रह रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त प्राध्यापक द्वारा यात्रा, खानपान और आवास आदि पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं जिसका वहन परियोजना कोष द्वारा किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सेवारत प्राध्यापक को देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सिविल इंजीनियरी विभाग के हाल में सेवानिवृत्त प्राध्यापक के पास तीन लम्बित परामर्शी परियोजनाएं चरणों में पूरी की जाने हेतु हैं जो कि इस समय प्रगति पर हैं। सेवानिवृत्त हो रहे प्राध्यापक को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी लम्बित परियोजनाओं को पूरी करने की अनुमति प्रदान की गई है। परियोजनाओं के अधीन यात्रा, आवास, खान-पान इत्यादि के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

महिला विकास निगम

5587. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला विकास निगम की किन-किन राज्यों में स्थापना की गई है;

(ख) ऐसे निगम राज्य-वार किन-किन जिलों में कार्य कर रहे हैं, और

(ग) इन निगमों द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यों का निगम-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) महिला विकास निगम आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ तथा पाण्डिचेरी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं।

(ख) ये निगम समूचे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(ग) प्रत्येक निगम द्वारा किये गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	महिला विकास निगम	गतिविधियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम लि०	– लघु महिला उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करना।
		– डवाकरा और नोराड कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
		– 11 कामकाजी महिला होस्टल चलाना।
		– राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण देना।

1	2	3
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार करना।
2.	बिहार राज्य महिला विकास निगम	– निगम महिलाओं को सीमान्त राशि सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, देवघर में हथकरघा साड़ी और बैग बनाने का एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र चलाया गया और बांसजोड़ा में एक टस्सर बुनाई और कढाई केन्द्र चलाया जा रहा है।
		– हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिला समृद्धि उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाओं और महिला समूहों द्वारा तैयार चीजों की बिक्री होती है, एक प्रदर्शनी, दैनिक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निःशुल्क डाक्टरी जांच शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।
		– निगम ने कार्यालय प्रबन्धन में एक प्रशिक्षण सह-रोजगार केन्द्र शुरू किया है।
3.	गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम	– एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
		– निगम ने शिविर आयोजित किए और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत खाते खोले।
		– छोटे उद्यमियों को लघु राशि दी गई।
		– समय-समय पर बिक्री सह-प्रदर्शनी आयोजित की और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है।
		– प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता के अन्तर्गत हस्तशिल्प में महिलाओं का कौशल बढ़ाना।
4.	हरियाणा महिला विकास निगम	– लघु उद्यमियों को सीमान्त ऋण प्रदान किया जाता है।
		– रोजगार-सह-आयोत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्यूटी कल्चर और कम्प्यूटर व्यवसायों में विभिन्न प्रशिक्षण एकक चलाए जा रहे हैं।
		– प्रशिक्षण सह रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता के अर्न्तगत महिला डेयरी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार किया जा रहा है।
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	– वित्तीय संस्थाओं से रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता कर रहा है।
		– रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादन कार्यक्रम के अर्न्तगत ब्यूटीशियन, स्क्रीन प्रिंटिग और कार्यालय प्रबन्धन व्यवसायों में प्रशिक्षण पाठयक्रम चला रहा है।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।

1	2	3
6.	जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम	– लघु महिला उद्यमियों को सीमान्त ऋण देना।
		– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र चलाना।
7.	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम	– मैनिवैलयू स्कीम
		– देवदासी पुनर्वास कार्यक्रम
		– महिला उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण
		– प्रशिक्षण कार्यक्रम
		– निगम ऋण स्कीम
		– प्रदर्शनी-सह-बिक्री कार्यशालाएं
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार
8.	केरल राज्य महिला विकास निगम	– निर्धनता रेखा के नीचे महिलाओं हेतु स्व-रोजगार स्कीम।
		– पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों हेतु स्व-रोजगार स्कीम।
		– कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण।
		– महिलाओं हेतु रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		– महिलाओं हेतु उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र।
9.	मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम	– ग्राम्य स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत छोटे व्यवसाय चलाने की इच्छुक महिलाओं को निगम द्वारा 500 रु० का ब्याज-रहित ऋण दिया जाता है।
		– फोटोकापियर मशीन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत बैंक से प्राप्त ऋण से फोटोकापियर मशीन लगाने वाली महिलाओं को 10% की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अधिकतम 10 हजार रु० तक हो सकती है।
		– सामर्थ्य स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा और परित्युक्त महिलाओं की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रशिक्षण का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाता है।
		– टंकण प्रशिक्षण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत छात्रवृत्ति के साथ-साथ महिलाओं को जिला मुख्यालयों में तथा अन्य बड़े शहरों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
		– निगम को सौंपी गई कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसी नोराड स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।
		– राष्ट्रीय महिला कोष हेतु नोडल एजेंसी में रूप में कार्य कर रहा है।

1	2	3
		– स्टेप परियोजना की कार्यान्वयन एजेन्सी है।
		– राज्य के छः जिलों (होशगांबाद, देवास, सिहोर, बेतुल, टीकमगढ़ और छतरपुर (में विश्व बैंक–इफैड से सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण महिला विकास और शक्ति सम्पन्नता कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंन्सी है।
		– ड्वाकरा दलों द्वारा उत्पादित चीजों की मेलों में बिक्री की व्यवस्था करता है।
		– आयोत्पादन गतिविधियों के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण आयोजित करता है।
10.	महाराष्ट्र महिला विकास निगम	– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण एकक चला रहा है।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार किया।
		– कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण।
11.	मणिपुर महिला विकास निगम	– सीमान्त महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहा है।
		– मच्छरदानी बनाने, टंकण और आशुलिपि व्यवसायों में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
12.	उड़ीसा महिला विकास निगम	– खुरदा में एक छोटी इकाई चला रहा है, जहां महिलाएं एच०एम०टी० की घड़ियाँ असैम्बल करती हैं।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
13.	पंजाब महिला विकास निगम	– महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न बैंकों के जरिए ऋण में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
		– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र के अन्तर्गत शाल बुनाई, स्टेशनरी और हौजरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
		– भटिंडा, लुधियाना और होशियारपुर में व्यावसायिक और पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
14.	तमिलनाडु महिला विकास निगम	– तमिलनाडु महिला विकास परियोजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से स्व-सहायता महिला दलों का गठन।
		– गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1	2	3
		– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र।
		– उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
15.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम	- ग्रामीण महिला विकास और शक्ति – सम्पन्नता परियोजना।
		– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।
		– रियायती ब्याज दरों पर सीमान्त राशि ऋण प्रदान करना।
		– महिला उद्यमियों को विपणन सुविधाएं।
		– कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण करना।
16.	प० बंगाल महिला विकास निगम	– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।
17.	चण्डीगढ़ महिला विकास निगम	– हाल ही में स्थापित।
18.	पाण्डिचेरी महिला विकास निगम	– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एकक चलाना।
		– महिला समृद्धि योजना का प्रचार।

[अनुवाद]

मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

5588. श्री माधव सरदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की क्योंझर से होते हुए राऊरकेला से पानीकोइली (जिला जैपोर) को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

5589. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान-सरकार ने कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा मौजूदा राजमार्गों के रख-रखाव आदि के संबंध में केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान राजस्थान सरकार ने 1709 कि०मी० की कुल लम्बाई के पांच प्रस्तावों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए भेजा था परन्तु संसाधन की कमी के कारण

किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए निधियां राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष मानकों के आधार पर और यातायात, मौसम संबंधी स्थितियों, भू-भाग, मिट्टी इत्यादि जैसे कारकों तथा निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए राजस्थान राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि आवंटित की गई थी :-

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1994-95	1810.83
1995-96	1680.72
1996-97	2669.08

[अनुवाद]

भारतीय सड़क निर्माण निगम में पदोन्नति

5590. श्री अंचल दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** भारतीय सड़क निर्माण निगम में शिकायतों के बारे में 2 मई, 1994 और 9 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं० 5651, 5662 और 6677 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय सड़क निर्माण निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने कृषि भूमि को बेचा है लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, दस्तावेजों के आवंटन/प्रस्तुतिकरण के बिना ही डी०डी०ए०, स्ववित्त पोषित योजना से मकानों के लिए ऋण लिया है और एक ही स्थान पर लीज किराया तथा अपनी पत्नी का मकान किराया भत्ता लिया है;

(घ) दिनांक 1 मई, 1996 के पत्र पर विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय सड़क निर्माण निगम को दिए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देख-रेख योजना

5591. डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से असम में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य देख-रेख योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्थायी पट्टा

5592. श्री हंस राज अहीर : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को स्थायी पट्टा देने के मामले में राज्य सरकारों के पास अनेक वर्षों से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मामलों का अविलम्ब निपटारा करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु आवधिक रूप से समीक्षा करेगी कि उक्त प्रकार के लंबित मामले राज्यों के राजस्व विभागों द्वारा तीव्रता से निपटाए जाएं।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) 28 जनवरी, 1997 को सम्पन्न राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे अवैध रूप से कब्जा किए गए वन भूमि को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के दल की रूस यात्रा

5593. श्री राम नाईक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के अधिकारियों का एक दल सुखोई-30 जेट विमानों को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रूस भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण कब शुरू हुआ और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इन लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे प्राप्त करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण जनवरी, 1997 में शुरू हुआ और अप्रैल, 1997 में पूरा हुआ।

(ग) सू-30 संविदा आपूर्तिकर्त्ता को अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और अतिरिक्त उपस्करों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है। पहली बार, इस संविदा में एक सेवा सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने की व्यवस्था है जिससे आगे चलकर इन वायुयानों के रख-रखाव के लिए हिस्से-पुर्जों की तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित वेयरहाउसिंग सुविधा स्थापित की जा सकेगी।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना

5594. श्री जय सिंह चौहान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर गुजरात में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके पास फिलहाल कोई भूखण्ड या मकान नहीं है;

(ख) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत भविष्य में केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात में आवासहीन परिवारों की संख्या 2,64,805 है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार को 33.08 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ग) से (ङ) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई कई बजट सहायता की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। जब कभी भी बजट सहायता में वृद्धि होती है, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता में उसी अनुपात में वृद्धि की जाती है।

[अनुवाद]

बीमारी का फिर से उभरना

5595. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी चेचक, मलेरिया और डेंगू की गिरफ्त में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए हैं; और

(ग) इन बीमारियों के फिर से बढ़ने के क्या कारण हैं और सरकार किस हद तक इन बीमारियों को बढ़ने से रोक सकी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) वर्ष के दौरान राजधानी में अब तक किसी प्रमाणित डेंग्यू के मामले की सूचना नहीं दी गई है। छोटी माता की घटना-दर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, मलेरिया के मामले में बढ़ी हुई घटना-दर की सूचना दी गई है।

छोटी माता (चिकन पाक्स) प्राथमिक रूप से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होती है। अधिकतर मामलों में छोटी माता हल्की और छोटे दानों की होती हैं। इसके लिए केवल एक ही ऐहतिहात, छोटी माता के रोगी से सम्पर्क न रखना है क्योंकि यह हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरितत होती है। डेंग्यू और मलेरिया की रोकथाम के उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

- निगरानी गतिविधियों में तेजी लाना,
- रोगाणु वाहक नियंत्रण उपाय,
- रोगियों के उपयुक्त उपचार के लिए अस्पताल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण,

– सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों को तेज करना,

– स्रोत मे कमी करना,

– स्थानीय निकायों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और जन-जागरूकता अभियान।

मलेरिया और डेंग्यू की रोकथाम के लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी गई है।

शिक्षा में एकरूपता

5596. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए शिक्षा पाठ्यक्रम में एकरूपता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०) 1986 (संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा स्वीकृत) में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार एक खास स्तर तक सभी छात्र जाति, पंथ स्थान अथवा महिला- पुरूष भेद का लिहाज किए बिना एक तुल्य गुणवत्ता वाली शिक्षा में पहुंच रखते हैं। इसमें एक सामान्य शैक्षिक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसके परिणाम स्वरूप करीब-करीब देश भर में 10+2+3 ढांचे को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली की कल्पना की गई है जो एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित है जिसमें अन्य लोचपूर्ण घटकों के साथ एक सामान्य कोर शामिल है।

देश के सभी स्कूलों में व्यापक एकरूपता बनाए रखने की मांग की गई है जिसको निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाना है। (i) प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार की गई पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों के एक व्यापक एकरूपता पैटर्न को सभी स्कूलों में उपलब्ध कराना। (2) सभी स्कूलों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने छात्रों को यथास्थिति संबंधित राज्य बोर्डों, सी०बी०एस०ई० अथवा भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद से संबद्ध होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भेजें और इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर बनाए

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का क्षतिग्रस्त होना

5597. श्री धर्मभिक्षम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1996 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पुलों को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) वर्षा/बाढ़ के कारण 1996 में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों को अत्यधिक क्षति हुई थी।

संसाधनों की कमी के कारण केवल 57 करोड़ रु० की राशि के मरम्मत अनुमानों को स्वीकृति दी जा सकी। इसमें से 30 करोड़ रु० की राशि 1996-97 के दौरान जारी की गई थी।

स्वास्थ्य योजनाएं

5598. श्री बादल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में आरंभ की गयी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस सीमा तक ये योजनाएं सफल हुई हैं, कृपया योजनावार बतायें; और

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाओं में और योजनाएं शामिल करने के लिए कदम उठाये हैं तथा ये योजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना-9 16 जून 1994 से सात वर्ष की अवधि के लिए कुल 101.22 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जन्म दर तथा मातृ और शिशु मृत्यु स्तरों में कमी लाने के लिए असम राज्य के ग्रामीण जनसंख्या को क्षेत्र विशिष्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय प्रजननात्मक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना के अंग के रूप में मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जिला स्तर पर परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

असम से फरवरी, 1997 में 113.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राज्य के मध्यम स्तरीय अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परियोजना को

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी प्रक्रिया के अनुसार लगभग अठारह महीने से चौबीस महीने लगते हैं जो कि बाह्य एजेंसी के दायरे में परियोजना तैयार करने में राज्यों की क्षमता पर निर्भर होता है।

[हिन्दी]

गुजरात में रोजगार योजना

5599. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त किये गए लक्ष्य क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसी प्रमुख रोजगार योजनाएं हैं जो केन्द्र द्वारा गुजरात राज्य के साथ-साथ पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के लिए उपर्युक्त योजनाओं के तहत आवंटित निधियों, निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों के ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 और 1995-96 के दौरान गुजरात के लिए आवंटित निधियों निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	आवंटित/उपलब्ध राशि (करोड़ रुपए में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
जवाहर रोजगार योजना		*सृजित श्रम दिवस (लाख में)*	
1994-95*	138.35	240.49	258.48
1995-96*	147.54	213.23	209.42
1996-97***	63.76	109.14	105.20
1	2	3	4
सुनिश्चित रोजगार योजना		*सृजित श्रम दिवस (लाख में)*	
1994-95	49.35	–	35.26
1995-96	118.38	–	92.45
1996-97	133.98	–	104.73
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		*सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या*	
1994-95	30.62	612.62	72418
1995-96	30.59	–	55686
1996-97	30.59	–	41741

**जवाहर रोजगार योजना : गहन जवाहर रोजगार योजना सम्मिलित है।*

***अनंतिम*

सुनिश्चित रोजगार योजना : यह मांग आधारित योजना है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : वर्ष 1995-96 से कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 से बाई पास

5600. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर हो कर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से बाई पास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) रा०रा०-3 पर ग्वालियर बाइपास के लिए संस्वीकृत 3.61 लाख रु० के सर्वेक्षण जांच अनुमान की तुलना में 3/97 तक 2,98,000/- रु० व्यय किए जा चुके हैं और कार्य को जून, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाइपास के लिए संरेखण को अनुमोदन दे दिया गया है और वार्षिक योजना 1997-98 में भूमि के अधिग्रहण के लिए 1.00 करोड़ रु० का योजनागत प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक सहायता

5601. श्री शिवराज सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विश्व बैंक ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुर्ननिर्माण तथा मरम्मत के लिए 1 बिलियन रु० का निवेश करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है, और

(घ) इसमें शामिल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरदार सरोवर परियोजना

5602. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना को वर्ष 1996-97 के दौरान पूरा करने हेतु 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात में वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सरदार सरोवर परियोजना के लिए 95 करोड़ रुपए को केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की गई थी। इसमें से, 71.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था।

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों की परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए उनकी अपने बजट निधियों से अंशदान देना है। इसके अतिरिक्त, ... में भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को जारी किया जा

नौवहन नीति संबंधी समिति

5603. श्री अनंत गुढ़े : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई नौवहन नीति तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों, विचारार्थ विषय आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा करने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान जल-भूतल परिवहन संबंधी नीति के संबंध में लिए गए मुख्य निर्णयों तथा 1997-98 के दौरान विचारार्थ प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी हां। नौवहन उद्योग द्वारा समय समय पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार करने और राष्ट्रीय नौवहन नीति तैयार करने के लिए नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया हे जो जून, 1997 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके गठन और विचारार्थ विषय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान जलयानों की अधिग्रहण प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। चालू वर्ष 1997-98 के दौरान 10 प्रकार के जलयानों अर्थात् बल्क कैरियरों, टैंकर, डैजर आदि को प्रतिबंधित श्रेणी से खुला सामान्य लाइसेंस (ओ०पी०एल०) श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है।

विवरण

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति का गठन।

समय-समय पर भारतीय नौवहन उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने और राष्ट्रीय नौवहन नीति तैयार करने के लिए महानिदेशक (नौवहन) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति गठित करने का निर्माण लिया गया है। समिति का गठन और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :-

(i)	श्री एम०पी० पिन्टो महा निदेशक (नौवहन)	अध्यक्ष
(ii)	श्री ए०के० रस्तोगी संयुक्त सचिव (नौवहन)	सदस्य
(iii)	श्री के०वी० राव संयुक्त सचिव (पत्तन)	सदस्य

(iv)	श्री टी०वी० शानबाग मुख्य चार्टरिंग नियंत्रक	सदस्य
(v)	श्री पी०के० श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्र०नि, भा०नौ०नि०	सदस्य
(vi)	श्री वी०एल० मेहता अध्यक्ष, आई०एन०एस०ए०	सदस्य
(vii)	श्री रोहित तोलानी तोलानी शिपिंग मुंबई एस०सी०आई०सी०आई० लि०	सदस्य
(viii)	श्री एन०सी० सिंघल पूर्व उपाध्यक्ष	सदस्य
(ix)	श्री मोहन राय कार्यकारी निदेशक त्रिपुर शिपिंग एंड ट्रेजरर शिपयार्ड एसोसिएशन आफ इंडिया (एस०आई०)	सदस्य
(x)	डा० लियो वार्नेस महासचिव, एन०यू०एस०आई०, मुंबई	सदस्य
(xi)	श्री प्रवीण अग्रवाल उप महानिदेशक (एस)	सदस्य सचिव
(xii)	अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य को सहयोजित किया जा सकता है।	

2. विचारार्थ विषय

1. देश की परिवहन अवसंरचना में नौवहन की भूमिका को परिभाषित और मूल्यांकित करना।

2. भारतीय ध्वज पोतों के लिए अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहनों कार्गो और सम्बद्ध सहायता तंत्र के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय वाणिज्यिक बेड़े के विकास के लिए उपायों का पता लगाना।

3. अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित उपाय करना।

4. पत्तन अवसंरचना के विकास के साथ नौवहन उद्योग की वृद्धि और विकास का समेकन करने के तरीकों की सिफारिश करना।

5. अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में नौवहन उद्योग के लिए परिकल्पित बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में जनशक्ति विकास, नौचालन शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार करना जिससे भारतीय नौवहन और विश्व नौचालन उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

6. उपयुक्त नियोजन एजेंसियों के जरिए भारतीय नाविकों के लिए विश्वव्यापी स्तर पर रोजगार में वृद्धि करने के उपायों की सिफारिश करना। ये एजेंसियां उनकी शोषक रोजगार परम्पराओं से रक्षा करेगी।

7. तटीय नौवहन के विकास के लिए उपायों पर विचार करके सिफारिश करना और तटीय नौवहन के लिए उचित प्रकार के जलयानों को तैनात करने तथा अपेक्षित क्षमता सृजित करने के लिए निवेश संबंधी पहलू का अध्ययन करना।

8. ऐसे किन्हीं परिवर्तनों की सिफारिश करना जो उद्योग के संतुलित और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नौवहन से संबंधित मौजूदा कानूनों के लिए अपेक्षित हो।

9. अन्य कोई महत्वपूर्ण मामला।

3. समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि दो महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए।

ह०/-
(आर० मुकन्दन)
उपसचिव, भारत सरकार

संस्कृत का संवर्द्धन

5604. श्री आर०बी० राई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत, हिन्दी, नेपाली और पादरी भाषाओं और उसके साहित्य के प्रचार और संवर्धन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

[हिन्दी]

संपत्ति और रायल्टी का रक्षा बलों के नाम अंतरण

5605. श्री सोहन बीर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी पुस्तकों और अन्य लेखन कार्य पर प्राप्त होने वाली रायल्टी की राशि को देश के रक्षा बलों के नाम अंतरित कर दिया है;

(ख) रक्षा बलों को उनसे कितनी आय हो रही है;

(ग) क्या सरकार को किसी व्यक्ति के प्रतिलिपि अधिकार को कतिपय राशि के लिए किसी निजी कंपनी को बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को इससे कितनी हानि हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैस सिक्यूरिटी प्रभारों में वृद्धि

5606. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैस सिक्यूरिटी और मैस अग्रिम की राशि में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के संघ ने इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय योजना

5607. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री एस० रामचन्द्र रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अगस्त, 1995 में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने यह योजना कार्यान्वित नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना सभी राज्यों में कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 28 जुलाई, 1995 को प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की घोषणा की थी जो 15 अगस्त 1995 से लागू हुई।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन घटक निम्नानुसार हैं :-

(i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; और

(iii) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट शर्तें निम्नानुसार हैं :

(I) **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :** राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के साथ उपलब्ध है :

1. आवेदक (पुरूष या महिला) की आयु 65 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

2. आवेदक दीन-हीन हो अर्थात् उसे आय के अपने स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों की मार्फत वित्तीय सहायता के रूप में जीविका का नियमित साधन न हो अथवा बहुत कम हों। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के शुरू होने से पूर्व दीन-हीन का पता लगाने के लिए अपनाए गए मानदण्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक उदार हों तो वे उनको अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

3. वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति माह 75 रुपए होगी।

4. वृद्धावस्था पेंशन की कुल संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(II) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :** राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक-संतप्त परिवार के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है जो निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है :

1. मुख्य जीविकोपार्जक परिवार का वह सदस्य होगा जिसकी आय का अंशदान कुल पारिवारिक आय में सबसे अधिक हो।

2. ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु उस समय हुई हो जब उसकी आयु 18 से 64 वर्ष हो अर्थात् 18 से अधिक और 65 वर्ष से कम हो।

3. शोक-संतप्त परिवार वह माना जाएगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवारों में से हो।

4. केन्द्रीय सहायता का दावा करने के प्रयोजन के लिए अधिकतम सीमा प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 5,000 रुपए और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रुपए होगी।

5. ऐसे मामलों की संख्या निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।

(III) **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :** गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार एकमुश्त नगद सहायता के रूप में मातृत्व लाभ दिया जाता है :

1. यह लाभ गर्भवती महिलाओं के लिए पहले दो जीवित बच्चों तक ही सीमित होंगे बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का होना चाहिए।

3. लाभ की राशि की अधिकतम सीमा 300 रुपए है।

4. ऐसे मामलों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या के अंदर होनी चाहिए।

(ग) निधियां जारी करने के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी तीनों योजनाओं को सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		कुल
		1995-96	1996-97	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2593.74	4315.02	1334.93	2238.12	746.75	1205.32	12433.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.68	2.02	1.71	2.03	1.95	0.06	12.45
3.	असम	195.83	340.17	188.21	212.30	87.79	145.17	1169.77
4.	बिहार	2109.72	4275.06	1090.36	583.17	572.00	679.55	9309.86
5.	गोवा	6.09	9.94	3.37	10.19	2.60	0.08	32.27
6.	गुजरात	441.19	828.57	222.33	7.26	118.25	3.74	1621.34
7.	हरियाणा	209.75	349.48	45.72	36.52	35.72	64.14	741.33
8.	हिमाचल प्रदेश	64.56	85.55	11.95	11.57	13.42	8.00	195.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू कश्मीर	147.86	225.45	27.30	62.48	30.80	36.05	529.94
10.	कर्नाटक	870.28	3873.75	383.69	12.49	237.96	7.54	5385.71
11.	केरल	354.55	1045.08	90.57	205.51	64.88	86.35	1846.94
12.	मध्य प्रदेश	2736.86	3650.81	823.85	2246.62	457.60	400.74	10316.48
13.	महाराष्ट्र	1380.46	128.27	606.69	36.74	361.76	11.44	2525.36
14.	मणिपुर	9.65	48.98	3.42	14.41	4.07	20.41	100.94
15.	मेघालय	9.06	63.27	3.27	2.61	3.74	3.17	85.12
16.	मिजोरम	3.86	18.85	1.70	5.78	1.58	8.01	39.78
17.	नागालैंड	13.31	42.88	3.53	8.64	5.59	19.99	93.94
18.	उड़िसा	784.08	2578.35	510.69	224.11	240.08	435.53	4772.84
19.	पंजाब	202.23	338.35	37.38	124.62	25.48	28.11	756.17
20.	राजस्थान	552.07	976.28	266.89	24.97	202.67	6.51	2029.39
21.	सिक्किम	3.85	11.30	1.67	2.26	0.94	1.53	21.55
22.	तमिलनाडु	2179.81	2573.19	1130.00	1357.93	563.60	571.21	8375.74
23.	त्रिपुरा	29.47	73.49	10.40	25.90	12.34	30.62	182.22
24.	उत्तर प्रदेश	5727.83	9019.54	3147.28	2221.30	1777.92	2416.16	24310.03
25.	पश्चिम बंगाल	976.31	2404.54	531.09	966.50	274.49	529.17	5682.10
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.68	0.05	1.69	0.06	0.69	0.02	4.19
27.	चंण्डीगढ़	3.59	9.79	1.72	1.36	1.57	0.05	18.08
28.	दादर नगर हवेली	0.85	1.43	1.69	5.78	0.29	0.95	10.99
29.	दमन द्वीव	0.52	0.95	1.48	2.92	0.18	0.24	6.29
30.	दिल्ली	52.40	90.63	18.85	32.06	21.85	37.68	253.47
31.	लक्षद्वीव	0.30	0.48	1.62	2.81	0.22	0.01	5.44
32.	पांडिचेरी	4.16	0.13	1.68	0.06	1.78	0.06	7.87
	कुल	21670.61	37381.65	10506.68	10689.08	5870.56	6757.91	92876.53

अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

5608. श्री विजय हाण्डिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 50 से अधिक बिस्तरों वाले सभी सिटी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में इनसिनिरेटर स्थापित करने हेतु शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन हेतु कोई नए कदम

उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के अनुपालन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए एक इन्सीनरेटर लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त इन्सीनरेटर प्रदान करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है ताकि पहले लगाए गए इन्सीनेटरों के पूरक बन सकें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।

[हिन्दी]

नीम हकीमों की गतिविधि

5609. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पूरे देश में नीम हकीमों की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून या नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) अनर्हक चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारतीय आयुविर्ज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1972 में पहले ही उपबंध मौजूद हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठाता।

[अनुवाद]

रोजगारोन्मुखी केन्द्रीय योजनाओं का हस्तान्तरण

5610. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक रोजगारोंन्मुखी केन्द्रीय योजनाओं को उनके लिए आवंटित निधियों सहित वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का बयौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1997-98 के दौरान निर्धारण, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है और राज्यों को इनके लिए केन्द्र से कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 1996-97 के लिए राज्यवार और योजनावार केन्द्रीय योजनाओं की निष्पादन समीक्षा का ब्यौरा क्या है वर्ष 1996-97 के दौरान रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए तथा 1997-98 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र को चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान मुख्य रोजगार परक योजनाओं अर्थात् (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, और (3) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1997-98 के लिए राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या)		जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)		सुनिश्चित रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	लक्ष्य निर्धारित	190549	373.67	184.85	लक्ष्य निर्धारित	164.08

1	2	3	4	5	6	7
2. अरूणाचल प्रदेश	नहीं किए जाते	4956	4.42	1.76	नहीं किए जाते	20.72
3. असम	हैं।	23062	98.77	67.58	हैं	89.92
4. बिहार		190010	489.25	354.71		256.46
5. गोवा		974	4.39	4.95		एन०आर०
6. गुजरात		41741	109.14	105.20		104.73
7. हरियाणा		14660	15.73	13.08		19.18
8. हिमाचल प्रदेश		6794	7.63	8.38		8.29
9. जम्मू व कश्मीर		7929	47.27	23.20		62.28
10. कर्नाटक		97280	255.74	250.94		231.47
11. केरल		40150	59.73	55.45		18.02
12. मध्य प्रदेश		86444	444.97	217.21		189.57
13. महाराष्ट्र		128118	469.32	455.08		211.31
14. मणिपुर		4029	3.20	3.01		11.90
15. मेघालय		4120	4.35	6.61		3.40
16. मिजोरम		1360	2.29	1.89		20.62
7. नागालैंड		2915	6.54	4.18		30.74
18. उड़ीसा		61235	321.32	258.84		329.75
19. पंजाब		6781	15.62	1.89		एन०आर०
20. राजस्थान		53010	162.92	125.66		169.83
21. सिक्किम		1483	1.49	2.57		2.43
22. तमिलनाडु		103883	406.90	488.60		258.15
23. त्रिपुरा		4996	6.35	14.85		42.51
24. उत्तर प्रदेश		313783	603.21	658.18		227.56
25. प० बंगाल		82077	221.86	144.29		116.06
26. अ०नि० द्वीपसमूह		276	1.25	0.75		0.26
27. दा०ना० हवेली		41	0.65	1.02		0.38
28. दमण व दीव		178	0.85	0.44		0.00

1	2	3	4	5	6	7
29. लक्षद्वीप		90	0.80	0.88		1.89
30. पांडिचेरी		1112	1.74	2.20		एन०आर०
कुल		1413976	4141.37	3458.25		2591.51

एन०आर०—असूचित

*सुनिश्चित रोजगार योजना मांग पर आधारित योजना है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास की शुल्क दरें

5611. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने 33 प्रतिशत तक न्यास शुल्क बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो शुल्क बढ़ाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार शुल्क बढ़ाने से कुल कितना राजस्व प्राप्त किए जाने की संभावना है,

(घ) पिछली बार शुल्क में कब संशोधन किया गया था;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय पत्तन न्यास अधिनियम के अंतर्गत कनहारी और पत्तन शुल्क को भी संशोधित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन का प्रचालन शुरू होने के समय पत्तन टैरिफ कम रखा गया था और जनवरी, 1994 में की गई 15% मामूली वृद्धि को छोड़कर मई, 1989 में पत्तन प्रचालन के समय से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। टैरिफ वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(i) बढ़ती हुई प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए, और

(ii) सरकार से लिए गए ऋण तथा उस पर ब्याज को लौटाने के लिए भारी ऋण के बोझ को अंशतः कम करने के लिए।

(ग) 1997-98 में लगभग 90.00 करोड़ रु० के अतिरिक्त राजस्व अर्जन की संभावना है।

(घ) पिछली बार जनवरी, 1994 में टैरिफ संशोधित की गई थी।

(ङ) और (च) जी हां। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के तहत पायलटेज और पत्तन प्रभारों की दरें भी प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कारणों से क्रमशः 19.3.97 और 18.4.97 से संशोधित की जा चुकी हैं।

महिला और बाल विकास संबंधी समेकित योजना

5612. श्री नंद कुमार साय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में महिला और बाल विकास संबंधी समेकित योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान राज्य में महिला और बाल संबंधी विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने कुछ नई योजनाएं लागू करने हेतु कुछ और राशि की मांग की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) जहां तक समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) स्कीम का सम्बन्ध है, राज्यों में आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर विभाग एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिसम्बर, 1996 में समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 436 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 335 परियोजनाएं चालू हैं और इनके अन्तर्गत 21,47,780 लाभार्थियों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। आई०सी०डी०एस० के कार्यान्वयन और प्रभाव का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इस स्कीम का एक राष्ट्र-व्यापी मूल्यांकन अध्ययन भी कर रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए चलायी जा रही प्रमुख कल्याण स्कीमों के मध्य प्रदेश राज्य में कार्यान्वयन हेतु संघ सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है

स्कीम का नाम	वर्ष	निर्मुक्त राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
1. समेकित बाल विकास स्कीम	1994-95	4088.10
	1995-96	9902.20
	1996-97	9898.16
2. आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1994-95	54.54
	1995-96	23.23
	1996-97	13.63
3. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस०	1994-95	3300.00
	1995-96	2851.00
	1996-97	4260.00
4. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता	1994-95	182.00
	1995-96	शून्य
	1996-97	330.00
5. कामकाजी महिला होस्टल	1994-95	14.05
	1995-96	12.86
	1996-97	20.51
6. रोजगार सह-आयोत्पादन सह-उत्पादन एककक	1994-95	37.03
	1995-96	28.35
	1996-97	26.98

इंजन घोटाला

5613. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री आई०डी० स्वामी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1997 के दैनिक जागरण में "बरेली में करोड़ों के इंजन घोटाले का पर्दाफाश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है या करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस धोखाधड़ी में कुछ बैंक कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया है; और

(ङ) यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुरूप बोरिंग पम्पसेटों का सत्यापन करवाया गया था जिसमें 12728 बोरिंग पम्पसेटों को शामिल किया गया था। इनमें से 2187 पम्पसेटों को खेतों में नहीं पाया गया और इससे दुरूपयोग की पुष्टि हुई।

लाभार्थियों से सबसिडी एवं बैंक ऋणों की वसूली कर दी गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामलों में कार्योत्तर सबसिडी का प्रावधान कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक (लि०) के कर्मचारीगण को इसमें लिप्त पाया गया है।

एक कर्मचारी को निलंबित किया गया है और दो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि विकास योजना

5614. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बंजरभूमि विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए है और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता दी गई, और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर यनेतर बंजरभूमि का विकास करना है।

(ख) और (ग) समेकित बंजरभूमि विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य तय नहीं किये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं और परियोजना-दर-परियोजना आधार पर इन्हें स्वीकृत किया जाता है। पिछले दो वर्षों अर्थात् 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 1,42,000 हैक्टेयर बंजरभूमि के विकास हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को 101.80 करोड़ रुपये रिलीज किये गये थे।

(घ) कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु लोगों की अधिकतम भागीदारी की आवश्यकता है। वाटरशेड ऐसोशिएशन, वाटरशेड समिति, प्रयोक्ता समूह, स्व-सहायता समूह गठित किये गये हैं। राज्य तथा केन्द्र स्तर पर कार्यक्रमों की निगरानी और निरीक्षण किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सामरिक शस्त्र प्रणाली

5615. **श्री रामबहादुर सिंह :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनडुब्बियों के लगाए जाने के लिए वर्षों पहले विकसित की गई प्रणाली को अभी उपयोग में लाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस सामरिक शस्त्र प्रणाली के विकास पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इसके अभी तक उपयोग में न लाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस सामरिक प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार से किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा पंचेंद्रिय प्रणाली के भाग के रूप में विकसित सामरिक शस्त्र नियंत्रण प्रणाली एक पनडुब्बी पर लगा दी गई है। अब तक इस कार्य पर 6.8 करोड़ रुपये (लगभग) खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रणाली का समुद्री मूल्यांकन 1997 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और तत्पश्चात् इसका संक्रियात्मक उपयोग किया जाएगा।

विशाखापत्तनम पर रोके गए पोत

5616. **श्री अजमीरा चन्दूलाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास पर माल के लिए पहुंचे दो पोतों को 24 मार्च, 1997 को रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वे पोत किससे संबंधित थे और उनके मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बाई-पास और पुल

5617. **श्री हरिवंश सहाय :**
डा० शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री मनोज कुमार सिन्हा :
श्री बृजभूषण तिवारी :
कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री राम सागर :
श्रीमती सुभावती देवी :
डा० बलिराम :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में मोहन सराय से मुगल सराय जी०टी० रोड के बाई पास और गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था और उस समय इनके पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या थी;

(ख) इस परियोजना के लिए आंशिक रूप से कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) प्रतिशत के हिसाब से इस परियोजना पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना के पूरा न होने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के पूरा किए जाने के लिए अंतिम तारीख क्या निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) *निर्माण कार्य शुरू करने और इस परियोजना को पूरा करने की तारीखें इस प्रकार हैं :-*

	प्रारंभ करने की तारीख	नियत लक्ष्य की तारीख
1. बाईपास का सड़क कार्य	10/1987	04/1991
2. गंगा पुल	12/1988	12/1992

(ख) प्रारंभ में इस परियोजना के लिए 49.92 करोड़ रु० की राशि नियत की गई थी। मार्च, 1997 तक 104.46 करोड़ रु० व्यय हुए हैं।

(ग) सड़क और पुल कार्यों के मामले में क्रमशः 60% और 97% प्रगति हुई है।

(घ) परियोजना को पूरा करने में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ :-

(i) ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति।

(ii) निरसन, जिसमें कार्य को पुनः सौंपा जाना शामिल है।

(iii) मुकदमावाजी।

(iv) दीर्घावधिक टिकाऊपन और वेहतर सेवा के लिए पूरक उपायों को ध्यान में रखते हुए पुल के ढांचे के लिए विशिष्टताओं में परिवर्तन और उनका पुनः डिजाइन बाद में जारी किया गया।

(ङ) इसे पूरा करने के लिए नियत तारीख दिसम्बर, 1997 है वशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम

5618. श्री बीर सिंह महतो : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प० वंगाल में राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम हेतु अपेक्षित निधि के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) प० वगाल में इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि मंजूर की गई है और अभी जारी की जानी है; और

(ग) इस संवंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) अर्हक वित्तीय पात्रता पर आधारित आवंटन और गत 2 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(रुपए लाख में)

योजना का नाम	आवंटन		जारी धनराशि	
	95-96	96-97	95-96	96-97
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1971.02	3334.35	976.51	2404.54
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1071.96	1824.90	531.09	966.50
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	558.14	911.61	274.49	529.17

राज्यों को केन्द्रीय निधियां जारी करने के साथ यह शर्तें है कि उन्होंने पहले से जारी निधियों का प्रर्याप्त उपयोग कर लिया हो। ऊपर दर्शाई गई जारी धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पहले से जारी निधियों के उपयोग के अनुसार है।

बाल अधिकारों संबंधी समिति

5619. श्री येल्लैया नंदी :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र वाल अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देने के लिए सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां तो क्या बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति ने हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा की गई प्रगति का विश्लेषण करने तथा कन्वेंशन में इन्हें लागू करने के लिए एक दस सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ग) क्या भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है तथा वह बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित सभी संकल्पों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव द्वारा की गई सभी सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेशन को महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को स्वीकार किया गया था।

(ख) कन्वेशन में स्वीकृत दायित्वों के कार्यान्वयन में राष्ट्रों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बाल अधिकार कन्वेंशन की धारा 43(1) तथा 43(2) के प्रावधानों के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केन्द्र द्वारा एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसे बालाधिकार समिति कहा जाता है।

(ग) से (ङ) भारत ने बाल अधिकार कन्वेंशन की अभिपुष्टि 2 दिसम्बर 1992 को इस घोषणा के साथ की कि कन्वेंशन के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों का पूर्णतया समर्थन करते हुए बच्चों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को प्रगामी रूप से केवल उसी सीमा तक कार्यान्वित किया जा सकता है जहाँ तक संसाधन उपलब्ध हों और जो अन्तर राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से धारा 32, 2(क) के सदर्भ में, जो कि रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु से सम्बन्धित है, के ढ़ांचे के अन्तर्गत हों।

प्रत्येक राष्ट्र बालाधिकार कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बालाधिकार कन्वेंशन के कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा उसके दर्जे पर भारत का पहला राष्ट्रीय प्रलेख बाल अधिकार समिति, जिनेवा को मार्च 1997 में प्रस्तुत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

"भगीरथ" पत्रिका

5620. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी पत्रिका "भगीरथ" का प्रकाशन बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पत्रिका के सम्पादक के पदों को समाप्त कर दिया है तथा इसके कुछ नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) का पद भरे जाने के परिणाम-स्वरूप सहायक सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) का एक पद 4.11.1996 को समाप्त हो गया था। सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) का पद इस शर्त पर सृजित किया गया था कि यदि एक बार सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) का पद नियमित आधार पर भरा लिया गया है तो सहायक सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) का पद समाप्त समझा जाएगा। सहायक सम्पादक (भगीरथ-हिन्दी) के पद का पदधारी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दो विभिन्न अवसरों पर सम्पादक के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, को केन्द्रीय जल आयोग के अधिशेष सैल में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

बाल विकास योजनाएं

5621. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ और केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय बाल विकास योजनाएं शुरू की जा रही हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से आगरा और मथुरा जिलों में किन-किन स्थानों पर योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में निजी संस्थाएं

5622. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित उन निजी संस्थाओं की वर्तमान संख्या कितनी है जो ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त है और एम०बी०ए० तथा बी०बी०ए० के प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी संस्थाओं ने सरकारी मानदंडों का उल्लंघन कर अपनी क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निजी संस्थाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद केवल विश्वविद्यालयों अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में एम०बी०ए० कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। दिल्ली में निजी क्षेत्र में ऐसी केवल एक संस्था है जिसे अ०भा० त०शि०प० द्वारा एम०बी०ए० कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है। नीति के तौर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद किसी प्रकार के बी०बी०ए० कार्यक्रम को अनुमोदित नहीं करती। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रवेश संबंधी अनियमितता की कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आई है।

पेय जल में अनियमितताएं

5623. श्री इलियास आजमी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्कार ने पेय जल प्रबंधन के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय अनियमितताएं पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बेरोजगार ग्रामीण युवा

5624. डा० हरि सिंह :
श्री इलियास आजमी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जारकारी है कि कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगार युवाओं को प्रदान कराए गए रोजगार के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई और जिला ग्रामीण विकास ऐजेंसियों ने इस राशि का उपयोग किस प्रकार से किया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए केन्द्र द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नामक प्रमुख रोजगार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुनिश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1.4.1997 से सुनिश्चित रोजगार योजना का देश के सभी खण्डों में विस्तार किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे लोगों को गैर-कृषि मौसम के दौरान मजूदरी रोजगार उपलब्ध कराना है जिन्होंने अपना नाम रोजगार प्राप्त करने के लिए पंचायतों में पंजीकृत करा रखा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान आवंटित राशि और इस्तेमाल की गई राशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए रोजगार का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

1996-97 के दौरान आवंटित राशि, उपयोग की गई राशि तथा 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रुपए में (1996-97)		सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिन)		
		आवंटित राशि	इस्तेमाल की गई राशि	1994-95	1995-96	1996-97*
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17372.99	10147.96	812.25	701.57	184.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	178.30	141.27	5.58	8.24	1.76
3.	असम	5718.18	3373.29	263.29	179.08	67.58
4.	बिहार	34075.58	23548.64	986.88	1197.03	354.71

1	2	3	4	5	6
5. गोवा	192.65	215.53	6.45	8.38	4.95
6. गुजरात	6376.25	6280.49	258.48	209.42	105.20
7. हरियाणा	1531.81	1371.79	33.96	33.50	13.08
8. हिमाचल प्रदेश	612.16	493.53	28.87	21.45	8.38
9. जम्मू व कश्मी	1243.93	708.46	88.04	48.23	23.20
10. कर्नाटक	11665.34	12015.31	499.67	524.89	250.94
11. केरल	4244.16	4458.15	101.01	127.75	55.45
12. मध्य प्रदेश	22014.51	11961.01	1075.25	759.46	217.21
13. महाराष्ट्र	18937.58	18664.14	1100.73	1014.47	455.08
14. मणिपुर	228.53	141.46	7.16	9.34	3.01
15. मेघालय	267.40	322.99	8.50	4.86	6.61
16. मिजोरम	112.65	110.12	5.72	5.20	1.89
17. नागालैंड	286.64	164.41	8.47	5.76	4.18
18. उड़ीसा	14093.11	11909.28	604.51	678.31	258.84
19. पंजाब	1089.39	162.55	24.36	6.44	1.89
20. राजस्थान	9146.40	6208.92	545.58	961.72	125.66
21. सिक्किम	104.36	176.86	7.03	9.27	2.57
22. तमिलनाडु	15704.96	18040.03	1027.66	1069.75	488.60
23. त्रिपुरा	296.83	662.00	29.02	18.43	14.85
24. उत्तर प्रदेश	42334.91	42123.49	1395.94	1532.46	658.18
25. पश्चिम बंगाल	15569.34	10334.00	580.82	414.75	144.29
26. अंडमान निकोबर	84.41	49.74	2.59	2.59	0.75
27. दादर व न० हवेली	45.81	49.75	2.07	0.64	1.02
28. दमन व द्वीव	26.99	23.24	0.55	1.11	0.44

1	2	3	4	5	6
29. लक्षद्वीप	42.32	49.22	1.91	1.05	088
30. पांडिचेरी	82.64	99.35	4.72	3.10	2.20
जोड़	233679.53	184006.36	29517.07	8958.25	3458.25

*जवाहर रोजगार याजना का दूसरा चरण शामिल है।

**गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

*मार्च 1997 तक उपयोग

*मार्च 1997 तक (अनंतिम)

*सूचना फरवरी 97 तक ही है।

विवरण-II

1996-97 के दौरान आवंटित राशि, उपयोग की गई राशि तथा 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रुपए में (1996-97)		सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिन)		
		आवंटित राशि	इस्तेमाल की गई राशि	1994-95	1995-96	1996-97*
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25137.50	9155.25	277.24	252.42	164.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	2126.25	1220.26	20.84	50.67	20.72
3.	असम	13525.00	5244.41	95.50	181.82	89.92
4.	बिहार	26556.25	16708.89	193.77	254.44	256.46
5.	गोवा	100.00	एन०आर०	0.00	0.00	एन०आर०
6.	गुजरात	7312.50	6284.27	35.26	92.45	104.73
7.	हरियाणा	3350.00	1954.22	34.64	52.11	19.18
8.	हिमाचल प्रदेश	1987.50	670.84	3.20	6.86	8.29
9.	जम्मू व कश्मीर	4825.00	3330.39	59.85	129.96	62.28
10.	कनाटक	14450.00	10513.58	177.45	268.73	231.47
11.	केरल	3562.50	1404.87	27.64	32.47	18.02
12.	मध्य प्रदेश	28337.51	11577.30	363.78	388.02	189.57
13.	महाराष्ट्र	8412.50	8267.71	233.89	293.23	211.31
14.	मणिपुर	1350.00	798.65	28.60	31.21	9.96

1	2	3	4	5	6
15. मेघालय	612.50	197.94	1.39	8.30	3.40
16. मिजोरम	1500.00	943.76	41.71	40.91	20.62
17. नागालैंड	3482.50	1143.18	28.81	49.00	30.74
18. उड़ीसा	20534.44	15012.06	281.24	311.06	329.75
19. पंजाब	1225.00	एन०आर०	0.00	0.00	एन०आर०
20. राजस्थान	12987.50	9520.58	273.11	288.02	169.85
21. सिक्किम	275.00	163.82	8.50	16.01	2.43
22. तमिलनाडु	18406.25	9284.42	141.29	211.35	358.15
23. त्रिपुरा	2700.00	1889.00	60.35	43.20	42.51
24. उत्तर प्रदेश	26630.94	13077.64	165.63	318.23	227.56
25. पश्चिम बंगाल	12712.50	8767.82	184.79	145.08	116.06
26. अंडमान निकोबर	0.00	19.65	0.57	0.11	0.26
27. दादर व न० हवेली	60.00	30.62	0.10	0.23	0.38
28. दमन व द्वीप	40.00	0.00	0.12	0.36	0.00
29. लक्षद्वीप	140.00	89.67	0.34	1.02	1.89
30. पांडिचेरी	60.00	एन०आर०	0.00	0.00	एन०आर०
जोड़	242399.34	137270.80	2739.56	3465.27	3589.57

*जे०आर०वाई० के दूसरे चरण सहित

*मार्च 1997 तक उपयोग

*सूचना फरवरी 1997 तक की है।

विवरण-III

1996-97 के दौरान आवंटित राशि, उपयोग की गई राशि तथा 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभांवित परिवारों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपए में) (1996-97)		लाभान्वित परिवारों की संख्या		
		आवंटित राशि	उपयोग की गई राशि	1994-95	1995-96	1996-97
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	9019.44	159988	122863	130549

1	2	3	4	5	6
2. अरूणाचल प्रदेश	623.43	249.26	18764	14381	4956
3. असम	2743.50	1600.68	62584	59030	23062
4. विहार	16218.24	10228.77	224736	265525	190010
5. गोवा	141.87	124.36	2192	1486	974
6. गुजरात	3059.22	2564.39	72418	55686	41741
7. हरियाणा	735.33	982.00	28285	29771	14660
8. हिमाचल प्रदेश	239.78	452.66	7355	6606	6794
9. जम्मू व कश्मीर	999.09	556.17	13545	13189	7929
10. कर्नाटक	5594.91	4836.74	125810	119685	97210
11. केरल	2036.15	2096.13	46294	43357	40150
12. मध्य प्रदेश	10565.99	7291.89	218629	210692	86444
13. महाराष्ट्र	9087.73	7223.71	196677	181597	128118
14. मणिपुर	449.59	256.01	7658	6077	4029
15. मेघालय	477.57	276.03	6028	4534	4120
16. मिजोरम	201.82	101.81	3345	5085	1360
17. नागालैंड	335.69	211.52	2251	2531	2915
18. उड़ीसा	6763.85	4520.55	139837	120669	61235
19. पंजाव	521.53	514.92	22701	11786	6781
20. राजस्थान	4388.01	3094.04	187799	92818	53010
21. सिक्किम	55.95	108.44	1281	2843	1483
22. तमिलनाडु	7537.14	4990.48	281221	183895	103883
23. त्रिपुरा	641.42	570.11	21818	14657	4996
24. उत्तर प्रदेश	20316.50	17633.46	369725	355916	313783
25. पश्चिम वंगाल	7472.20	4047.06	159722	161724	82077
26. अ०नि० द्वीप समूह	70.94	17.73	1126	832	276

1	2	3	4	5	6
27. दादर व नगर हवेली	14.99	6.91	382	274	41
28. दमन द्वीव	27.97	11.32	97	310	178
29. लक्षद्वीप	6.99	3.45	100	16	30
30. पांडिचेरी	51.95	49.17	1221	1563	1112
अखिल भारत	109721.16	83639.21	2215421	2089400	1419976

[अनुवाद]

असम की बाढ़ में सेना का प्रयोग

5625. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कुछ जिलों में बाढ़ के दौरान असहाय व्यक्तियों को बचाने के लिए सेना बुलायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रबर बोटों तथा उपयुक्त प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों की कमी के कारण गत वर्ष (लखीमपुर जिला सहित) जिला प्रशासन के ऐसे बुलावों का सेना उपयुक्त ढंग से उत्तर नहीं दे पायी; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह की बार-बार होने वाली समस्याओं और असम में लखीमपुर और धीमाजी जिलों में तेज धार वाली बाढ़ के जल से भविष्य में निपटने के लिये बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्थिति राज्य प्रशासन की क्षमता से बाहर होने पर सेना की सहायता सर्वदा उपलब्ध रहती है। उपस्कर तथा जन शक्ति के रूप में सेना की सहायता की मात्रा संसाधनों की समग्र उपलब्धता और अन्य प्राथमिकता वाली प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करती है।

अन्धता, कुष्ठ तथा क्षय रोग संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

5626. श्री थावरचन्द गहलोत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उक्त लक्ष्यों के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या अंधता के मामलों में तथा कुष्ठ तथा क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन रोगों के नियंत्रण हेतु कोई विशेष कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) चलाए जा रहे कार्यकलापों का कार्यक्रम-वार विवरण नीचे दिया गया है :-

दृष्टिहीनता

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य कार्य विभिन्न सरकारी नेत्र परिचर्या यूनिटों अर्थात् मैडिकल कालेजों, क्षेत्रीय नेत्र रोग विज्ञान संस्थान, जिला अस्पतालों, जिला मोबाइल यूनिटों, केन्द्रीय मोबाइल यूनिटों नेत्र शिविरों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मोतियाबिंद के आपरेशन करना है। मोतियाबिंद के आपरेशन करना है। मोतियाबिंद आपरेशनों के लिए लक्ष्यों के राज्यवार विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान की उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

कुष्ठ रोग

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यकलाप कुष्ठ रोगियों का पता लगाना, उपचार और उपचार के बाद छुट्टी देना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

क्षय रोग

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य गतिविधि क्षय रोगियों का पता लगाना और उपचार करना है। यह कार्यक्रम शहरों और प्रमुख शहरों में स्थित क्षय रोग क्लीनिकों द्वारा सहायता प्राप्त 446 से जिला क्षय रोग केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के लिए नये रोगियों का पता लगाने के लक्ष्यों और उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) **दृष्टि विहीनता**

1985-89 में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 12 मिलियन नेत्रहीन व्यक्ति थे। इसके पश्चात् कोई राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिससे कि देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सके।

कुष्ठ

जी नहीं।

क्षय रोग

क्षय रोग घटना-दर में वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, जनसंख्या में वृद्धि होने से पूर्णांक में वृद्धि हुई है।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के मामले में किसी विशेष कार्य योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है लेकिन इस कार्यक्रम के और कारगर बनाने के लिए संशोधित कार्यनीतियों को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सीधे देखभाल किए जा रहे उपचार की संशोधित कार्यनीति मार्गदर्शी परियोजना राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और क्षय रोग नियंत्रण पर विश्व बैंक से वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत इसका अगले 3 वर्षों में 102 जिलों में विस्तार किया जायेगा।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा कार्यनिष्पादन

राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	210000	181375	220000	245985	220000	269623
अरूणाचल प्रदेश	1000	251	600	341	600	360
असम	50000	18134	50000	19519	50000	13688
बिहार	175000	80193	175000	138892	175000	127450
गोवा	4500	3591	5000	4238	5000	4093
गुजरात	150000	187332	168000	227450	168000	228646
हरियाणा	80000	70979	80000	7161	80000	56607
हिमाचल प्रदेश	10000	8669	10000	8806	10000	6259
जम्मू व कश्मीर	7500	4780	9000	4938	9000	16233
कर्नाटक	140000	148274	145000	134665	150000	134533

1	2	3	4	5	6	7
केरल	70000	44565	55000	51075	55000	50140
मध्य प्रदेश	200000	161563	220000	174731	250000	182742
महाराष्ट्र	250000	257381	272000	314000	300000	357407
मणिपुर	1500	602	1500	574	1500	541
मेघालय	1500	731	1500	715	1500	959
मिजोरम	500	326	500	342	500	203
नागालैंड	200	184	300	171	300	450
उड़ीसा	80000	40536	88000	46835	100000	99980
पंजाब	100000	125000	100000	121752	120000	119354
राजस्थान	150000	93874	150000	120676	160000	136103
सिक्किम	900	429	900	697	900	693
तमिलनाडु	220000	251791	250000	267491	275000	251407
त्रिपुरा	5000	4790	5000	5620	5000	5249
उत्तर प्रदेश	350000	295878	350000	322008	350000	370690
पश्चिम बंगाल	150000	133226	150000	142800	150000	134355
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	501	400	364	4000	5056
चण्डीगढ़	2750	2973	2750	3009	400	358
दादरा व नगर हवेली	200	69	200	141	2750	2187
दमण व दीव	200	222	200	239	200	226
दिल्ली	35000	42504	35400	35382	200	273
लक्षद्वीप	60	9	60	10	60000	30126
पाण्डिचेरी	4000	4213	4000	5917	50	18
ई०एस०आई०ए०एफ०सी०आर०		1580		4176		6804
भारत	2450000	2166524	2550000	2470590	2694600	2552543

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्यवार तथा वर्षवार (1992-93 से 1996-97 तक) रोगी का पता लगाने, उपचार तथा छुटट्टी देने के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/क्षेत्र	1994-95						1995-96	
		पता लगाना		उपचार		छुट्टी दिए गए		पता लगाना	
		टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30000	52311	30000	52311	60000	77532	30000	49933
2.	अरूणाचल प्रदेश	800	186	800	186	1000	654	800	170
3.	असम	100	1251	100	1251	100	1774	100	1262
4.	बिहार	18000	36927	18000	35753	42000	97090	18000	51265
5.	गोवा	200	356	200	356	200	445	200	390
6.	गुजरात	5000	10278	5000	10278	8000	12925	5000	11514
7.	हरियाणा	100	180	100	180	150	144	100	241
8.	हिमाचल प्रदेश	200	159	200	159	300	274	200	165
9.	जम्मू व कश्मीर	200	252	200	252	200	143	200	343
10.	कर्नाटक	9000	24019	9000	24019	30000	27533	9000	21886
11.	केरल	4000	7379	4000	7379	5500	10604	4000	6452
12.	मध्य प्रदेश	18000	26998	18000	26998	38000	41413	18000	34538
13.	महाराष्ट्र	28000	69340	28000	69340	60000	103123	28000	41621
14.	मणिपुर	50	110	50	110	100	676	50	220
15.	मेघालय	50	23	50	23	100	1091	50	28
16.	मिजोरम	50	17	50	17	100	48	50	31
17.	नागालैंड	100	30	100	30	100	0	100	100
18.	उड़ीसा	20000	42408	20000	42408	30000	49089	20000	45865
19.	पंजाब	600	839	600	839	800	1100	600	812
20.	राजस्थान	700	1273	700	1273	1000	723	700	1249
21.	सिक्किम	50	29	50	29	100	39	50	59
22.	तमिलनाडु	45000	68850	45000	64910	50000	72710	45000	60623
23.	त्रिपुरा	100	206	100	206	100	417	100	160
24.	उत्तर प्रदेश	28000	57107	28000	57107	66000	84205	28000	59016
25.	पश्चिम बंगाल	16000	25018	16000	25018	30000	49219	16000	34000
26.	अ० व नि० द्वीपसमूह	100	125	100	125	100	172	100	114
27.	चण्डीगढ़	50	64	50	64	50	89	50	219
28.	दादर व नगर हवेली	50	72	50	72	50	94	50	159
29.	दिल्ली	50	15	50	15	50	69	50	25
30.	लक्षद्वीप	100	2942	100	2926	100	1064	100	1291
31.	दमण व दीव	50	37	50	37	200	54	50	1
32.	पाण्डिचेरी	200	746	200	746	300	743	200	647
	योग:	224900	429547	224900	424417	424700	635256	224900	424999

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्यवार तथा वर्षवार (1992-93 से 1996-97 तक) रोगी का पता लगाने, उपचार तथा छुटट्री देने के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

1995-96				1996-97					
उपचार		छुट्टी दिए गए		पता लगाना		उपचार		छुट्टी दिए गए	
टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30000	49933	60000	55084	30000	48866	30000	48866	60000	51077
800	170	1000	216	700	74	700	69	1000	67
100	1262	100	2994	100	2174	100	2174	100	7234
18000	50988	42000	86364	20000	83139	20000	82326	42000	79792
200	390	200	422	200	372	200	372	200	397
5000	11514	8000	11828	4500	14475	4500	14472	8000	12546
100	241	150	382	100	216	100	216	150	170
200	165	300	566	200	312	200	312	300	783
200	343	200	2275	200	277	200	277	200	324
9000	21886	30000	24298	8000	19589	8000	19589	30000	20994
4000	6452	5500	10116	4000	5273	4000	5217	5500	9150
18000	34538	38000	42709	18000	33357	18000	33357	38000	33015
28000	41621	60000	58561	25000	40983	25000	40983	60000	35705
50	220	100	247	50	270	50	270	100	365
50	28	100	120	50	37	50	37	100	68
50	31	100	35	50	14	50	14	100	20
100	100	100	644	100	21	100	21	100	42
20000	45865	30000	54300	18000	35574	18000	35574	30000	45421
600	812	800	538	600	1138	600	1138	800	969
700	1249	1000	1292	700	6363	700	6363	1000	3519
50	59	100	116	50	99	50	99	100	32
45000	56497	50000	67941	40000	48139	40000	44899	50000	45235
100	160	100	338	100	212	100	212	100	413
28000	59016	66000	93029	32000	64640	32000	65405	66000	76028
16000	34000	30000	96838	15000	23375	15000	23375	30000	22190
100	114	100	132	80	89	80	89	100	95
50	204	50	44	50	258	50	234	50	32
50	159	50	125	50	114	50	114	50	94
50	25	50	100	50	65	50	65	50	0
100	1289	100	757	100	1328	100	1313	100	651
50	1	200	5	30		30		200	
200	647	300	736	180	522	180	522	300	528
224900	419979	424700	613150	218240	431305	218240	427914	424700	447756

विवरण-III

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम
वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान नए क्षय रोगियों का पता लगाने के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95			1995-96			1996-97		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	98,200	68,111	69.36	78,620	65,999	83.95	78,620	65,680	8.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	3,200	3,567	111.47	1,500	3,296	219.73	1,500	2,880	19.20
3.	असम	42,300	14,963	35.37	23,500	15,757	67.05	23,500	20,108	8.56
4.	बिहार	217,000	64,294	29.63	153,000	113,409	74.12	153,000	112,710	7.37
5.	गोवा	4,160	3,245	78.00	2,000	3,432	171.60	2,000	2,974	14.87
6.	गुजरात	162,000	151,572	93.56	73,000	157,074	215.17	133,900	116,158	8.67
7.	हरियाणा	33,400			29,000	21,751	75.00	29,000	35,267	12.16
8.	हिमाचल प्रदेश	20,500	12,756	62.22	9,000	16,079	178.66	9,000	12,084	13.43
9.	जम्मू व कश्मीर	17,000	14,203	83.55	6,240	7,302	117.02	6,240	11,014	17.65
10.	कर्नाटक	92,500	68,713	74.28	68,370	67,311	98.45	68,370	71,776	10.50
11.	केरल	50,200	27,340	54.46	33,800	27,972	82.76	33,800	36,829	10.90
12.	मध्य प्रदेश	133,200	76,942	57.76	87,220	72,803	83.47	87,220	90,858	10.42
13.	महाराष्ट्र	257,000	134,893	52.49	140,000	204,569	146.12	140,000	190,630	13.62
14.	मणिपुर	4,600	4995	108.59	2,700	3,959	146.63	2,700	6,645	24.61
15.	मेघालय	2,800	2,115	75.54	2,560	2,614	102.11	2,560	4,618	18.04
16.	मिजोरम	1,100	910	82.73	1,000	1,067	106.70	1,000	1,223	12.23
17.	नागालैंड	20,000	1,348	67.40	1,250	1,192	95.36	1,250	1,350	10.80
18.	उड़ीसा	44,100	29,873	67.74	36,860	29,871	81.04	36,860	40,850	11.08
19.	पंजाब	47,000	37,576	79.95	36,000	42,341	117.61	41,900	48,260	11.52
20.	राजस्थान	50,000	36,284	72.57	45,000	36,228	80.51	45,000	69,344	15.41
21.	सिक्किम	1,740	1,255	72.13	1,000	2,220	222.00	1,000	2,800	28.00
22.	तमिलनाडु	129,200	102,935	79.67	99,000	98,665	99.66	99,000	104,823	10.59
23.	त्रिपुरा	2,300	2,067	89.87	2,880	2,107	73.16	2,880	2,528	8.78
24.	उत्तर प्रदेश	325,600	268,862	82.57	247,000	265,079	107.32	247,000	279,789	11.33
25.	पश्चिम बंगाल	98,700	74,921	75.91	69,000	67,817	98.29	69,000	74,352	10.78
26.	पाण्डिचेरी	5,000	4,553	91.06	1,500	3,311	220.73	3,200	3,401	10.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	460	472	102.61	580	1,954	390.80	500	635	127.0
28.	चण्डीगढ़	2,800	1,746	62.36	1,000	1,383	138.30	1,000	1,711	171.1
29.	दादरा एवं नगर हवेली	380	209	55.00	250	725	290.00	250	300	120.0
30.	दिल्ली	51,000	37,534	73.60	17,000	51,603	333.55	42,000	42,951	102.3
31.	लक्षद्वीप	240	154	64.17	100	194	194.00	100	160	160.0
32.	दमन व दीव	320	731	228.44	150	611	407.33	150	244	162.7
	योग :	1,900,000	1,249,139	65.74	1,270,000	1,389,695	109.42	1,363,500	1,454,952	106.7

केरल में नवोदय विद्यालय

5627. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टाक्कारा, कोलम जिले में नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवोदय विद्यालय भवन के निर्माण में कोई समस्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 30 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इसके स्थान पर जिला प्रशासन ने नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन कोट्टाक्कारा, जिला कोलम, केरल में सौंपी है। चूंकि नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय संस्थान हैं अतः 10 एकड़ जमीन के अन्दर सभी भवनों और सुविधाओं को उपयुक्त रूप से तैयार करना कठिन होगा।

सशस्त्र बलों में कैरियर

5628. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में कैरियर के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा किये गये एक अध्ययन में इस स्थिति से निदान की सिफारिश की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों में कैरियर के अवसरों की समीक्षा के लिए कोई आयोग गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) यह बात केवल इस हद तक सही है कि नौकरियों की तलाश कर रहे व्यक्तियों के लिए आज अन्य विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ बेहतर वेतन और सेवा-शर्तों वाले हैं।

(ख) सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

"कच्चे नारियल पानी के परिरक्षण हेतु रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला को प्रौद्योगिकी"

5629. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर ने कच्चे नारियल पानी के परिरक्षण हेतु कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या नारियल विकास बोर्ड ने उक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कोई सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के पास इस प्रौद्योगिकी को निजी खाद्य कैनिंग एककों, विशेष रूप से निर्यातकों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से अनुमानतः कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नारियल विकास बोर्ड ने लगभग 2.80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से इस प्रौद्योगिकी का विकास प्रायोजित किया था।

(घ) और (ङ) रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर की योजना इस प्रौद्योगिकी को अनेकांतिक आधार पर निजी उद्योग को अंतरित करने की है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई को प्रौद्योगिकी का अंतरण किए जाने से 3.00 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा जो नारियल विकास बोर्ड और रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।

मलेरिया

5630. श्री आई०डी० स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को मेवात क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और कितनी सहायता प्रदान की गयी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार का इस संबंध में अब क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) हरियाणा के गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में 23 नवम्बर, 1996 को दौरे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि मलेरिया को रोकने के लिए इस क्षेत्र को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावित ब्लाकों और कवर की जाने वाली आबादी में व्याप्त स्थितियों के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार राज्य को कीटनाशक, माइक्रोस्कोप, फॉगिंग मशीन और सामान्य औषधियां प्रदान की गई हैं अथवा आपूर्ति की प्रक्रिया में है। इसमें आयरन टेबलट्स और जीपें और ट्रक भी शामिल हैं जिनकी लागत लगभग 3.54 करोड़ रुपए है।

इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए विशेष औषधियां, क्षय रोग रोधी औषधियां भी मंजूर की गई हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

एड्स

5631. श्री मंगत राम शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ "ब्लड बैंकों" द्वारा दिए गए रक्त के कारण एड्स होने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाए किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) (1) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार रक्त और रक्त उत्पादों के आधान द्वारा एच०आई०वी० संचरण 6-8 प्रतिशत तक के बीच है।

(2) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/निमयों में ह्यूमेन इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस के लिए रक्त के अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था है।

(3) सरकारी, स्वैच्छिक और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित रक्त बैंकों को प्रदान किए गए सम्पर्कों की सुविधा सहित 154 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों के रूप में एच०आई०वी० परीक्षण सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना की गई है।

(4) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का रक्त निरापदता संघटक, जिसका इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है, 815 रक्त बैंकों और 40 रक्त संघटक पृथक्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए नकद और सामग्रीगत सहायता के रूप में सहायता प्रदान करता है।

(5) स्वैच्छिक रक्त दान कार्यक्रम का विस्तार।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5632. श्री श्याम लाल बंशीवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिहवन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) 1997-98 के दौरान राजस्थान के लिए 14 सड़क कार्यों (अनुमानित लागत 20.00 करोड़ रु०) और 7 पुल कार्यों (अनुमानित लागत 12.00 करोड़ रु०) को स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण जलापूर्ति

5633. श्री चिन्तामन वानगा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तथा वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 4215 करोड़ रुपए तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5288.75 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया था।

(ख) और (ग) उपयोग न की गई राशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निम्नलिखित तारीख तक उपयोग न की गई राशि				
		1.4.92	1.4.93	1.4.94	1.4.95	1.4.96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	0.000	500.000	1079.000	1432.260
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.000	0.000	228.440	128.150	529.450
3.	असम	12.000	620.000	328.930	304.930	704.930
4.	बिहार	1728.000	643.770	3278.030	2242.260	3297.890
5.	गोवा	0.000	0.000	6.990	0.000	170.000
6.	गुजरात	206.000	47.980	1145.580	0.000	759.490
7.	हरियाणा	395.700	134.900	384.140	317.650	653.000
8.	हिमाचल प्रदेश	7.000	7.070	269.330	176.480	115.880
9.	जम्मू व कश्मीर	1.600	1970.680	990.920	689.450	483.510
10.	कर्नाटक	723.000	23.320	23.290	363.900	1028.670
11.	केरल	0.000	55.550	866.070	1512.080	1247.760
12.	मध्य प्रदेश	90.000	21.460	151.600	239.120	841.350
13.	महाराष्ट्र	1814.000	1265.820	2379.730	2618.320	0.000
14.	मणिपुर	77.000	155.420	158.830	99.070	169.480
15.	मेघालय	50.000	201.320	388.200	431.710	40.910
16.	मिजोरम	79.000	5.390	5.390	1.420	32.710
17.	नागालैंड	297.400	358.860	656.990	633.320	664.270
18.	उड़ीसा	237.00	56.570	254.090	54.090	182.570
19.	पंजाब	0.000	81.930	0.000	0.000	259.720
20.	राजस्थान	0.000	29.000	685.140	781.760	313.220
21.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.890
22.	तमिलनाडु	0.000	0.000	379.250	342.180	1713.430

1	2	3	4	5	6	7
23.	त्रिपुरा	134.000	201.840	103.450	223.700	0.000
24.	उत्तर प्रदेश	460.000	61.000	1462.000	2672.040	390.270
25.	पश्चिम बंगाल	237.000	354.670	1272.280	190.590	190.970
	कुल	6570.700	6496.550	15918.610	15101.220	15222.630

[हिन्दी]

आधुनिक द्विभाषी उपकरण

5634. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अधिष्ठापित रोमन लिपि के दर्जनों आधुनिक उपकरणों, जैसे कि कम्प्यूटरों, टैलेक्सों, टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय की बजट परियोजनाओं पर चर्चा तथा टिप्पण लेखन, आदि अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषी राज्यों को अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा होते हुये भी अपनी बजट परियोजनाएं अंग्रेजी भाषा में भेजने हेतु बाध्य होना पड़ता है; जिसके कारण विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभापति और सदस्य, जिन्हें मंत्रालय ने सभी स्तरों पर हिन्दी के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, अपने शासकीय कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग नहीं करते, यदि हां, तो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन किस प्रकार दिया जायेगा, और

(ङ) उनके मंत्रालय में, जहां शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में होना चाहिये, क्योंकि यह "ए" क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के क्या कारण हैं और उनके मंत्रालय में अंग्रेजी में कार्य कब तक होता रहेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध अनेक आधुनिक उपकरणों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है और उनका हिन्दी में कार्य करने हेतु उपयोग भी किया जा रहा है। मौजूदा कम्प्यूटरों को द्विभाषी बनाने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त सॉफ्टवेयर भी खरीदे जाते हैं। मंत्रालय के लगभग 90% इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों में पहले ही देवनागरी तथा रोमन लिपियों में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) मंत्रालय में बजट संबंधी मामलों पर चर्चा तथा टिप्पण-लेखन, आदि हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों में किए जाते हैं। बजट संबंधी आवश्यक दस्तावेज, भी द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। रक्षा बजट का संबंध मुख्यतः केन्द्रीय बजट से होता है और इसके लिए राज्यों से कोई सामग्री इत्यादि प्राप्त नहीं करनी होती।

(घ) मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण अपने रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

(ङ) इस मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर स्टाफ को हिन्दी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्तरों पर भर्ती करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि इसमें अहिन्दी-भाषी राज्यों से भी बड़ी संख्या में कार्मिक भर्ती होते हैं, इसलिए ऐसे कार्मिकों को हिन्दी सीखने तथा हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने तक की अवधि के दौरान, उन्हें अंग्रेजी में काम करने की कुछ छूट दी जानी आवश्यक होती है।

[अनुवाद]

सैन्य अधिकारियों द्वारा जासूसी गतिविधियां

5635. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल तथा खुफिया एजेंसियों द्वारा हाल ही में राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर एक जासूसी कांड का पता लगाया गया है जिसमें भारतीय थल सेना का एक अधिकारी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कराई गई जांच का कोई निष्कर्ष, यदि कोई हो, क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) जैसलमेर में जासूसी किए जाने के मामले का पता चलने पर, जिसमें रक्षा संबंधी दस्तावेज पाकिस्तानी नागरिक को सौंपे जा रहे थे,

12/13 मार्च, 1997 की रात को भारत-पाक सीमा पर सेना का एक नायक (अफसर नहीं) और पाकिस्तामी नागरिक सहित पांच संदिग्ध सिविलियन गिरफ्तार किए गए हैं।

अगली छानबीन चल रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पेयजल

5636. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 तथा 1995-96 के अन्त तक इन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई थी;

(घ) इस पेयजल आपूर्ति संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत जल के उपभोक्ताओं को जल स्त्रोत से कितनी अधिकतम और न्यूनतम दूरी तय करनी पड़नी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पेयजल की समस्या दूर करने हेतु क्या अन्तिम लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97 फरवरी 97 तक) के दौरान 103711 कवर न की गई (एन०सी०) और 208925 "आंशिक रूप से कवर की गई (पी०सी०) बसावटों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी"।

(घ) मानदंडों के अनुसार, स्वच्छ पेयजल स्रोत मैदानी क्षेत्रों में 1.6 कि०मी० और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ) 2000 ई० तक सभी बसावटों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.1991 तक समस्याग्रस्त गावों की संख्या	31.3.1997 तक कवर न की गई बसावटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	880
3.	असम	88	11560
4.	बिहार	7	8374
5.	गोआ	0	50
6.	गुजरात	52	717
7.	हरियाणा प्रदेश	75	0
8.	हिमाचल प्रदेश	797	5086
9.	जम्मू व कश्मीर	662	743
10.	कर्नाटक	0	4200
11.	केरल	0	863
12.	मध्य प्रदेश	83	5724
13.	महाराष्ट्र	42	22
14.	मणीपुर	0	391
15.	मेघालय	1015	860
16.	मिजोरम	0	12
17.	नागालैंड	19	354
18.	उड़ीसा	1101	7417
19.	पंजाब	784	5403
20.	राजस्थान	199	11597
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	0	154
23.	त्रिपुरा	10	232
24.	उत्तर प्रदेश	449	9295
25.	पश्चिम बंगाल	0	0

1	2	3	4
26.	अ० नि० द्वीप समूह	0	11
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दादर नगर हवेली	0	128
29.	दमन व द्वीव	0	0
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	5323*	74073**

* 1985 के सर्वेक्षण में 161722 समस्याग्रस्त गांवों में से पता लगाए गए गांव।

** 1994 अभिपुष्ट सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई कवर न की गई बसावटों के कवरेज पर आधारित।

जलमार्गों का विस्तार

5537. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जलमार्गों के विस्तार की कोई नई योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) य योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जलमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। आई०डब्ल्यू०टी० सैक्टर के लिए कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं जिसमें चालू स्कीमें और नई स्कीमें भी शामिल हैं। निम्नलिखित जलमार्गों को तकनीकी-आर्थिक साध्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(i) सुन्दरबन

(ii) गोदावरी

(iii) डी०वी०सी० नहर

(iv) महानदी

(v) गोवा में मान्डोयी, जुआरी नदी और कुम्बरजुआ नहर

(vi) नर्मदा

(vii) बराक

(viii) पूर्वी तटीय नहर

(ix) काकीनाडा-मद्रास नहर

फिलहाल इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

एड्स के लिए विश्व बैंक की सहायता

5538. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री एल० रमना :
डा०वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री विजय गोयल :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्री भक्त चरण दास :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री वी०वी० राघवन :
श्री बी०एल० शंकर :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घातक एड्स और एच०आई०वी० संक्रमित रोगों के मामलों में गंभीर रूप से वृद्धि हो रही है और विचारित एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गयी 100 मिलियन रु० की आधी राशि ही पांच वर्षों की अवधि के अंत तक खर्च की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता धनराशि का इतना कम उपयोग किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं और विचारित योजना का स्पष्ट ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कहां तक लागू नहीं हो पायी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ख) 1986 में केवल 18 एच०आई०वी० पाजिटिव मामलों की सूचना दी गई थी जबकि 31 मार्च, 1997 तक 52,802 एच०आई०वी० पाजिटिव मामलों की सूचना दी गई है। अब सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एच०आई०वी०/एड्स मामलों की सूचना दी गई है।

भारत में एच०आई०वी०/एड्स के निवारण और नियंत्रण की एक व्यापक योजना 84 मिलियन अमेरिकी डालर के विश्व बैंक के ऋण से सितम्बर, 1992 में शुरू की गई थी अनुमोदित योजना में 1992-97 की अवधि के लिए 222.6 करोड़ रुपये का व्यय शामिल था। इस अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर वास्तविक व्यय 275.22 करोड़ रुपये है।

इस ऋण के एक भाग के समुपयोजन न होने के प्रमुख कारण हैं, भारतीय रुपये के मूल्य की तुलना में अमेरिकी डालर के मूल्य में वृद्धि होना तथा केवल 84 प्रतिशत वास्तविक व्यय विश्व बैंक के ऋण करार के अंतर्गत संवितरण के लिए पात्र होना। इस कार्यक्रम को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और आगे तेज किए जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में बालिका शिशुओं की मृत्यु

5639. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक जागरण तथा अन्य समाचार पत्रों में "एक शर्मनाक कुरीति" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में प्रत्येक वर्ष 15 लाख बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस बुराई पर नियंत्रण हेतु क्या विधायी तथा अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार के अधिकारियों की बैठक

5640. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में 24 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में बिहार में बाढ, भू-क्षरण तथा जल संसाधनों के विकास के संबंध में कोई बैठक हुई थी जिसमें बिहार सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया तथा उक्त निर्णय को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) बैठक में विचार-विमर्श किए गए मामले और की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्न प्रकार है;

(i) नैपाल और भारत के विशेषज्ञों के दल की जनवरी, 1997 में हुई संयुक्त बैठक में, दोनों पक्षों ने सप्त कोसी उच्च बांध के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु अपेक्षित कार्य की जांच करने तथा उसका मूल्यांकन करने पर सहमति व्यक्त की।

यह मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

(ii) बिहार सरकार, बिहार भूभाग में प्रतिसुरक्षात्मक उपाय शुरू करने के लिए अपने अनुमान पुनः प्रस्तुत करेगी जो कि नेपाल भूभाग में, लालबकिया तटबंध के प्रस्तावित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों के साथ विधिवत रूप से अनुपालना करते हुए संशोधित अनुमान की बिहार से प्रतीक्षा है।

(iii) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मधुरापुर-महन्द्रपुर क्षेत्र में कटाव समस्या रोकने की योजना मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति के पुनर्विचार के लिए पुनः प्रस्तुत की जाएगी।

बिहार सरकार द्वारा इस मामले में अभी आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

(iv) नेपाल में कोसी बाढ़, सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण से संबंधित वर्ष 1996-97 के लिए बिहार के प्रतिपूर्ति दावों को पहले जारी किया जा सकता था।

बिहार सरकार को फरवरी, 1997 में 69.78 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है।

(v) "टोपरा-चौकिया-पहाड़पुर तटबंध पर स्लूइस द्वारा के निर्माण के लिए, जल निकास योजना, बाढ़ प्रूफिंग संबंधी संचालन समिति के विचार-विमर्श के लिए बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शामिल करने के वास्ते प्रस्तुत की जाएगी।

संचालन समिति की फरवरी, 1997 को हुई बैठक में, बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को शामिल करने के लिए अनुमोदन किया गया है।

(vi) सोनपुर-छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर झावा ग्राम के निकट गंगा नदी द्वारा कटाव की समस्या के लिए नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जा सकता है बशर्ते योजना आयोग इस योजना के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित कर दें।

नौवीं योजना के प्रस्तावों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(vii) पिपरासी-पिपरा घाट तटबंध (बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच) तथा महानंदा तटबंध (बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच) की लागत को बांटने के मामले पर गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित करने की पहल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कर रहा है।

(viii) दामोदार घाटी परियोजना से संबंधित विवादों सहित अंतर-राज्यीय विवादों पर आगामी अंतर-राज्यीय बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

कार्रवाई आरंभ की जा रही है।

(ix) विभिन्न स्थानों पर गंगा के जल की उपलब्धता पर बिहार सिंचाई आयोग की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाएगी।

ये अध्ययन आरंभ किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

टी-72 टैंक

5641. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में करोड़ों रुपये की सामग्री और मशीन/संयंत्र अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या रख-रखाव में उपयोग में लाई जाने वाली मदें अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लगभग 55 करोड़ रु० की लागत की कई मदों का विगत, तीन वर्षों में केवल एक बार उपयोग किया गया है और क्या एक रोफोटिक वेल्डिंग मशीन तथा पेंटिंग संयंत्र जिनकी लागत क्रमशः लगभग 65 लाख और 1.8 करोड़ रु० है, का कभी उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अप्रयुक्त पड़ी सामग्री/मशीनों का उपयोग करने हेतु उपाय करने का है जिससे टी-72 टैंक की लागत कम की जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ङ) टी-72 टैंकों का उत्पादन निवेशों (इनपुट) और अधिष्ठापित सुविधओं का उपयोग करके नियमित आधार पर किया जाता है। टैंकों के पहले के रूपांतर बनाने के वास्ते खरीदे गए कुछ संघटकों का उपयोग किए जाने की जरूरत है। पिछले तीन वर्षों से स्टाक में पड़े लगभग 27 करोड़ रुपए के मूल्य की इस सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

उपभोज्य सामग्री को संक्रियात्मक रख-रखाव के लिए विधिवत् उपयोग में लाया जाता है। अप्रत्याशित खराबी से निबटने के लिए महत्वपूर्ण मदों को सुरक्षा के रूप में आरक्षित रखने की जरूरत होती है ताकि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आकस्मिकताओं का सामना किया जा सके। निवेश (इनपुट) सामग्री की विशेषताओं में परिवर्तन होने से रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के प्रयोग में अवरोध आया है। मशीन की प्रणालियों का पुनः समायोजन किया जा रहा है। पेंटिंग संयंत्र का आंशिक रूप से और लोड के संबंध में उपयोग किया जाता है।

कलकत्ता को जोड़ने हेतु बरास्ता ब्रह्मपुत्र नौपरिवहन मार्ग

5642. श्री नुरुल इस्लाम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता को विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेषरूप से असम से जोड़ने हेतु बरास्ता ब्रह्मपुत्र नदी कोई नौपरिवहन मार्ग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी से सदिया तक 891 कि०मी० लम्बे खंड को सितम्बर, 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के रूप में घोषित किया गया था। इस नौचालन मार्ग के विकास और रख-रखाव के लिए वर्ष-दर वर्ष आधार पर बंडालिंग, चैनल मार्किंग जैसे नदी सफाई कार्य किए जाते हैं। धुबरी, जोगीघोपा और पान्डू में फ्लोटिंग टर्मिनल हैं। धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, नीमाती और डिबरूगढ़ में अतिरिक्त फ्लोटिंग टर्मिनलों के लिए संस्वीकृति एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जलमार्ग में धुबरी से नीमाती तक 45 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर एल०ए०डी० बरकरार रखी जा रही है। कलकत्ता और पान्डू के बीच आई०डब्ल्यू०टी० (अन्तर्देशीय जल परिवहन) नियमित रूप से कार्गो सेवा का प्रचालन कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में भूतपूर्व सैनिक

5643. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें सेवा से अवकाश लेने के पश्चात् कोई रोजगार नहीं मिला है; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें पुनर्वासित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार 26,142 भूतपूर्व सैनिक रोजगार पाने के लिए केरल के जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत थे।

(ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व राष्ट्रीयकृत बैंकों में पदों का आरक्षण तथा नियुक्ति के लिए

निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देना शामिल है। केरल की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर और सैनिक कल्याण विभागों में एक मात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही रिक्त पद आरक्षित कर रखे हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए तरह-तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उनकी रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाई जा सके। स्व-रोजगार उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पत्तन सुविधाएं

5644. श्री सनत मेहता : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विभिन्न पत्तनों द्वारा निर्यात की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) किन-किन पत्तनों पर अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया गया है तथा कार्य आरंभ किया गया है; और

(ग) किन-किन वस्तुओं के लिए अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं का सृजन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) देश में आयात/निर्यात कार्गो की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नौवीं योजना (1997-2002) में पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए 8011 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना (1992-97) में विभिन्न महापत्तनों पर विभिन्न जिन्सों की हैंडलिंग के लिए अतिरिक्त सुविधाएं सृजित की गई हैं, जैसे कलकत्ता और कोचीन में कंटेनर, कोचीन में पी०ओ०एल० और मुरगांव, पारादीप, नवमंगलूर, विशाखापत्तनम और हल्दिया में सामान्य कार्गो।

[हिन्दी]

अर्जुन तथा पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण

5645. श्री विनय कटियार :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री विजय गोयल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्जुन तथा पृथ्वी मिसाइल का कितनी बार परीक्षण किया गया;

(ख) क्या इन मिसाइलों का प्रक्षेपण रोकने के लिए सरकार पर कोई दबाव डाला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस तरह के दबावों के बावजूद सरकार मिसाइलों का परीक्षण जारी रखेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक है। व्यापक प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद "अर्जुन" को सेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अब यह उत्पादन चरण में है।

पिछले तीन वर्षों में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सात उड़ान परीक्षण किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के 150 कि०मी० वाले रूपांतरण के विकासात्मक और प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

साथ ही वायुसेना के लिए 250 कि०मी० वाले रूपातंरण के वास्ते विकासात्मक उड़ान परीक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं और इसके प्रयोक्ता परीक्षण शीघ्र ही किए जाएंगे।

[अनुवाद]

डिग्री की मान्यता समाप्त करना

5646. श्री अनिल कुमार :
श्री लाल बाबू प्रसाद यादव :
श्री भक्त चरण दास :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने सिफारिश की है कि पूर्व के सोवियत संघ के चिकित्सा संस्थानों की डिग्री की मान्यता 1997 के बाद समाप्त कर दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोवित संघ के 1990 में बिखरने के बाद उन्हें मिली स्वायतता के कारण पूर्व सोवियत संघ की चिकित्सा संस्थाओं की नये सिरे से जांच आवश्यक है;

(घ) इस निर्णय के कारण कितने भारतीय प्रभावित होंगे, और

(ङ) इस निर्णय की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी हां।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जनरल बाडी ने 25.8.94 को हुई अपनी बैठक में पूर्व यू०एस०एस०आर० में संस्थाओं की परिवर्तित स्थिति तथा छात्रों को चिकित्सा शिक्षा तथा इन्टर्नशिप प्रदान करने के लिए

अपनाए जा रहे मानदंडों पर विचार किया तथा 31.12.97 तक पूर्व यू०एस०एस०आर० की 29 संस्थाओं द्वारा दी गई "एम०डी०चिकित्सा" की चिकित्सा अर्हता की मान्यता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सिफारिश की है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि उक्त संस्थान को पुनः मान्यता देने पर विचार करने के लिए सभी चिकित्सा संस्थाओं, जिन्होंने स्वायत्त स्थिति प्राप्त कर ली है, की नई सिरे से जांच की जाए।

(घ) और (ङ) पूर्ण यू०एस०एस०आर० में 29 संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई एम०डी० (चिकित्सक) डिग्री की मान्यता को सीमित करने वाली अधिसूचना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभी जारी नहीं की गई है।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम

5647. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में छायादार हरित पट्टी तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "केजरी" जोधपुर ने यह सिद्ध किया है कि सड़क के किनारे के वृक्षारोपण और छायादार हरित पट्टी तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है और रेगिस्तान में इन कार्यों को करने से मुख्य सड़कों की ओर रेगिस्तान के बढ़ने से रोका जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसे कार्यों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छायादार हरित पट्टी का प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान में मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत "वनरोपण और चरागाह विकास" की प्रमुख क्षेत्र गतिविधि के रूप में छायादार हरित पट्टी और सड़क के किनारे वृक्षारोपण के कार्य शुरू किए गए थे।

(ग) और (घ) काजरी, जोधपुर ने रेत के टीलों के विस्तार को रोकने के लिए उपयोगी तकनीकों के रूप में सड़क के किनारे वृक्षारोपण और छायादार हरित पट्टी की सिफारिश की है।

(ङ) और (च) छायादार हरित पट्टी और सड़क के किनारे वृक्षारोपण को मरूभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वाटरशेड विकास के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजना के एक अभिन्न अंग के रूप में पहले से ही अनुमति दी गई है। तथापि, वाटरशेड परियोजना क्षेत्र के बाहर इन गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव से यह मंत्रालय सहमत नहीं हुआ।

बाढ़ के पानी का अन्यत्र उपयोग

5648. श्री पंकज चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समयबद्ध तरीके से गंगा के बाढ के पानी को राजस्थान को देने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया था;

(ख) क्या उक्त अध्ययन पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हरिद्वार और बिजनौर के समीप राजस्थान में उपयोग करने के लिए गंगा के बाढ़ के पानी को राजस्थान की ओर मोड़ने संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि राजस्थान को पानी ले जाने के लिए इन दोनों स्थानों के समीप गंगा में वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता है। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ऐसी अल्पावधि के लिए 100 कि०मी० से अधिक लम्बाई वाली प्रस्तावित बड़े आकार को डायवर्जन नहरों से हानि होगी तथा उनके रखरखाव में बहुत खर्च आने की संभावना है जिसके कारण इस प्रकार का प्रस्ताव बहुत महंगा सिद्ध होगा।

(घ) राजस्थान के पुनः अनुरोध करने पर, केन्द्रीय जल आयोग ने अध्यन की समीक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन के मामले

5649. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे समय से मंत्रालय के पास असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन के मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/प्रस्तावित हैं, और

(घ) इन मामलों का निपटान कब तक कर लिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसे लगभग 934 मामले लंबित हैं जिनमें परिवार पेंशन, सेवा पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, पेंशन संबंधी समानुपाती लाभ आदि के मामले शामिल हैं। इन मामलों का अंतिम रूप से निपटान विभिन्न सरकारी आदेशों और विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अनुपालन के लिए निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। ये मामले पेंशन संबंधी कागजातों के प्रस्तुत करने में हुए विलंब, नामितियों संबंधी विवाद और अपेक्षित दस्तावेजों की अनुपलब्धता की बजह से लंबित पड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) उक्त व्यवधानों के बावजूद पेंशन मामलों को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिए जाने का कार्य सुनिश्चित करने के वास्ते सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन मामलों का त्वरित रूप से निपटान करने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से मुख्य नियंत्रण रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद में भी तैनात किया जाता है। संबंधित व्यक्ति/संगठन द्वारा अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध करवाते ही इन मामलों पर तत्काल निर्णय दे दिया जाता है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे

5650. चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के बाद मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रशिक्षण देने और मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों, सजा काट चुके अपराधियों, बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों, रोगमुक्त हुए मरीजों, असहाय बालिकाओं, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और बेरोजगार युवाओं की स्थिति में सुधार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में मंत्रालय का क्या भूमिका रही और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के बाद इस पर अब तक राज्यवार और वर्षवार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में व्यय किया जाता है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग, युवाओं सहित गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण युवाओं की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। कतिपय उपेक्षित वर्गों को शमिल करने के लिए उचित सुरक्षा उपाए किए गए है। तदनुसार कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 50% युवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में से लिए जाने चाहिए। महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थियों को क्रमशः 40% और 3% लाभ दिए जाते हैं। ट्राइसेम के अंतर्गत मुक्त बंधुआ मजदूरों, अपराधी जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली हो, बड़ी परियोनाओं के कारण विस्थापित लोगों रोगमुक्त रोगियों, असहाय लड़कियों, विधवाओं आदि के लिए कोई आरक्षण निर्धारित नहीं है, तथापि, ट्राइसेम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विधवाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों, मैला ढ़ोने वालों, मुक्त अभियुक्तों, बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों और रोगमुक्त कोढ़ियों के लिए 35 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा में छूट देकर उसे 45 वर्ष कर दिया गया है। मुक्त बंधुआ मजदूरों सजा पूरी करने वाले अभियुक्तों, विधवाओं, रोगमुक्त रोगियों की कवरेज का ट्राइसेम के अंतर्गत निगरानी नहीं की जाती है। तथापि, 1996-97 (फरवरी 1997 तक) के दौरान कुल प्रशिक्षित युवाओं, शामिल किए गए अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) ट्राइसेम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 (फरवरी 97 तक) के दौरान निधियों के राज्यवार उपयोग को दर्शाने वाले संलग्न विवरण में आवर्ती खर्च को कॉलम 5 में दर्शाया गया है।

(ङ) ट्राइसेम केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना है जिसका खर्च केन्द्र और राज्य द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है।

विवरण

1996-97 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

संख्या में

क्रम सं०	राज्य	कुल प्रशिक्षित युवा	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	प्रशिक्षित विकलांग युवाओं की संख्या	महिलाएं	उपयोग (लाख रुपए में)
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	67530	26322	1094	44426	1318.350
2.	अरुणाचल प्रदेश	410	410		272	14.500

1		2	3	4	5	6
3.	असम	1674	362	5	866	89.240
4.	बिहार	30613	12685	59	15119	803.470
5.	गोआ	3826	15	13	2450	52.570
6.	गुजरात	5751	2927	12	2766	210.300
7.	हरियाणा	2801	1488	33	1669	105.700
8.	हिमाचल प्रदेश	585	194		276	13.847
9.	जम्मू व कश्मीर	1416	264			90.000
10.	कर्नाटक	4819	1698	80	2380	425.090
11.	केरल	4160	1757	20	2521	100.000
12.	मध्य प्रदेश	28905	13183	43	7495	895.710
13.	महाराष्ट्र	15312	6269	46	3680	618.040
14.	मणीपुर	220	119		98	4.264
15.	मेघालय	310	310	1	163	20.720
16.	मिजोरम					7.832
17.	नागालैंड	486	486	2	313	15.050
18.	उड़ीसा	13138	6373	19	6250	438.560
19.	पंजाब	1125	649	12	606	31.515
20.	राजस्थान	2798	1509	4	1520	167.760
21.	सिक्किम	288	57		204	7.430
22.	तमिलनाडु	4787	2384	101	2982	371.400
23.	त्रिपुरा	1723	901	1	1000	20.310
24.	उत्तर प्रदेश	50440	27363	163	36137	1304.840
25.	पश्चिम बंगाल	19326	5509	86	9681	527.850
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	320	73		163	5.690
27.	दमन व द्वीव	75	13		62	2.427
28.	दादर नगर हवेली	12	12		2	1.070
29.	लक्षद्वीप	12	12		2	2.170
30.	पांडिचेरी					6.660
	योग	262862	113344	1784	143103	7672.43

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा और पैरा मेडिकल प्रशिक्षण

5651. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की चिकित्सा शिक्षा और पैरा चिकित्सा प्रशिक्षण प्रणाली में विकास किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के लिए क्या नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जहां चिकित्सकों की कमी है और स्वास्थ्य सुरक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दन्त्य परिषद, भारतीय भारतीय फार्मेसी परिषद और भारतीय परिचर्या परिषद जैसी व्यावसायिक परिषदें शिक्षण संस्थाओं के आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से देश में चिकित्सा तथा पराचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक के अनुरक्षण को सुनिश्चित करती है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.6.1996 को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 26930 डाक्टर कार्य कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियां भरने के लिए डाक्टरों के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रित भर्ती नीति शुरू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में से दो से तीन वर्ष तक सेवा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित करने पर विचार करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सुझाव दिया है।

सी बर्ड नेवल बेस

5652. श्री अनंत कुमार :
श्री एस० बंगारप्पा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कर्नाटक में करवार में प्रस्तावित "सी बर्ड नेवल बेस" की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) मूल योजना के अनुसार यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) अभी कितना कार्य पूरा हो गया है और क्या यह कार्य अपने निर्धारित समय से विलम्ब से हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ङ) परियोजना "सी-बर्ड" का पहला चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना है। कारवाड़ में "सी-बर्ड" नौसेना बेस के लिए अपेक्षित अधिकांश जमीन का अर्जन किया जा चुका है और शेष जमीन के अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। सिविल कार्यों के वास्ते निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए कुल 1294.41 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई हैं।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण खेल-कूद

5653. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने तथा स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई धनराशि जारी की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गयी है तथा स्थानवार कितने स्टेडियमों के लिए यह राशि जारी की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० धनुष्कोडी आदित्यन) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग की ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत, वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान गैर-उपभोज्य उपस्करों की खरीद तथा आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के खेल मैदानों के विकास के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1994-95	9,91,533/-रुपये (10 स्कूल)
1995-96	3,51,499/- रुपये (4 स्कूल)
1996-97	3,81,173/-रुपये (4 स्कूल)

इसके अलावा, विभाग की खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में स्थानवार स्टेडियमों के निर्माण हेतु जारी की गई धनराशि निम्नलिखित है :–

	1994-95	शून्य
	1995-96	
1.	गुडीवाड़ा, जिला कृष्ण में खेल परिसर	10,00,000/-रुपये (द्वितीय एवं अंतिम किस्त)
2.	हिंदूपुर, जिला अनंतपुर में इंडोर स्टेडियम	2,50,000/- रुपये (द्वितीय एवं अंतिम किस्त)
	1996-97	शून्य

राम मनोहर लोहिया अस्पताल

5654. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में उसके नर्सिंगहोम और अन्य भवनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि व्यय की गयी;

(ख) नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य किस प्राधिकारी के निर्देशानुसार किया गया;

(ग) क्या अस्पताल के आधुनिकीकरण के नाम पर अस्पताल प्राधिकारियों ने बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा उपचर्या गृह तथा अन्य भवनों के नवीवरण तथा आधुनिकीकरण पर खर्च की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है;

के०लो०नि०वि० (सिविल)	उपचर्या गृह	अन्य भवन
4210 के अन्तर्गत	19,20,827/-रु०	30,77,600/-रु०
2210 के अन्तर्गत	5,17,483/-रु०	54,20,637/-रु०
के०लो०नि०वि० (विद्युत)	शून्य	4,65,959/-रु०

उपर्युकत कार्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

उपचर्यागृह तथा अन्य भवनों के आधुनिकीकरण के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के क्रय कक्ष के माध्यम से जर्मन सहायता के अन्तर्गत खरीदी गई एक अल्ट्रा साउन्ड मशीन तथा कार्डियक मॉनीटर विभिन्न विभागों अर्थात आई०सी०यू०, सी०सी०यू० आदि में आपूर्ति किए गए अन्य उपकरणों के अतिरिक्त और जोड़ दिए गए।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रम शक्ति की कमी

5655. श्री वी०एम० सुधीरन :
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाएं श्रम शक्ति तथा उपस्कर के क्षेत्र में कमी का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) सरकार, सेना के अफसर संवर्ग में अफसरों की कमी और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उपस्करों व शस्त्रास्त्रों को सुदृढ़ बनाने एवं उन्हें आधुनिक बनाने की आवश्यकता के प्रति सजग है।

(ख)(I) अफसरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भाग लिए बिना राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए सीधी भर्ती कमीशन प्राप्त अफसरों और अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों की अधिक संख्या में भर्ती और सेना में असफर के रूप में महिलाओं की भर्ती करना शामिल है। अफसर रैंक से निचले स्तर के कार्मिकों की कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किए जाने की एक नई योजना भी अनुमोदित कर दी गई है। सेना में कैरियर के लाभों का प्रचार करने के लिए मीडिया के माध्यम से एक अभियान की भी शुरुआत की जा रही है।

(II) सरकार हमारी सशस्त्र सेनाओं के शस्त्रास्त्रों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने का कार्य निरंतर करती रहती है ताकि रक्षा तैयारी का अपेक्षित स्तर बनाए रखा जा सके।

सरकारी मेडिकल कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

5656. श्री एस० रामचन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी मेडिकल कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार से चिकित्सा सेवाओं को और आकर्षक बनाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन चिकित्सा कालेजों के शिक्षण संवर्ग पर लागू नहीं किए गए हैं। चिकित्सा कालेजों के शिक्षण संवर्ग में डाक्टरों सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के सेवा मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस संवर्ग में समयबद्ध प्रोन्नतियों की अनुमति दे दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति का गठन

5657. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न मुद्दों का परीक्षण करने हेतु कोई अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों में याचिकायें

5658. श्री पवन दीवान :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मिकों ने उच्च न्यायालय में कितनी याचिकाएं दायर की हैं, और उनमें से कितनी याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन रक्षा कार्मिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक न्याय-अधिकरण की स्थापना करने का है जो सेवा नियम और संस्थानिक तथा "हाउस रिमेडी सिस्टम" के अन्तर्गत दिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह न्याय-अधिकरण कब तक स्थापित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सरकार ने सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के संबंध में सशस्त्र सैन्य प्रशासनिक और सैन्य न्यायालय अधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है। अधिकरण की स्थापना करने के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा तय नहीं की है।

[हिन्दी]

मोनोसोडियम ग्लुटामेट

5659. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में खाद्य पदार्थों और "फास्टफूड" कंपनियों द्वारा मोनोसोडियम ग्लुटामेट जैसे रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से न तो सुरक्षित हैं और न ही समुचित हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 में खाद्य पदार्थों में मोनोसोडियम ग्लुटामेट के उपयोग की अनुमति है बशर्ते कि तैयार भोजन में कुल ग्लुटामेट घटक की मात्रा एक प्रतिशत से अधिक न हो। बारह माह से कम आयु के शिशुओं के आहार में इसके उपयोग की अनुमति नहीं है। खाद्य पदार्थों के पैकेटों के लेवल पर मोनोसोडियम ग्लुटामेट की मात्रा दर्शाई जानी होती है।

एकल ग्रामीण विकास योजना

5660. श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास "योजनाओं द्वारा एकल ग्रामीण विकास योजना तैयार करने का है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो सके और इसकी सही ढंग से निगरानी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) मंत्रालय में इस समय एकल ग्रामीण विकास योजना बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं की निगरानी के लिए निधियों के दुरुपयोग के रोकने के लिए योजनाओं में उपलब्ध कराए गए आवश्यक सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त एक व्यापक प्रणाली विद्यमान है। इसके अलावा, जब कभी केन्द्र के ध्यान में निधियों के दुरुपयोग के मामले लाए जाते हैं तो उनपर उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

5661. श्री वी० प्रदीप देव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भण्डारों से अनाज लाने ले जाने संबंधी धन का कोई प्रावधान न होने के कारण विशेषकर दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को कार्यान्वित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) क्या रसोइयों को धन का भुगतान नहीं किया जाता है और यह कार्य अध्यापकों द्वारा किया जाता है और उन्हें शिक्षण से अधिक समय खाना पकाने और बर्तनों की व्यवस्था करने में खर्च करना पड़ता है;

(ग) क्या इससे बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बच्चों और अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुकी राम सैकिया) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/ग्रामों तक खाद्यन्न ले आने तथा ले जाने के लिए यथा निर्धारित 25/-रु० प्रति क्विंटल की दर से परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पर्वतीय परिवहन की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है; उन राज्यों को खाद्यान्नों की वास्तविक परिवहन लागत का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ख) से (घ) इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाद्यान्नों को पका-पकाया भोजन में परिवर्तित करने संबंधी व्यय, कुकों/हेल्परों का पारिश्रमिक जैसा व्यय ग्रामीण विकास मंत्रालय की गरीबी दूर करने की योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने योग्य है। शिक्षा सचिवों के साथ हुई चर्चा के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे अध्यापकों से यह कहें कि शिक्षकों को अपने अध्यापन में प्राथमिक कर्त्तव्य का ही पालन करना चाहिए न कि स्कूलों में उन्हें भोजन पकाने में अपना समय गवांना चाहिए।

कुछ राज्यों से जो प्रारंभिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखने से यह पता चलता है कि मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों को स्कूलों में आकर्षित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मध्य प्रदेश में पुल

5652. श्री सुंदर लाल पटवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल टूटे;

(ख) उनमें से कितने पुलों की मरम्मत की गई और शेष पुलों की मरम्मत कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) मरम्मत कार्य पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) :

(क)

वर्ष	संख्या
1994-95	1
1995-96	कोई नहीं
1996-97	1

(ख) 1994-95 : रा०रा०-6 पर मेहराबदार पुल (माचा) का एक स्पैन।

1995-96 कोई नहीं।

1996-97 : रा०रा०-12 पर 23/8-10 कि०मी० में नेवाज नदी पर पुल।

(ग) मरम्मत कार्यों पर वर्षवार किया गया व्यय इए प्रकार है:–

1994-95	14.38 लाख रु०
1995-96	कोई व्यय नहीं।
1996-97	39.42 लाख रु०

[हिन्दी]

राजीव गांधी मिशन

5663. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत चलाई जा रही सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इस योजना में मध्य प्रदेश के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे जिलों की संख्या और नाम क्या हैं और 1996 से अब तक जिलावार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है और इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन, पहले की योजनाओं को पूरा करने और नई योजनाओं को शुरू करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) जी हां।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल से सितम्बर, 1996 के दौरान जिलों की संख्या और नाम तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिलावार ब्यौरे की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

(घ) ग्रामीण जल आपूर्ति रोजगार सृजित करने वाला कार्यक्रम नहीं है। और इसलिए मजदूरों को दिए गए रोजगार ब्यौरा केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं०	जिला	वर्ष के दौरान, सितम्बर, 1996 तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गई राशि
1	2	3
1.	भोपाल	28.86
2.	रायसेन	99.60
3.	सेहोर	56.68
4.	राजगढ़	29.39
5.	विदिशा	48.43
6.	बेतूल	22.67
7.	होशंगाबाद	96.26
8.	इंदौर	15.48
9.	खांडवा	17.37
10.	धार	33.59
11.	झाबुआ	28.44
12.	खारगोन	27.83
13.	उज्जैन	53.29
14.	रतलाम	23.51
15.	मन्दसोर	58.58
16.	देवास	29.32
17.	शाजापुर	27.17
18.	ग्वालियर	21.95
19.	दातिया	11.91
20.	गुना	20.65
21.	शिवपुरी	42.09
22.	मुरैना	70.06
23.	भिंड	52.82
24.	सागर	26.65
25.	दामोह	27.31
26.	छत्तरपुर	07.99
27.	पन्ना	25.99
28.	टिकमगढ़	22.42
29.	रीवा	85.17
30.	सतना	49.80
31.	शहडौल	17.56
32.	सिटी	54.66
33.	जबलपुर	139.48
34.	नरसिंहपुर	45.38
35.	बालाघाट	69.42
36.	मांडा	30.03
37.	सेनोई	34.23
38.	छिंदवाड़ा	26.65
39.	रायपुरं	108.49
40.	दुर्ग	23.30
41.	राजनंदगांव	26.88
42.	बिलासपुर	57.87
43.	सरगुजा	35.78
44.	रायगढ़	29.23
45.	बस्तर	69.27
	कुल	1791.71

[अनुवाद]

बर्नूस वार्ड

5664. श्री के०एस० रायुडू :
श्री एस० रमना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "लो प्रायरटी टु बर्नूस वार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मुद्दे के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में बर्नस वार्डों को कम प्राथमिकता दी जा रही है और जले हुए रोगियों के लिए दीवाली के त्योहार के दौरान तैयारी का अभाव था।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में "बर्नस वार्ड" को कम प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सरकार ने वास्तव में सफदरजंग अस्पताल के वर्न्स वार्ड का दर्जा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीदारी को मंजूरी, विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन करने और विभिन्न सिविल/बिजली के कार्यों को मंजूरी, कक्षों का नवीकरण, जल आपूर्ति का माडल दोबारा तैयार तथा उसमें वृद्धि, बर्नस वार्ड की सफाई प्रणाली में सुधार, करना, आई०सी०यू० और आपदा कक्ष तथा बर्नस वार्ड के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में 37 विन्डो टाइप एयर कंडीशनरों की व्यवस्था आदि।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का सवंर्द्धन

5665. श्री अनिल बसु :
श्री बसुदेव आचार्य :
प्रो० जितेन्द्र नाथ दास :
श्री हाराधन राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों को भारतीय चिकित्सा पद्धति के सवंर्द्धन और प्रोत्साहन के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को वे लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार ने देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्द्धन के लिए मार्च, 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक विभाग की स्थापना की है। 8 से 10 जनवरी, 1997 को आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 5वें सम्मेलन, 18 फरवरी, 1997 को आयोजित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का कार्य देखने वाले स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में कार्यान्वयन के लिए विशेष संकल्प अंगीकार किए गए। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारी विभागों के जरिए दोनों सम्मेलनों द्वारा अंगीकार किए गए संकल्पों को कार्यान्वित करने हेतु उपाय कर रहा है। अंगीकृत संकल्पों को एक-एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गई है। उसी की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर समयबद्ध पदोन्नतियों को छोड़कर प्रैक्टिस बंदी भत्ते, स्नातकोत्तर भत्ते, वाहन भत्ते और पुस्तक भत्ते जैसे सभी लाभ एलोपैथिक डाक्टरों को दिए जा रहे लाभों के समान हैं।

(ङ) विभाग ने पहले ही सभी सेवा मामलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों को उनके सदृश पदधारी एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर करने की पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिश की थी। वेतन आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

कार्यकारिणी समूह-I

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में चिकित्सा शिक्षा

1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पं० बंगाल	अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सह-अध्यक्ष
3.	सचिव (स्वास्थ्य), पं० बंगाल	सदस्य
4.	सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश	सदस्य
5.	निदेशक (भा०चि०प० एवं होम्यो०) राजस्थान	सदस्य
6.	निदेशक (भा०चि०प० एवं होम्यो०) आंध्र प्रदेश	सदस्य
7.	वैद्य श्रीराम शर्मा अध्यक्ष, भा०चि०के०प०, मुंबई	सदस्य
8.	डा० एस०पी०एस० बक्शी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली	अध्यक्ष
9.	डा०एस०के० भट्टाचार्य प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	सदस्य

10.	डा०आई० संजीवाराव हैदराबाद	सदस्य
11.	डा० ओ०पी० तिवारी (यो०एवं प्रा०) लोनावाला, महाराष्ट्र	सदस्य
12.	डा० बी० राधा कृष्णन् कनिष्ठ विशेषज्ञ पाण्डिचेरी सरकार	सदस्य
13.	डा० एस०एम० अर्शाद प्राचार्य, यूनानी कालेज मंबई	सदस्य
14.	डा० रवि०एम० नैयर प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम्	सदस्य
15.	डा० एस०के०शर्मा, प्रभारी परामर्शदाता (आयुर्वेद)	संयोजक
16.	डा० एम०एल० शर्मा, उप-परामर्शदाता (आयुर्वेद)	सह-संयोजक
17.	डा० (श्रीमती) आलिया अमान उप-परामर्शदाता (यूनानी)	सह-संयोजक

कार्यकारिणी समूह-I

भा०चि०प० एवं होम्यो० में शिक्षण

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् एवं परिवार कल्याण के दिनांक 8-10 जनवरी, 1997 के संकल्पों को कार्यान्वित करने की कार्य योजना का संकल्प किया गया।

(अ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्य योजना का संकल्प किया गया।

1. **शिक्षण के न्यूनतम मानक के संबंध में**

क. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सी०सी०आई०एम०) तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी०सी०एच०) द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के संबंध में न्यूनतम मानक प्रस्तुत करने (तैयार करने) के लिए परिषद की विभिन्न उप-समितियों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि उसे सारे देश में लागू किया जा सके। राज्य सरकारों की यह राय है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा इस कार्य (गतिविधि) को तीन महीने में पूरा कर लेना चाहिए।

ख. इन न्यूनतम मानकों को चरणबद्ध रूप से नये और पुराने कालेजों में लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को मार्गदर्शी सिद्धांत/कार्य की योजना तैयार करनी चाहिए। यद्यपि छात्रों को प्रथम व्यावसायिक, द्वितीय व्यावसायिक तथा तृतीय व्यावसायिक में भर्ती करते हुए इसके समापन के लिए आवश्यक बाह्य अवसंरचना भी होनी चाहिए ताकि पांचवें वर्ष के अंत में कालेज में न्यूनतम मानकों को प्राप्त किया जा सके।

ग. मानकों के संबंध में चिकित्सा केंद्रीय परिषद केंद्रीय होम्योपैथी परिषद से संस्तुतियां प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार इसे दो माह के भीतर अधिसूचित कर देगी।

घ. 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कालेजों में न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें चरणबद्ध कार्य की योजना तैयार करें विकसित चरणबद्ध रूप सरकारी/अर्थ-सरकारी या निजी निकायों में समान रूप से लागू होंगे जो प्रतिवर्ष मानकों के विकास की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

2. **भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के निम्न-स्तर के कालेजों की स्वयं स्थापना**

क. निम्न-स्तर के कालेजों की स्वयं स्थापना पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् "मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया" के अनुसार परिषद अपने अधिनियम में संशोधन कर मसौदा प्रस्तुत करें। इन संशोधनों में इनका अनुपालन न करने वाले व्यक्ति और/संस्थाओं के लिए दंड (जुर्माना) सम्मिलित होना चाहिए।

ख. नए कालेज खोलने या वर्तमान कालेजों में छात्रों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए राज्य सरकारों की पूर्व अनुमति, संबंधित विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाया जाए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम के संशोधनों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों में दाखिल किए गए छात्रों को निकाल लेने की अनुमति देने के प्रावधान को भी सम्मिलित किया जाए।

ग. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद से इसे प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय सरकार इस संशोधन को एक माह के भीतर अधिसूचित करेगी।

घ. भारत सरकार, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, बोर्ड, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद सभी समन्वय से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं नए कालेजों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जो न्यूनतम मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

च. नए कालेजों को खोलने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं जिसमें छात्रों को पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में प्रवेश देते हुए आवश्यकताओं को स्पष्ट कर दिया जाए। पहले वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने तक दूसरे बैच के छात्रों को अनुमति न दी जाए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् मार्गदर्शी सिद्धांतों को 3 माह के भीतर बना लें। भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिसूचित होने तक किसी भी नए कालेज में छात्रों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।

3. आयुर्वेद यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के कालेजों में अलग से प्रवेश परीक्षा

क. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कालेजों में दाखिला परीक्षा/प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित की जाए। इससे इस पद्धति में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन में मदद मिलेगी। राज्य सरकारें जो योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देती हैं वे वर्तमान कार्यविधि को जारी रखें। आगामी शैक्षिक वर्ष में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों में प्रवेश के लिए यह दोनों एकान्तर (विकल्प) को कार्यान्वित करें।

ख. देश भर में छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी शैक्षिक वर्ष से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आई०पी० जी०टी०आर० तथा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए।

4. स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों के लिए अधिक संसाधनों का विनियोजन

क. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अधिक संसाधनों का विनियोजन करायें।

ख. उचित फीस की संरचना द्वारा रोगियों की सुविधाओं में सुधार कर अस्पताल प्रभार द्वारा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करके स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थान अपने संसाधनों को उत्पन्न करें। इससे संस्थानों में बाह्य अवसंरचना के साथ-साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण के मानक में सुधार होगा।

ग. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के एक निश्चित स्तर तक लाने के लिए कुछ स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार एक उचित योजना तैयार करे। जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातकोत्तर कालेज नहीं है स्नातकोत्तर योजना में उनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रावधान भी बनाया जाए।

5. शिक्षकों, चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सकों, अनुसंधायकों और परा-चिकित्सा व्यक्तियों को पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण

क. सेवारात/अर्ध-सरकारी शिक्षकों, चिकित्सकों तथा निजी व्यावसायी चिकित्सकों के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम वृहद् रूप से आयोजित किए जाएं।

ख. इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारें भी कुछ निधि का आवंटन करें।

ग. राज्य सरकार/संस्थाओं, शिक्षण संस्थान चलाने वालों को प्रशिक्षण के समय अपने स्टाफ को अवकाश/यात्रा-भत्ता आदि देना चाहिए। अनुमति/अवकाश आदि बिना विलम्ब के देना चाहिए।

घ. अपेक्षित सुविधाओं तथा शिक्षण संकाय से युक्त कुछ अच्छे संस्थानों की पहचान की जाए जहां पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाया जाए। कुछ चुने हुए अच्छे संस्थान प्रशिक्षण मापदण्डों को तैयार करें तथा पाठ्यक्रम के घटकों को स्पष्ट करें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएं। इस उद्देश्य के लिए योग्य अभ्यार्थियों को पाने के लिए शिक्षण संस्थानों, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी और व्यावसायिक संघों को प्रशिक्षण अवधि आदि की अनुसूची उचित समय पर पारिचालित करनी चाहिए।

च. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य निधिकरण एजेंसियों से भी निधि प्राप्त करने के लिए संपर्क करना चाहिए।

छ. निदेशकों, उप-निदेशकों, प्रबंधकों, अस्पताल के अधीक्षकों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों के प्रधानाचार्य को उनकी प्रबंधक निपुणता को सुधारने के लिए एक उपयुक्त अवधि का प्रबंध प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को

यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता, सहित कार्यमुक्त करेंगी और भारत सरकार इस योजना को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा निर्धारित पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगी।

ज. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् यह आवश्यक बनाए कि ग्रेडर के स्तर से नीचे के सभी शिक्षक पांच वर्षों में एक बार अपना पुनरभिविन्यास करें। इसे उनके गोपनीय रिकार्ड में एक वृद्धि के रूप में अंकित किया जाए।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की फार्मेसी और नर्सिंग कालेजों को खोलना

क. राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा "फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया" और "नर्सिंग काउंसिल आप इंडिया" से संबंद्ध फार्मेसी तथा नर्सिंग, फार्मेसी में डिप्लोमा आदि के डिग्री स्तर के कालेज अलग से खोले जाएं अन्यथा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

ख. इस संबंध में इन पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रम घटकों को बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, भारत सरकार ने कुछ कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राष्ट्रीय संसाधानों का विकास

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, स्नाताकेत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर आयुर्वेद संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,' यूनानी संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा हमदर्द यूनानी संकाय आदि राष्ट्रीय संस्थानों को देश के शीर्ष संस्थानों के रूप में संशक्त बनाया जाए। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को सशक्त बनाया जाए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान तथा दिल्ली में राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना की जाए।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी कालेजों के शिक्षक

राज्य सरकारों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सामान्य सवंर्ग के चिकित्सकों से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के लिए अलग शिक्षक संवर्ग।

सभी राज्य सरकारें/कालेज चलाने वाली निकाय, शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताओं सहित एक अलग शिक्षक संवर्ग बनायें। संबंधित विषय/संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर योग्यता को ही केवल शिक्षक के रूप में अनुमति दी जाए जिससे शिक्षण के मानक को सुधारने में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के वेतनमान/ पदोन्नति के मार्ग

प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के वेतनमान/पदोन्नति के मार्ग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) के पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर कालेज चलाने वाली राज्य सरकारों/निजी निकायों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) के पैटर्न के अनुसार शिक्षकों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के मार्ग में संशोधन करना चाहिए। शिक्षण अचिकित्सकीय होना चाहिए (अचिकित्सकीय भत्ते सहित)।

10. जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षण संस्थान नहीं हैं, उनके लिए स्थान की व्यवस्था

क. जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीयू आदि संघ शसित क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के संस्थान का प्रावधान नहीं है। उत्तरी-पूर्वी राज्य और जम्मू एवं काश्मीर भी भारतीय औषधियों तथा पारम्परिक लोक प्रचलित औषधियों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। अतः राज्य सरकारें कुछ निधि का आवंटन करें तथा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रायोजित करने की व्यवस्था करें।

ख. जहां पर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमयोपैथी के कालेज नहीं हैं। उन राज्यों के लिए राज्य सरकारें अपने अच्छे कालेजों में कुछ स्थान निर्धारित करें।

11. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की मौलिक संकल्पनाओं का एक दूसरे की पद्धतियों/चिकित्सा विज्ञान में समावेश करना

आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में बहुत-सी समानताएं हैं। इन पद्धतियों की मौलिक धारणाओं को अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के डिग्री पाठ्यक्रमों के घटकों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् यह संभावना है कि आयुर्वेद चिकित्सक यूनानी, सिद्ध, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की प्रसिद्ध एवं कार्यक्षम चिकित्सा पद्धति का भी नुस्खा लिखे और इसके विपरीत क्रम से भी हो सकता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् पाठ्यक्रम घटकों का निर्धारण करते समय इस विषय पर विचार करें।

गलिब-कक्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

कार्यकारिणी समूह-II

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में अनुसंधान और विकास

1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केरल	अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री, मध्य-प्रदेश	सह-अध्यक्ष
3.	सचिव (स्वास्थ्य), केरल	सदस्य
4.	सचिव (स्वास्थ्य), मध्य प्रदेश	सदस्य
5.	निदेश, भा०चि०प० एवं होम्यो० गुजरात	सदस्य
6.	निदेशक, भा०चि०प० एवं होम्यो० हिमाचल प्रदेश	सदस्य
7.	वैद्य बालेन्दु प्रकाश, देहरादून	सदस्य
8.	डा० जयप्रकाश नारायण, बंगलौर	सदस्य
9.	डा० बीन०एन० चक्रवर्ती, हावड़ा, कलकत्ता	सदस्य
10.	डा० वी०टी० औगस्टिन पूर्व परामर्शदाता (होम्यो०), भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
11.	डा० खालिद सिद्दीकी निदेशक, के०यू०अनु०प०	सदस्य
12.	हकीम मोबीन खान, मुंबई	सदस्य
13.	डा०जी० वेलुचामी निदेशक, के०अनु०सं० (सिद्ध) चेन्नई	सदस्य
14.	डा० नरेश कुमार निदेशक, के०यो०प्रा०अनु०प०	सदस्य
15.	डा० एच०आर० नगेन्द्र (योग एवं प्राकृ०) बंगलौर	सदस्य
16.	डा० डी०पी० रस्तोगी निदेशक, के०होम्यो०अनु०प०	संयोजक
17.	डा० ईश्वर दास सहायक परामर्शदाता (होम्यो)	सह-संयोजक

कार्यकारिणी समूह-II

1. यह संकल्प किया गया कि उपलब्धता तथा व्यक्तिगत परियोजनाओं की आवश्यकता, पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अनुसंधान परिषदों जैसे-केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसांन परिषद् तथा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् को समेकित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसे 31.12.1997 से पहले लागू किया जाए।

2. यह संकल्प किया गया कि केंद्रीय अनुसंधान परिषदें राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर अध्ययन और परिवार कल्याण कार्यक्रम को शीघ्र प्रारम्भ करें।

3. यह संकल्प किया गया कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों, जिनके पास आवश्यक बाह्य अवसंरचना सुविधाएं हों, अनुसंधान परिषदों/भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विभागों के माध्यम से समयबद्ध एक्सट्रा मुरल परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास में सम्मिलित किया जाए।

4. संकल्प किया गया कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है :–

   क. औषध प्रमाणीकरण (नैदानिक सत्यापन तथा चिकित्सकीय प्रयोगों के भेषजविज्ञानीय आधार सहित)।

   ख. औषध सुरक्षा, मानकीकरण/भेषज-कोश मानक।

   ग. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान।

   घ. जिन रोगों का आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है उन रोगों पर कार्य।

   च. विभिन्न महामारियों के निवारण एवं उपचार में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की भूमिका।

   छ. स्वास्थ्य-वर्धन तथा निवारक एवं सामाजिक औषधियों से संबंधित अनुसंधान कार्य।

   ज. वाङ्मय अनुसंधान/विशेषकर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की दुर्लभ पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन।

   झ. जन/साधारण/आदिवासी समुदायोन्मुखी औषध पादपों आदि पर अनुसंधान कार्य।

   ट. औषध पादपों का कृषि विज्ञान/कृषि तकनीक

   ठ. औषध पादपों का फार्माकॉगनोसी/फायटो-कैमिस्ट्री

   ज. अच्छे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के रख-रखाव/व्यक्तिविकास पर अनुसंधान।

5. वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कार्य सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान में एकरूपता लाने के लिए औषध जड़ी-बुटियों की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए विश्वस्वास्थ्य संगठन

द्वारा दिए गए अनुसंधान मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान अध्ययन करने की आवश्यकता है।

6. अनुसंधान में व्यस्त सरकारी, गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में समन्वय का विकास करने के लिए उनकी विशेषता, अभिरुचि के क्षेत्र तथा उपलब्धियों सहित एक डायरेक्टरी (निर्देशिका) होनी चाहिए।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक वार्षिक अनुसंधान पुरस्कार होना चाहिए।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

कार्यकारिणी समूह-III

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में औषध मानकीकरण एवं कच्चे माल की उपलब्धता

1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उड़ीसा	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात	सह-अध्यक्ष
3.	सचिव (स्वास्थ्य), तमिलनाडु	सदस्य
4.	सचिव (स्वास्थ्य), गुजरात	सदस्य
5.	निदेशक, भा०वि०प० एवं होम्यो०, मध्य-प्रदेश	सदस्य
6.	निदेशक, भा०वि०प०, केरल	सदस्य
7.	डा० एस०के० मिश्र, दिल्ली	सदस्य
8.	डा० ए० नामजोशी, अध्यक्ष, ए०पी०सी०, मुंबई	सदस्य
9.	डा० खलीफतुल्लाह, अध्यक्ष, यू०पी०सी०, मुंबई	सदस्य
10.	डा० आर० कानन अध्यक्ष, एस०पी०सी०, त्रिची	सदस्य
11.	डा० आर०यू० अहमद निदेशक, पी०एल०आई०एम०	सदस्य
12.	डा० विक्रमादित्य प्रभारी निदेशक, एच०पी०एल०	सदस्य
13.	डा० आर०एल० मदान (होम्यो०), इलाहाबाद	सदस्य
14.	हकीम सैफफुयुद्दीन अहमद मानव परामर्शदाता (यूनानी), भारत सरकार	सदस्य
15.	डा० नयनप्पा, चीफ बाटनिस्ट टैंपकोल, चेन्नई	सदस्य
16.	डा० एल०के० द्विदेवी, प्रबंध निदेशक, आई०एम०पी०सी०एल०	सदस्य
17.	डा० एच०आर० गोयल निदेशक, के०आयु०सि०अनु०प०	संयोजन
18.	डा० एस०पी० सिंह उप-परामर्शदाता (होम्योपैथी)	सह-अध्यक्ष

कार्यकारिणी समूह-III

औषध मानकीकरण एवं कच्चे माल की उपलब्धता पर कार्यकारिणी समूह III की संस्तुति

1. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प :**

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का औषध-कोश तैयार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अनुसंधान संस्थाओं को इस कार्य में परियोजना के आधार पर संबद्ध किया जाना चाहिए इस कार्य को 9वीं योजना के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

संस्तुतियां :

समूह III का यह सुझाव है कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियों के लिए औषध-कोश संबंधी मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है तथा एकौषधि और औषध योगों के अतिरिक्त वर्तमान भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथी प्रयोगशाला को भी सशक्त बनाया जाए। निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के सरकारी अनुसंधान संगठनों/प्रयोगशालाओं तथा उपयुक्त विश्वविद्यालय के विभागों एवं संबद्ध संस्थानों के विभागों संगठनों/प्रयोगशालाओं तथा उपयुक्त विश्वविद्यालय के विभागों एवं सबंद्ध संस्थानों के विभागों (कालेजों) के स्नातकोत्तर निरीक्षकों तथा स्नातकोत्तर के छात्रों को औषध मानक पर कार्य करने के लिए सम्मिलित किया जाए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए औषध एवं श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम में तद्नुसार आवश्यक संशोधन किया जाए।

(1) भेषज संहिता कार्य

कार्यान्वयन :

(I) वैज्ञानिक संस्थानों की पहचान के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

(II) विशुद्ध कच्ची औषधियों के नमूनों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय

आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण एकक।

(III) भारतीय चिकित्सा पद्धति के मानक मिश्रित योगों की आपूर्ति के लिए "आई०एम०पी०सी०एल०," मोहान (उ०प्र०)।

2. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला एवं होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला को पर्याप्त निधि प्रदान कर सशक्त बनाया जाए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद को भवन, संयत्र तथा अतिरिक्त कर्मचारी की सुविधा प्रदान कर उनकी बाह्य अवसंरचना को पूर्ण रूप से सशक्त बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्तमान पदों को भी भरा जाए।

कार्यान्वयन : भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

3. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

राज्य सरकार को उनकी अपनी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करना चाहिए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अलग से क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को पर्याप्त निधि तथा तकनीकी कर्मचारी प्रदान कर उनके विकास के लिए कदम उठाएं।

राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास

वर्तमान भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला के पैटर्न के अनुसार सभी राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के लिए अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करें।

कार्यान्वयन : राज्य सरकार।

4. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक औषध निरीक्षक नियुक्त करने चाहिएं। जिनके पास इन चिकित्सा पद्धति की अर्हताएं हों और उन्होंने प्रशिक्षण लिया हो।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि सभी मुख्य राज्यों में अलग औषध नियंत्रण विभाग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं जिसमें औषध नियंत्रक, उप-औषध नियंत्रक तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारी आदि हों और एक मुख्यालय बनाया जाए जिसमें इस पद्धति की उपयुक्त पृष्ठभूमि (जानकारी) वाले कम से कम एक औषध नियंत्रक नियुक्त किया जाए जो क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किए गए सहायक औषध नियंत्रक के अंतर्गत कार्य करे। छोटे राज्यों में उप-औषध नियंत्रक एवं सहायक औषध नियंत्रक तथा पर्याप्त संख्या में औषध निरीक्षणकों की नियुक्ति की जाए तथा उन्हें राज्यों में वर्तमान औषध नियंत्रकों के साथ लगाया जाए।

समूह ने यह भी संस्तुति की कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के औषध नियंत्रकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के औषध विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय भेषज संहित प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद मे तीन माह की अवधि का क्रैश कोर्स/प्रशिक्षण दिया जाए।

5. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

"भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ" को सुदृढ़ बनाया जाए।

संस्तुतियां

समूह द्वारा यह संस्तुति की गई कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में एक "औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ" हो, जिसका प्रधान, संयुक्त औषध नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) के स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी होने चाहिए :–

1. उप-औषध नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी)
2. सहायक औषध नियंत्रक - 4
   (आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धतियों से एक-एक)
3. औषध निरीक्षक - 3
   (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धतियों से दो-दो)

6. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का संकल्प

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए एक राष्ट्रीय-नीति निरूपण की आवश्यकता।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर एक राष्ट्रीय-नीति का निरूपण एवं प्रकाशन करे, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के औषध निर्माण के उद्योगों के लिए संदर्भ स्रोत के रूप में कार्य करें, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विवरण सहित अपने निर्णय दिए गए हों :

1. स्वास्थ्य रक्षा पद्धति का स्तर एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की भूमिका।
2. मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल।

3. अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए प्रोटोकॉल।

4. उपभोक्ता हित में युक्तिसंगत नीति।

5. औषध पादपों, खनिजों, धातुओं, समुद्री एवं पशु तत्वों आदि के कच्चे माल की उपलब्धता के स्रोत।

6. कच्ची औषधियों का आयात एवं निर्यात।

7. नए अन्वेषणों/भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की नई औषधियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की नई औषधियों के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रावधान।

8. बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट।

कार्यान्वयन : भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

7. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का संकल्प

विभाग "एगमार्क" के पैटर्न के अनुसार एक योजना को आरम्भ करने पर विचार करे। इस उद्देश्य के लिए "आयुष" पर विचार किया जाए। जिन उत्पादनों का कार्यालयीय भेषज संहिता और फार्मुलरी में उल्लिखित तथा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण किया गया हो केवल उन्हीं पर "आयुष" के प्रयोग की अनुमति दी जाए। भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग तथा राज्य सरकार के विद्यमान कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि औषध मानक स्रोतों के बाजार में प्रदर्शन की दृष्टि से औषध/औषध योगों के नाम के बाद औषध मानक के प्रामाणिक स्रोतों का नाम, भेषज संहिता/फार्मुलरी का नाम शब्द संकेत सूची के रूप में इस प्रकार दिया जाए :–

आयुर्वेदिक फार्माकोपिया	=	ए०पी०
आयुर्वेदिक फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	ए०एफ०आई०
सिद्ध फार्माकोपिया	=	एस०पी०
सिद्ध फार्मुलरी ऑर्फ इंडिया	=	एस०एफ०आई०
यूनानी फार्माकोप्पिया	=	यू०पी०
यूनानी फार्मुलरी ऑफ इंडिया	–	यू०पी०आई०
होम्योपैथी फार्माकोपिया	=	एच०पी०
होम्योपैथी फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	एच०एफ०आई०

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का बौद्धिक सम्पदा अधिकार/पेटेंट प्रकोष्ठ

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

कुछ पादप उत्पादनों जैसे – हल्दी पाऊडर, नीम और ब्राह्मी के अपसारण को संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट किया जा रहा हैं पेटेंट के लिए आवेदन का कार्य अत्यधिक तकनीकी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक इस प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। अतः विभाग में एक "पेटेंट प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाए जो इस संदर्भ में देश की सम्पत्ति की देखभाल कर सके।

संस्तुतियां

समूह ने सरकार को संस्तुति की कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत तीन माह के भीतर "पेटेंट प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाए। जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अनेकों औषधियों की सम्पदा को सुव्यवस्थित करने का कार्य सौंपा जाए। इसी बीच भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित औषधियों की चिकित्सकीय सम्पदा की विशुद्धता तथा अब पेटेंट करने वाले देशों द्वारा शोषण को चुनौती देने के लिए भारत सरकार अविलम्ब कदम उठाए।

संकल्प प्रारूप

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी में प्रयुक्त कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय

1. सम्मेलन में संकल्प के द्वारा यह संस्तुति की गई कि केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारें निम्न के लिए शीघ्र कदम उठाएंगी–

   क. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में प्रयुक्त होने वाले औषध पादपों/जानवरों एवं अन्य पदार्थों को सूची-बद्ध करना और उनके मानचित्रण का आवंटन करना।

   ख. औषधीय पदार्थों, सजीव एवं सूखे, उनके जर्म प्लाज्म, लोक साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रह।

   ग. शोषण से सुरक्षा के द्वारा, कृषि द्वारा, प्रसार एवं उनके प्राकृतिक आवास की पहचान के द्वारा "इन-सिटू" संरक्षण।

   घ. औषधीय उद्देश्यों के लिए विदेशी जाति एवं किस्मों की पहचान।

   च. वन विभाग/विश्वविद्यालयों/वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से "कंजर्वेशन रिजर्वस एण्ड कल्टीवेशन सेन्टर" का सृजन।

   छ. सहकारी कृषि करना/इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त सस्ती एवं उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराना।

   ज. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधीय पदार्थों का एक "नेशन-डाटा-बेस" एवं "जर्म प्लाज्म सेंटर" का सृजन करना।

   झ. ओषधीय पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए इन कार्यक्रमों में व्यस्त कार्मिकों के लिए सेवा में प्रशिक्षण।

   ट. एक "सेंट्रल आर्बोरियम" का सृजन।

   ठ. नीति का मॉनीटर करना, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन करना।

2. सम्मेलन में संकल्प के माध्यम से संस्तुति की गई कि औषध पादपों एवं टीशू-कल्चर तकनीक के प्रसार के लिए उचित कृषि तकनीका को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएंगी। सहकारी कृषि के उद्देश्य से कृषि के लिए उपजाऊ भूमि को सुलभ कराने, कृषि-केंद्र एवं वैज्ञानिक संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारें सहयोग करें।

3. सम्मेलन में संकल्प के माध्यम से यह संस्तुति की गई कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले जानवरों के पालन-पोषण के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकारें आवश्य कदम उठाएं।

4. सम्मेलन में संकल्प के माध्यम से यह संस्तुति की गई कि औषध पादप उद्यानों एवं वनस्पति वनों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएं।

5. औषध पादपों की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े तथा उनकी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी तथा 3 माह में उनकी कृषि की जाए।

6. औषधियों की कृषि शीघ्र आरंभ की जाए।

7. गैर-संरकारी संगठनों/निजी एजेंसियों की भी सहायता ली जाए।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

कार्यकारिणी समूह-IV

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना एवं संचार, बजट और संगठन

1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मणिपुर	सह-अध्यक्ष
3.	सचिव (स्वास्थ्य) दिल्ली	सदस्य
4.	सचिव (स्वास्थ्य) मणिपुर	सदस्य
5.	निदेशक, भा०चि०प० एवं होम्यो० हरियाणा	सदस्य
6.	निदेशक, भा०चि०प० एवं होम्यो० महाराष्ट्र	सदस्य
7.	निदेशक, होम्योपैथी केरल	सदस्य
8.	वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा नई दिल्ली	सदस्य
9.	डा० के०पी० मजुमदार मुंबई	सदस्य
10.	डा० सी०एम० हारून उप-निदेशक, भा०चि०प० एवं होम्यो० बंगलोर	सदस्य
11.	डा० वी० सुब्रमणियम टी०ए०एम०पी०सी०ओ०एल० चेन्नई	सदस्य
12.	डा० आर०के० मंचन्दा दिल्ली	सदस्य
13.	श्री आई०एस० नाग्रानी निदेशक, रा०औ०सं०, पुणे	सदस्य
14.	श्री कंवर राजिन्दर सिंह निदेशक (भा०चि०प०एवं होम्यो०)	संयोजक
15.	श्री ओ०एस० वीरवल निदेशक (भा०चि०प० एवं होम्यो०)	सह-संयोजक

कार्यकारिणी समूह-IV

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना, शिक्षण एवं संचार तथा बजट एवं संगठन

श्रीमती कमला वर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता एवं डा० चल्टोलीएन आमो, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, मणिपुर की सह-अध्यक्षता में कार्यकारिणी समूह द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना, शिक्षण एवं सचार तथा बजट एवं संगठन पर संकल्पों के रूप में पारित करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां की गई :

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्पों के माध्यम से संस्तुति की गई कि केंन्द्रीय सरकार को योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए एक अलग से सलाहकार रखना चाहिए।

2. मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय में विचार व्यक्त किए गए कि वर्ष 1997-98 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के लिए आयोग द्वारा अपर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है। सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि वर्ष 1997-98 की संशोधित लागत के स्तर पर तथा 9वीं योजना के शेष समय के लिए योजना आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए तथा योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के लिए भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा 9वीं योजना में भी।

3. सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र

के लिए अपने कुल आवंटित बजट में से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास के लिए अलग से बजट निर्धारित करे।

4. सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सूचना, शिक्षण एवं संचार (आई०ई०सी०) के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें भी पर्याप्त निधि अलग से रखें।

5. सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में तथा राज्य सरकारें भी वर्ष 1997-98 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों के आयोजन हेतु सामग्री तैयार करने के लिए सूचना, शिक्षण एवं संचार प्रदान करने के उद्देश्य से एक अलग कक्ष स्थापित करें।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से संबंधित सूचना, शिक्षण एवं संचार के लिए केंद्रीय सरकार में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग नेशनल नेटवर्क पर लघु फिल्मों, वृत्त चित्रों तथा स्थानीय वृत्त नाटकों को सप्ताह में दो बार कम से कम 15 मिनट के प्रसारण के लिए इस विषय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/महानिदेशक दूरदर्शन के समक्ष रखें।

7. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि मंत्रालयों/वन विभागों, पर्यटन एवं कृषि के समन्वय से राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का उन्नयन एवं प्रसार करें।

8. सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की विभिन्न अनुसंधान परिषदें, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् एवं केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् विभिन्न राज्यों को यथा-शीघ्र वितरित करने के लिए अपनी-अपनी पद्धतियों पर आधारित सूचनात्मक पम्पलेटों एवं पुस्तिकाएं तैयार करें।

9. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की प्रत्येक अनुसंधान परिषदें प्रचार विषयों के रूप में उपयोग की दृष्टि से राज्य सरकारों को वितरित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में अपनी-अपनी पद्धतियों की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालते हुए दो फिल्मों/वृत्त चित्रों का निर्माण भी करें।

10. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य भारतीय स्वास्थ्य परम्पराओं की शिक्षा सभी विद्यालयों में अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग इस विषय को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष यथा-शीघ्र प्रस्तुत करे।

11. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना, शिक्षण एवं संचार (आई०ई०सी०) के लिए केन्द्र सरकार एक "केंद्रीय प्रायोजक योजना" तैयार करे।

12. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम दो स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करें।

13. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि राज्य सरकारें निःशुल्क वितरण के लिए क्षेत्रीय भाषओं में पम्प्लेट्स आदि तैयार करें।

14. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि ऐसे राज्यों में जहां भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अलग से निदेशालय नहीं है, उसकी स्थापना के लिए यथा-शीघ्र कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित राज्यों में एक निश्चित पद्धति की स्वीकार्यता के अनुरूप प्रत्येक राज्य में इस पद्धति के लिए अलग निदेशक रखा जाए।

ह०/- (कमला वर्मा) ह०/-
अध्यक्ष सह-अध्यक्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

कार्यकारिणी समूह-V

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की भूमिका

1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जम्मू एवं काश्मीर	अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री, राजस्थान	सह-अध्यक्ष
3.	आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य) बिहार	सदस्य
4.	सचिव (स्वास्थ्य) राजस्थान	सदस्य
5.	निदेश, भा०चि०प० एवं होम्यो० कर्नाटक	सदस्य
6.	निदेशक, भा०चि०प० (उ०प्र०)	सदस्य
7.	निदेशक (होम्यो०), उ०प्र०	सदस्य
8.	वैद्य एस०के० छांगाणी नागपुर	सदस्य
9.	वैद्य नानकचन्द शर्मा नई दिल्ली	सदस्य
10.	डा० जुगल किशोर नई दिल्ली	सदस्य

11.	हकीम मदन स्वरूप गुप्ता दिल्ली	सदस्य
12.	डा० आनन्द कुमार चेन्नई	सदस्य
13.	डा० जे०आर० कृष्णमूर्ति चेन्नई	सदस्य
14.	डा० एन०एस० अधिकारी नई दिल्ली	सदस्य
15.	निदेशक, भा०चि०प० एवं होम्यो० तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
16.	डा०सी०एच०एस० शास्त्री निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर	संयोजक
17.	डा० एम०ए० कुमार सहायक परामर्शदाता (सिद्ध)	सह-संयोजक

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी पर 5वें कार्यकारिणी समूह की संस्तुतियां

सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समूह ने निम्नलिखित संकल्प किए:

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के समग्र रूप में 6 लाख चिकित्सक हैं। मुख्य रूप से देहाती क्षेत्रों में ये लोगों के बीच सम्माननीय समादेश करते हैं उनमें से अधिक रोग संस्थागत रूप से योग्य एवं प्रशिक्षित हैं तथा बीमारियों एवं उनके बचाव आदि का आधुनिक ज्ञान रखते हैं। उनको अल्पावधि का प्रशिक्षण प्रदान कर तथा उनका राष्ट्रीय कार्यक्रमों से परिचय कराकर उनकी सेवाओं का विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निष्पादन में उपयोग किया जा सकता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए भिन्न-भिन्न जनपद प्रशिक्षण एककों में छः दिवसीय पैकेज पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से मलेरिया (विषमज्वर), फायलेरिया, कालाजार, मस्तिष्क शोथ, मोतियाबिन्द, टी०बी० (क्षयरोग) एवं पीलिया आदि के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद मलेरिया कार्यालयों में उपलब्ध है।

इन दोनों कार्यक्रमों का एक संयुक्त पैकेज प्रदान कर इन बीमारियों एवं उनके बचाव के विषय में जनता को शिक्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यौपथी के चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा जहां आवश्य हो नैदानिक परीक्षण एवं रक्त चिकनाई परीक्षण आदि से उपचार के विषय में बताया जा सकता है। संदेहास्पद एवं सकारात्मक मामलों को उचित रेफरल सेंटर्स को भेजे जाएं। पहचान किए गए क्षेत्रों में रोगवाहक के नियंत्रक के लिए स्प्रे स्क्वैड का निरीक्षण भी कर सकते हैं। उनको "आई०यू०सी०डी०" में तथा अन्य गर्भ-निरोधी साधनों के प्रयोग में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनका विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

जहां आवश्यक हो इन कार्यक्रमों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को यदि अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो जनपदीय अस्पतालों, एन०आई०सी०डी०, नई दिल्ली, एन०आई०एन०, हैदराबाद, एन०आई०आई०एच०, कलकत्ता एवं एन०आई० एच०एफ०डब्ल्यू०, नई दिल्ली आदि की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

यह भी संस्तुति की जाती है कि भारत सरकार निम्न के उपयोग पर विचार करे :

(क) एन०एम०ई०पी० में आयुष-64/एच०ई०74 को संभावित चिकित्सा के रूप में।

(ख) मोतिया बिन्द के निवारण में "सिनेरेरिया मेरेलीना "सकूकर" का प्रयोग।

(ग) सिद्ध, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद की वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकित प्रभावकारी औषधियों का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में उपयोग।

(घ) यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन रोगों की चिकित्सा एवं निवारण के लिए प्रभावकारी औषधियां तथा स्वास्थ्य वर्धन के लिए परिमाण उपलब्ध नहीं हैं तो भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानक औषध पथ्यापथ्य नियमों के उपयोग की अनुमति मिलनी चाहिए। यदि वैज्ञानिक अवरोध हो तो विनियम में अनुकूल संशोधन किया जाए।

ह०/- 18/2/97 ह०/-- 18/2/97

(श्री अचल मेघवाल) (डा० मुस्तफा कमाल)
राज्य मंत्री (आयुर्वेद) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
राजस्थान जम्मू एवं काश्मीर
सह-अध्यक्ष अध्यक्ष

कार्य समूह-V

भारतीय चिकित्सा पद्धतियां तथा होम्योपैथी

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को केन्द्रीय परिषद के 5वें कार्य दल की 8 से 10 जनवरी, 1996 को श्री पारथाड़े, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता तथा डा० हर्षवर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सह-अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद के लिए संकल्प के रूप में अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई :–

क. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी में शिक्षा तथा प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे :

1. केन्द्रीय चिकित्सा परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा बनाए गए न्यूनतम मानकों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है तथा उसके पश्चात् देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में उनका कड़ाई से पालन करना।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के अब सामान्य कालेजों की अंधा-धुंध वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के अधिनियमों में संशोधन को आवश्यकता है। कालेज खोलने के लिए आवेदन के समय से अर्हता को मान्यता देने की अवधि तक पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए तथा उनका पालन न करने के लिए दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद तथा संबंधित विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के अतिरिक्त नया कालेज खोलने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

3. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी तथा योग कालेजों के लिए प्रवेश परीक्षाएं अलग से आयोजित की जानी चाहिए। इससे इन पद्धतियों में रूचि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने में मदद मिलेगी। जो राज्य सरकारें योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे रही हैं वे मौजूदा प्रणाली अपनाएं।

4. आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होम्योपैथी कालेजों मे स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान (वायोलॉजी ग्रुप) 10+2 होनी चाहिए। अन्य प्रावधान देने चाहिए। साढ़े चार वर्ष की मुख्य पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को संस्कृत में, यूनानी उर्दू पारसी अथवा हिन्दी में तथा सिद्ध को तमिल में पढ़ाने के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

5. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानकों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों का आबंटन कर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के मौजूदा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कालेजों को सुदृढ़ बनाया जाए।

6 राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवारत/अर्ध सरकारी शिक्षकों, चिकित्सकों तथा प्राइवेट प्रैक्टीशनरों के लिए बड़े पैमाने पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। शिक्षकों के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

7. राज्य/केन्द्रीय सरकार को फार्मेसी तथा नर्सिंग के अलग से डिग्री कालेज खोलने चाहिए। फार्मेसी में डिप्लोमा भी शुरू किया जाना चाहिए। भारतीय फार्मेसी परिषद तथा भारतीय नर्सिंग परिषद से संबंद्धन लिया जाना चाहिए नहीं तो पंजीकरण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, आयुर्वेद फैकल्टी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, यूनानी फैकल्टी, अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा यूनानी हमदर्द फैकल्टी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को देश में शीर्षस्थ शिक्षण संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ किया जाए। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलौर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को सुदृढ़ बनाया जाए। 9वीं योजना में चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान तथा दिल्ली में राष्ट्रीय योग संस्थान स्थापित किया जाए।

9. राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के शिक्षकों का शिक्षण संवर्ग भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों के सामान्य सवंर्ग से अलग किया जाए।

10. योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी के शिक्षकों के वेतनमान/पदोन्नति के अवसर विश्वविद्यालय आयोग के पैटर्न के अनुसार होने चाहिए।

ख. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी में अनुसंधान तथा विकास

1. केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों अर्थात केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की छोटी इकाइयों को मिलाकर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बड़े संस्थान की पुर्नरचना तथा पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए पर्याप्त कर्मचारी तथा संसाधन जुटाए जाएं।

2. अनुसंधान परिषदों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर अनुसंधान तथा विकास किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

3. अनुसंधान परिषदों/भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी की प्राकार बाह्य परियोजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान तथा विकास में सहयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

4. अनुसंधान के कुछ क्षेत्र हैं :–

   क. औषध जांच (जिसमें नैदानिक सत्यापन तथा चिकित्सीय उपयोग के औषध विज्ञान आधार शामिल है)।

   ख. औषध मानकीकरण/औषध विज्ञान मानक

   ग. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान

   घ. उन रोगों पर कार्य जिनके लिए मॉडल थिरेपी में कोई इलाज नहीं है।

   ड. विभिन्न महामारियों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की निवारक और उपचारात्मक भूमिका।

च. संवर्द्धक स्वास्थ्य और निवारक तथा सामाजिक चिकित्सा के संबंध में अनुसंधान कार्य।

छ. साहित्यिक अनुसंधान/विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति में बिरल पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन

ज. लोक/जनजातीय समुदायोन्मुख चिकित्सीय पादपों आदि पर अनुसंधान कार्य।

झ. चिकित्सीय पादपों का कृषि विज्ञान/कृषि तकनीकें।

चिकित्सीय पादपों की फार्माकाग्नोसी/पादप विकास रसायन विज्ञान।

ट. उत्कृष्ट भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य/व्यक्तित्व विकास आदि को बनाए रखने पर अनुसंधान

ग. औषधों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दे:

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्यापेथी के लिए भेषज संहिता मानक तैयार करने की जरूरत है। इस कार्य में परियोजना आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इस कार्य को 9वीं योजनावधि के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाएं।

2. गाजियाबाद स्थित भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला को पर्याप्त निधियां प्रदान करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. राज्य सरकारों को अपनी औषध जांच प्रयोगशालाओं का विकास करना चाहिए।

4. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधों के विनिर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण का रख-रखाव करने हेतु राज्यों को चाहिए कि वे इन चिकित्सा पद्धतियों में अर्हता और प्रशिक्षण रखने वाले और अधिक औषध निरीक्षकों को नियुक्त करें।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में औषध नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों पर राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता।

7. विभाग "एग्मार्क" के पैटर्न पर एक योजना शुरू करने पर विचार करे। इस प्रयोजन के लिए आयुष पर विचार किया जाए। केवल उन्हीं उत्पादों को आयुष के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। जिनका 'विनिर्माण सरकारी भेषज संहिता और फार्मूलरियों में निर्दिष्ट और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग और राज्य सरकार के मौजूदा स्टाफ को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की औषधों के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निरिक्षण करने को शक्ति दी जानी चाहिए।

घ. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की औषधों में प्रयुक्त निम्नलिखित द्वारा पादप, खनिज, धातु, समुद्रीय और जन्तु मूल की कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि :–

क. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

ख. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उत्पादों में प्रयुक्त विभिन्न पादपों की कृषि तकनीकों का विकास।

ग. समुद्रीय और जन्तु उत्पादों, खनिजों और धातुओं की आपूर्ति में वृद्धि।

घ. विभिन्न कृषि जलवायु जोनों में औषधीय पादप उद्यान लगाना।

ङ. अनाच्छादित वनों और अन्य क्षेत्रों में कुछ सौ एकड़ के बड़े क्षेत्रों में "वनस्पति वन" लगाना।

च. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों में प्रयुक्त औषधीय पादपों जर्म प्लाजम बैंक स्थापित करना।

छ. आम जनता और कृषकों में औषधीय पादपों के लाभों और खेती करने की तकनीकों के बारे में प्रचार-प्रसार करना।

सभी राज्य सरकारी और केन्द्रीय सरकारी विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन प्रयोजनों के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन करके उपर्युक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु योजनाएं तैयार करें।

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के प्रोत्साहन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए "सभी के लिए स्वास्थ्य" और बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या के लिए भारतीय चिकित्सा-पद्धति तथा होमियोपैथी का प्रभावी इस्तेमाल करना।

दिनचर्या (दैनि नितचर्या), ऋतुचर्या (ऋतु संबंधी आचरण), आहार संबंधी नियम योगाभ्यास जैसी स्वास्थ्य वर्धक भारतीय अवधारणा सद्वृति की अवधारणाओं (आरचरण की उत्तम संहिता) तथा हिफजाने सेहत की अवधारणाओं को जनता के स्वास्थ्य वृद्धि करने तथा रोगों को निवारित हेतु प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है।

इस प्रयोजन हेतु उचित योजना/कार्यक्रम तैयार करके सभी राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को इन अवधारणाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी व्यवसायियों की सेवाओं को काम में लाना चाहिए।

(च) राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा रोगहरक दवा :

(I) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी तथा इन पद्धतियों के 6 लाख व्यवसायियों की ज्ञान संपदा का उपयोग करने की दृष्टि से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के घटक को निर्धारित करना अनिवार्य

है। इन निधियों को आर एंड डी के लिए इस्तेमाल किया जाए और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी कार्मिकों के जरिए इन कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाए।

(ii) यद्यपि देश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में निजी तथा सरकारी औषधालयों का तंत्र मौजूद है। तथापि रेफरल अस्पतालों का अभाव है।

राज्य/केंद्रीय सरकार को ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी का रेफरल अस्पताल स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी रेफरल अस्पताल स्थापित किए जाएं। उत्तरोतर पंचवर्षीय योजनाओं में इन अंतरालों को भरने की जरूरत है किन्तु बड़े पैमाने पर 9 वीं योजना से ही इसकी शुरूआत की गई। इस तथ्य के प्रति चिंता व्यक्त की गई कि एलोपैथिक डाक्टर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने में अनिच्छुक रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्र सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिक उपाय के रूप में यह प्रस्ताव किया गया कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परा मेडिकल स्टाफ तथा दवाइयों की खरीद हेतु पर्याप्त संसाधन के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के डाक्टर तैनात किए जाएं। कामयाब होने पर इसे मानक पद्धति के रूप में अपनाया जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के अस्पताल स्थापित करने की विश्वसनीयता रखने वाले गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र को भी इस पद्धति के विशिष्ट अस्पताल स्थापित करने हेतु सहायता दी जाए। राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को सक्षम गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते समय उनकी खोज खबर रखनी चाहिए। इस अंतराल को 9वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ हो रही उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में भरने की जरूरत है। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र को लगाया जाए।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के इस समय 242 एलोपैथिक तथा 74 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/यूनिटें हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के औषधालय खोलने की जरूरत है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के शेष 168 औषधालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी को प्रारंभ करने की जरूरत है।

(iv) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के औषधालयों को रेलवे/डाक-तार विभागों में खोला जाए। इसी प्रकार से विशेष निदानालय सेवा/वायु सेना अस्पतालों में खोले जाएं।

(v) विभिन्न राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी औषधालयों के भवनों की हालत बहुत दयनीय है। राज्य/केन्द्रीय सरकार उचित भवन के निर्माण हेतु संसाधन आवंटित करें। इस प्रयोजन हेतु वित्तपोषक एजेंसियों की सहायता भी ली जाए। दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे इन औषधालयों में गरीबों की सेवा करने हेतु पर्याप्त दवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाए।

(vi) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के डाक्टरों का वेतनमान और सेवाशर्तें एलोपैथी डाक्टरों के समान होनी चाहिए जैसा कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, ई०एस०आई० आदि में केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया है।

(छ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट सैल

(i) कुछ पादप उत्पादों जैसे हल्दी पाउडर, नीम व ब्रह्मी के व्युत्पादकों को संयुक्त राज्य में पेटेन्ट करवाया गया है। पेटेन्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी तकनीकी है, भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को इन प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती। इसलिए विभाग में एक "पेटेन्ट कक्ष" की स्थापना की जाये जो इस संबंध में देश की विरासत को ध्यान रख सकें।

(ii) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि से संबंधित शिक्षा, औषध सामग्री व तकनीकों के संबंध में विभिन्न विदेशों ने रुचि दर्शायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आदान प्रदान, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधों तथा अन्य सामग्री के निर्यात की आवश्यकता है।

(ज) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास के लिए निधियां

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधियों के प्रवाह को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

(झ) गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी

वित्तीय आवश्यकता तथा निधियों के प्रवाह को बढ़ाने और गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के सभी कार्यक्रमों विशेषतः अनुसंधान एवं विकास, निवारक तथा संवर्धक स्वास्थ्य में सेवाएं प्रदान करने प्राइवेट अस्पताल स्थापित करने, शिक्षण क्षेत्र, औपधीय पादप की खेती बाड़ी आदि को प्रोत्साहन देकर उपचारात्मक चिकित्सा के क्षेत्र में मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ण) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए प्रचार

1. परिषद् भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अंतर्गत उपलब्ध उपचार के बारे मे जागरूकता बढ़ाने के लिए जन प्रचार माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर देती है और संकल्प लेती है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पास भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के प्रचार के लिए अलग से बजट

प्रावधान होना चाहिए तथा निम्न के लिए कदम उठाने चाहिए :–

(i) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथी में उपलब्ध विभिन्न उपचारों पर छोटी फिल्में, वृतचित्र, स्लोगन तथा स्पाटस तैयार करना।

(ii) व्यक्ति का विकास करने के लिए एक पद्धति के रूप में योग पर फिल्में बनाना जो अलग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों आदि को वितरित की जायेंगी।

2. केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान परिषदों द्वारा अपने क्षेत्र में किए अनुसंधान कार्य की मुख्य-मुख्य बातों को ध्यान में लाने के लिए पैम्फलैटों, पुस्तिकाओं व वृत्त चित्रों को तैयार करना चाहिए।

3. प्रसवपूर्व तथा प्रसव पश्चात् अच्छी आहार संबंधी आदतों तथा नवजात शिशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने की साधारण पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

4. विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सेमिनारों, कार्यशालाओं व स्वास्थ्य मेलों, का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की कामयाबी की कहानियों को प्रकाशित करना।

6. स्थानीय वितरण के लिए पैम्पलैटों को स्थानीय भाषाओं में तैयार करना।

(ट) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की औषधरहित थरेपी के विज्ञान की सार्वभौमिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सिफारिश करती है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी विभाग को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन की सम्भावना की जांच करनी चाहिए ताकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की कार्य प्रणाली को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सकेगा।

(ठ) भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी का अलग बजट तथा संगठन

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी के विकास के लिए अलग से बजट प्रावधान आबंटित करना चाहिए। ऐसे राज्य, जहां पर अलग से भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी विभाग नहीं है, वहां भारतीय चिकित्सा परिषद एवं होम्यापैथी निदेशालय स्थापित करना चाहिए तथा तकनीकी कार्मिकों सहित आवश्यक पदों को भरना चाहिए।

9-1-97

अध्यक्ष
भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी पर कार्य दल

सह-अध्यक्ष
भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी पर कार्य दल

समुद्र में जाने से पूर्व नाविक प्रशिक्षण संस्थान

5666. श्री के० प्रधानी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र में जाने से पूर्व नाविक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो नाविकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए चुने गए निजी क्षेत्र के संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र में खोले जाने वाले ऐसे प्रस्तावित नाविक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है; और

(घ) नाविकों के लिए प्रशिक्षण नीति में प्रस्तावित उदारीकरण का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) जी हां। निजी क्षेत्र को पूर्व समुद्र प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदन समय-समय पर यथानिर्धारित न्यूनतम मानकों की मौजूदगी के सत्यापन के बाद प्रदान किया जाएगा।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अत्यधिक संभावनाओं का उपयोग किए जाने हेतु बड़ी संख्या में नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व-समुद्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश आसान कर दिया गया है और अनुमोदित संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वालों को निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र (सी०डी०सी०) भी मुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

वित्तीय सहायता

5667. डा० रामकृष्ण कुसमारिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का विचार 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता देने का है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वर्षवार वित्तीय सहायता और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 से 1996-97 के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (केवल मध्य प्रदेश के लिए)
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	110.00	128.64	145.00*	8.07
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	89.10	64.96	66.99	3.84
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	32.15	41.20	52.07	3.49
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	17.93	25.06	17.37	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	28.72	35.52	78.46	2.77
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	1428.45	1990.24	1526.26	63.16

*अंतिम समायोजनों की प्रतीक्षा की जा रही है।

काजू गिरी की खरीद

5668. श्री पी०सी० चाको : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेवा कर्मियों के उपयोग के लिए काफी मात्रा में काजू गिरी की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा बलों के लिए काजू गिरी की खरीद के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या केरल राज्य काजू विकास निगम का इरादा रक्षा सेवाओं के लिए काजू गिरी की बिक्री करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निगम से काजू गिरी खरीदने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां। रक्षा सेना कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए काजू गिरी की वार्षिक आवश्यकता लगभग 40 मीटरी टन है।

(ख) कालू गिरी की खरीद खुली निविदा प्रणाली के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) सेना सेवा कोर, उत्तर कमान द्वारा जनवरी 1997 में खुली निविदाएं जारी की गई थीं। मैसर्स केरल काजू विकास निगम लिमिटेड क्वीलान (केरल) के विशेष अनुरोध पर निविदा पूछताछ में उनकी भागीदारी प्राप्त करने के लिए उन्हें निविदा का एक सेट 28 जनवरी, 1997 को भेजा गया था परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

[हिन्दी]

रक्त की कमी

5669. श्री छतर सिंह दरबार :
श्री सत्य देव सिंह :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में रक्त के अभाव के कारण बड़ी संख्या में रोगी आकस्मिक मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं;

(ख) 1996 के दौरान रक्तदाताओं द्वारा कितनी मात्रा में रक्तदान किया गया;

(ग) दिल्ली में रक्त की अनुमानित मांग और उसकी तुलना में उसकी उपलब्धता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) दिल्ली में रक्त की कमी के कारण मर रहे किसी रोगी का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) 1996 के दौरान रक्त की 2,72,028 यूनिटें दान की गई।

(ग) दिल्ली में रक्त की लगभग 3,50,000 यूनिटों की प्रति वर्ष अनुमानित मांग है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने रक्त निरापदता योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान के प्रोत्साहन के लिए अनेक उपाय किए हैं। किए गए उपाय हैं :

1. राज्य रक्ताधान परिषदें गठित की गई हैं ताकि रक्तदान कार्यक्रम सहित रक्त बैंकों के समस्त कार्यकलापों में समन्वय लाया जा सके। स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करके क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों की मांगें पूरी करने हेतु क्षेत्रीय सीमांकन सहित क्षेत्रीय रक्ताधान परिषदें स्थापित की गई हैं।
2. स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में समय-समय पर समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं।
3. स्वैच्छिक रूप से रक्तदान पर जोर देते हुए कंप्यूटरीकृत प्रभावोत्पादक होर्डिंग समय-समय पर प्रदर्शित किए गए हैं।
4. गैर सरकारी संगठनों को रक्त बैंकों के साथ तालमेल करके रक्त दान शिविर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

[अनुवाद]

गोदरेज हेयर डाई

5670. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदरेज हेयर डाई जैसी प्रचलित ब्रांड अत्यंत खतरनाक हैं तथा इसके उपयोग से प्रयोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा भारतीय बाजारों में इनकी बिक्री मनुष्यों पर परीक्षण किए बगैर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत तथा अन्य देशों में किए गए कई अध्ययन से यह पता चला है कि इन हेयर डाई के प्रयोग से महिलाओं को स्तन कैंसर तथा पुरूषों को अन्य गंभीर बीमारियां हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे सौन्दर्य संबंधी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) भारत में बेची जाने वाली हेयर डाईज के संबंध में औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्देशों का पालन करना होता है। महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि सक्रिय हेयर डाईज में अवयव राज्य में गोदरेज द्वारा तैयार की गई हेयर डाईज सहित सभी हेयर डाईज के मामले में अनुमत्य सीमाओं के भीतर हैं।

(ग) और (घ) इन्टरनेशनल एजेंसी फार रिसर्च आन कैंसर और इन्टरनेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन अगेन्स्ट एनवायरनमेंटल म्यूटेजेन्स एंड कार्सिनोजेन्स द्वारा अन्य के साथ-साथ किए गए प्रमुख स्वतन्त्र अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि हेयर डाई के इस्तेमाल को कैंसर से जोड़ने का अपर्याप्त प्रमाण है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा

5671. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी बड़ी संख्या में शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, क्या जिन शहरों, जैसे गुड़गांव रोहतक और फरीदाबाद के सेक्टर 22, 23 और 24 जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय संख्या 70 की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां निजी चिकित्सकों के किसी पैनेल को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा स्वीकृति दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नेटवर्क में 18 शहर कवर हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कवर नहीं है, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1994 के अधीन ऐसे अधिकृत चिकित्सीय अटैंडेण्टों के माध्यम से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें कर्मचारियों के संबंधित मूल मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्त किया गया हो।

बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना

5672. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की वित्तीय बाधाओं के कारण विलम्बित हुई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की सहायता के लिए 900 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश से संबंधित अनेक सिंचाई

परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों को ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते वर्ष 1996-97 के दौरान 900 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान कर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। 900 करोड़ रुपये में से 800 करोड़ रुपये उन सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए है जिनमें प्रत्येक 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली हैं और राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं तथा 100 करोड़ रुपये उन बृहद और माध्यम परियोजनाओं के लिए हैं जो पूरा होने के करीब हैं (उन्नत चरण) और उनसे अगले चार कृषि मौसमों के दौरान लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। संशोधित प्राक्कलन में बजट प्रावधान संशोधित करके 500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख) केन्द्र सरकार ने 52 ऐसी परियोजनाओं का पता लगाया और 818.50 करोड़ रुपये अनुमोदित किए तथा वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को 500 करोड़ रुपये दिए गए।

(ग) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तीन परियोजनाओं अर्थात श्रीराम सागर चरण-1, चेय्येरू तथा येलुरू परियोजना के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुरोध किया है। योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं मिलने के कारण येलुरू सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए विचार नहीं किया गया था। श्रीराम सागर चरण-1 तथा चेय्येरू परियोजनाओं पर विचार किया गया तथा श्रीराम सागर चरण-1 परियोजना के लिए 63 करोड़ रुपये तथा चेय्येरू परियोजना के लिए 7.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 35.25 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी जिसमें श्रीराम सागर चरण-1 के लिए 31.50 करोड़ रुपये तथा चेय्येरू परियोजना के लिए 3.75 करोड़ रुपये जारी किया गया था।

अपोलो अस्पताल

5673. श्री राम सागर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल की स्थापना में किसी प्रकार की सुविधा या रियायत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल में गरीबों के उपचार के संबंध में अस्पताल के साथ कोई करार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अपोलो अस्पताल ने अभी तक गरीब लोगों के लिए बाह्य रोगी विभाग चलाने की शुरूआत नहीं की है और न ही आज तक आश्वासन के अनुसार बिस्तर आरक्षित किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) देश में उन प्राइवेट अस्पतालों और धर्मार्थ न्यासों की संख्या क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है और मुफ्त भूमि दी गई है परन्तु उन अस्पतालों और न्यासों ने अभी तक गरीबों को वांछित सहायता प्रदान नहीं की है; और

(ज) उत्तर प्रदेश में ऐसे अस्पतालों और धर्मार्थ न्यासों का ब्यौरा क्या है और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 1988 में एक करार पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रशासक दिल्ली तथा मैसर्स अपोलो अस्पताल ने दिल्ली में एक अस्पताल स्थापित करने के उद्देश्य से "इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०एम०सी०एल०)" के नाम के अंतर्गत संयुक्त रूप से एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी चलाने तथा उसे पंजीकृत कराने का निर्णय लिया। इस संयुक्त उद्यम की कुल अभिदत पूंजी 91.67 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कुल चुकता पूंजी का 26 प्रतिशत अंशदान किया है। भवन का निर्माण करने के लिए इस सयुंक्त उद्यम को रियायती दरों पर 15 एकड़ भूमि भी दी गई थी।

(ग) और (घ) यह सहमति हुई थी कि कम्पनी बहु विशिष्टता अस्पताल में कुल 600 पलंगों की क्षमता में से कम से कम एक तिहाई पलंगों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, नैदानिक तथा अन्य आवश्यक परिचर्या उपलब्ध करेगी। अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में आने वाले 40 प्रतिशत रोगियों को अस्पताल निःशुल्क चिकित्सा, नैदानिक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करेगा।

(ङ) और (च) निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क सुविधाएं शुरू नहीं हुई हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पताल के प्रबंधकों के साथ निःशुल्क उपचार सुविधा शुरू करने का मामला उठाया है। इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल निःशुल्क उपचार सुविधा शुरू करने पर विचार कर रहा है।

(छ) और (ज) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण सामान्यतया राज्य सरकारें ही अपने नियमों/विनियमों तथा भूमि उपयोग संबंधी नीतियों के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों तथा धर्मार्थ न्यासों आदि को रियायतें उपलब्ध करती हैं।

ऐसे अस्पतालों/धर्मार्थ न्यासों के बारे में सूचना संकलित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

रोजगार गारंटी योजना

5674. श्री अशोक प्रधान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ऐसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और परिसम्मतियां जुटाने के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों सहित कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं; और

(घ) राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय क्षेत्र से संबंधित लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या क्या है और इन प्रस्तावों की अस्वीकृति/लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिले केन्द्र द्वारा प्रायोजित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

(ख) और (ग) इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च/उपयोग की गई कुल राशि और सृजित किए गए रोजगार के अवसर संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(घ) लंबित प्रस्तावों, चुनाव क्षेत्रवार संबंधी जानकारी को केन्द्र स्तर पर मानीटर नहीं किया जाता है। तथापि राज्यवार लंबित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की गई राशि और सृजित रोजगार

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
		के दौरान व्यय/उपयोग की गई राशि			में लाभान्वित परिवारों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	11287.12	8624.01	9019.44	159988	122863	130549
2.	अरुणालच प्रदेश	542.92	582.56	249.26	18764	14381	4956
3.	असम	3105.55	3409.02	1600.68	62584	59090	29062
4.	बिहार	8015.32	10784.51	10228.77	224736	265525	190010
5.	गोवा	96.74	116.50	124.96	2192	1486	974
6.	गुजरात	3265.37	3077.68	2564.39	72418	55686	41741
7.	हरियाणा	1351.32	1663.74	982.00	28285	29771	14660
8.	हिमाचल प्रदेश	576.81	412.28	452.66	7355	6606	6794
9.	जम्मू और कश्मीर	620.55	701.26	556.17	13545	13189	7929
10.	कर्नाटक	4354.35	5574.60	4836.74	125818	119685	97280
11.	केरल	2401.25	2268.90	2096.13	46294	43357	40150
12.	मध्य प्रदेश	10237.74	11305.57	7291.89	218629	210692	86444

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	7573.97	9837.30	7223.71	196677	181597	128118
14.	मणिपुर	315.82	312.64	256.01	7658	6077	4029
15.	मेघालय	352.05	301.54	276.03	6828	4534	4120
16.	मिजोरम	199.12	288.74	101.81	3345	5085	1960
17.	नागालैंड	215.52	221.48	211.52	2251	2531	2915
18.	उड़ीसा	6034.80	7266.29	4520.55	199837	130669	61235
19.	पंजाब	1125.75	731.71	514.92	22781	11786	6781
20.	राजस्थान	4624.81	4730.24	3094.04	187799	92818	53010
21.	सिक्किम	42.19	129.25	108.44	1271	2843	1483
22.	तमिलनाडु	8418.21	8515.03	4990.48	281221	183895	103883
23.	त्रिपुरा	1049.70	766.73	570.11	21818	14657	4996
24.	उत्तर प्रदेश	19335.12	19266.98	17633.46	369725	355916	313783
25.	पश्चिम बंगाल	5747.45	6693.99	4047.06	159722	161724	82077
26.	अं० नि० द्वीप समूह	48.83	49.92	17.73	1126	832	276
27.	दा० व न० हवेली	14.70	13.68	6.91	382	274	41
28.	दमन व दीव	4.72	16.67	11.32	97	310	178
29.	लक्षद्वीप	9.35	4.38	3.45	188	18	30
30.	पांडिचेरी	40.03	49.20	49.17	1221	1563	1112
	कुल योग	100831.66	167716.20	83639.21	2215421	2089400	1415976

विवरण-II

1994-95, 1995-96, और 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि तथा सृजित रोजगार

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (लाख रुपए में)					सृजित रोजगार (लाख श्रम-दिन)				
		93-94	94-95	95-96	96-97*	कुल	93-94	94-95	95-96	96-97*	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र पदेश	2566.02	13787.18	12249.54	9155.25	37757.99	62.42	277.24	252.42	164.08	756.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	136.17	862.81	1956.55	1220.26	4175.79	3.64	20.84	50.67	20.72	95.87
3.	असम	963.09	4115.31	9822.98	5244.41	20145.79	31.75	95.50	181.82	89.92	398.99
4.	बिहार	1608.36	9639.54	12901.12	16708.89	40857.91	31.44	193.72	254.44	256.46	736.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
6.	गुजरात	146.21	1809.97	5751.65	6284.27	13992.10	6.75	35.26	92.45	104.73	239.19
7.	हरियाणा	993.85	2901.53	3814.72	1954.22	9664.32	15.20	34.64	52.11	19.18	121.13
8.	हिमाचल प्रदेश	2.47	115.02	455.55	670.84	1243.88	0.05	3.20	6.86	8.29	18.40
9.	जम्मू और कश्मीर	133.75	2338.55	6715.49	3330.39	12518.18	3.46	59.85	129.96	62.28	255.55
10.	कर्नाटक	678.26	8024.38	12144.91	10513.58	31361.13	32.12	177.45	268.73	231.47	709.77
11.	केरल	171.20	1901.38	2241.90	1404.87	5719.35	2.60	27.64	32.47	18.02	80.73
12.	मध्य प्रदेश	2503.49	17959.01	22951.66	11577.30	54991.46	51.26	363.78	388.02	189.57	992.63
13.	महराष्ट्र	430.10	7617.01	10295.49	8267.71	26610.31	31.53	233.89	293.23	211.31	769.96
14.	मणिपुर	116.89	1327.52	1337.11	566.14	3347.66	3.06	28.60	31.21	9.96	72.83
15.	मेघालय	0.00	65.88	499.80	197.94	763.62	0.00	1.39	8.30	3.40	13.09
16.	मिजोरम	470.98	2206.36	2023.87	943.76	5644.96	8.52	41.71	40.91	20.62	111.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	नागालैंड	975.15	1124.87	1800.70	1143.18	5043.90	33.92	28.81	49.00	30.74	142.47
18.	उड़ीसा	1280.35	11655.94	13133.80	15012.06	41082.15	31.43	281.24	311.06	329.75	953.48
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
20.	राजस्थान	926.99	10876.32	14770.06	9520.58	36093.95	50.00	273.11	288.02	169.83	780.96
21.	सिक्किम	20.27	243.04	778.31	163.82	1205.44	0.82	8.50	16.01	2.43	27.76
22.	तमिलनाडु	319.48	4409.34	7581.23	9284.42	21594.47	10.96	141.29	211.35	258.15	621.75
23.	त्रिपुरा	659.35	2375.65	2085.78	1889.00	7009.74	16.14	60.35	43.20	42.51	762.20
24.	उत्तर प्रदेश	647.68	89078.28	16731.98	13077.64	39365.58	15.00	165.63	318.23	227.56	726.42
25.	पश्चिम बंगाल	2621.00	9220.72	9929.18	8767.82	30538.72	52.53	184.79	143.08	116.06	496.46
26.	अं० नि० द्वीप समूह	2.41	42.11	10.28	19.65	74.45	0.10	0.57	0.11	0.26	1.04
27.	दा० व न० हवेली	1.51	3.16	20.17	30.62	55.46	0.04	0.10	0.23	0.38	0.75
28.	दमन व दीव	0.00	3.46	13.05	0.00	16.51	0.00	0.12	0.36	0.00	0.48
29.	लक्षद्वीप	0.00	10.94	44.33	89.67	144.94	0.00	0.34	1.02	1.89	3.25
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
	कुल	18575.03	123545.28	172061.21	137038.29	451019.81	494.74	2739.56	3465.27	2589.57	9289.14

*फरवरी 97 तक की जानकारी

विवरण-III

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि और सृजित रोजगार

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान व्यय/उपयोग की गई राशि			सृजित लाख श्रम दिन		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	36264.38	34556.90	10147.94	812.25	701.57	184.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.22	357.12	141.27	5.58	8.24	1.76
3.	असम	10386.94	9583.33	3373.29	263.29	179.08	67.58
4.	बिहार	50731.49	62281.95	23548.64	986.88	1197.03	354.71
5.	गोवा	372.24	363.47	215.53	6.45	8.38	4.95
6.	गुजरात	14166.06	12824.42	6280.49	258.48	209.42	87.68
7.	हरियाणा	2583.42	3304.78	1371.79	33.96	333.50	10.58
8.	हिमाचल प्रदेश	1150.10	1001.19	493.53	28.87	21.45	8.38
9.	जम्मू और कश्मीर	3813.23	2534.38	708.46	88.04	48.23	23.20
10.	कर्नाटक	23746.02	24908.76	12015.31	499.67	524.89	178.74
11.	केरल	7234.60	8888.24	4458.15	101.01	127.75	37.92
12.	मध्य प्रदेश	50503.16	42377.25	11961.01	1075.25	759.46	217.21
13.	महाराष्ट्र	36760.33	39801.56	18664.14	1100.73	1014.47	300.39
14.	मणिपुर	370.54	506.22	141.46	7.16	9.34	3.01
15.	मेघालय	407.31	200.28	322.39	8.50	4.86	5.06
16.	मिजोरम	336.38	284.56	110.12	5.72	5.20	1.89
17.	नागालैंड	410.70	264.07	164.41	8.47	5.76	4.18
18.	उड़ीसा	25542.96	28671.48	11909.28	604.51	678.31	258.84
19.	पंजाब	1673.48	408.38	162.55	24.36	6.44	1.89
20.	राजस्थान	19009.03	18204.39	6208.92	545.58	361.72	125.66
21.	सिक्किम	189.21	618.83	176.86	7.03	9.27	2.57
22.	तमिलनाडु	39982.35	39415.70	18040.03	1027.66	1069.75	352.64
23.	त्रिपुरा	1131.61	788.23	662.00	29.02	18.43	14.85

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	74606.88	83562.16	42123.49	1395.94	1532.46	550.82
25.	पश्चिम बंगाल	29856.99	30492.80	10334.00	580.82	414.75	144.29
26.	अं० नि० द्वीप समूह	161.26	161.26	49.74	2.59	2.59	0.50
27.	दा० व न० हवेली	91.41	33.18	49.75	2.07	0.64	0.67
28.	दमन व दीव	27.36	55.02	23.24	0.55	1.11	0.44
29.	लक्षद्वीप	80.27	40.86	49.22	1.91	1.05	0.57
30.	पांडिचेरी	121.21	199.85	99.35	4.72	3.10	2.20
	कुल योग	426833.14	446690.62	1184006.56	9517.07	8958.25	2948.03

कुल उपलब्धता-आदिशेष – रिलीज

** – मार्च, 1997 तक

' – गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

* – गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

** – फरवरी, 1997 तक

Ø – अनंतिम

विवरण-IV

जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	लंबित परियोजनाओं की संख्या	
	जवाहर रोजगार योजना 95-96	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1996
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	3
असम	–	1
बिहार	9	–
गुजरात	3	–
हरियाणा	1	1
हिमाचल प्रदेश	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	–
कर्नाटक	3	–
केरल	–	2
मध्य प्रदेश	16	–
महाराष्ट्र	–	–
मणिपुर	–	–
मिजोरम	–	1
उड़ीसा	4	1
राजस्थान	–	–
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	5	–
त्रिपुरा	1	–
उत्तर प्रदेश	5	–
पश्चिम बंगाल	–	–
कुल	48	9

निगरानी समिति

5675. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी हेतु कोई निगरानी समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी रूपरेखा क्या है;

(ग) निगरानी समिति में सदस्य मनोनीत करने के लिए किस प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) उक्त समिति के कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण करने तथा सतर्कता बरतने के लिए खंड स्तर जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर एक निगरानी और सतर्कता समिति गठित करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं। राज्यों के मुख्य मंत्री भी समय-समय पर सांसदों/विधायकों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

पंचायत में 73वें संशोधन का कार्यान्वयन

5676. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में 73वां संशोधन करने के पश्चात् किए गए सभी उपबंधों/अधिकारों को सभी राज्यों की पंचायतों में कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में उक्त संशोधन के उपबंधों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान लागू है उन्होंने आवश्यक राज्य कानून पारित कर दिए हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बिहार, गोआ (जिला परिषद स्तर पर), लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्य पूरे हो चुके हैं। मंत्रालय इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुकी है।

[अनुवाद]

विशाखापट्टनम पत्तन का विलय

5677. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड और विशाखापट्टनम पत्तन न्यास का विलय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसका अन्य डॉक लेबर बोर्डों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में जापान के सहयोग से पुल का निर्माण

5678. श्री अमर पाल सिंह :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारत-जापान के सहयोग से बनाए जा रहे निजामुद्दीन पुल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) समस्त नींव-कार्य पूरा हो चुका है। सबस्ट्रकचर और सुपरस्ट्रकचर कार्य प्रगति पर है। समग्र प्रगति लगभग 60 प्रतिशत है।

(ख) मार्च, 1998

(ग) 106.84 करोड़ रु०।

ग्रामीण विकास योजना हेतु धनराशि

5679. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहन रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारें को अलग अलग कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा जिन निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त धनराशि का सभी राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में देखा जाए। 1.4.89 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजना का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजमार योजना के लिए 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि संलग्न विवरण-III में देखी जाए।

(ग) राज्य सरकार सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना के लिए दी गई निधियों का उपयोग संलग्न विववरण-IV में दर्शाये गये कार्यों के वास्ते करती है।

(घ) 1996-97 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों को संलग्न विवरण-I से II में देखा जाए।

(ङ) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार गैर-कृषि मौसम के दौरान उपलब्ध कराया जाता है जो प्रत्येक जिले में वित्तीय वर्ष के अनुरूप नहीं होता है। सुनिश्चित रोजगार योजना निरंतर चलने वाली योजना है अर्थात् जिला उपलब्ध निधियों के पचास प्रतिशत का उपयोग करने के पश्चात् सुनिश्चित रोजगार योजना की निधियों की अगली किस्त के लिए आवेदन कर सकता है। अतः राज्यों/जिलों से उस में दी गई निधियों के पूर्णतया उपयोग की आशा नहीं की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आबंटित निधियों के 25% को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की अनुमति है। अगले वर्ष की अंतरित निधियों का अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग करना होता है।

विवरण-I

1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय कार्य – निष्पादन

(रुपए लाख में) (24.04.97 तक)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.96 तक खर्च न की गई राशि	केन्द्रीय रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल (केन्द्र + राज्य)	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	कुल उपलब्धत का % व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	7072.26	20110.00	5027.50	25137.50	32209.76	9155.25	28.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	858.72	1701.00	425.25	2126.25	2994.47	1220.26	40.75
3.	असम	2	3501.12	10820.00	2705.00	13525.00	17026.12	5244.41	30.80
4.	बिहार	2	15013.48	21245.00	5311.25	26556.25	41569.73	16708.89	40.19
5.	गोआ		एन०आर०	80.00	20.00	100.00	100.00	एन०आर०	0.00
6.	गुजरात	2	6085.92	5850.00	1462.50	7312.50	13398.42	6284.27	46.90
7.	हरियाणा	2	1689.90	2680.00	670.00	3350.00	5039.90	1954.22	38.77
8.	हिमाचल प्रदेश	2	658.21	1590.00	397.50	1987.50	2645.71	670.84	25.36
9.	जम्मू व कश्मीर	2	3968.46	3860.00	965.00	4825.00	8793.46	3390.39	37.87
10.	कर्नाटक	2	4577.45	11560.00	2890.00	14450.00	19027.45	10513.58	55.25
11.	केरल	2	423.02	2850.00	712.50	3562.50	3985.52	1404.87	35.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	12	10549.59	22670.17	5667.54	28337.71	38887.30	11577.30	29.77
13.	महाराष्ट्र	2	8316.15	6730.00	1682.50	8412.50	16728.65	8267.71	49.42
14.	मणिपुर	2	405.98	1080.00	270.00	1350.00	1755.98	798.65	45.48
15.	मेघालय	1	746.82	490.00	122.50	612.50	1359.32	197.94	14.56
16.	मिजोरम	2	0.00	1200.00	300.00	1500.00	1500.00	943.76	62.92
17.	नागालैंड	12	1149.28	2786.00	696.50	3482.50	4631.78	1143.13	24.68
18.	उड़ीसा	2	3444.91	16427.55	4106.89	20534.44	23979.35	15012.06	62.60
19.	पंजाब		एन०आर०	980.00	245.00	1225.00	1225.00	एन०आर०	0.00
20.	राजस्थान	2	7914.13	10390.00	2597.50	12987.50	20901.63	9520.58	45.55
21.	सिक्किम	1	0.00	220.00	55.00	275.00	275.00	163.82	59.57
22.	तमिलनाडु	2	4448.70	14725.00	3681.25	18406.25	22854.95	9284.42	40.62
23.	त्रिपुरा	1	0.00	2160.00	540.00	2700.00	2700.00	1889.00	69.96
24.	उत्तर प्रदेश	2	10407.37	21304.75	5326.19	26630.94	37038.31	13077.64	35.31
25.	पश्चिम बंगाल	12	4470.35	10170.00	2542.50	12712.50	17182.85	8767.82	51.03
26.	अंडमान निकोबार	2	35.20	0.00	0.00	0.00	35.20	19.65	55.82
27.	दादर व नगर हवेली	1	30.16	60.00	0.00	60.00	90.16	30.62	33.96
28.	दमन व द्वीव	12	8.49	40.00	0.00	40.00	48.49	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	2	169.73	140.00	0.00	140.00	309.73	89.67	28.95
30.	पांडिचेरी		एन०आर०	60.00	0.00	60.00	60.00	एन०आर०	0.00
	अखिल भारत		95954.90	193979.47	48419.87	242399.34	338354.23	137270.80	40.57

एन०आर० = असूचित

विवरण-II

1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक कार्य–निष्पादन

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.96 तक का आदि शेष (अंतरित)	कुल आवंटन			जारी किए गए संसाधन			उपलब्ध संसाधन (खर्च न की गई बकाया राशि+ जारी की गई राशि)	उपयोग किए गए संसाधन	% उपयोग
				केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	11	5873.90	13897.91	3474.48	17372.39	14594.96	3648.74	18243.70	24117.60	10147.94	42.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	02	6.35	142.64	35.66	178.30	103.88	25.97	129.85	123.50	141.27	114.39
3.	असम	02	2543.37	4574.54	1143.64	5718.18	3186.93	796.73	3983.66	6527.03	3373.29	51.68
4.	बिहार	01	22518.94	27260.46	6815.12	34075.58	22856.07	5714.02	28570.09	51089.03	23548.64	46.09
5.	गोवा	02	83.98	-154.12	38.53	192.65	116.88	29.22	146.10	230.08	215.53	93.68
6.	गुजरात	03	3086.87	5101.00	1275.25	6376.25	4419.33	1104.83	5524.16	8611.03	6280.49	72.94
7.	हरियाणा	03	697.75	1225.45	306.36	1531.81	1195.38	298.85	1494.23	2191.98	1371.79	62.58
8.	हिमाचल प्रदेश	01	488.35	489.73	122.43	612.16	388.12	97.03	485.15	973.50	493.53	50.70
9.	जम्मू व कश्मीर	02	301.24	995.14	248.79	1243.93	1199.75	299.94	1499.69	1800.93	708.46	39.34
10.	कर्नाटक	03	2125.89	9332.27	2333.07	11665.34	8873.18	2218.30	11091.48	13217.37	12015.31	90.91
11.	केरल	03	306.62	3395.33	848.83	4244.16	3273.11	818.28	4091.39	4398.01	4458.15	101.37
12.	मध्य प्रदेश	12	8877.66	17611.61	4402.90	22014.51	15420.15	3855.04	19275.19	28152.85	11961.01	42.49
13.	महाराष्ट्र	03	7775.90	15150.04	3787.51	18937.55	14338.51	3584.63	17923.14	25699.04	18664.14	72.63
14.	मणिपुर	02	246.28	182.82	45.71	228.53	129.92	32.48	162.40	408.68	141.46	34.61
15.	मेघालय	02	750.73	213.92	53.48	267.40	106.95	26.74	133.69	884.42	322.39	36.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मिजोरम	02	1.73	90.12	22.53	112.65	84.21	21.05	105.26	103.53	110.12	106.36
17.	नगालैंड	12	705.69	229.31	57.33	286.64	210.66	52.67	263.33	969.02	164.41	16.97
18.	उड़ीसा	02	5581.19	11274.49	2818.62	14093.11	10693.28	2673.32	13366.60	18947.79	11909.28	62.85
19.	पंजाब	02	2440.53	871.51	217.88	1089.39	809.26	202.32	1011.58	3452.11	162.55	4.71
20.	राजस्थान	02	275.59	7317.12	1829.28	9146.40	7231.81	1807.95	9039.76	9315.35	6208.92	66.65
21.	सिक्किम	02	2.35	83.49	20.87	104.36	81.37	20.34	101.71	99.36	176.86	177.99
22.	तमिलनाडु	03	2006.81	12563.97	3140.99	15704.96	12088.51	3022.13	15110.64	13103.83	18040.03	137.67
23.	त्रिपुरा	12	114.92	237.46	59.37	296.83	237.45	59.36	296.81	411.73	662.00	160.78
24.	उत्तर प्रदेश	03	12319.87	33867.93	8466.98	42334.91	32442.69	8110.67	40553.36	52873.23	42123.49	79.67
25.	पश्चिम बंगाल	02	4799.57	12455.47	3113.87	15569.34	9554.06	2388.52	11942.58	16742.15	10334.00	61.72
26.	अंडमान निकोबर	03	17.08	84.41	0.00	84.41	42.21	0.00	42.21	25.13	49.74	197.93
27.	दादर व नगर हवेली	03	60.06	45.81	0.00	45.81	44.57	0.00	44.57	104.63	49.75	47.55
28.	दमन व द्वीव	02	30.87	26.99	0.00	26.99	26.99	0.00	26.99	57.86	23.24	40.17
29.	लक्षद्वीप	03	33.65	42.32	0.00	42.32	21.16	0.00	21.16	54.81	49.22	89.80
30.	पांडिचेरी	02	109.22	82.64	0.00	82.64	64.68	0.00	64.68	173.90	99.35	57.13
	कुल		80114.32	179000.00	44679.46	223679.48	163836.03	40909.11	204745.14	284859.46	184006.36	64.60

विवरण-III

जवाहर रोजगार योजना

(रुपए लाख में)

वर्ष	उपलब्ध कराई गई निधियां (केन्द्र + राज्य)	उपयोग
1995-96	44104.56	42377.25
1996-97	19275.15	11961.01 (दिसम्बर, 96 तक)
1997-98	24597.22 (अंनतिम)	
	सुनिश्चित रोजगार केन्द्रीय अंश	
1995-96	22940.00	22951.66
1996-97	22670.00	11577.30 (फरवरी 1997 तक)
1997-98	1300.00	(असूचित)

विवरण-IV

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कामों की निदर्शी सूची (पैरा 35.1 में निर्दिष्ट)

1. सरकारी और पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक शनिकी कार्य, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, नहर के किनारों और परती भूमि पर वृक्षारोपण, रेल की लाइनों के साथ-साथ वृक्षारोपण आदि जिसमें ईंधन, चारा तथा फलों के वृक्ष लगाना, निजी भूमि पर रोपण करने के लिए पौधों का वितरण/बिक्री शामिल हैं, बशर्ते कि बिक्री से होने वाली आय को जिला ग्रामीणविकास एजेंसियों में जमा किया जाए और उसे पुनः जवाहर रोजगार योजना कार्यों में लगाया जाए।
2. भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे।
3. लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई, कुंओं का निर्माण मध्यम तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों आदि का निमार्ण तथा उनका सुधार और उन्हें गहरा करना आदि।
4. बाढ़ संरक्षण, जल निकासी तथा पानी इकट्ठा करने हेतु निर्माण कार्य।
5. मानव अथवा पशु या सिंचाई अथवा मछली पालने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु गांव में तालाबों का निर्माण/उनका नवीकरण।
6. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और फालतू भूमि, भूदान भूमि और सरकारी भूमि के आबंटितियों की अलग-अलग जातों पर सिंचाई कुएं और खेत की नालियां।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय/संस्था आधार पर स्वच्छ शौचालयों और संस्थागत ग्रामीण स्वच्छता निर्माण कार्य जैसे हैंड पम्पों/नलें की टोंटियों के पास नालियों/पानी सोखने वाले गड्ढों का निर्माण।
8. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए अलग-अलग मकानों का निर्माण।
9. निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंड के अनुरूप ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
10. पर्वतीय और मरुस्थली क्षेत्रों में पारिस्थितिक सुधार पर विशेष बल देते हुए भूमि का विकास और बंजर भूमि अथवा निम्न स्तर की भूमि को इस्तेमाल करने योग्य बनाना।
11. वनरोपण, भूमि तथा नमी संरक्षण करके तथा जल प्रबन्ध द्वारा माइक्रोलेवल पारिस्थितिक योजनाएं बनाने की मार्फत विद्यमान भू-जल स्रोतों को बढ़ाना।
12. लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए कार्यशालाओं, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत घरों, डवाकरा केन्द्रों, बाजार यार्डों आदि का ऐसे क्षेत्र में निर्माण, जहां कमजोर वर्गों की जनसंख्या का बाहुल्य हो।
13. पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के निर्माण कार्य जैसे औषधालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, शिशु गृहों, आंगनवाड़ियों बालवाड़ियों आदि का निर्माण।
14. प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण केवल उन्हीं राजस्व गांवों में किया जाएगा, जिनमें स्वीकृत स्कूल हैं, परन्तु उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग में दो बड़े कमरे, प्रत्येक लगभग 30 वर्ग मीटर का, एक बड़ा बरामदा और एक अथवा अलग-अलग कोने पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय/पेशाबघर होंगे। यदि विद्यमान बिल्डिंग में किसी जोड़-तोड़ अथवा विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है, तो यह विद्यमान भवन और मार्गदर्शिकाओं में परिकल्पना किए गए दो कमरों की बिल्डिंग के बीच जो खाली जगह है, उसे पूरा करने तक ही होना चाहिए।
15. जन शिक्षण निलायमों के लिए भवनों का निर्माण।
16. विद्यालयों में खेल मैदानों का विकास।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची

(1) वाटरशैड विकास/जल और मृदा संरक्षण सहित वनरोपण, कृषि-वानिकी और वन-चारागाह।

(2) लघु सिंचाई कार्य।

(3) इस उद्देश्य के लिए संबंधित जिलों में तैयार किए गए मास्टर प्लानों में बनाई गई सम्पर्क सड़कें।

(4) जिलों में महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जन-समुदायिक भवन।

[अनुवाद]

मारमुगोवा पत्तन प्राधिकरण द्वारा विस्तार योजना

5680. श्री सुरेश कलमाडी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारमुगोवा पत्तन प्राधिकारियों ने एक व्यापक विस्तार योजना तैयार की है ताकि यातायात में तेजी से हो रही वृद्धि का सामना किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) मुरगांव में पत्तन सुविधाओं के विस्तार के लिए जिन मुख्य परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है उनमें ब्रेकवॉटर बर्थों के पश्चिम में बर्थों का निर्माण, एफ०आर०एच० मास्टर प्लान बर्थों का निर्माण, पुराने बर्थों का सरेखण, तेल बर्थ सं० 8 और अयस्क बर्थ सं० 9 को गहरा करना, फ्लोटिंग बर्थों का निर्माण, मौजूदा अयस्क हैंडलिंग संयंत्र में सुधार, एक टग की खरीद, बार्ज अनलोडर का प्रतिस्थापन इत्यादि शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त स्कीमों को नौवीं योजना 1997-2002 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सिंचित क्षेत्र

5681. प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुल कितनी हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई; और

(ख) 1997-98 के दौरान उक्त राज्यों में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वृहद, मझौली तथा लघु सिंचाई स्रोतों के सृजित अतिरिक्त क्षमता से सिंचाई हो सकने वाली भूमि के अनन्तिम अनुमानित क्षेत्र का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

हजार हैक्टेयर में

	1995-96	1996-97
उत्तर प्रदेश	1053.36	1054.00
राजस्थान	103.58	88.49

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 के लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालय

5682. श्री ए० सिद्धराजु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के प्रत्येक गांव में केन्द्रीय सहायता से सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसमें कितने गांवों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) सार्वजनिक पुस्तकालय, कर्नाटक सरकार के निदेशक ने 2000 ई० सं० तक 4149 ग्राम पंचायतों में पंचायत पुस्तकाल अर्थात् प्रति वर्ष 1000 ग्राम पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तथा 4 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपये है।

इस प्रस्ताव को, निधियों के अभाव के कारण, पूर्णतः मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तथापि, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता, जो कि संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, उपलब्ध संसाधनों के भीतर तथा अनुमोदित सतत् स्कीमों के ढांचे के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में सहायता कर सकता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के आवास हेतु मानदंड

5683. श्री मुरलीधर जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने परियोजना क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के आवास के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदण्डों के अनुसार, प्रायोजित प्राधिकारी से 100% स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का संबंध है जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने स्वयं के स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण नहीं कर लेता प्रायोजित प्राधिकारी से प्रारंभ में 50% स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पेयजल

5684. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल में विद्यमान फ्लोराइड और अन्य विषैले पदार्थों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और जिले वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध हो रहा है। और कुल पेयजल में से कितने प्रतिशत जल लवणयुक्त है;

(घ) क्या सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यापक योजना शुरू करने अथवा कोई मिशन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) सभी लोगों के लिए पेयजल कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की समस्या का गुणता एवं परिमाण की दृष्टि से आकलन करने के लिए 1991-93 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाया गया था और मई-जुलाई, 1994 के दौरान वैधीकरण अध्ययन किया गया था।

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 28005 फ्लूराइड, 29557 खारापन, 2700 संखिया और 71576 अत्यधिक लौह से प्रभावित बस्तियां हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1.4.97 तक 84.91% ग्रामीण आबादी (1991 की जनगणना के आधार पर) को शामिल किया जा चुका है तथापि, 29557 बस्तियां खारेपन से प्रभावित हैं।

(घ) पेयजल की गुणता संबंधी समस्या से निम्नलिखित उप-मिशन के अंतर्गत निपटा जाता है :—

- फ्लूराइड पर नियंत्रण के लिए उप-मिशन
- खारेपन पर नियंत्रण के लिए उप-मिशन
- अत्यधिक संखिया को दूर करने के लिए उप-मिशन
- अत्यधिक लौह को दूर करने के लिए उप-मिशन
- जल के संरक्षण तथा भूमिगत जल इक्विफरों के संभरण के लिए उप-मिशन
- गिनीकृमि उन्मूलन के लिए उप-मिशन

राज्य सरकारें पेयजल की गुणता संबंधी समस्या से निपटने के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का भी उपयोग कर रही हैं।

उपरोक्त उप-मिशन पर राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को 75 : 25 (भारत सरकार एवं राज्य सरकार) के लागत भागीदारी आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

(ङ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जल गुणता संबंधी समस्या वाली समस्त बस्तियों को 2002 ईस्वीं तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए कवर करने हेतु कार्य योजना तैयार करें।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	समस्याओं से प्रभावित बस्तियों की संख्या			
		फ्लूराइड	संखिया	खारापन	लौह
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2858	—	9977	441
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—
4.	बिहार	12	—	—	18669
5.	गोवा	—	—	—	569
6.	गुजरात	2400	—	1000	—
7.	हरियाणा	350	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	488	—	106	450
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	860	—	769	274
11.	केरल	287	—	26	422
12.	मध्य प्रदेश	201	—	87	1928
13.	महाराष्ट्र	99	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	157
15.	मेघालय	33	—	—	1267
16.	मिजोरम	—	—	—	52
17.	नागालैंड	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1138	—	304	42835
19.	पंजाब	1113	—	5087	—
20.	राजस्थान	16560	—	14475	440
21.	सिक्किम	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	527	—	330	173
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1072	—	3426	5720
25.	पश्चिम बंगाल	21	2700	—	179
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—
28.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
29.	पांडिचेरी	—	—	—	—
30.	दिल्ली	46	—	—	—
31.	दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—
32.	चंडीगढ़	—	—	—	—
	कुल	28005	2700	29557	71576

(—) = राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभा पलायन पर प्रतिबंध

5685. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभा पलायन पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है कि आर्थिक उदारीकरण से भारतीय उद्योगों के आरम्भ होने और उनके विस्तार के कारण बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम रूप से तैयार की जा रही रणनीति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) भारतीय तकनीकी कार्मिकों के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विश्व स्तर पर अन्तरनिर्भरता की वर्तमान स्थिति में एक देश की संस्थाओं का दूसरे देश की संस्थाओं और शिक्षा शास्त्रियों के साथ आदान प्रदान करना न केवल अपरिहार्य है, बल्कि वांछनीय भी है। तथापि, सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभा को देश में ही बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें विज्ञ और प्रौद्योगिकी परिव्ययों में वृद्धि, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना तथा वैज्ञानिकों के पूल के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और तकनीक विदों की अस्थाई पदस्थापना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा कालेज

5686. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और अधिक चिकित्सा कालेज स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में चिकित्सा कालेज खोलने के लिए पश्चिम बंगाल से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा संवर्धित स्वशासी निकाय, विश्वविद्यालय, पंजीकृत सोसाइटियां तथा सार्वजनिक न्यास मेडिकल कालेज स्थापित करने के पात्र हैं।

(ख) नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10(क) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के लिए धनाबंटन

5687. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना जैसी विभिन्न रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से किए जाने वाले रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में रोजगार के अधिक सृजन करने के उद्देश्य से इन योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब के लिए धनाबंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसी प्रमुख रोजगार योजनाएं है जो पंजाब राज्य सहित देशभर में कार्यान्वित की जा रही हैं। वित्तीय-वर्ष 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पंजाब के लिए कुल अनंतिम आवंटन 1217.19 लाख रुपए है और रोजगार सृजन का लक्ष्य 17.45 लाख श्रमदिन है। सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है इसलिए योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 1997-98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब के लिए 269.39 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। 1995-96 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना राज्य के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां विकास खंड की जनसंख्या के आधार पर जारी की जाती हैं।

पंचानन नदी बिहार पर सिंचाई परियोजना

5688. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को बिहार के नालंदा जिले में पंचानन नदी/सहायक नदियों पर बिहार शरीफ में सिंचाई परियोजना के बारे में बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण त्वरित जलापूर्ति योजना

5689. डा० जी०आर० सरोदे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र जलगांव में कितने गांव ग्रामीण त्वरित जलापूर्ति योजना में शामिल किए गए हैं तथा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि लाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) 31 दिसम्बर 1996 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल, 1996 से दिसम्बर 1996 के दौरान 29 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई जिनसे 2.045 लाख जनसंख्या को लाभ मिला।

(ख) जी नहीं। जिलावार लक्ष्य, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सूखे की आशंका

5690. श्री दत्ता मेघे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सूखे की आशंका का सामना करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आज तक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून 1996 के दौरान कम वर्षा के कारण छः जिलों के 1906 गांव विभिन्न मात्रा में सूखे से प्रभावित हैं। जिलों और प्रभावित गांवों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रं०सं०	जिला	प्रभावित गांवों की संख्या
1.	रायगढ़	2
2.	धूले	89
3.	अहमदनगर	150
4.	भण्डारा	1097
5.	चन्द्रपुर	355
6.	गढ़ चिरोली	213
	कुल	1906

(ग) राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत और पुनर्वास उपाय करती है। भारत सरकार ने 1996-97 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 51.15 करोड़ रुपए की राशि और 1997-98 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 9.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय शुरू किए जा सकें।

रक्षा तैयारी पर श्वेतपत्र

5691. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत की रक्षा तैयारी के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रकाशित चिन्ताजनक समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोगों के भय और शंकाओं को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा तैयारी पर श्वेतपत्र जारी करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरों का निरंतर मूल्यांकन करती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाए रखना सुनिश्चित करती है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के श्वेतपत्र के प्रकाशन से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

5692. श्री अन्ना साहिब एम०के० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1997 के "इकोनामिक टाइम्स" में "वर्ल्ड बैंक पन्यूम्स ओवर इनएक्ट यूज आफ एड्स लीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) देश में एड्स नियंत्रण हेतु 1997-98 के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त अवधि के दौरान गौवा से 1118 एच०आई० पाजिटिव और 12 एड्स के रोगी सूचित किए गए हैं।

सितम्बर, 1992 में विश्व बैंक के 84 मिलियन अमरीकी डालर के प्रतिबद्ध ऋण के साथ एच०आई०वी०/एड्स निवारण और नियंत्रण की एक व्यापक योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 1992-97 की अवधि के दौरान 222.6 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित किया गया। इस के मुकाबले 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार 275.22 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। विश्व बैंक ऋण करार के अंतर्गत व्यय का लगभग 84 प्रतिशत हिस्से का भुगतान किया जा सकता है। डालरों में ऋण का कम उपयोग आई०एन०आर० की तुलना में डालर की मूल्य वृद्धि के कारण हुआ है। यह सही नहीं है कि "विश्व बैंक ने एड्स निधियों के असंगत इस्तेमाल पर क्रोध व्यक्त किया"। वास्तव में नवम्बर, 1996 में विश्व बैंक मिशन द्वारा की गई ताजा पुनरीक्षा में परियोजना कार्य निष्पादन को संतोषजनक बताया गया है।

(घ) भारत में एड्स निवारण और नियंत्रण की योजना को गोवा सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्हें निधियों का भुगतान उन की वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर किया जाता है। 1997-98 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए निधियों के अनंतिम आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न घटकों के अधीन अस्थायी राज्यवार घन आवंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – 1997-98

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्य						नगद अनुदान		
		संदर्भ केन्द्र	निगरानी केन्द्र	अनुमोदित निगरानी स्थल	जिला स्तरीय रक्त बैंक	बड़े रक्त बैंक	जैड०बी० टी०सी०	बी०सी० एस०एफ०	एस०टी० डी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश		5.460	1.052	61.790	48.400	12.000	11.220	30.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		1.365	0.526		2.420	1.000		2.000
3.	असम		1.365	0.526		7.260	3.000		5.000
4.	बिहार		0.000		70.140	21.780	9.000	33.660	17.000
5.	गोवा		1.365	1.052	16.70	4.840	2.000		4.000
6.	गुजरात		1.365	1.052	68.470	31.460	6.000	44.880	15.000
7.	हरियाणा		1.365	0.526	18.370	9.680	4.000	11.220	8.000
8.	हिमाचल प्रदेश		1.365	0.526	6.680	7.260	2.000		66.000
9.	जम्मू व कश्मीर		2.730			16.940	2.000	11.220	7.000
10.	कर्नाटक		2.730	4.208	48.430	31.460	8.000	11.220	30.000
11.	केरल		1.365	1.052	25.050	33.880	5.000	33.660	24.900
12.	मध्य प्रदेश		2.730	0.526	66.800	21.780	9.000	336.00	50.000
13.	महाराष्ट्र		13.650	2.630	60.120	72.600	16.000	56.100	38.000
14.	मणिपुर	1.365	1.365	2.630		7.260	1.000		9.000
15.	मेघालय		1.365			2.420	1.000		6.000
16.	मिजोरम		1.365		3.340	2.420	1.000		4.000
17.	नागालैंड		2.730	1.052	3.340	2.420	3.000		7.000
18.	उड़िसा		1.365	0.526	33.400	14.520	4.000		19.000
19.	पंजाब		1.365	0.526	23.380	16.940	3.000	11.220	7.000
20.	राजस्थान		1.365	1.052	18.370	16.940	5.000	11.220	14.000
21.	सिक्किम		1.365	0.526	1.670	2.420	1.000		1.000
22.	तमिलनाडु	1.365	2.730	2.630	103.540	65.340	12.000	33.660	47.000
23.	त्रिपुरा		1.365	0.526	3.340	7.260	1.000		3.000
24.	उत्तर प्रदेश		1.365	2.104	78.490	50.820	11.000	56.100	44.000
25.	पं० बंगाल	1.365	0.000		98.530	33.880	9.000	11.220	30.000
26.	अ० नि० द्वीपसमूह		1.365	1.052		2.420	1.000		1.000
27.	चण्डीगढ़		0.000	0.526		2.420			1.000
28.	दादर व नगर हवेली		0.000						0.000
29.	दमण व दीव		0.000	1.052					0.000
30.	दिल्ली		2.730	1.052	1.670	16.940	3.000	11.220	6.000
31.	लक्षद्वीप		1.365	1.052					0.000
32.	पांडिचेरी		1.365		1.670				3.000
	योग	4.095	61.425	29.982	798.260	554.180	135.000	381.480	498.000

विवरण

विभिन्न घटकों के अधीन अस्थायी राज्यवार धन आवंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – 1997-98

(रु० लाखों में)

नगद अनुदान					वस्तुगत अनुदान				
कार्यक्रम प्रबन्ध	स० शि० सं०	गै०स०सं० और परिषदें	प्रशिक्षण	कुल	रक्त बैंक			कुल	अनुदान कुल
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15.000	50.000	8.000	20.000	262.922	15.000	36.00	450.000	501.000	763.922
14.000	10.000	3.000	5.000	39.311		1.20		1.200	40.511
14.000	20.000	5.000	8.000	64.151		6.00		6.000	70.151
15.000	5.000	5.000	5.000	181.580		13.00		13.000	194.580
14.000	5.000	3.000	5.000	41.927		7.00		7.000	48.927
15.000	50.000	5.000	15.000	253.227	38.750	25.00	100.000	163.750	416.977
14.000	8.000	5.000	8.000	88.161		20.00		20.000	108.161
14.000	8.000	8.000	10.000	123.831		3.00		3.000	126.831
20.000	2.000	3.000	5.000	69.890		2.00		2.000	71.890
15.000	20.000	8.000	15.000	194.048	8.750	36.00	150.000	194.750	388.798
14.000	20.000	5.000	10.000	173.007	18.750	10.00		28.750	201.757
15.000	50.000	7.000	20.000	276.496		8.00	300.00	308.000	584.496
16.000	100.000	12.000	50.000	437.100	15.000	260.00	450.000	725.000	1162.100
14.000	15.000	8.000	8.000	67.620		2.00		2.000	69.620
15.000	8.000	3.000	5.000	41.785		2.00		2.000	43.785
14.000	15.000	8.000	8.000	57.125	2.500	1.60		4.100	61.225
14.000	20.000	8.000	8.000	69.542	2.500	2.40		4.900	74.442
15.000	5.000	5.000	5.000	102.811	12.500	5.00		17.500	120.311
14.000	25.000	5.000	15.000	122.431		15.00		15.000	137.431
15.000	50.000	5.000	20.000	157.947		3.40	100.000	103.400	261.347
14.000	10.000	3.000	5.000	39.981	1.250	0.60		1.850	41.831
16.000	100.000	25.000	50.000	459.265	11.250	92.00	550.000	653.250	1112.515
14.000	10.000	3.000	5.000	48.491	2.500	0.40		2.900	51.391
15.000	100.000	15.000	50.000	423.879		25.00	274.728	299.728	723.607
16.000	100.000	20.000	50.000	369.995	5.000	47.00		52.000	421.995
14.000	5.000	2.000	3.000	30.837		1.50		1.500	32.337
14.000	5.000	2.000	3.000	27.946		9.00		9.000	36.946
14.000	5.000	2.000	3.000	24.000		1.00		1.000	25.000
14.000	5.000	2.000	3.000	25.052		1.00		1.000	26.052
15.000	80.000	10.000	50.000	197.612		160.00		160.000	357.612
14.000	5.000	2.000	3.000	26.417		1.00		1.000	27.417
14.000	5.000	3.000	3.000	31.035		7.00		7.000	38.035
470.000	916.000	208.000	473.000	4529.422	133.750	804.100	2374.728	3312.578	7842.000

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी बाई जलाशय

5693. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी बाई जलाशय की लिफ्ट केनाल का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब आरंभ होगा तथा इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे; और

(ग) इस परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या नीति है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) नहर का निर्माण कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार को ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

सिधमुख नहर सिंचाई परियोजना

5694. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राजस्थान के चुरू संसदीय क्षेत्र में सिधमुख नहर सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी;

(ख) सिंचाई परियोजना को चालू करने में विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस परियोजना की निर्माण संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सिद्धमुख और नोहर परियोजनाओं को क्रमशः 103 करोड़ रुपए और 40.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1990 में निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से हनुमानगढ़ और चुरू जिलों को लाभ पहुंचेगा।

राजस्थान राज्य सरकार ने निर्बाध कार्यान्वयन के उद्देश्य से दोनों परियोजनाओं को मिला लिया है। सिद्धमुख और नोहर परियोजना वार्षिक योजना 1990-92 में प्रारंभ की गई थी और इसे 2000-01 तक पूरा करना है। इस परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 135.00 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता मिल रही है। मार्च, 1997 तक इस परियोजना को आवंटित योजना निधियाँ 146.00 करोड़ रुपए है।

परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 235.00 करोड़ रुपए है और 3/97 तक अनुमानित व्यय 173.53 करोड़ रुपए है। परियोजना पर वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार है :-

सिद्धमुख कमान	कुल मात्रा (किमी)	3/97 तक निष्पादित मात्रा (किमी)
सिद्धमुख फीडर	20	20
रसलाना डिस्टी.	64	36.6
दिसमुख डिस्टी.	52	—
नोहर कमान में माइनर नेटवर्क	251	42.3
नोहर कमान		
जसना मुख्य (फीडर)	3	3
खहननिया डिस्टी.	25.5	25.1
नोहर वितरणी	22.6	22.5
जसना डिस्टी.	30.5	27.3
नोहर कमान में माइनर नेटवर्क	121	95.3

बरशी कैंसर अस्पताल

5695. श्री शिवाजी विठ्ठल राव काम्बले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "कैंसर इज नोमोर, ए हारर टू दीज विलिजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बरशी कैंसर अस्पताल महाराष्ट्र के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में गरीब किसानों और ग्रामीण लोगों को कैंसर संबंधी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त अस्पताल को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) जब कभी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उन पर उनकी मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

गुजरात में पथकर

5696. श्री हरिन पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिला-वार राष्ट्रीय राजमार्ग से कुल कितना पथकर राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कच्छ सौराष्ट्र से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) इसमें से कच्छ क्षेत्र सड़क मार्ग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) प्रत्येक जिले में सड़क क्षेत्र के लिये धनराशि आवंटित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर नहीं वसूला गया है तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने स्थायी पुलों पर शुल्क वसूला जाता है। पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य में 15.83 करोड़ रु० की राशि वसूली गई।

(ग) और (घ) 15.83 करोड़ रु० की कुल राशि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गुजरात राज्य को पुनः आबंटित कर दी गई। तथापि, क्षेत्रवार/जिला-वार आबंटन के लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है।

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

5697. श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने सरकारी निधियों को निर्धारित उद्देश्य के लिए खर्च न कर सावधि जमा में डाल दिया और इससे सांसदों के खातों में ब्याज में काफी नुकसान हुआ और इस मसले को कोच्ची के उप महालेखाकार के प्रतिवेदन में प्रमुख रूप से उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) केरल सरकार से मिली सूचना के अनुसार निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की 30 से 45 दिनों की अल्पावधि जमा योजनाओं में डाल दिया गया है, जिनसे उन्हें 8 से 10 प्रतिशत तक ब्याज प्राप्त हो रहा है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कोची में सांसद-निधि पर ब्याज का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केरल सरकार ने यह भी बताया है कि उन्हें कोची के उप-महालेखाकार की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंत्रालय द्वारा किया गया खर्च

5698. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान मंत्रालय/विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में किये गये व्यय की तुलना में यह कितना अधिक है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान व्यय को कम करने के लिये किये गये मितव्ययता उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1997-98 के दौरान होने वाले व्यय में किस सीमा तक कटौती किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के संशोधित प्राक्कलन में पेंशन सहित 83,402.42 करोड़ रुपए के निवल व्यय का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपए करोड़ में
1993-94	24571.30
1994-95	26154.38
1995-96	30248.63

(ग) और (घ) रक्षा व्यय के सभी क्षेत्रों में किफायत बरतने और मौजूदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। रक्षा व्यय में किफायत बरतने के लिए किए गए उपाय एक सतत् प्रक्रिया है और ये उपाय वर्ष 1997-98 में भी जारी रहेंगे।

सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित लोगों का पुनर्वास

5699. श्रीमती रत्नमाला डी० सवानूर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास पैकेज से संतुष्ट न होने के कारण सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित बड़ी संख्या में लोग अपने गांव लौट आए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने विस्थापित परिवार अपने गांव लौटे हैं;

(ग) सरकार द्वारा दिए गए पुनर्वास पैकेज के संबंध में उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या जो मध्य प्रदेश और गुजरात में अपने-अपने गांवों में लौट गये हैं, उनकी शिकायतें तथा इस मामले में गुजरात सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

जलमग्न गांव	गुजरात में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास स्थल का नाम	लौट आये परिवारों की संख्या	शिकायतें	गुजरात सरकार द्वारा उठाये गये कदम
मध्य प्रदेश				
कुकरा	मियागाम	46	खेत में जलजमाव	जल निकास प्रदान किया गया है।
सोनदूल	सोमपुरा	25	समीपस्थ गांवों के पशु द्वारा चरना।	दाबोल ताल्लुक में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई गई है।
गुजरात				
मोरखादी	अम्बावाडी - 9 चिकादा - 4 पिपरवती - 2 सामला - 2 ककरपाडा - 1	18	खराब किस्म की भूमि तथा वैयक्तिक कारण जैसे वास्तव में जलमग्नता होने तक अपने मूल गांव में मूल भूमि में खेती जिसके वे पात्र हैं।	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है और एक बार चयन कर लिया जाता है तो वैकल्पिक भूमि आवंटित की जा सकती है।

[हिन्दी]

ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत राज्यों को ऋण

5700. श्री सी० नारायण स्वामी :
श्री सनत मेहता :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर की गई धन राशि का पूरा-पूरा उपयोग कितने राज्यों ने किया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अभी तक धन राशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके और राज्यवार अप्रयुक्त धनराशि कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों ने ऋण के लिए आवेदन किया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों का पूरा-पूरा उपयोग किया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान जारी की गई निधियों का जो राज्य उपयोग नहीं कर सके तथा उनके द्वारा अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

राज्य	अप्रयुक्त निधि (करोड़ रुपए)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	13.94
असम	2.55
बिहार	13.29
जम्मू व कश्मीर	1.3

1	2
केरल	1.55
मणिपुर	4.90
उड़ीसा	2.43
त्रिपुरा	0.90
तमिलनाडु	15.67
पश्चिम बंगाल	1.59

परियोजनाओं पर विभिन्न कारणों से कार्य की धीमी प्रगति की वजह से ये राज्य निधियों का उपयोग नहीं कर सके।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत ऋणों के लिए आवेदन किया है।

[अनुवाद]

औषधालय खोलना

5701. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) इस समय मंगोलपुरी में रह रहे केंद्रीय सरकारी पेंशनर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा के लिए निकटतम औषधालय से संबंद्ध हैं। वहां रह रहे कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को नियमित औषधालय स्थापित किए जाने तक केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 के अंतर्गत कवर किया जाता है। यद्यपि नए औषधालय स्थापित करने के लिए दलीलें हैं तथापि यह संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर है।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन

5702. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई है और कितनी गर्भवती महिलाओं को अनुदान उपलब्ध कराया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उन कितने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिनका अकेले कमाने वाले व्यक्ति का देहान्त हो गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई अनुदान और पेंशन की राशि के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार प्रत्येक परिवार/व्यक्ति को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्रीय सहायता के मिलने पर राज्यों द्वारा सामाजिक संरक्षण योजनाओं पर किए जाने वाले खर्च को रोका नहीं जाना चाहिए और यह केन्द्रीय सहायता राज्यों द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे लाभ अथवा भविष्य में दिए जाने वाले लाभ के अतिरिक्त है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभों का मापदंड जो देश भर में एक समान है, निम्नानुसार है :

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : प्रति लाभार्थी प्रति माह 75/- रुपए
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : मुख्य जीविकोपार्जक की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 5000 रुपए और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रुपए।
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों तक गर्भधारण करने पर 300 रुपए।

विवरण

1996-97 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	514946	28461	199399

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	224	4	57
3.	असम	38922	2356	13522
4.	बिहार	643749	4975	95740
5.	गोवा	657	100	31
6.	गुजरात	50970	9	552
7.	हरियाणा	37700	496	10619
8.	हिमाचल प्रदेश	10618	139	2387
9.	जम्मू व कश्मीर	22503	595	5087
10.	कर्नाटक	498670	27	8819
11.	केरल	45595	1321	7950
12.	मध्य प्रदेश	499012	23037	79246
13.	महाराष्ट्र	19150	527	1830
14.	मणिपुर	1806	11	216
15.	मेघालय	3699	12	217
16.	मिजोरम	1204	42	733
17.	नागालैंड	2074	61	2029
18.	उड़ीसा	271745	4470	58608
19.	पंजाब	35429	1395	3562
20.	राजस्थान	53176	1243	117
21.	सिक्किम	800	एन०आर०	एन०आर०
22.	तमिलनाडु	314069	23396	75297
23.	त्रिपुरा	5070	198	4269
24.	उत्तर प्रदेश	659566	17820	419337
25.	प० बंगाल	359900	4070	57991
26.	अ०नि० द्वीपसमूह	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
27.	चंडीगढ़	एन०आर०	एन०आर०	०आर०
28.	दा०ना० हवेली	297	45	134
29.	दमण व द्वीप	78	17	22
30.	रा०रा० क्षेत्र दिल्ली	10253	168	629
31.	लक्षद्वीप	98	16	10
32.	पांडिचेरी	1500	1	559
	कुल	4091480	115012	1047769

एन०आर०—असूचित

[अनुवाद]

प्रसूति एवं स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र

5708. डा० ए०के० पटेल :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने प्रसूति एवं स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रसूति/स्वास्थ्य रक्षा/परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना के लिए बाहरी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) मातृ एवं स्वास्थ्य परिचर्या उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों के जरिए प्रदान की जाती है। राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खोले जाते हैं। परिवार कल्याण विभाग इन केन्द्रों को खोलने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान नहीं करता है।

(ग) और (घ) इस समय इस विभाग में किसी भी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है। तथापि, सभी राज्यों के लिए प्रयोज्य विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना और विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं के अधीन सभी राज्यों में काफी बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मातृ एवं स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

विवरण

उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों की संख्या

क्र० स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रसवोत्तर केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	7894	1283	46	83
2.	अरूणाचल प्रदेश	223	47	9	1
3.	असम	5280	619	105	41
4.	बिहार	14790	2209	148	91
5.	गोवा	175	21	5	4
6.	गुजरात	7284	957	185	88
7.	हरियाणा	2299	397	63	33
8.	हिमाचल प्रदेश	1908	246	50	33
9.	जम्मू व कश्मीर	1700	335	45	17
10.	कर्नाटक	7993	1459	224	103
11.	केरल	5094	959	54	82
12.	मध्य प्रदेश	11936	1576	190	122
13.	महाराष्ट्र	9725	1695	295	121
14.	मणिपुर	420	72	16	4
15.	मेघालय	337	88	10	4
16.	मिजोरम	261	38	6	6
17.	नागालैंड	244	33	5	2
18.	उड़ीसा	5927	1056	157	79
19.	पंजाब	2852	484	105	54
20.	राजस्थान	8692	1572	256	135
21.	सिक्किम	147	24	2	3
22.	तमिलनाडु	8681	1436	72	119
23.	त्रिपुरा	537	63	11	4
24.	उत्तर प्रदेश	20153	3761	262	219
25.	प० बंगाल	7873	1556	89	82
26.	अ०नि० द्वीपसमूह	96	17	4	1
27.	चंडीगढ़	12	—	1	2
28.	दा०न० हवेली	34	6	—	—
29.	दमण व दीव	19	4	2	—
30.	दिल्ली	42	8	—	14
31.	लक्षद्वीप	14	7	3	—
32.	पांडिचेरी	79	27	4	3

[हिन्दी]

गांवों का विकास

5704. श्री सत्यपाल जैन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 1996-97 में गांवों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ग) वर्ष 1996-97 में विभिन्न विकास कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई और कितने विकास कार्यों को पूरा किया गया तथा अभी कितने विकास कार्य शुरू किए जाने हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1997-98 में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन०एस०ए०पी० योजना

5705. श्री समीक लाहिड़ी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 65 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को जिनके कोई संबंधी नहीं हैं, को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी कार्यक्रम पर विचार करेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध है :

1. आवेदक (पुरुष/महिला) की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक दीनहीन हो अर्थात् उसे आय के अपने स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों के जरिए वित्तीय सहायता के रूप में जीविका का नियमित साधन न हों अथवा बहुत कम हों। यदि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के शुरू होने से पूर्व दीनहीन का पता लगाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनाए गए मानदण्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक उदार हों तो राज्य/संघ राज्य सरकारें इनको अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति माह 75 रुपए होगी।
4. वृद्धावस्था पेंशनों की कुल संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा उपस्कर

5706. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा 10 हजार और इससे अधिक लागत के खरीदे गए उपस्करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अस्पताल प्राधिकारियों ने इन उपस्करों की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा उपस्कर खरीदे जाने के मामलों की सी०बी०आई० द्वारा जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा 1994-97 के दौरान खरीदे गए/प्राप्त किए गए उपकरणों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

वर्ष 1994-97 के दौरान खरीदे गए उपकरणों की सूची

अस्पताल स्तर पर खरीदे गए उपकरणों के नाम

1. ई एन टी टिम्पेनोमीटर (1)
2. सेमी– आटोमैटिक हेमेटोलॉजी काउंटर (1)
3. ब्लड गैस एनालाइजर
4. डीप फ्रीजर प्लाज्मा (1)
5. स्टेरीलाइजर/आटोक्लेव्ज (8)
6. इलैक्ट्रोलाइट एनालाइजर (1)
7. नेबुलाइजर विद किट्स (4)
8. हाइपर हाइपो थर्मिया सिस्टम (1)
9. नेबुलाइजर मॉडल हैण्डीनेब अल्ट्रासॉनिक (1)
10. डेंटल एक्सरे यूनिट (1)
11. ई एन टी माइक्रोमोटर ड्रिल (1)
12. आटोमैटिक स्लाइड प्रोजेक्टर (1)
13. सर्जन आपरेटिंग चेयर (हाइड्रॉलिक) (1)
14. आक्सीन पाइप लाईन सिस्टम
15. शॉर्टवेव डायाथर्मी मशीन (6)
16. हैड लाइट्स (2)
17. फोटोकापिअर मशीन (2)
18. लेजर प्रिंटर (3)
19. डिफिब्रीलेटर/मानीटर (1)
20. माइक्रोप्रोसेसर रेडिएंट हीट वार्मर (2)
21. नेबुलाइजर (1)

22. ग्रास लैब (1)

स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा जर्मन सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए गए उपकरणों के नाम।

23. वायोकैमिस्ट्री एनालाइजर (एक्सप्रेस प्लस) (3)

24. फ्रैक्टोस्कैन जूनियर (1)

25. मल्टीहैड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप (1)

26. पल्स आक्सीमीटर (10)

27. नॉन-इनवेजिव ब्लड प्रैस्सर (2)

28. आबस्टेट्रिक चेयर/बैड हाइड्रालिक (1)

29. फिब्रिंटीमर (1)

30. डिफिब्रिलेटर मानीटर (1)

31. सेंट्रल स्टेशन (1)

32. बैड साइड मानीटर (4)

33. वी आई पी बर्ड वेंटीलेटर (2)

34. एनेस्थीजिया मशीन (6)

35. सी० आर्म इमेजिज बी वी-29 (1)

36. ई सी जी मशीन 12 लीड्स (2)

37. इलैक्ट्रानिक सर्जिकल कॉटेरी मशीन (2)

38. आई सी यू बैड्स (2)

39. ओ० टी० टेबल्स हाइड्रालिक (2)

40. आर्थ्रोस्कोप (1)

41. मार्टिन ओ०टी० लाइट मोबाइल पोर्टबल (2)

42. ए एल सिस्टम सैल काउंटर

43. रेस्पायरेटर वेंटीलेटर (2)

44. साइटोस्कोप/रिसेस्टीस्कोप (1)

45. सक्शन मशीन (4)

46. बेबी वार्मर बैड (2)

47. बेबी इन्क्यूबेटर (2)

48. आपरेटिंग माइक्रोप्रोसेस्सर (2)

49. काल्पोस्कोप (1)

50. आपरेटिव वीडियो लैप्रोस्कोप (1)

51. ओ०टी० सीलिंग लाइट (2)

52. इन्ट्रा आपरेटिव अल्ट्रासाउंड (1)

53. कम्प्यूटाइज्ड आटोमैटिक सैल काउंटर (1)

54. अल्ट्रासाउंड सोनालाइन (1)

हस्ताक्षर/-

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के क्रय सैल द्वारा खरीदे गए उपकरणों के नाम :-

1. वेंटीलेटर (1)

2. लाइफ पाक डिफिब्रिलेटर/मानीटर (4)

3. इलैक्ट्रोसर्जिकल काटेरी (4)

4. ओ०टी० लाइट फिलिप्स (2)

5. ई०एम०जी० मशीन (1)

6. ई ई जी मशीन (1)

हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खरीदे गए उपकरणों के नाम :-

1. वेंटीलेटर (1)

2. मल्टीपैरामीटर आटो एनालाइजर (1)

विश्व स्वास्थ्य संगठन से मुफ्त प्राप्त हुए उपकरणों के नाम :

1. अम्बुलेटरी ब्लड प्रैस्सर मानीटर (1)

पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के जरिए खरीदे गए उपकरणों के नाम:-

1. पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर विद मानीटर (4)

प्लास्टिक लंग्स

5707. डा० सी० सिल्वेरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें प्रतिरोपण अंग की कमी के कारण मारे जाने वाले हजारों लोगों की जान बचाने हेतु लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्लास्टिक के फेफड़े के बारे में जानकारी प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में ऐसे फेफड़े को सूअर में प्रतिरोपित

किए जाने का उल्लेख किया गया है और इनका मानव पर परीक्षण किये जाने से पूर्व भेड़ में प्रतिरोपित किए जाने संबंधी परीक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रहित में इस विकास-घटना और प्रत्यारोपण प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए आयुर्विज्ञान के वरिष्ठ विशेषज्ञों के एक दल को लंदन भेजने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम ने एक सूअर में एक प्लास्टिक का फेफड़ा प्रतिरोपित करके उसे 24 घंटे तक जीवित रखा और यह कि इसका मानव परीक्षणों की तैयारी में भेड़ पर जांच करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि किए गए अध्ययन केवल प्रारंभिक अवस्था में हैं।

हरियाणा में नहरों को सुदृढ़ करना

5708. कर्नल राव राम सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई; और

(ग) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर हरियाणा सरकार ने इस राशि को खर्च कर दिया है और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, उसकी वित्तीय व्यवस्था एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय सहायता सामान्यतः ब्लॉक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी परियोजना के साथ जुड़ी नहीं होती है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के दौरान विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं और जल संसाधन समेकन परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की है। वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)	
			अनुमोदित	दी गई
1.	*हरियाणा*	*जल संसाधन समेकन परियोजना*	*40.00*	*30.00*
2.	राजस्थान	जायसमांड आधुनिकीकरण परियोजना	1.85	.925
3.	तमिलनाडु	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00
4.	उत्तर प्रदेश	मध्य गंगा नहर सहित अपर गंगा	20.00	15.00

(ग) हरियाणा सरकार ने यह राशि जल संसाधन समेकन परियोजना पर व्यय की है और वर्ष 1996-97 के दौरान इस परियोजना के जरिए सृजित की जाने वाली संभावित क्षमता 20.38 हजार हैक्टेयर है।

एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में संशोधन

5709. श्री सुधीर गिरि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद का विचार आगामी शैक्षणिक वर्ष से एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस संबंधी मानदंडों में भी संशोधन किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) एम०बी०बी०एस० पाठ्यचर्या वाली स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अधीन एक विनियम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है और इसके बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को दिनांक 4.3.1997 को सूचित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। प्रतिपूर्ति के एक उपाय के रूप में ऐसे डाक्टरों को प्रैक्टिसबंदी भत्ता दिया जा रहा है।

बेल्लारी में चिकित्सा विज्ञान संस्थान

5710. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के दल ने बेल्लारी स्थित विजय नगर चिकित्सा विज्ञान संस्थान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल की प्रमुख टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टीम की रिपोर्ट के अनुसार 5 प्रोफेसरों, 32 एसोसिएट प्रोफेसरों/रीडरों, 30 सहायक प्रोफेसरों/लेक्चररों और 55 ट्यूटरों/डिमांस्ट्रेटरों/रजिस्ट्रारों की कमी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों/यूनिटों में जगह, उपकरणों और पलंगों की कमी है। संस्थान से कहा गया है कि वह इन कमियों को ठीक करे।

गोवा में नौकायन केन्द्र

5711. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में नौकायन केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इस केन्द्र को अब तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को धनराशि

5712. डा० राम लखन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान 'राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन योजना' के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को आवंटित कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भिंड, दतिया और मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिलावार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने किसी एजेंसी के माध्यम से साक्षर बनाये गये लोगों की संख्या की वास्तविक जांच और इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; यदि हां, तो कब,

(घ) क्या यह सच है कि फालतू खर्च एवं कागजी कार्य किया जा रहा है और वास्तविक कार्य नगण्य है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कार्यान्वयन समिति को राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन योजना का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन राजीव गांधी प्राथमिक मिशन को अनुदान प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन करने के लिए जिला साक्षरता समिति को सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं। यह जिला साक्षरता समिति जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक पंजीकृत सोसाइटी (समिति) होती है। वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा मध्य प्रदेश की जिला साक्षरता समितियों को साक्षरता के लिए प्रदान की गई अनुदान धनराशि निम्नवत् हैं :

वर्ष	प्रदान की गई अनुदान की राशि
1994-95	25,11,99,010/- रु०
1995-96	6,37,00,000/- रु०
1996-97	3,81,84,000/- रु०

(ख) भिण्ड, दतिया तथा मुरैना को जिलावार प्रदान की गई अनुदान की राशि निम्नवत् है :-

भिण्ड	65.00 लाख रु०
मुरैना	70.00 लाख रु०
दतिया	43.75 लाख रु०

(ग) सरकार द्वारा साक्षरता संबंधी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। जिला साक्षरता समिति, संपूर्ण साक्षरता अभियान को प्रारंभ करने से पूर्व ही 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग में साक्षर बनाए जाने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए साक्षरता सर्वेक्षण करती है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के पूरा होने पर शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित की गई साक्षरता संबंधी दक्षताओं को निर्धारण करने के लिए एक वाह्य एजेंसी के माध्यम से नमूने पर आधारित एक मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। उपर्युक्त तीनों जिलों में ये अभियान अभी भी प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) इस योजना के अन्तर्गत जिला साक्षरता समिति को व्यय की विशिष्ट मदों के लिए अनुदान दिया जाता है तथा जिला साक्षरता समिति से आशा की गई है कि वह केवल उन्हीं मदों पर व्यय करें जिसे प्रयोजनार्थ अनुदान स्वीकृत किया गया है। जिला साक्षरता समिति द्वारा अधिक राशि खर्च किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिला साक्षरता समिति के लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती है। इन साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 15-35

वर्ष की आयु-वर्ग में 125.25 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें 84.67 लाख व्यक्तियों को इनमें नामांकित कर लिया गया है। इनमें से 32.60 लाख व्यक्ति मार्च, 1997 तक साक्षर बना दिए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5713. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय नें यह निर्णय दिया है कि कोई चिकित्सक केवल उसी चिकित्सा प्रणाली के अनुसार इलाज कर सकता है जिसके अंतर्गत उसने उपाधि प्राप्त की हो, यदि हां, तो इस निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में जांच हेतु तहसील और जिला स्तर पर कोई तंत्र गठित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तंत्र को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) उच्चतम न्यायालय ने पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल और अन्य के मामले में दायर की गई 1994 की सी ए संख्या 8856 में दिए गए अपने फैसले में यह निदेश दिया कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायी एलोपैथिक पद्धति में प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वें उस पद्धति में अर्हता प्राप्त नहीं हैं। ये मुद्दे डा० मुख्तियार चन्द और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में सिविल अपील संख्या 836/87, रिट याचिका (सी) 5/87, 1082/88, 359/91, विशेष अनुमति याचिका संख्या 8421, 8422/95 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए जा रहे हैं। इस मामले की एक तीन सदस्यीय पीठ द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है। इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बालिका शिक्षा

5714. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिका-शिक्षा के गिरते हुए स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बालिका शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा संबंधी स्थिति बिगड़ रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) द्वारा संचालित किए जा रहे छठे अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनंतिम आकड़ों के अनुसार बालिकाओं के सम्पूर्ण नामांकन में वर्ष 1986 से 1993 तक माध्यमिक स्तर पर 51% और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 54% की वृद्धि हुई है। शिक्षा सर्मवर्ती सूची में होने के कारण बालिकाओं के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि

5715. श्री राम कृपाल यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1992 में परती भूमि विकास बोर्ड के गठन के पश्चात अब तक कितनी परती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है;

(ख) समन्वित परती भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत गैर वन परती भूमि में शुरू की गई पनधारा की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और संबंधित भावी कार्यक्रम क्या है; और

(ग) परती भूमि के विकास के लिए सरकार की भावी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) बंजर भूमि विकास विभाग का उददेश्य सतत् उपयोग के लिए वनेतर बंजरभूमि का विकास करना है ताकि बायोमास, विशेषकर जलाऊ लकड़ी तथा चारे की उपलब्धता में वृद्धि हो सके। बंजरभूमि विकास विभाग को बंजरभूमि को कृषि योग्य बनानें का दायित्व नहीं सौंपा गया है। तथापि, विभाग की योजनाओं अर्थात समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, सह्यता अनुदान और प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत 3,08,700 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए परियोजनाओं को 238.19 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ख) और (ग) वाटरशेड आधार पर बंजरभूमि के विकास के लिए 32 समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। ये परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। बंजरभूमि विकास विभाग की विद्यमान योजनायें इस समय जारी हैं।

[अनुवाद]

डाबर ग्राइप वाटर

5716. श्री मोहन रावले :
श्री दिनशा पटेल :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" कनाडा वार्नस् अगेन्स्ट डाबर ग्राइप वाटर शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या डाबर ग्राइप वाटर के नमूने परीक्षण में कांच के टुकड़े पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों के रोशनी में आने तक इस खतरनाक तरल के उपभोग के खतरनाक परिणाम से छोटे बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वारा डाबर ग्राइप वाटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स डाबर (इंडिया) लिमिटेड, साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) के परिसर में सरकार द्वारा की गई जांच से उक्त कंपनी द्वारा "नियंत्रित नमूनों" के रूप में विनिर्मित तथा अनुरक्षित उत्पाद के विभिन्न बैचों में प्रत्यक्ष परीक्षण से शीशे के कण पाए जाने का पता नहीं चला।

(घ), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इस उत्पाद पर निगरानी को कड़ा कर दिया गया है।

अप्रयुक्त उपकरण

5717. श्री तारीक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्वविद्यालय सर्विसिज तथा कतिपय अन्य केन्द्रों पर उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रोजगार गारन्टी योजना

5718. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल ने देश के सभी ब्लाकों में रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों के कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) मंत्रिमंडल ने देश के समस्त ग्रामीण ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे ग्रामीण गरीबों को कृषितर मौसम के दौरान मजूदरी रोजगार प्रदान करना है, जिन्होंने रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना नाम पंचायतों में दर्ज करा रखा है। अब तक 2.41 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना नाम इस योजना के अन्तर्गत दर्ज कराया है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के लिए 1970 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सड़क परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को दिया जाना

5719. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सड़क विकास परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विकास कार्य

5720. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और राज्य के अन्य भागों में विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं जबकि कागजों में इसे दिखाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप मंत्रालय द्वारा इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के सभी भागों सहित देश भर में ग्रामीण विकास कार्य किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

5721. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर महानगरों में 10 वर्ष से अधिक अवधि के वाहनों को सड़क पर चलाने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होफू व्याधि

5722. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रक्त से संबंधित सभी रोगों में सर्वाधिक खतरनाक बीमारी – होफू के एक रोगी का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरनाक बीमारी के पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही आरंभ करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। होफू हेमोग्लोबिन का मध्यम अस्थायी रूपान्तर है। यह हेमोग्लोबिन की कभी-कभार होने वाली विकृति है और जानलेवा रोग नहीं हैं। इस अपसामान्य होमोग्लोबिन वाले व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं और विशेषज्ञों ने इसके लिए निवारक उपाय नहीं सुझाए हैं।

[हिन्दी]

पायलटों को प्रशिक्षण

5723. श्री एन०जे० राठवा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना द्वारा हवाई जहाज के पायलट को प्रशिक्षण देने में कितनी राशि खर्च होती है;

(ख) आज की तारीख तक वायु सेना में कितने पायलट हैं तथा यह निर्धारित संख्या से कितने कम हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई दुर्घटनाओं में मारे गए पायलटों की संख्या क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप देश को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या हवाई दुर्घटनाओं में मारे गए प्रत्येक पायलट के परिवार के सदस्यों को मुआवजे की अदायगी कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) प्रत्येक उप-धारा (सब स्ट्रीम) के प्रत्येक पायलट के प्रशिक्षण पर आने वाली लागत इस प्रकार है :-

1. लड़ाकू	5.2 करोड़ रुपए
2. परिवहन	1.7 करोड़ रुपए
3. हेलिकाप्टर	1.0 करोड़ रुपए

(ख) 30 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार 3,347 पायलटों की प्राधिकृत स्थापना के मद्दे पायलटों की वास्तविक संख्या 2,884 है।

(ग) गत 3 वर्षों में मारे गए पायलटों की संख्या 26 है। भारतीय वायुसेना की अनंतिम हानि 170.73 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) 24 दिसंबर 1996 को वायुयान दुर्घटना में मारे गए दो पायलटों को छोड़कर सभी पायलटों के निकटतम संबंधियों को मृत्यु लाभ स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन दो पायलटों के मामले में इनके निकटतम संबंधियों के दस्तावेजों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

सेना कल्याण आवास संगठन

5724. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सेना अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है;

(ख) इन अधिकारियों के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अथवा छोटे-मोटे अपराधों से निपटने वाले एजेंसी का काम क्या है;

(ग) क्या सरकार की थलसेना कल्याण आवास संगठन (ए डब्ल्यू एच ओ) में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) सेना कल्याण आवास संगठन तथा सैना सामूहिक बीमा निधि के लिए कोई सेना अफसर प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। तथापि, इन संगठनों में कुछ अफसर अतिरिक्त रेजिमेंटल रोजगार में हैं जो सेना और सेवानिवृत्त कार्मिकों के कल्याण का कार्य देखते हैं। इन अफसरों

को संबंधित संगठनों द्वारा बुक डेबिट की प्रक्रिया के माध्यम से वेतन दिया जाता है तथा ये अनुशासन और सतर्कता संबंधी मामलों में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं।

सेना कल्याण आवास संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। सेना कल्याण आवास संगठन के विरुद्ध एक शिकायत, जिसमें इस संगठन द्वारा रिहायशी यूनिटों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने तथा इन पर अधिक लागत लगाने के आरोप लगाए गए हैं; पर राज्य उपभोक्ता मंच ने विचार करके उसे रद्द कर दिया था।

राउरकेला से सम्बलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

5725. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य के भाग के रूप में राउरकेला से सम्बलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर सैकड़ों वृक्ष लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने वृक्षों को काटा गया है तथा इन वृक्षों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नये वृक्ष लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, किस संगठन को वृक्षारोपण कार्यक्रम का कार्यभार सौंपा गया है तथा इस वृक्षारोपण कार्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बंजरभूमि संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5726. श्री नीतीश कुमार :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत महीनों में बंजरभूमि सम्बन्धी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में इन परियोजनाओं के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बंजरभूमि विकास विभाग ने विभाग की विभिन्न प्लान स्कीमों की समीक्षा करने तथा बंजरभूमि-विकास-परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के समक्ष स्थानीय स्तर पर आ रही कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करने तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की थी। राज्यों के सचिवों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय लोगों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी हो। परियोजनाओं की कड़ी निगरानी और निरीक्षण पर भी बल दिया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय

5727. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और वर्तमान दो लेनों वाली मालवाही सड़कों को मजबूत बनाने पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान लागू किये जाने वाले प्रस्तावों और इस संबंध में होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने/सुदृढ़ करने सहित रा०रा० (मूल) कार्यों के लिए आवंटित निधियां इस प्रकार हैं :-

1995-96	28.99 करोड़ रु०
1996-97	19.20 करोड़ रु०

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 1997-98 के दौरान 68.00 करोड़ रु० के कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। तथापि, फिलहाल इन कार्यों में होने वाला व्यय बता पाना संभव नहीं है।

अन्तर-राज्य जल विवाद

5728. श्री एन० डेनिस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाने हेतु अन्तर्राज्यीय परिषद की सेवाओं का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अंतर्राज्यीय सचिवालय परिषद को अभी तक कोई अंतर्राज्यीय जल-विवाद नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई के लिए बजट का आवंटन

5729. श्री निहाल चंद चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और सिंचाई योग्य भूमि का क्षेत्र कितना था;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई योग्य भूमि के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सिंचाई पर बजट आवंटन में वृद्धि के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पहली और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई योग्य भूमि के लिए अभी तक क्रमशः आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई क्षमता के सृजन पर केन्द्रीय व राज्यों में बजटों से व्यय की गई राशि 441.86 करोड़ रुपए और सिंचाई अंतर्गत लाया गया क्षेत्र 3.66 मिलियन हैक्टेयर था।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र अनन्तिम रूप से 10.70 मिलियन हैक्टेयर अनुमानित किया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई सुविधाओं के सृजन पर व्यय/परिव्यय पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार बढ़ रहा है। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

पंचवर्षीय योजना	व्यय (करोड़ रुपए में)
पहली योजना	442
दूसरी योजना	522
तीसरी योजना	904
चौथी योजना	1755
पांचवीं योजना	3147
छठी योजना	9348
सातवीं योजना	14226
आठवीं योजना	28392 (परिव्यय)

[अनुवाद]

कलकत्ता पत्तन पर शुष्क गोदियां

5730. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें जून, 1994 में नेताजी सुभाष शुष्क गोदी पट्टे पर दी गई थी;

(ख) पट्टा-समझौता की मुख्य शर्तें क्या है; और

(ग) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फर्म से गोदी वापस लिए जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास ने नेताजी सुभाष शुष्क गोदी में शुष्क गोदी 1 और 2 तथा इसके साथ लगी भूमि और जलीय बर्थ के लिए भूमि जून, 1994 में मै० चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लि० (सी०एस०बी०एल०) को पट्टे पर दे दी।

(ख) सी०पी०टी० और सी०एस०बी०एल० के बीच 1 जून, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित शर्तें शामिल थीं :-

1. देश के कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए संगत अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार पट्टे का उपयोग केवल जहाज मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

2. पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी तथा इसका नवीकरण नहीं किया जाएगा।

3. जलीय बर्थ के लिए सी०एस०बी०एल० 365 दिनों के लिए प्रतिदिन 12,500 रु० प्रतिदिन की दर से किराए का भुगतान करेगा, जो सी०एस०बी०एल द्वारा बर्थ पूरा किए जाने अथवा समझौता ज्ञापन/ करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 24 माह पूरे होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, देय होगा।

4. एन०एस० शुष्क डॉक 1 और 2 के साथ लगी भूमि के लिए सी०एस०बी०एल द्वारा 1768.00 रु० प्रति 100 वर्ग मीटर प्रति माह की दर से राशि देय होगी।

5. शुष्क गोदी के साथ लगी भूमि के लिए चार वर्ष के किराए के समान अर्थात् 79,73,592 रु० की राशि का अप्रतिदेय प्रीमियम मै० सी०एस०बी०एल द्वारा दो किस्तों में देय होगा।

6. प्रस्तावित जलीय बर्थ के साथ लगी भूमि के लिए

सी०एस०बी०एल० द्वारा 1456.00 रु० प्रति 100 वर्ग मीटर प्रतिमाह की दर से मासिक किराया देय होगा।

7. जलीय बर्थ के साथ लगी भूमि के लिए चार वर्ष के किराए के समान अर्थात् 46,29,381.00 रु० का अप्रतिदेय प्रीमियम मै० सी०एस०बी०एल० द्वारा दो किस्तों में देय होगा।

8. शुष्क गोदी प्रभारों, जलीय बर्थ के लिए प्रभारों और किराया तथा शुष्क गोदी और जलीय बर्थ के साथ लगी भूमि के लिए नगर पालिका कर से संबंधित सभी प्रकार के भुगतान प्रतिमाह महीने की 10 तारीख के अंदर अग्रिम रूप में देय होंगे।

9. एन०एस० शुष्क गोदी 1 और 2 तथा जलीय बर्थ के साथ लगी भूमि के लिए एक वर्ष के किराए और कर के समान क्रमशः 23,97,072.00 रु० और 13,91,708.00 रु० की राशि किराए और कर के भुगतान की जमानत राशि के रूप में सीएसबीएल द्वारा देय होगी।

10. विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर भुगतान में किसी प्रकार की चूक की स्थिति में सभी बकाया देयताओं पर मै० सी०एस०बी०एल० द्वारा 18% ब्याज देय होगा।

11. पट्टेदार द्वारा किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सी०पी०टी० कानूनी तौर पर सी०एस०बी०एल० का प्रचालन रोक सकेगा और तीन माह का नोटिस देने के बाद पट्टान्तरित परिसर में पुनः प्रवेश करके कार्य शुरू कर सकता है।

(ग) मै० सी०एस०बी०एल० समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा देय राशि के भुगतान में चूक करता रहा है और फरवरी, 1996 तक उनकी तरफ 7.42 करोड़ रु० देयता के रूप में बकाया हैं जिसमें ब्याज की राशि शामिल नहीं है। कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नवम्बर, 95 में सी०एस०बी०एल० को तीन माह का नोटिस दिए जाने के बाद भी सी०एस०बी०एल० बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप अन्त में सी०एस०बी०एल० को पट्टान्तरित परिसर 1.3.1996 को कलकत्ता पत्तन न्यास ने अपने कब्जे में ले दिए।

वित्तीय सहायता

5731. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ग) क्या नियत लक्ष्य के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि नहीं तो शेष राशि कब तक दे दी जाएगी;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य की उपलब्धियां क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दी गई वित्तीय सहायता तथा 1997-98 के दौरान प्रस्तावित वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों को वित्तीय सहायता वित्तीय मानदण्डों तथा प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1994-95 से 1997-98 के दौरान मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

(रुपये करोड़ों में)

क्र०सं०	योजना का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	11.22	13.63	20.07	(प्रस्तावित) 21.07
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	3.51	2.76	4.71	2.57*

1	2	3	4	5	6
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम	2.26	3.70	1.18	अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	6.10	9.16	लागू नहीं होता	10.50
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2.93	3.00	9.00	4.37
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	99.94	127.18	117.35	69.87**

*इसके अतिरिक्त जिला कुष्ठ सोसायटी को उनके व्यय के आधार पर निधियां प्रदान की जायेंगी।

**क्षेत्रीय परियोजना को छोड़कर क्योंकि इस परियोजना के लिए राज्य-वार आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

विवरण-II

1994-95 से 1996-97 के दौरान मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य की उपलब्धियां

क्र०सं०	योजना का नाम	उपलब्धियां		
		1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**			
	(i) पॉजिटिव रोगियों की संख्या	330699	368796	315343
	(ii) पहचान किए गए पी०एफ० रोगियों की संख्या	105616	132841	84016
	(iii) ए०बी०ई०आर०	13.36	14.29	15.02
	(iv) छिड़काव कवरेज (जनसंख्या मिलियन में)	5.98	14.08	रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
		1994-95	1995-96	1996-97
2.	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**			
	पहचान किए नए गए रोगी	69340	41621	33494
	उपचार के अन्तर्गत लाए गए रोगी	69340	41621	33494
	डिस्चार्ज किए गए रोगी	103.123	58561	32046
3.	**राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**			
	पहचान किए गए नये रोगी (लाखों में)	1.35	2.05	1.88 (अनंतिम)

1	2	3	4	5
4.	**राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम**			
	किए गए मोतियाबिन्द के ऑपरेशन	257381	314000	357407
5.	**परिवार कल्याण कार्यक्रम**			(कवरेज स्तर %)
	(I) टीकाकरण कवरेज			
	डी०पी०टी०	101.1	97.14	79.94
	पोलियो	102.15	97.83	80.29 (फरवरी 97 तक)
	बी०सी०जी०	107.03	101.57	87.19
	खसरा	93.17	90.95	75.38 (अनन्तिम)
	टेटनस (गर्भवती महिलाएं)	88.32	85.64	68.23
	(II) परिवार नियोजन कवरेज**			कवरेज (लाखों में)
	बन्धीकरण	5.82	5.66	3.76
	आई०यू०डी०	4.76	4.71	3.21 (जनवरी 97 तक)
	सी०सी० प्रयोगकर्ता	13.57	13.61	9.51
	ओ०पी० प्रयोगकर्ता	4.18	4.35	3.52 (अनन्तिम)
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	कार्यक्रम प्रबन्धन क्षमताओं को राज्य एड्स कक्ष तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति बनाकर मजबूत किया गया है। 38 यौनसंचारित रोग क्लीनिकों को मजबूत किया गया है। 16 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है और 71 रक्त बैंकों का नवीकरण किया गया है। चिकित्सा व परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए उच्च स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।		

* 1994-95 से 1996-97 के टीकाकरण कवरेज के सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

**1995-96 से 1996-97 के एफ०पी० कवरेज के सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में भर्ती

5732. श्री दिनशा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आई०आई०टी०) के विभिन्न विभागों तथा केन्द्रों में संकाय सदस्यों की भर्ती सामान्य साक्षात्कार द्वारा की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विभागों में केन्द्रों के संकाय सदस्यों का खपाया जाना वैधानिक रूप से अनुमत्य है;

(घ) क्या देश के अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी खपाए जाने के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की ही प्रक्रिया अपना रहे हैं; और

(ङ) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग-वार अलग-अलग खपाये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। संस्थान की संविधियों के अनुसरण में संकाय की भर्ती के लिए चयन समितियों

का विभागवार/केन्द्रवार गठन किया जाता है। किसी केन्द्र से किसी विभाग में संकाय का स्थानांतरण संस्थान के शासी बोर्ड के अनुमोदन से किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान भा०प्रौ० संस्थान, दिल्ली में केन्द्रों से विभागों में स्थानांतरित किए गए संकाय सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

भौतिकी	–	4
अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	–	4

नमक्कल, तमिलनाडु में उपमार्ग

5733. श्री के० कंडासामी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु में नमक्कल, राजाजी जिले में उपमार्ग सड़क निर्माण की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए काफी लम्बे समय तक इंजीनियरी संबंधी सर्वेक्षण किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपमार्ग का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। नामाक्कल बाईपास के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। इस बाई पास का निर्माण बी ओ टी आधार पर किया जा रहा है।

मुल्लापेरियार बांध

5734. श्री पी०सी० थामस :
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुल्लापेरियार बांध के बारे में केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों के बीच मुख्य रूप से विवाद के मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस विवाद के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केरल की शिकायतें दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार बांध की सुरक्षा को आशंका करते हुए मौजूदा जल स्तर को 152 फीट के अभिकल्पित पूर्ण जलाशय स्तर तक बढ़ाये जाने पर सहमत नहीं है।

(घ) इस मामले का समाधान करने के लिए केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम हेतु सहायता

5735. श्री केशव महन्त : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना हेतु अभी तक कितनी राशि प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। असम सरकार ने चालू वर्ष के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है। परंतु राज्य सरकार के पास केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 1.4.97 तक उपयोग न की गई राशि के रूप में 136.65 लाख रुपए का आदिशेष है।

रोग सहायता कोष

5736. श्री एन०एस०वी० चित्तन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए नई स्वास्थ्य नीति को अन्तिम रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार रोग सहायता कोष योजना के क्रियान्वयन में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) मौजूदा स्वास्थ्य नीति 1983 में अपनाई गई थी। पिछली उपलब्धियों की समीक्षा करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 13.1.1997 के संकल्प के तहत राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष स्थापित किया गया है जो भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I खण्ड-I) (संख्या 9) में प्रकाशित किया गया है। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडलों वाले) एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में बीमारी सहायता कोष स्थापित करें। यह कोष भारत में गरीबी

की रेखा से नीचे रह रहे बीमार लोगों, जीवन को खतरे वाले रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञ अस्पतालों/संस्थाओं अथवा इस योजना में भाग ले रहे दूसरे सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा उपचार कराने के लिए वित्तीय सहायता देगा। कुछ राज्यों ने अपने बीमारी सहायता कोष स्थापित किए हैं तथा 1996-97 के दौरान योजना के अन्तर्गत यथा ग्राह्य सहायता अनुदान कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा को जारी किया गया है। दिल्ली आरोग्य निधि को 50.00 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। 1997-98 के दौरान राज्य बीमारी सहायता कोष के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अर्जुन टैंक

5757. श्री अय्यन्ना पटरूघु :
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना की सभी रेजीमेंटों के पास पर्याप्त मात्रा में अर्जुन टैंक है;

(ख) क्या भारतीय सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्जुन टैंकों की अपर्याप्तता महसूस की गई है;

(ग) क्या भारतीय सेना में उपयोग हेतु अर्जुन टैंकों के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या भारतीय सेना के उपयोग के लिए किसी अन्य देश से नए टैंक खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) नौवीं योजना के दौरान दो रेजिमेंटों को अर्जुन टैंकों से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

(ख) टैंकों की उत्पादन-पूर्व शृंखला का प्रयोक्ता परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) नौवीं योजना में उपयुक्त संख्या में टैंकों का उत्पादन करने की योजना है।

(घ) और (ङ) इस स्तर पर कोई सूचना देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

5758. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अपर्याप्त है और उनका रखरखाव भी ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने नई परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए उचित आवंटन हेतु अनेक अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की किलोमीटर में लम्बाई 2918 कि०मी० है जोकि देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे नम्बर पर सबसे अधिक है। उन्हें उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। रख-रखाव और मरम्मत हेतु पूरे देश के लिए समग्र रूप में उपलब्ध कराई गई निधियां, आवश्यकता का लगभग 40 से 45 प्रतिशत हैं। तदनुसार, राज्य में 1996-97 के दौरान रख-रखाव और मरम्मत के तहत 27.70 करोड़ रु० के कार्यों को स्वीकृति दी गई है जिसमें बाढ़ से हुई क्षति के मरम्मत-कार्य भी शामिल हैं।

रोजगार संबंधी योजनाएं

5759. डा० असीम बाला : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री द्वारा वित्तीय संस्थाओं को दिए गए आदेश के अनुसार रोजगार बढ़ाने हेतु गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेरोजगार युवकों के लिए कोई विशेष रोजगार संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार योजनाओं में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसा है जिसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार और आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण दिया जाता है।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं सहित ग्रामीण गरीबों, जो रोजगार के लिए अपना नाम पंचायतों के पास दर्ज कराते हैं को गैर-कृषि मौसम के दौरान अकुशल शारीरिक श्रम संबंधी 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। तथापि, मंत्रालय द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए अभी हाल में कोई विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

सी०जी०एच०एस० औषधालय

5740. श्री टी० गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजधानी में सी०जी०एच०एस० औषधालय मरीजों और इनके लाभार्थियों की सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) कार्य के समय डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाइयों संबंधी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) वर्तमान में कुल कितनी रिक्तियां हैं जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को भर्ती किया गया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) इस समय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के लाभार्थियों को 87 एलोपैथिक औषधालयों और 13 आयुर्वेदिक, 13 होमियोपैथिक, 4 यूनानी तथा 1 सिद्ध यूनिटों/औषधालयों और रामकृष्णपुरम के प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञान अस्पताल एवं लोधी रोड स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के भी जरिए सेवा प्रदान की जाती है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का तंत्र समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

(ख) से (घ) कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टर उपलब्ध रहते हैं। डाक्टर के किसी विशेष औषधालय में अनुपलब्ध रहने की स्थिति में निकटतम औषधालय से किसी डाक्टर की सेवा का इंतजाम करके वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।

मौजूदा रिक्तियां चिकित्सा अधिकारियों के मामले में 8% समूह ग श्रेणी में 10%, समूह घ श्रेणी में 6% है।

ये रिक्तियों भर्ती की चल रही प्रक्रिया द्वारा भरी जा रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 25 चिकित्सा अधिकारियों, 132 समूह "ग" स्टाफ और 171 समूह "घ" ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यभार ग्रहण किया है।

रक्षा उत्पादन में वृद्धि की योजना

5741. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लिए दस वर्षीय योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि स्वदेशी रूप से तैयार की गई प्रणालियों पर व्यय का अनुपात वर्ष में किए जाने वाले अर्जनों पर कुल व्यय से सन् 2005 तक 0.3 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 0.7 तक किया जा सके। आत्म-निर्भरता के लिए तीन पद्धतियों पर जोर दिया जाएगा : (1) अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण के माध्यम से विद्यमान प्रणालियों को बनाए रखना; (2) व्यवहार्य विद्यमान प्रणालियों को उन्नत बनाना और उनकी उपयोग अवधि तथा क्षमता बढ़ाना, और (3) स्वदेशी रूप से तैयार की गई प्रणालियों को उत्तरोत्तर शामिल करना और बड़ी प्रणालियों का आयात कम से कम करना। आत्म-निर्भरता कार्यान्वयन परिषद गठित की गई है इसमें दो उप दल, अर्थात् संयुक्त आयोजना दल और संयुक्त कार्य दल हैं। ये उप दल सामरिक प्रणालियों का पता लगाकर प्राथमिकता निर्धारित करते हैं।

2. मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, एकीकृत निर्देशित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेपास्त्र, गहन उड़ान परीक्षण टाइप प्रमाणन के बाद हल्के युद्धक वायुयान और इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध प्रणलियों जैसी बड़ी प्रणालियों को नींवी योजना से आगे उत्तरोत्तर शामिल किए जाने की योजना है। वर्ष 1997-98 में, वर्ष 1996-97 के 1458 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 1678 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

जलयानों की खरीद

5742. श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अगले पांच वर्षों के दौरान 44 जलयानों की खरीद संबंधी एक व्यापक विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 और अगले पांच वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कितनी क्षमता वृद्धि होगी और कितने जलयान खरीदे जाएंगे और उसमें अनुमान कितना निवेश किया जायेगा;

(घ) भारतीय बेड़े में नए जलयानों को शामिल करने के लिए धन संबंधी व्यवस्था स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 और अगले पांच वर्षों के दौरान पुराने जलयानों को चरण बद्ध रूप से समाप्त करने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1997-98 और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-98

से 2001-2002 तक के दौरान भा०नौ०नि० द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित जलयानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। निजी क्षेत्र के संबंध में सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य दल ने 9वीं योजना के दौरान निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा 15000 करोड़ रु० के सांकेतिक निवेश से 3.7 मिलियन सकल रजिस्टर्ड टन (जी०आर०टी०) (अतिरिक्त 2 मिलियन जी०आर०टी० और प्रतिस्थापन के लिए 1.7 मिलियन जी०आर०टी०) का लक्ष्य प्रस्तुत किया है।

(घ) इन अधिग्रहण परियोजनाओं का वित्त पोषण भा० नौ०नि० द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं की अपेक्षानुसार अपने आन्तरिक संसाधनों, विदेशी वाणिज्यिक ऋणों और ओ०डी०आर० इश्यू, बॉड, डिवेंचर, इक्विटी कैपिटल आदि जैसे अन्य तरीकों से किया जाएगा।

(ङ) नौवीं योजना (1997-98 से 2001-2002) के कार्यदल ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा नौवीं योजना के दौरान कुल 1.70 मिलियन जी०आर०टी० के 110 जलयानों को प्रतिस्थापित करने का अनुमान लगाया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान भा०नौ०नि० द्वारा अधिगृहित किए जाने/आर्डर दिए जाने के लिए प्रस्तावित जलयान

क्र० सं०	परियोजनाएं/प्रस्ताव	इकाई सं०	अनुमानित लागत (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	अकरामैक्स क्रुड आयल टैंकर (पुराना)	1	37.50
2.	30000 डीडब्ल्यूटी का प्रोडक्ट टैंकर (पुराना)	1	17.50
3.	लाइनर कोम्बिस (पुराना)	2	15.00
4.	फीडर शिप (पुराना)	1	7.00
5.	लगभग 45000 डीडब्ल्यूटी का बल्क कैरियर (पुराना)	1	25.00
6.	लाइनर कोम्बिस (नव निर्माण)	2	35.00
7.	सेल्यूलर कंटेनर (नव निर्माण)	1	50.00
	जोड़	9	187.00

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भा०नौ०नि० द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण/दिए जाने वाले आर्डर

किस्म	ईकाई सं०	कुल जी०आर०टी० लाख	जोड डी०डब्ल्यू०टी० लाख	जोड़ निवेश मि० अमरीकी डालर
1	2	3	4	5
क– क्रुड आयल टैंकर				
अफरामैक्स/एल०आर० II टैंकर (नव निर्माण)	2	1.98	2.40	100.00
अफरामैक्स/एल०आर० II टैंकर (नव निर्माण)	2	1.98	2.40	60.00
एल०आर० I मिडियम रेंज (नव निर्माण)	2	0.81	1.40	80.00
ख– प्रोडक्ट टैंकर				
मिडियम रेंज (पुराना)	2	0.54	0.90	60.00
जी०पी० रेंज (नव निर्माण)	2	0.36	0.60	70.00
जी०पी० रेंज (पुराना)	2	0.36	0.60	40.00
ग– बल्क कैरियर				
पानामैक्स (नवनिर्माण)	2	0.90	1.50	70.00
पानामैक्स (पुराना)	2	0.90	1.50	50.00

1	2	3	4	5
हैंडीमैक्स (नवनिर्माण)	4	1.08	1.80	120.00
हैंडी मैक्स (पुराना)	2	0.54	0.90	40.00
हैंडी साइज (नवनिर्माण)	2	0.36	0.60	45.00
हैंडी साइज (पुराना)	2	0.36	0.60	35.00
घ– लाइनर				
काम्बिस (नवनिर्माण)	6	0.84	1.20	150.00
काम्बिस (पुराना)	6	0.84	1.20	60.00
फीडर (पुराना)	1	0.08	0.12	7.00
सेल्यूलर (नवनिर्माण)	3	0.90	1.20	160.00
ङ– विशिष्ट जलयान				
कैमिकल/एसिड टैंकर (नवनिर्माण)	2	0.42	0.60	100.00
नौवीं योजना के लिए जोड़	44	12.05	19.52	1237.00

पेयजल

5743. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पेयजल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना आरम्भ की है;

(ग) क्या 1,200 करोड़ रुपए की लागत वाली जल आपूर्ति योजना केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है, और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कुल कितनी धनराशि मंजूर और प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1200 करोड़ रुपए की लागत वाली कोई जल आपूर्ति योजना प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में सुन्दरबन

5744. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय पूर्व राज्य में सुन्दरबन से होकर प्रवाहित होने वाली गंगा के मार्ग को "राष्ट्रीय जलमार्ग" घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय लिया है जबकि इसने इससे पहले कावेरी जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है; और

(ग) विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि यह क्षेत्र गरीबी से ग्रस्त है और राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा से इसके निवासियों को जीविका के कुछ नये साधन प्राप्त हो सकते हैं सरकार द्वारा इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कावेरी नदी को अभी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। सुन्दरबन में रंगफाला चैनल से बिहारीघाल-रायमंगल नदी संगम तक स्टीमर रूट को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना अध्ययन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति मांगी जा रही है।

तकनीकी संस्थानों में कदाचार

5745. श्री छीतु भाई गामीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित कुछ शैक्षिक संस्थान कदाचार में लिप्त हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम तीन श्रेणियों की शैक्षिक संस्थाओं, अर्थात् राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिक परिषद द्वारा चलाए जाने वाली संस्थाओं द्वारा, उन संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थाएं जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते लेकिन ए०आई०सी०टी०ई० (मूलभूत सुविधाओं के लिए) द्वारा सामान्य रूप से अनुमोदित की गई है और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अथवा राज्य तकनीकी बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, से सम्बद्ध स्वतः वित्त पोषित कालेजों द्वारा चलाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में पूरी जांच करायेगी और इन संस्थाओं द्वारा जो सरकार से स्वीकृत नहीं है, दिए जा रहे प्रशिक्षण से हमारी युवा पीढ़ी के समय और धन को बचायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में कदाचार की कोई घटना इसकी जानकारी में नहीं आई है। परिषद द्वारा इन अनुमोदित संस्थानों के निष्पादन का आवधिक अनुवीक्षण किया जाता है। वर्तमान होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान तत्संबंधी विश्वविद्यालय अथवा राज्य तकनीकी बोर्ड अथवा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद से सम्बद्ध हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सभी स्व-वित्त पोषित कालेज इन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

नर्सों की यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाना

5746. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नर्सों तथा राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहीं उनकी यूनियनों के पदाधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए कोई ज्ञापन या प्रतिवेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगे क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं तथा इन मांगों को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। नर्सों की मांगों में अन्य बातों के साथ शामिल है, श्वेत रंग की वर्दी को कैमल कलर में बदलना, प्रोन्नति के बेहतर अवसर देना, रिक्त पदों को भरना, आवास सुविधा आदि देना।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति वर्दी के रंग में परिवर्तन करने के मामले की जांच करने के लिए गठित की गई है। रिहायशी आवास की जरूरत पूरा करने के लिए श्री निवासपुरी, नई दिल्ली में नर्सों के लिए हाउसिंग कालोनी का निर्माण कार्य हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टैंसी कारपोरेशन, भारत सरकार का उपक्रम, के सुपुर्द किया गया है।

नर्सों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर जीविका तथा स्टाफिंग पैटर्न सरकार की नियमावली से नियमित होता है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

5747. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य ने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 12 फ्लोराइड प्रभावित जिलों के लिए 2500 करोड़ रुपए तथा 1.5 लाख घरों के निर्माण के लिए 242 करोड़ रुपए प्राप्त करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा राज्य के पंचायत मंत्री के साथ समीक्षा बैठक के पश्चात् केन्द्र सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व भारती का विस्तार

5748. श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके विस्तार और विकास के लिए विश्व भारती से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ग) विश्वभारती के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) जनवरी, 1996 के दौरान विश्व भारती शांति निकेतन से एशिया सभ्यता के अध्ययन हेतु "विसवसिया" नामक केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रस्ताव में प्रस्तावित संस्थान के विशिष्ट पहलुओं और परियोजना के लिए आवश्यक निधियों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था अंतः विश्व-भारती को परामर्श दिया गया था कि वह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें ताकि सरकार मामले में आगे कार्रवाई कर सकें। सरकार को परियोजना रिपोर्ट का ब्लूप्रिंट, जिसमें 9वीं योजनावधि के साथ संलग्न चरण-1 के दौरान 35.00 करोड़ रु० के अनुमानित व्यय की परिकल्पना की गई है, 24 अप्रैल, 1997 को ही प्राप्त हुआ है। अतः 8 वीं योजनावधि के दौरान परियोजना के लिए कोई निधियां आवंटित नहीं की जा सकी है

एड्स से संबंधित औषधियों का आयात

5749. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1997 के "द संडे आबजर्वर" में "इम्पोर्ट ऑफ एड्स कंट्रोल ड्रग्स नॉट एलाऊड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लेमुविडाइन और सेजिवनेविर नई औषधें हैं जिसके लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची वाई, के अनुसार पंजीकरण से पूर्व देश में निरापदता और प्रभावकारिता अध्ययन किये जाने अपेक्षित हैं। इन औषधों का आयात डाक्टर के नुस्खे के आधार पर जारी व्यक्तिगत लाइसेंस पर अनुमत्य है। ए०जैड०टी० देश में उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश और गुजरात में पेयजल सुविधा

5750. श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री महेश कुण्वर एम० कनोडिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख शहरों में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि प्रदान करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; ब्यौरा दीजिए ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्मिलित नहीं की गई तथा आंशिक रूप से सम्मिलित ग्रामीण बसावटों को पूर्णतः शामिल करने की योजनाएं राज्यों द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के तहत स्वीकृत की जाती है। 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत अब तक केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा गुजरात राज्य सरकारों को क्रमशः 9958.71 लाख तथा 5703.60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षकों की नियुक्ति

5751. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1997 के दिल्ली संस्करण के "जनसत्ता" में "शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया संदेहास्पद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र में केन्द्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति और विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम (कट आफ) अंकों जैसे मुद्दों का उल्लेख है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन

5752. श्री विजय पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है जो दो बच्चों के मानदंड अपनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) एक, दो अथवा तीन बच्चों वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (निर्दिष्ट आय, सीमा के भीतर) जो अथवा जिनकी पत्नी/पति बंध्यीकरण करवाते हैं, के लिए प्रोत्साहनों का एक सैट पहले ही कार्यान्वित किया गया है जो इस प्रकार हैं :-

(i) वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि जिसे भावी वेतनवृद्धियों में आमेलित नहीं किया जाता है;

(i) गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज की दर में ½ प्रतिशत की छूट; और

(i) बंध्यीकरण/आई०यू०डी० निवेशन करवाने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी।

अन्तर्देशीय जल परिवहन संस्थान

5753. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिये किसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए घेवरा (कोची) में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्व बैंक सहायता

5754. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से 313.71 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त सोडिक लैंड रिक्लेमेशन पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति अब तक बहुत धीमी रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट की इस धीमी प्रगति से उत्तर प्रदेश में एक अन्य व्यापक परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता मार्ग अवरुद्ध हो गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पायलट परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। दिसम्बर 1996 तक 15,000 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 20,603 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनः कृषि – योग्य बनाया गया है जो कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सड़क परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम

5755. श्री ए०जी०एस० रामबाबू : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम बनाने हेतु किसी गैर सरकारी पक्ष ने सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में परियोजनाओं का पता लगाया गया है;

(घ) इस परियोजना के लिए कुल कितनी निवेश राशि का अनुमान लगाया गया है और इसमें से प्रत्येक की योगदान राशि क्या होगी; और

(ङ) क्या सरकार का निजी भागीदारी के लिए कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) सरकार के साथ संयुक्त उद्यम बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए विभिन्न वित्तीय रियायतों की घोषणा की गई है जिसमें ई०सी०बी० प्रक्रिया का उदारीकरण करना और 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सहभागिता को स्वतः अनुमोदन देना शामिल है।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

5756. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सामाजिक कल्याण कर्मचारी संघ, पोस्ट-बर्दवान, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय एवं राज्य के समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों के संबंध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) राज्य बोर्डों के दर्जे के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। राज्य बोर्डों को अपने अपने विभागों में मिला देने का प्रश्न तथा ज्ञापन में उल्लिखित अन्य मुद्दे राज्य बोर्डों के दर्जे से जुड़े हैं।

एड्स

5757. श्री सुशील चन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय राज्यों में एच०आई०वी० तथा एड्स के मामलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रोगों को फैलने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश व मेघालय राज्यों को एच०आई०वी० संक्रमण के लिए निगरानी गतिविधि में शामिल किया गया है। मार्च, 1997 को एच०आई०वी० पॉजिटिव और एड्स रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र० सं०	राज्य का नाम	एच०आई०वी० पॉजिटिव	एड्स रोगी
1.	मणिपुर	3843	232
2.	मेघालय	57	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य

(ग) भारत में एच०आई०वी०/एड्स के निवारण तथा फैलाव को रोकने के लिए इस समय सारे देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का कार्यनीतियों में एच०आई०वी०/एड्स के बारे में सामान्य जनता तथा उच्च जोखिम का आचरण करने वाले समूह के बीच जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, रक्त निरापदता तथा रक्त का तर्कसंगत इस्तेमाल, निगरानी तथा एच०आई०वी०/एड्स रोगियों की निगरानी और निदान तथा क्लीनिकल प्रबन्ध को मजबूत करना।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार/रख रखाव

5758. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1997 से अब तक गुजरात में किन-किन राष्ट्रीय/राजमार्गों के रख-रखाव विस्तार/चौड़ा करने संबंधी कार्य शुरू किया गया है और गुजरात से होकर जाने के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(ख) इस पर अनुमानतः खर्च होने वाली धनराशि और वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 और 8ए पर कतिपय विकास कार्य (जैसे चौड़ा करना/विस्तार करना/मरम्मत करना आदि) शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, निधियों की उपलब्धता सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 35.00 करोड़ रु० की निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस समय पूर्वोक्त अवधि के दौरान नए कार्यों के लिए किया गया व्यय बता पाना संभवन नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजनाएं

5759. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में सड़क, आवास तथा पनधारा प्रबन्धन कार्य जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा इन पर कार्य कब से आरंभ किया जायेगा और इसके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश हजार्ड मेनेजमेंट एंड इमरजेंसी साइक्लोन रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक सहायता में आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में सड़क, आवास, जल निकास की व्यवस्था जैसे कई घटक शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 720 करोड़ रु० है। विश्व बैंक सहायता 150 मिलियन अमरीकी डालर है। परियोजना पूरी होने की तारीख 31 जनवरी, 2000 है।

जाली विश्वविद्यालय

5760. श्री छत्रसाधन राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अभ्यार्थियों से मोटी धनराशि के बदले देश में जाली विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अभी तक 20 ऐसे संस्थानों का पता चला है जो विश्व-विद्यालय न होते हुए भी अपने नाम में "विश्वविद्यालय" शब्द लगा रहे हैं। इन संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। जबकि कोई संस्थान जो विश्वविद्यालय नहीं है अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द जोड़ना तथा ऐसे विश्वविद्यालय से डिग्रियां प्रदान करना, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जुर्माने सहित दंडनीय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी ऐसे मामलों को कार्रवाई हेतु एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार्य आयोग के पास एम०आर०टी०पी०सी० अधिनियम के अंतर्गत भेज देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर ऐसे अनधिकृत तथा गैर-कानूनी "विश्वविद्यालयों के संबंध में जन सूचना/चेतावनी जारी करता रहता है। विस्तृत अधिसूचना के लिए यही काईवाई राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी की जाती है।

दंड प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जेल तथा जुर्माने में वृद्धि करने के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष रखा गया है।

विवरण

जाली विश्वविद्यालयों की सूची

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद (उ०प्र०)
3. वाराणस्या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (उ०प्र०)/जगतपुरी, दिल्ली।
4. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
5. उत्तर प्रदेश भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ (उ०प्र०)।
6. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (उ०प्र०)।
7. नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी कानपुर।
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ (उ०प्र०)।
9. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय (उ०प्र०)।
10. डी०डी०बी० संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु।
11. भारतीय शिक्षा परिषद (उ०प्र०) मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ (उ०प्र०)।
12. आर्य विश्वविधालय, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)।
13. सैंट जान विश्वविद्यालय, किश्नत्तम, केरल।
14. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर।
15. यूनाईटेड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
16. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा, (उ०प्र०)।
18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ०प्र०)।
19. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।
20. उर्दु यूनिवर्सिटी, मोतिया पार्क, भोपाल।

उच्च शिक्षा के उद्देश्य और दिशा का पुनः निर्धारण

5761. डा० प्रवीन चंद्र शर्मा :
श्री एन० डेनिस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके उद्देश्यों और दिशाओं के पुनः निर्धारण की कोई योजना है ताकि जीवन के व्यवहारिक पहलू के अनुकूल मानव संसाधन का उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) ने प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए एक योजना आरंभ की है। 31 विश्वविद्यालय और 692 कालेज उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विज्ञान, इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और अर्थशास्त्र, कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पहले ही आरंभ कर चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 4 पर उपमार्ग

5762. श्री राम नाईक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 4 के मुम्बदा-कौसा क्षेत्र पर चार कि०मी० की धूलभरी पट्टी पर छः वर्षों में 108 व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 1982 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मुम्बई के समीप रेलवे उपरिपुल से भारत गियर्स फैक्टरी तक एक उपमार्ग का निर्माण करने की योजना बनाई थी जो यातायात के आवागमन को रोक सकता था; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित उपमार्ग के अब तक निर्माण न

किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

बी०एड० संबंधी पाठ्यक्रम

5763. श्री जय सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अन्तर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और मान्यताप्राप्त विद्यालयों में पढ़ा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त अध्यापक अपनी पदोन्नति के लिए पत्राचार या किसी अन्य सरकारी व्यवस्था के माध्यम से बी०एड० कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहां से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक पत्राचार माध्यम से बी०एड० कर सकते हैं, उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के राज्य-वार और स्थान-वार नाम क्या हैं;

(घ) इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विगत तीन शैक्षिक सत्रों और चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के कितने अध्यापकों को बी०एड० की उपाधि प्रदान की गई है;

(ङ) इस संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस संख्या में वृद्धि करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक स्कूल शिक्षक, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए अपनी विकल्प के बी०एड० के पाठ्यक्रम कर सकते हैं। वशर्ते कि वे उसके पात्र हों तथा सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की नियमों के अनुरूप हों।

(ग) विभिन्न राज्यों में पत्राचार के माध्यम से बी०एड० पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई।

(घ) विश्वविद्यालय बी०एड० पाठ्यक्रमों में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए अलग से सीटें आरक्षित नहीं करते हैं।

(ङ) से (ज) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

बी०एड० पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची

क्र०सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र विश्वविद्यालय	विशाखापट्टनम
2.	आन्ध्र प्रदेश	विश्वविद्यालय	वारंगल
3.	आन्ध्र प्रदेश	उस्मानिया विश्वविद्यालय	हैदराबाद
4.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय	तिरूपति
5.	गुजरात	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	पटना
6.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	कुरूक्षेत्र
7.	हरियाणा	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	रोहतक
8.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय	जम्मू
9.	जम्मू व कश्मीर	कश्मीर विश्वविद्यालय	श्रीनगर

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	मैसूर विश्वविद्यालय	मैसूर
11.	मध्य प्रदेश	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय	भोपाल
12.	महाराष्ट्र	वाई०सी०एम० ओपन विश्वविद्यालय	नासिक
13.	उड़ीसा	बरहामपुर विश्वविद्यालय	बरहामपुर
14.	पंजाब	पंजाबी विश्वविद्यालय	पटियाला
15.	राजस्थान	कोटा आपेन विश्वविद्यालय	कोटा
16.	तमिलनाडु	अलगप्पा विश्वविद्यालय	कोरईकुडी
17.	तमिलनाडु	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	अन्नामलाई नगर
18.	तमिलनाडु	भरतियार विश्वविद्यालय	कोयम्बटूर
19.	तमिलनाडु	भारतीदासन विश्वविद्यालय	तिरूचिरापल्ली
20.	तमिलनाडु	मद्रास विश्वविद्यालय	चेन्नई
21.	तमिलनाडु	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	मदुराई
22.	तमिलनाडु	मोनानमणियम सुन्दरनर विश्वविद्यालय	तिरूनेलवल्ली
23.	उत्तर प्रदेश	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	मेरठ

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में अतिथि गृह और राष्ट्रीय राजमार्ग

5764. श्री धर्मभिक्षम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अतिथि गृहों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को पिछले तीन वर्षों में 201.64 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। निरीक्षण अधिकारियों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ निर्मित कुछ विश्राम गृहों का रख-रखाव अनुरक्षण निधि में से किया जा रहा है। तथापि, अतिथि गृहों की स्थिति सुधारने के लिए उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई स्कीम नहीं है।

त्रिपुरा में सेना द्वारा अधिगृहीत भूमि

5765. श्री बादल चौधरी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अब तक सेना द्वारा अधिगृहीत भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या भूमि मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां के सेना के कर्मियों की संख्या बढ़ाकर उसे ब्रिगेड स्तर तक बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) सेना ने त्रिपुरा में अब तक 1782.135 एकड़ जमीन का अर्जन किया है।

(ख) कलैक्टर द्वारा किए गए अधिनिर्णय/निर्धारण के अनुसार जमीन के मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है अथवा जिन जमीन मालिकों ने अपील की है उनकी राशि न्यायालय में जमा

करवा दी गई है।

(ग) और (घ) त्रिपुरा में एक आर्टिलरी ब्रिगेड के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। फिलहाल, त्रिपुरा में अतिरिक्त सैन्य बल को स्थायी रूप से अवस्थित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गों का रख-रखाव

5766. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के जनवरी, 1997 में संशोधन होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार, शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के भागों के विकास और रख-रखाव के लिए उसी तरह जिम्मेदार है जिस प्रकार संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में आंतरिक और बाह्य तौर पर सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5767. **श्री बी०एल० शंकर**
श्री एस०डी०एन०आर० वाड़ियार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान 31 मार्च, 97 तक कर्नाटक में विदेशी और आंतरिक संसाधनों तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं को पूरा करने तथा नई सिंचाई परियोजाओं का कार्य लेने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा मध्यम तथा लघु स्तर की और सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने की प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1997-98 में उक्त परियोजनाओं हेतु राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कर्नाटक में वर्ष 1996-97 के दौरान 31 मार्च, 97 तक सिंचाई क्षेत्र में निम्नलिखित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	समझौते की तारीख	संवितरण की तारीख	सहायता की राशि	31.3.97 को अन्तिम उपयोग (दाता मुद्रा मिलियन में)
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-II	विश्व बैंक	16.06.89	31.12.96	169.208 अमरीकी डालर	167.498 अमरीकी डालर
2.	जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	02.09.95	31.02.2002	142.00 अमरीकी डालर	5.612 अमरीकी डालर
3.	तुंगभद्रा सिंचाई प्रायोगिक परियोजना (फेज-II)	दि नीदरलैंड	31.08.98	31.02.98 (30 महीने)	5.00 डी०एफ०एल०	0.000 डी०एफ०एल०

आठवीं योजनावधि के दौरान कर्नाटक में आन्तरिक संसाधनों के साथ शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वित्त पोषण और कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। निधियों की उनकी आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाती है और तद्नुसार सिंचाई परियोजनाओं के आकार और स्वरूप का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने किसी बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा इस अवधि में केवल रामथाल लिफ्ट सिंचाई

स्कीम और कुछ लघु सिंचाई कार्य शुरू किए गये हैं। जहां तक वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय सहायता का संबंध है, भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके तहत कर्नाटक को अपर कृष्णा चरण-1, मालाप्रभा और हरेहाला नामक तीन परियोजनाओं के लिए 61.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई थी। यह कार्यक्रम वर्ष 1997-98 के दौरान जारी रखा जाना है।

विवरण

आठवीं योजना की चल रही/नई परियोजनाओं का कार्य निष्पादन

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	बेसिन/ नदी	लाभान्वित जिले	अनुमोदित लागत	अनुमोदन का वर्ष	किस योजना में शुरू की गई	लागत अद्यतन अनुमान	वर्ष 1994-95 में उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वृहद परियोजनाएं								
1.	भाद्रा	कृष्णा	चिकमंगलौर शिमोगा	33.53	1959	I	149.00	105.57
2.	तुंगभद्रा बाँध और बायां तट नहर	कृष्णा/ तुंगभद्रा	बिल्लारी रायचूर	17.44		I	220.00	325.83
3.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर	कृष्णा	बिल्लारी रायचूर	5.00	1965-66	II	55.00	69.10
4.	मालाप्रभा	कृष्णा मालाप्रभा	बेलगांव धारवाड बीजापुर	162.09	80	III	528.73	122.097
5.	अपर कृष्णा स्टेज।	कृष्णा	बीजापुर	1500.00		IV	2750.00	174.43
6.	करंजा	गोदावरी/ मांजरा	बिदर	98.0	1992	V	258.17	5.20
7.	बेनीथोर	कृष्णा/ बेनीथोर	गुलबर्ग	73.25	1993	V	97.77	0.00
8.	हिप्पारगी बराज	कृष्णा	बीजापुर, बेलगांव	21.53	1970-71	V	418.77	0.00
9.	दूधगंगा	कृष्णा/ दूधगंगा	बेलगांव	26.00		VI	99.15	0.00
10.	वाराही	वाराही	दक्षिण कन्नड	9.43	1979	VII	122.0	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कबिनी	कावेरी/ कबिनी	मैसूर			II	740.68	–
12.	हारंगी	कावेरी/ हारंगी	कोदागू, हसन, मैसूर			III	247.75	–
13.	हेमवथी	कावेरी/ हेमवथी	हसन, मांडया तुमकुर			वार्षिक योजना 1966-97	647.41	–
मध्यम परियोजनाएं								
1.	मनचनवाले	कावेरी/ अरकवथी	बंगलौर	18.50	1986	IV	49.00	0.80
2.	वोटहोल	कावेरी/ वोटहोल	हसन	2.05	1971	V	37.39	1.544
3.	अमरजा	कृष्णा/ अमरजा	गुलबर्ग	8.70	1975-76	V	38.50	3.00
4.	लोअर मुल्लामारी	कृष्णा/ मुल्लामारी	गुलबर्ग	8.37	1979	V	59.95	0.00
5.	मस्कीनाला	कृष्णा/ मस्कीनाला	रायचूर	3.11	1978	V	27.96	0.00
6.	रानीकेव तक फीडर चैनल	कृष्णा/ गरिहाला	चित्रदुर्ग	2.30	1977	V	9.00	0.00
7.	चुल्कीनाला	गोदावरी/ चुलकीनाला	बिदर	3.86	1976	V	37.03	0.80
8.	हरेहाला	कृष्णा/ हरेहाला	रायचूर	6.35	1977	VI	115.00	0.00
9.	अरकवथी	कावेरी/ अरकवथी	बंगलौर			V	72.29	–
10.	इग्गालूर	कावेरी/ चिमझा	बंगलौर/ मांडिया			IV	20.03	–
11.	चिकलीहोल	कावेरी/ चिकलीहोल	कोदागू			वार्षिक योजना 1978-80	15.39	–
12.	उदूथोरहाला	कावेरी/ उदूथोरहाला	मैसूर			वार्षिक योजना 1978-80	59.07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाएं								
1.	वरूना देवराज असं नहर का आधुनिकीकरण	कावेरी	मांडेया मैसूर			IV	126.55	
2.	के०आर०एस० नहर का आधुनिकीकरण	कावेरी	मांडेया मैसूर	14.80	1979-80	वार्षिक योजना 1978-80	93.94	0.00
3.	घाटप्रभा चरण-III	कृष्णा	बेलगांव बीजापुर	90.54	1975-76	V	738.15	13.50
4.	बाद्रा जलाशय का आधुनिकीकरण	कृष्णा	चिकमंगलौर शिमोगा	1.80		VII	3.00	0.00

लेह और कार्गिल में गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता

5768. श्री पी० नामग्याल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 16 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3507 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? और इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर सरकार से अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रशिक्षित युवा

5769. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
प्रो० प्रेम सिंह चंदू माजरा :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वरोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवा अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में रोजगार न पाने वाले ऐसे युवाओं की वार्षिक संख्या क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता और असफलता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) ट्राइसेम कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण युवाओं को कुशलता में सुधार लाने वाले तकनीकी/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि ये स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तव में रोजगाररत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के संबंध में निगरानी रखी जाती है। आठवीं योजना के दौरान प्रशिक्षित युवाओं तथा तत्पश्चात् रोजगाररत युवाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाला वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का आकलन करने हेतु ख्याति प्राप्त शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से किए गए ट्राइसेम के तीव्र मूल्यांकन (जून-अगस्त 1993 से पता चला है कि लगभग 47.19% प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इसके सहयोगी कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश तथा तीव्र मुल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर नौवीं योजना के दौरान ट्राइसेम कार्यक्रम की गुणता में सुधान लाने हेतु कुछ ठोस कदम उठाए गए है। उठाए गए मुख्य कदमों में निम्न शामिल है : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ ट्राइसेम का बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण के पूरा होने से पूर्व ही ऋणों की मंजूरी के लिए समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने का

भार जिला ग्रामीण विकास एजेंन्सियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को सौंपा जाना, निजी संस्थाओं/निपुण कारीगरों का समय-समय पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाना, रोजगार प्रदान करने की असीम संम्भावना वाले कारपोरेट एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार करना, पास कर चुके प्रशिक्षार्थियों की रोजगार के प्रति प्रगति को आकलन करने के लिए प्रशिक्षण संस्था में आन्तरिक निगरानी तंत्र का विकास करना तथा अपंग आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाना।

विवरण

योजना अवधि	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	स्व-रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या	मजदूरी रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या	रोजगार प्राप्त कुल युवा
1992-93	275993	99334	42058	141392
1993-94	303821	107919	43004	150923
1994-95	281874	86466	44965	131431
1995-96	301651	97757	48450	146207
1996-97 फरवरी तक	262862	76116	36209	112325

[अनुवाद]

महाबोधि बिहार का प्रबंधन

5770. श्री आनंद रत्न मौर्य :
श्री आर०एल०पी० वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोध गया में बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि बिहार का प्रबंधन गैर-बौद्धों के हाथों में है;

(ख) क्या बौद्ध भिक्षु और उपासक इसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर दशकों से आंदोलन कर रहे हैं;

(ग) क्या गत 24 फरवरी से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और उपासक प्रबंधन को उन्हें सौंपने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पार्लियामेंट की स्टीट पर आंदोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) गया, बिहार का महाबोधि मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है, इसलिए यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

क्रांतिकारियों की स्मृति

5771. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के क्रांतिकारियों, जो देश और विदेश दोनों में स्वतंत्रता के लिए लड़े और बलिदान दिया, के सम्मान और उनकी स्मृति में कोई योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रांतिकारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए शस्त्रों, क्रांतिकारी साहित्य और अन्य कला-तथ्यों को सुरक्षित रखने एवं प्रदर्शित करने हेतु कोई संग्रहालय स्थापित करने की कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विचार जानने की बाबत, दस सलाहकार दलों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक दल स्वतंत्रता सेनानियों, संसद एवं राज्य विधान मंडलों के संबंध में है। इस सलाहकार दल का गठन कर लिया गया है और स्वतंत्रता सेनानियों, आदि को सम्मानित करने के लिए दल द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यान्वयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

डी०डब्लू०सी०आर०ए०

5772. श्री देवी बक्स सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार को गत तीन वर्षों के दौरान उनके कोटे की तुलना में कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक की क्या उपलब्धि रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रमीण महिला और बाल विकास योजना (डवाकरा) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार सहित सम्पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के चार

घटक हैं अर्थात (1) आय सृजन करने वाली गति विधियां (2) सामुदायिक आधारित अभिसारी सेवाएं (3) शिशु देखभाल गतिविधियां और (4) सूचना, शिक्षा और संचार।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण महिला और बाल विकास योजना (डवाकरा)

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	वर्ष	आय सृजित करने वाली गति-विधियां									
		वित्तीय (रुपये लाख में)		वास्तविक (समूहों की संख्या)		सामुदायिक आधारित अभिसारी सेवाएं		शिशु देखभाल गतिविधियां**		सूचना, शिक्षा और संचार	
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धियां	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज
उत्तर प्रदेश	1993-94	154.03 (*)	111.10 (*)	1184	1441	66.50	66.50				
	1994-95	152.41 (*)	121.50 (*)	1503	1709	40.00	40.00				
	1995-96	610.20 (*)	600.90 (*)	4068	2252	25.00	25.00	65.00	32.50	65.00	92.50
	1996-97	505.50	768.35	4068	3404	50.00	50.00	65.00	94.00	65.00	112.00
बिहार	1993-94	98.48 (*)	40.40 (*)	768	839	66.50	66.50				
	1994-95	106.15 (*)	212.20 (*)	1051	900	10.00	10.00				
	1995-96	456.30 (*)	225.00 (*)	3042	2697	25.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
	1996-97	380.25	332.75	3042	2299	40.00		50.00	5.00	50.00	3.50

* यूनीसेफ का अंश भी शामिल है।

** वर्ष 1995-96 में शुरू किया गया यह एक नया घटक है।

[अनुवाद]

पालीटेकनीकों का उन्नयन

5779. कुमारी ममता बनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालीटेकनीकों की क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता के उन्नयन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता स्वीकृत की गई है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का किस सीमा तक राज्य-वार उपयोग किया गया है; और

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) पालिटेक्निक शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत सहायता तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I के लिए 8110 मिलियन रु० है और तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II के लिए 7718 मिलियन रु० है।

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा खर्च किए गए संचयी व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार प्रारंभ में राज्य को अपने बजट में किए गए प्रावधान से खर्च करना है जिसकी प्रति-पूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जाती है। प्रतिपूर्ति की औसत दर खर्च किए गए व्यय का 83.0% है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत 25 नए सहशिक्षा पालिटेक्निक और 30 महिला पालिटेक्निक खोले गए हैं। 464 नए डिप्लोमा और उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 13641 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। पालिटेक्निकों में 4573 प्रयोग शालाओं और कार्यशालाओं का इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

विवरण

(रु० मिलियन में)

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I		तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II	
राज्य	व्यय	राज्य	व्यय
1	2	3	4
बिहार	329.500	आन्ध्र प्रदेश	548.688
गोवा	95.348	असम	168.926
गुजरात	847.698	हरियाणा	569.880
कर्नाटक	501.906	हिमाचल प्रदेश	215.758
केरल	398.159	महाराष्ट्र	1202.898
मध्य प्रदेश	932.728	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	281.665
उड़ीसा	599.481	पांडिचेरी	40.697
राजस्थान	584.254	पंजाब	579.603
उत्तर प्रदेश	1656.800	तमिलनाडु	307.622
		पश्चिम बंगाल	450.310
योग	5945.274		4365.977

[हिन्दी]

शाहजहांपुर (उ०प्र०) में रक्षा डिपो

5774. **श्री राममूर्ति सिंह वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से शाहजहांपुर (उ०प्र०) में रक्षा मंत्रालय का डिपो कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस बेशकीमती भूमि को बेच देने का इरादा रखती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। शाहजहांपुर स्थित रिजर्व सप्लाई डिपो को 1985 में बंद कर दिया गया था तथा इस डिपो काम्प्लेक्स को आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर को इसका विस्तार करने के लिए सौंप दिया गया था क्योंकि उस समय सेना को इस डिपो की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिभाषा सूत्र को लागू करना

5775. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
श्री पंकज चौधरी

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी दिल्ली के विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सूत्र किस शैक्षिक सत्र से लागू करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि कक्षा X तक तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। छात्र सभी तीन भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। X वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में केवल दो भाषाओं के अंकों पर विचार किया जाएगा। एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(ग) इस सूत्र को चालू शैक्षिक सत्र 1 जुलाई, 1997 से लागू करने का प्रस्ताव है।

सिविलियन कार्यों के लिए सैन्य बलों का उपयोग

5776. **कर्नल राव राम सिंह :**
श्री धर्म भिक्षम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य बलों को अक्सर असैनिक कार्यों के लिए तैनात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यों के लिए तैनात किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) रक्षा सेनाओं को कभी-कभी कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा, अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने, प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव

व राहत कार्य आदि के लिए सिविल प्रशासन की सहायता हेतु बुलाया जाता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा, सेना को जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रतिविद्रोही ड्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाता है।

रक्षा सेनाओं के कुछ कार्मिक प्रतिनियुक्ति अथवा सहायक तैनाती के आधार पर सिविल विभागों/संगठनों में भी कार्य करते हैं।

विवरण

सेना ने वर्ष 1994-96 के दौरान अलग-अलग राज्यों को जितनीबार सहायता दी उसकी संख्या

क्र० सं०	राज्य	कानून और व्यवस्था			प्राकृतिक आपदाएं			आवश्यक सेवाएं			बम निष्क्रिय करण बारूदी सुरंग का पता लगाना			किसी अन्य प्रकार की सहायता		
		1994	95	96	1994	95	96	1994	95	96	1994	95	96	1994	95	96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	असम	4	—	1	3	8	7	—	1	1	3	—	—	—	1	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	2	2	—	—	1	3	5	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—
4.	गुजरात	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	3	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	3	1	1	—
9.	केरल	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
10.	महाराष्ट्र	—	—	—	1	—	1	—	1	1	7	3	1	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12.	उड़ीसा	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
13.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—
14.	राजस्थान	—	—	—	2	2	8	—	—	—	5	1	1	—	—	—
15.	सिक्किम	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	2	7	1	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	1	1	5	1	1	1	6	4	97	—	1	1
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	1	—	2	3	—	1	1	6	3	2	—	—	—
19.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	7	—	1	—
20.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
21.	त्रिपुरा	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान

5777. श्री पी०वी० राजेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के केन्द्रों और चलाए जाने वाले कोर्सों और अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग द्वारा सराहना की जा रही है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के किसी केन्द्र को बन्द कर चुकी है या बन्द करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जानकारी और उसके कारण क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के विभिन्न केन्द्रों को दिया गया वित्तीय अनुदान क्या है;

(च) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान की वित्तीय सहायता बढ़ाने का विचार रखती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ज) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित एक स्वशासी संगठन है। संस्थान ने अपने आप ही विस्तार केन्द्र स्थापित किए थे जिनके संबंध में केन्द्र सरकार की कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। विगत में आवर्ती घाटा के चलते नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर स्थित ऐसे विस्तार केन्द्रों को बंद कर दिया गया। गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान सिर्फ दो विस्तार केन्द्र चेन्नई और हैदराबाद में चलाता रहा है। ये केन्द्र कार्यपालक विकास कार्यक्रम तथा संगणक अनुप्रयोग में कुछेक डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। उद्योगों तथा अन्य संगठनों द्वारा इन पाठ्यक्रमों की थोड़ी बहुत सराहना जैसा कि संस्थान द्वारा सूचित किया गया है, के बावजूद ये केन्द्र वर्षों से घाटे में ही चल रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद और चेन्नई स्थित विस्तार केन्द्रों के मामले में यह घाटा क्रमशः 20.27 लाख रु० तथा 25.31 लाख रु० रहा। इसलिए संस्थान ने इन केन्द्रों को बंद करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के लिए वर्ष 1997-98 के लिए (केन्द्र सरकार के बजट में) आबंटन योजनागत के तहत 149.00 लाख रु० तथा योजनेतर के अंतर्गत 345.00 लाख रु० है।

[हिन्दी]

भारतीय सेना की क्षमता

5778. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने हेतु किसी नई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य पदों पर कार्य कर रहे जे०सी०ओ० और अन्य उन गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें कमीशन प्राप्त अधिकारी का दर्जा दिया जाना है, की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) सेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को कमीशन प्रदान किए जाने से संबंधित एक नई योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत आर्मी सिनियर स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण (केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा पद्धति की ग्यारहवीं कक्षा) योग्यता वाले 30-35 वर्ष की आयु वर्ग के सेवारत जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/गैर कमीशन प्राप्त अफसर/अन्य रैंक सेना चयन बोर्ड और चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच कर लिए जाने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक में विशेष कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में कमीशन पाने के पात्र होंगे। ये अफसर कर्नल के रैंक तक पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

(ग) नए संवर्ग में अफसरों की अधिकतम संख्या 6000 है तथा प्रति वर्ष 260 अफसर भर्ती किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

पानागढ़ रक्षा विमानपत्तन

5779. श्री सुनील खान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पानागढ़ विमानपत्तन को नागरिक उड़ानों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त विमानपत्तन को नागर विमानन विभाग को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अपराह्न 12.01 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1954/97]

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : महोदय, मैं हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1955/97]

राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1956/97]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएं इत्यादि

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 31(अ) जो 22 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (कल्याण निधि) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 36(अ) जो 27 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 66(अ) जो 7 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (अनुपूरक छुट्टी) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 161(अ) जो 19 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 594(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

[श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन]

(छः) सा०का०नि० 595(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आवंटन) दूसरा संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 596(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) द्वारा संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 598(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई (मुम्बई) पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 598(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास ऋण) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1957/97]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी सम्पर्क मार्गों के विकास और रखरखाव के लिए केन्द्रीय वित्तीय देयता के बारे में भारत के राष्ट्रपति और राजस्थान के राज्यपाल के बीच हुए चौथे अनुपूरक समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1958/97]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थाई/अस्थायी पुलों के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997, जो 6 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 62(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1959/97]

किदवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओंकालाजी, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) किदवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओंकालाजी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओंकालाजी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओंकालाजी, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1960/97]

(3) (एक) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1961/97]

(5) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1962/97]

(7) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1963/97]

(9) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1964/97]

इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1965/97]

(3) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1966/97]

(5) (एक) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1967/97]

(7) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, रूड़की के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, रूड़की के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1968/97]

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1969/97]

[श्री मुहीराम सैकिया]

(11) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1970/97]

(13) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1971/97]

(15) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1972/97]

(17) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1973/97]

(19) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1974/97]

(21) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1975/97]

(23) (क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1976/97]

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1977/97]

(24) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23

की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (23) और (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1978/97]

(26) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1979/97]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम वरीयता सूची में सर्वप्रथम है। उनके बाद मैं आप की ओर ध्यान दूंगा। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम प्रत्येक जगह है। आपका नाम सभापति तालिका में भी है।

अपराह्न 12.03 बजे

महिला आरक्षण विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं इस सदन के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूं, जो संसद या कम से कम सरकार के लिए एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री देवे गौड़ा जी ने सभी महिला संसद सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि महिलाओं के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों का आरक्षण करने की मांग करने वाला विधेयक, 81वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 1996, इसी सत्र में पारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सौ परसेंट रिजर्वेशन दे दो। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम उसी पर आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय लिया जा रहा है और आप स्वयं इसकी गंभीरता जानते हैं। कोई कहता है सौ परसेंट और कोई 80 परसेंट कहता है। वह 81वें संशोधन की बात कर रही है और कुछ सदस्य कह रहे हैं कि सौ परसेंट रिजर्वेशन दे दो। इतने गंभीर विषयों पर अगर मज़ाक के रूप में चर्चा होगी तो कोई कैसे बात करेगा ? ... *(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि महिलाएं यहां खड़े होकर कोई खैरात मांग रही हैं ? ... *(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी : यह मज़ाक है लोकतंत्र के साथ। चाहे पहले से चला आ रहा हो वह भी और जो अब हो रहा है वह भी। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी कुछ बहनें और मेरे कुछ भाई बोलना चाहेंगे।

वर्त्तमान प्रधान मंत्री महोदय ने अपने पहले अभिभाषण में न केवल हमें बल्कि पूरे देश को यह आश्वासन दिया था कि यह विधेयक इस बजट सत्र में पारित किया जाएगा। अब, बजट पारित किया जा चुका है और बजट सत्र समाप्त होने में केवल चार दिन ही बचे हैं। इसलिए मैं सरकार से और सभी राजनीतिक नेताओं से विनम्र निवेदन करती हूं कि कम से कम इस विधेयक को इसी सत्र में संसद के समक्ष रखें।

और तत्पश्चात् हम देखेंगे कि क्या होता है।

[हिन्दी]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक बार एक आश्वासन दिया गया, और इसे भी पूरा नहीं किया गया। एक आश्वासन दूसरी बार दिया गया और वह भी पूरा नहीं किया गया। इससे लोगों के मन में काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आज घटी एक घटना का वर्णन करते हुए अपनी

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

बात समाप्त करूंगी। सुबह, जब मैं जल्दी-जल्दी इस सदन की तरफ इस विशेष उल्लेख का नोटिस देने के लिए आ रही थी तो एक टैक्सी ड्राइवर ने यह जानना चाहा कि मैं इतनी जल्दी में क्यों हूं ? मैंने उसे नोटिस के बारे बताया और उस लड़के से पूछा कि क्या महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण होना चाहिए। उसने कहा, "हां, *माताजी* हां, जरूर होना चाहिए।" इसलिए हमें यह जान लेना चाहिए कि न केवल महिलाएं बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरुष भी इसका समर्थन करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इससे पता चलता है कि इसे जनता का समर्थन प्राप्त है। मैं सरकार से इस विधेयक को कल प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर और यात्री से पूछते हैं तो वो कहेगा, "*दादाजी, दादाजी* इस तरह का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।" *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : अगर यह यात्री कोई विशेष प्रकार का संसद सदस्य होगा। तो ऐसा हो सकता है।

[हिन्दी]

डा० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गीता जी की बात का समर्थन करने के लिए और आपसे यह गुजारिश करने के लिए खड़ी हुई हूं कि आपकी तरफ से सरकार को ऑर्डर जाना चाहिए कि कम से कम इसी सैशन में यह बिल प्लेस तो हो जाए। क्योंकि अभी जो कुछ मानसिकता हम यहां पर देख रहे हैं उससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि लोग इसके पक्ष में जायेंगे। अभी हमारे चीफ व्हिप साहब ने कहा कि इस दौरान देख लिया जायेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ठीक है हम भी इसको टैस्ट कर लें और देख लें कि कौन कितने पानी में है। महिलाओं के संबंध में बात करके उनके अधिकारों की रक्षा कौन पार्टी कितने हद तक कर सकती है। *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : सर, इससे यह मालूम हो जाता है कि यह किसके दिमाग की उपज है *(व्यवधान)* और पूरे देश को बरबाद करने का आइडिया उसने सोचा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, अपने दल की तरफ से मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और अपनी तरफ से भी मैं इसका समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : वामपंथी मोर्चा इस बारे में एक मत है।

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें हमने यह स्पष्ट किया था कि इस विधेयक को इस सत्र में लाया और पारित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर इस सदन में कई बार चर्चा की गई थी। और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल महिलाओं के लिए विधान सभा में एक तिहाई आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस सत्र के स्थगित होने में मुश्किल से चार दिन बचे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस विधेयक को ला रही है या नहीं ? सरकार का इरादा क्या है? हमने इस बैठक में बहुत संक्षेप से कहा था। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। मैं इस पर किसी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : मेरे दल का भी यही विचार है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और तुरंत पारित किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करे और इस सत्र में पारित करे।

इसलिए हम इस सभा के नेता, जो यहां उपस्थित हैं, से जानना चाहता हूं कि विधेयक कब लाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि विधेयक को प्रस्तुत किया जाए और इसी सत्र में पारित किया जाए। *(व्यवधान)*। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस सदन में एक आश्वासन दिया है। *(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष जी, किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिमौलिश करने की साजिश करे। यह हमारी डैमोक्रेटिक व्यवस्था को डिमौलिश करने की साजिश है वरना बार-बार यह सवाल यहां क्यों उठता है (व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : हम प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अभी श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो कुछ कहा, उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए, मैं चाहूंगी कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल न केवल सदन में पेश हो जाना चाहिए बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहूंगी कि यह बिल अपने सारे पड़ाव पार कर चुका है पहले यह बिल सदन में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इसे ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी को रैफर किया गया, ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी आज से बहुत समय पहले दे दी, उसके बाद यह बिल अमैंडिड फार्म में इंट्रोड्यूस किया जाना था। ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी

की मीटिंग में लॉ मिनिस्टर साहब पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान बैठे रहे। अब सिर्फ अमैंडिड फार्म में, संशोधित बिल सदन में लाना है, यह तय हो चुका है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद, दिन-पर-दिन गुजरते जा रहे हैं, सत्र पर सत्र निकलते जा रहे हैं लेकिन अभी तक अमैंडिड बिल पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख सका।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि आज बी०ए०सी० की मीटिंग होने वाली है, यह बिल एक खास भूमिका के साथ यहां रखा गया है और मैंने बार-बार उस भूमिका को याद किया है। आपने सदन में क्वैश्चन-ऑवर को सस्पैंड करके इस बिल को पारित करने का निर्देश दिया था लेकिन कई उतार-चढ़ाव इस बिल के संबंध में यहां आए और हर चीज पर हम अपनी सहमति व्यक्त करते चले गए। मैं चाहती हूं कि आज होने वाली बी०ए०सी० की मीटिंग में आप तय कर दें कि संशोधित विल सदन में लाया जाए और उसे यहां पारित कर दिया जाए तब तो प्रधानमंत्री जी की यह प्रारम्भिक बात पूरी होगी जो खास तौर पर हिन्दुस्तान की महिलाओं के संबंध में अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उनके मसलात का समाधान चाहता हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि जब तक पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक उनके मसलों का समाधान संभव नहीं है। यह विल उन मसलों के समाधान की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। अतः आज होने वाली बी०ए०सी० की मीटिंग में, इस बिल को पेश करने और उसके साथ-साथ इसकी कंसीडरेशन एंड पासिंग का समय आप तय कर दीजिए। इसी सत्र में यह बिल पारित होना चाहिए, सदन से यह मेरी अपील है। (व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मैं समझता हूं कि इस बिल पर बहुत टाइम जाया हुआ है। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में सामाजिक न्याय और आरक्षण के जनक बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर खुद पोलिटिकल आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। सन् 1951 में जब उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया था, तब से लेकर मरते दम तक वे पोलिटिकल आरक्षण के खिलाफ संघर्ष करते रहे। पोलिटिकल आरक्षण किसी को ऊपर उठाने का जरिया नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी पार्टी ने एक महिला को अपने नेता बना दिया है, उसी तरह भाजपा सुषमा जी को अपना नेता क्यों नहीं मान लेती। फिर सुषमा जी सभी लोगों को पार्टी के टिकट बांटें, 100 परसेंट महिलाओं को टिकट दें, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। उसी तरह दूसरी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा टिकट महिलाओं को दे, 100 परसेंट सीटों पर महिलाओं को टिकट मिले, इससे हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इस बिल के पास होने से पूरी राजनैतिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यदि प्रधानमंत्री ने कोई बात कह दी तो वे ईश्वर या खुदा नही हैं कि जो बात उनकी जुबान से निलती, वही कानून बन गई। प्रधनामंत्री कोई ईश्वर या खुदा नहीं है और न उनका कहा हुआ कोई गीता या कुरान का श्लोक है। *(व्यवधान)*

इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बिल सदन में पेश न हो लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पास चार दिन का जो समय है, कोई समय आप ऐसा निर्धारित कर दें कि पहले इस पर बहस हो जाए कि महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा और देश का कितना नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के आने से देखने वाली बात यह भी है कि किन महिलाओं को फायदा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो समाजिक न्याय और परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई है, इस महिला आरक्षण विधेयक को लाकर, उस सबको समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। *(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, सरकार महिलाओं के आरक्षण के संबंध में प्रतिबद्ध (कमिटेड) है। मिनीमम नीड प्रोग्राम में भी कमिटेड है और इसीलिए हमने आल पार्टी लीडर्स की 7-5-1997 को बैठक बुलाई थी और सभी लीडर्स को मालूम है कि वह बैठक अभी समाप्त नहीं हुई है। उसकी और बैठके अभी होनी है। चूंकि यह कांस्टीट्यूशन का मामला है इसलिए इसको दो-तिहाई बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है और यह एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हम संसार में यह संकेत नहीं देना चाहते है कि महिला आरक्षण के मामले पर हमारे सदन में दो तरह के ओपीनियन है। पहली बैठक हो चुकी है। दूसरी बैठक बहुत शीघ्र होगी। प्रधान मंत्री जी 14-5-1997 को आ रहे हैं। उनके आने पर हम उन्हें सदन की भावनाओं से अवगत करवा देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर दिनांक 3-5-97 को मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सोनपुर में कातिलाना हमला हुआ था। यह घटना मैंने आपके ध्यान में यहां लाई थी, तो आपने मुझे यह आश्वासन दिया था कि आप मुझ पर हुए हमले के बारे में मुझे सदन को बताने का समय देंगे और माननीय गृह मंत्री को इस बारे में सदन में एक वक्तव्य देने का निर्देश भी आपने उस दिन दिया था, लेकिन मान्यवर आज 12 मई है और 16 मई को यह सत्र समाप्त हो रहा, लेकिन आज तक माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सदन में नहीं आया है।

महोदय, यह बड़े अफसोस और आश्चर्य का बात है कि एक सांसद को उसके अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए, उसके अपने विधाई कार्यों को करने से रोका जाए और उसके ऊपर कातिलाना हमला किया जाए। आज बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी शिथिल हो गई है कि एक सांसद को भी अपने क्षेत्र में अपने विधायी कार्यों को करने के लिए आने-जाने की और सुरक्षितरूप से अपने क्षेत्र का दौरा करने की छूट नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप माननीय गृह मंत्री महोदय को इस बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन में एक वक्तव्य कल

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

देने के लिए निर्देश दें और जैसा श्रीमान ने आश्वासन दिया था उनके वक्तव्य के बाद मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा इस कातिलाना हमले के बारे में बताने की अवसर भी देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, आप मानते हैं कि एक बार जब मंत्री महोदय जब जवाब दे देंगे तो मुझे एक मौका मिलेगा। मैं उस मौके का इंतजार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने के बाद मैं आपको एक मौका दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री जी वह वक्तव्य कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी-अभी गृह मंत्रालय से जानकारी ली है। उन्होंने सूचित किया है कि गृह मंत्री एक या दो दिनों में वक्तव्य देंगे। ऐसा कहा गया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय कल प्रश्न काल के बाद वक्तव्य दें। तब आप उसका उत्तर दे सकते हैं।

अपराह्न 12.18½ बजे

बिहार के चारा घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भूमिका के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत अहम मसला सदन के सामने रखना चाहता हूं। सदन के अन्दर कई मर्तबा सी०बी०आई० के रोल के ऊपर अंगुलियां उठती रही हैं और सी०बी०आई० के बारे में हम लोगों ने कई मर्तबा कहा है कि वह पक्षपात कर रही है और दबाव में लोगों से बयान ले रही है। जो लोग मुजरिम नहीं हैं, जो लोग इन्वाल्व नहीं हैं, उनको जबर्दस्ती इन्वाल्व करने का काम कर रही है मैं इस संदर्भ में एक अन्य बात की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अखबार में छपी एक खबर की ओर दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 12.19 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

सी०बी०आई० ने इस तरह से प्रचार किया है कि श्री हरीश खंडेलवाल, जो ए०बी० सेल्स के प्रोप्रायटर थे, *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। पहले उनको बोलने दीजिए। उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप भी बोलियेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस तरह से आप सही आवाज तो दबा नहीं सकते। *(व्यवधान)* सभापति जी, आपने मुझे समय दिया है। *(व्यवधान)* आप इनको बैठने के लिए कहिये। *(व्यवधान)* इनको जब बोलने का मौका मिलेगा तब ये अपनी बात कहें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा बैठिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप भी बोलियेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको भी मौका दिया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनको बोलने के लिए इजाजत दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, सदन का इस्तेमाल जांच पड़ताल के लिए नहीं होना चाहिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति जी, घटनाओं के कारण में वहां के मुख्यमंत्री हैं। *(व्यवधान)* सी०बी०आई० को जानबूझकर बदनाम करने के लिए, डराने व दबाने के लिए यह सारा काम किया जा रहा है। *(व्यवधान)* इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, जांच को प्रभावित करने के लिए यह किया गया है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, हत्या की साजिश में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंडल जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें सभापति जी ने इस मामले का उठाने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : नीतिश जी, आपको एक करोड़ रुपया दिया गया है। *(व्यवधान)* सी०बी०आई० ने बयान दिया

है। ···(व्यवधान) अखबार में छपा है। (व्यवधान)

सभापति जी, इन्होंने जो बात कही, वह तो कर सकते हैं। ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आपको जो बोलना है, बोलिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, हमारे पास हरीश खंडेलवाल के पत्र की फोटो कापी मौजूद है जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि सी०बी०आई० ने मुझे मैंटली और फिजिकली टार्चर किया है। (व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : उन्होंने यह स्टेटमैंट नहीं लिखकर दिया है। (व्यवधान) यह खंडेवाल का पत्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल जी, आप बाद में बोलियेगा।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति जी, यह साजिश की गयी है यह खंडेलवाल का पत्र नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : क्या खुदकुशी नोट डुप्लीकेट में दिया जाता है ? (व्यवधान) यह उनका पत्र नहीं है ···(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, ये लोग सी०बी०आई० से मिले हुए हैं। ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने बार-बार सदन में इस सवाल को उठाया और हमने बातें रखी कि सी०बी०आई० बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा काम कर रही है। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही मामले में नहीं दल्कि सैंकड़ों मामले में पक्षपात और पोलिटिकल एंड के लिए सी०बी०आई० आफिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ···(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस सदन में (व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : आप किसको सुना रहे है। (व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मैं कहता हूं कि श्री कल्पनाथ राय जी के बारे में जो निर्णय दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। ···(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं सी०बी०आई० (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर एक ही नहीं बल्कि 110-120 जो पोलिटिकल लोग हैं उनको बहुत तरह से फंसाने का काम हो रहा है। आज हमारे बिहार का ही मामला नहीं है। आज बोफोर्स का मामला है इसको सात-साल हो गये हैं। आज तक बोफोर्स के मामले में सी०बी०आई० कुछ भी नहीं बता पायी। लेकिन आज एक विशेष व्यक्ति को सियासत में रोकने के लिए फिर से ···(व्यवधान) आपकी तो दोस्ती है। आप उसमें नहीं होंगे। ···(व्यवधान) उसके अंदर कांग्रेस के लोग होंगे या जानता पार्टी के लोग होंगे (व्यवधान) आपको बताने की जरूरत नहीं है। ···(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : किसको बताना है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप बोलने देंगी ? ···(व्यवधान) आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलियेगा। ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977-78 से मेरे पास अखबार की कटिंग है। सेठी, यशपाल कपूर, आर०के०धवन एमंग देन अरेस्टेड। उसमें से कम से कम तीन चार लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक सी०बी०आई० ने इस केस को सॉल्व नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज श्री अंतुले साहब इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं। आज 108 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीयर किया है। इस तरह से जो पालीटिकल एसेसिनेशन इस मुल्क के अंदर सी०बी०आई० के दफ्तर से हो रही है, यह पूरी दुनिया को मालूम है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हरीश खंडेलवाल जिन्होंने खुदकुशी की है और अपने सूसाइड नोट के अंदर उन्होंने जिक्र किया है। ···(व्यवधान) क्या आप सी०बी०आई० आफिसर हैं ? ···(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : वह पत्र डुप्लीकेट है। ···(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, यही आपत्ति हो रही है। ···(व्यवधान) हमने लगातार क्लेम किया है। ···(व्यवधान) सी० बी०आई० और हिन्दुस्तान की जो फासिस्ट ताकतें हैं, उनका तालमेल हो गया है और उसके बारे में अखबारों में भी छप चुका है। हमारे अटल जी बैठे हुए हैं। ये बताएं कि सी०बी०आई० कोर्ट को बाद में रिपोर्ट देती है और अटल जी के पास रिपोर्ट पहले से ही मौजूद होती है कि 24 नवम्बर पर अमुक आदमी का नाम है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सी०बी०आई०, बी०जे०पी०, समता पार्टी का नैक्सस है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक ओकेजन में नहीं, मेरे पास अखबार की कटिंग्स मौजूद हैं। यदि कहा जाएगा तो मैं सदन में सारी कटिंग्स रखने का काम करूंगा। एक मौके पर नहीं, पचासों मौकों पर ···(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : उसके भाई ने भी बयान दिया है कि उसकी हत्या करवाई गई है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। फातमी जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। यह सीरियस मामला है ऐसे नहीं चलेगा। ···*(व्यवधान)* एक मर्तबा नहीं, आपको पचासों अखबारों में मिलेगा कि सी०बी०आई० ने अपने डायरैक्टर के यहां रिपोर्ट बाद में जमा की और समता पार्टी और बी०जे०पी० के लोगों को रिपोर्ट पहले मिली। आखिर सी०बी०आई० हिन्दुस्तान में इस काम के लिए है कि वह इस तरह के इम्पौर्टेंट डौकूमैंट्स को, इम्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन को, मुल्क की सिक्युरिटी का मामला हो सकता है। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : इनसे पूछिए, ये सी०बी०आई० का क्या करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अगर यह उसे एक पोलीटिकट पार्टी को देती हैं तो इसका मतलब है कि सी०बी०आई० सदेंह के घेरे में है। हमारी मांग है कि हिन्दुस्तान में सी०बी०आई० का जो रोल रहा है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक कमीशन बैठानी चाहिए। आज जिस तरह से पोलीटिकल लोगों का नाम डालकर ···*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि जब सी०बी०आई० ने हाई कोर्ट में आडवाणी जी को हवाला केस में क्लीयर किया, उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं ? इसलिए नहीं जा रहे है कि वहां भी वी०जे०पी० का मामला आ गया। सी०बी०आई० हिन्दुस्तान में पोलीटिकल पार्टी की तरह एक्ट कर रही है। ···*(व्यवधान)* आप बात सुनिए। आपको इंटरफियर करने का राइट नहीं है। ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। आप बैठिए। ···*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरी मांग है कि इसकी जांच हो। ···*(व्यवधान)* जिस तरह से सी०बी०आई० के लोगों ने टार्चर किया और जिस तरह से दबाव से फसाने के लिए सी०बी०आई० काम कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी हो, जिसकी वजह से हरीश खंडेलवाल की मौत हुई है, उसपर सरकार 302 का मुकदमा दर्ज कराए। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। बहुत से वक्ताओं को आवश्यक मामलों पर बोलना है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मुझे कनक्लूड तो करने दीजिए। . . .*(व्यवधान)* सरकार कमीशन बनाए और कमीशन बनाकर जितने भी पोलीटिकल केसेस हैं ···*(व्यवधान)* आज 1-2 नहीं 110 राजनेताओं को सी०बी०आई० किसी न किसी केस में इनवॉल्व किए हुए है और उनका राजनैतिक जीवन खतरे में है। ···*(व्यवधान)* लोगों को न्याय मिल सके, यह हमारी मांग है। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा।'

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह भी उसी मामले से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नहीं, हमने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, मैंने नोटिस दिया है मेरा नाम है। सी०बी०आई० यह गलत काम कर रही है, उसके अधिकारियों पर ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। हमने सोमनाथ जी को बुलाया है। ···*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : सदन के माध्यम से मैं यह मांग करूंगा कि सरकार ने इस पर अगर कार्रवाई नहीं की, इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पूरी स्थिति ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ यह कह रहे हैं वह कार्रवाई वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, हम बाद में मौका देंगे। वह बाद में होगा। हमने सोमनाथ जी को बुलाया है, आपको हमने इजाजत नहीं दी है। *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : इसी विषय पर बोलने के लिए मुझे एक मिनट समय दिया जाये। उन्होंने बी०जे०पी० का नाम लिया है, हम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है मैं आप को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं बिहार के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहा हूं – जरूरी नहीं कि यह उन्होंने यहां उठाया हो।

प्रश्न यह है कि इस बात को 15 दिन बीत गए हैं जब देश को सी०बी०आई० द्वारा चारा घोटाला मामले में लिए गए निर्णय का पता चला था। और सच्चाई यह है कि अब तक, जहां तक मुझे पता है बिहार के मुख्य मंत्री महोदय सहित ऐसे कुछ लोगों के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है जिसका कारण स्वीकृत पद्धति है। सारा देश उद्धलित हो रहा है और विशेष रूप से बिहार में राजनैतिक वातावरण गरम हो रहा है कम से कम बिहार में अनावश्यक विभाजन अवश्य हो गए है जो हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे के लिए ठीक नहीं हैं।

इसलिए इससे पहले जब ये मुद्दा उठाया गया था तब मैंने बिहार के मुख्य मंत्री महोदय से एक अपील की थी। इस प्रकार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का कोई प्रश्न नहीं है परंतु कुछ पदों पर आसीन लोग उस समय विरोध का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अगर ऐसे आरोप किसी संस्था या महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति के कार्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं तो यही ठीक होता है कि वह व्यक्ति न्यायिक फैसला होने तक पद से हट जाए। इसलिए, मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना पद छोड़ दें। जैसा कि मैंने पहले कहा है अगर उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है या उसके विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं होता या अंततः सी०बी०आई० उन्हें दोषी ठहराने में असमर्थ होती है तो वे वापस आ जाएंगे, परंतु महोदय, संसदीय प्रजातंत्र के कार्य के लिए कुछ मौलिक सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। इसलिए, कौन ठीक है और कौन गलत इसका पता लगाने के लिए उन्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे विश्वास है, अगर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना है, तो इससे मुख्यमंत्री, या जो भी इसमें शामिल है कि प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

इसलिए, इसे हमेशा एक दलगत मुद्दा बनाने की बजाए मैं इस सदन के माध्यम से, महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे संसदीय प्रजातंत्र के भविष्य के लिए, हमारी राजनीति के सही कार्य के भविष्य के लिए उन्हें तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए क्योंकि हमें इसका अनुपालन करना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए जिससे एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। मैं केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि प्रक्रियाओं में तेजी लाई जानी चाहिए।

कई प्रकार के विवाद उठ रहे हैं। जो कुछ राज्यपाल महोदय कह रहे हैं, उस संबंध में भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सभी जटिलताएं – राज्यपाल को क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए, क्या मुख्य मंत्री को कुछ कहना चाहिए, क्या सी०बी०आई० के निदेशक को कुछ कहना चाहिए या नहीं – सामने आ रही है।

महोदय, मैं जानता हूं कि नियम में एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति वास्तव में दोषी नहीं साबित हो जाता उसे निर्दोष ही समझा जाता है। परंतु कुछ उच्च पदों पर आसीन लोगों को एक-एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं यही अपील करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : रूढ़िवादी परम्परा किसलिए मानी जाये।

सभापति महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार यादव (खगड़िया) : 29 दिसम्बर के राष्ट्रीय सहारा में छपा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी के लोगों का भी नाम है *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री अनिल कुमार यादव : मेरे पास वह मौजूद है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, मैंने जसवंत सिंह जी को इजाजत दी है।

श्री अनिल कुमार यादव : किस तरह से सी०बी०आई० निष्पक्ष जांच कर पाएगी। *(व्यवधान)* इसमें नीतीश जी का भी नाम है।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मेरा इरादा इस विषय में हस्तक्षेप करने या कुछ कहने का नहीं है। परन्तु सच्चाई यह है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : यह क्या इस पर डिबेट हो रही है? हम लोगों के शून्य काल में महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं हमें भी समय दिया जाए। *(व्यवधान)* एक ही विषय पर सारा सदन समय ले लेता है और सभी बोलते हैं। हम लोगों को बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता। *(व्यवधान)* ऐसी रूढ़िवादी परम्परा को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमने भी इस पर नोटिस दिया है, आपने कहा था कि सोमनाथ चटर्जी के बाद बुलाऊंगा।

सभापति महोदय : आपको भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : बिहार के संबंध में तीन वक्ताओं ने उल्लेख किया है, जिसमें एक साथी इस तरफ का तथा दो उस तरफ के हैं जिसमें मेरे बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी शामिल हैं। मै बहुत खुश हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने आज वह कहा जो हम लगातार कहते आ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने भी वही बात कही थी क्यों कि 15 दिन बीत चुके हैं। कुछ भी नहीं हुआ है मैं याद करा रहा हूं। ऐसा न कहिए कि मैंने वह नहीं कहा।

श्री जसवंत सिंह : महोदय मैं बहुत खुश हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तव में आपने जो कहा था उसे आपके नेता ने स्पष्ट नहीं किया था।

श्री जसवंत सिंह : मुझे बहुत खुशी है कि जो सोमनाथ चटर्जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा था, वे उसे पिछले 15 दिनों से कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। . . .(व्यवधान)। यह बहुत अच्छी बात है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। इसमें उनके प्रति मेरा सम्मान झलकता है जिसके कारण मैं अपनी दूसरी बात को कहता हूं, जो मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

महोदय, यह सदन कोई जांच पड़ताल का भवन नहीं है। इसे जांच पड़ताल भवन में नहीं बदला जाना चाहिए। इस सदन में कुछ परंपराएं स्थापित हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। *(व्यवधान)*। महोदय, मैं समझता हूं कि अब हम इस सदन की सभी सीमाओं को तोड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बिहार के मेरे एक माननीय साथी ने गणतंत्र की संस्था के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं। हमारे सामने किसी न किसी संगठन के कार्य के संबंध में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। इस सदन का काम कार्यपालिका के कार्य की देखरेख करना है और इस सदन की समिति ने नियमित रूप से केंद्रीय जांच ब्यरो के कार्य की जांच की है। तथापि, अगर माननीय सदस्य खड़े होकर किसी न किसी संगठन के विरुद्ध आरोप लगाते हैं और यह भूल जाते हैं कि इस विशेष मामले पर बिहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो पटना के उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष अनुदेश के अंतर्गत कार्य कर रहा है – पटना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है – उसके बाद गोपनीयता इत्यादि अलग मुद्दे हैं मेरे नेतृत्व में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह कोई मुद्दा नहीं है।

बिहार में जो भारी गलति की गई है यह उसका परिणाम है। उसी भारी गलति के कारण सभा में यह स्थिति है क्योंकि उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसा निदेश दिया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : यह आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, आप भी बोल लेना, आपका भी नाम है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : इस उत्तजेनापूर्ण वातावरण में मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से दो और अनुरोध कर सकता हूं। पहला तो यह है कि अब जब वह अपने संयुक्त मोर्चा के मित्रों को ऐसा या वैसा करने की हिदायत दे रहे हैं लेकिन वह स्वयं वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? महोदय, हम जो बातें विगत कई महीनों से बिहार के बारे में कहते आये हैं उसके प्रति अब उनके द्वारा सहमति जताये जाने के कारण उन्हें शाबासी देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : जसवंत जी ने काफी बातें कवर कर ली हैं, उसमें दो-तीन बातें रह गई हैं। मैं उन पर बोलना चाहती हूं *(व्यवधान)* शरद जी के बाद बोलूंगी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : क्या वह बिहार पर बोलेंगे *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका मुद्दा अलग है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। आप कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से कुछ समय आवंटित करें और इस पर चर्चा करवायें। हम उस पर कितनी देर चर्चा करेंगे?

सभापति महोदय : अब केवल श्री शरद यादव बोलेंगे। श्री शरद यादव के बाद श्री नीतीश कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, दिल्ली बंद है। एक विषय हम लोग भी यहां उठाना चाहते हैं *(व्यवधान)*। तीन दिन के लिए दिल्ली बंद है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलिएगा। आप रेज कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अनुमति देंगे, तभी रेज करेंगे ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० मुरली मनोहर जोशी : समय को हम नहीं रोक सकते। क्या हम इसे रोक सकते हैं ? आप समय को नहीं रोक सकते हैं।

सभापति महोदय : हम अपराह्न 1.00 बजे से ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या आप इसे एक चर्चा में तबदील कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : जी नहीं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : तब, कृपया इसे छोड़िए। यह शून्य काल है। शून्य काल के दौरान आप कृपया अन्य मुद्दा उठाने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप एक-एक घंटा इस पर चर्चा नहीं करवा सकते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं। ... *(व्यवधान)* तीन दिन के लिए बाजार बंद हो गए हैं। ट्रेडर्स सड़कों पर आ गए हैं। व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। *(व्यवधान)* सब पार्टीज किराया कानून की खिलाफत कर रही हैं। ... *(व्यवधान)* उसके बावजूद भी एक तलवार किराया कानून की लटकी हुई है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गोयल जी, आप बोलिएगा। आपका नाम भी है।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, इस सदन में ढ़ाई घंटा एक अक्षर की घोषणा होने पर बहस हुई और आज फिर बात उठी है। इस विषय पर बहस बार-बार हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं से बात फिर उठ जाती है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दो साथियों ने जब बोला और जो बात रखी तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि इनको मत बोलने दो। लेकिन जैसे ही हम खड़े हुए, बोलें कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर की संस्था है, सी०बी०आई० के अधिकारी ने घोषणा की है कि यदि संविधान के तहत गवर्नर से अनुमति लेने का कानून है, प्रावधान है और प्रावधान इसलिए है कि हो सकता है कि जो एजेंसी प्रोब कर रही है, उसने वाजिब तरीके से चार्जशीट बनाई है या नहीं बनाई है, यह देखेने के लिए गवर्नर से अनुमति लेने का संविधान के तहत कानून है। लेकिन फिर इसी सवाल पर बहस छिड़ गई। मैं तो बोलता ही नहीं हूं। यह केस अभी गवर्नर के पास है और इसलिए गवर्नर के पास पहुंचाया जाता है ताकि इसकी सत्यता की जांच की जा सके। यदि वाजिब बात है तो केस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर बहस चलेगी, लम्बी-चौड़ी बात चलेगी और इस सदन में विवाद होगा। फिर सदन का समय आप यहां पर गड़बड़ करते हो। उस दिन चन्द्रशेखर जी ने भी यही कहा था कि इस सदन की मर्यादा के विरीत ढ़ाई घंटा यहां बहस हुई। आज भी यही बात चली हुई है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यह बात गवर्नर के पास है और उन्होंने कहा है कि हम इसका निपटारा सब लोगों से सलाह करके करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आप कहेंगे और जो फातमी जी ने कहा है कि खंडेलवाल की जो मृत्यु हुई है, उसका जो पत्र है, मैं यह नहीं कहता हूं कि यह सही है या नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करते समय आदमी को मारा जाए, टॉर्चर किया जाए, उससे कबूल करवाया जाए और नाम लिवाया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं इस केस की पर्टिकुलर जांच हो जाए। जब यहां दिल्ली में मृत्यु हो जाती है तो हायतौबा मच जाती है।

किसी महिला के साथ जुल्म होता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। धनबाद में यह आदमी मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, जो ट्रेन से कट कर मरा है, वह क्यों मरा है, किसने मरवाया है और उसका वह पत्र, उस पत्र के बारे में जांच होनी चाहिए कि सी०बी०आई० ने जांच करते समय क्या कोई ज्यादती की है या नहीं की है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैंने भिन्न विषय के संबंध में नोटिस दिया था और मैं इन्तजार में था कि अब बारी आएगी। लेकिन फातमी जी ने जो प्रश्न किया, उस पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कह कर स्थान ग्रहण करूंगा।

फातमी जी ने एक खास घटना का उल्लेख किया है और उस घटना के संबंध में समाचार पत्रों में परस्पर विरोधी बातें छपी हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी मामले को लेकर जांच के सिलसिले में कोई गलत संकेत जाए। क्योंकि सदन देश में सर्वोपरि है। अगर जांच के बारे में कोई गलत संकेत जाएगा, तो उससे जांच प्रभावित होगी।

[श्री नीतीश कुमार]

इसलिए जांच जो भी होनी है, वह हो। आत्महत्या है या हत्या, यह भी विवादित है। इसलिए इस पर यहां जांच कराकर किसी एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी०बी०आई० जांच कर रही है और हाई-कोर्ट मोनिटरिंग कर रहा हैं जांच के संबंध में किसी भी पक्ष को कोई शिकायत हो, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हाई-कोर्ट मोनिटरिंग कर रहा है, फिर भी तीन-तीन लोग एस०एल०पी० ले आए। देश में संस्था है, संविधान है और अगर हम इसको नहीं मानते हैं, तो कहीं-न-कहीं तो यकीन करना होगा। चाहे गाज किसी पर भी गिरे, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं कोई आरोप लगता है, तो साक्ष्य के आधार पर जांच एजेंसी चलती हैं उसके बावजूद भी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और अल्टीमेटली वह अपने आपको निर्दोष साबित तो कोर्ट में ही करेगा। अगर कोई त्रुटि है, कोई शिकायत है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं।

आखिरी बात, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री यादव जी ने कहा कि पिछले सोमवार को इस पर चर्चा हुई थी और उसकी तार्किक परिणति हो चुकी है। गवर्नर, सक्षम पदाधिकारी, के पास अनुमति के लिए मामला जा चुका हैं हम लोग यह उम्मीद करेंगे कि सक्षम पदाधिकारी बिना भय के, बिना दबाव के और बिना किसी पूर्वाग्रह के यथासिद्व उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि यह सामान्य मामला नहीं है। मद्रास में चन्नारेड्डी के मामले का उदाहरण दिया गया है। इस मामले में जांच एजेंसी किसी नतीजे पर पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए कहा और हाई-कोर्ट की मोनिटरिंग में जांच हुई हैं इसलिए अब आम मामले में और इस मामले में कोई साम्य नहीं है। इसलिए इस मामले में राज्यपाल महोदय को यथाशीघ्र अनुमति प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन की जो परम्परा है, उसके आधार पर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति जब यह कहता है कि संविधान में नैतिकता का कहां उल्लेख है, तो उस व्यक्ति से हम नैतिकता के आधार पर पदत्याग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है उन्होंने कहा है कि ट्रांसप्रेंसी होगी और कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वे निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं, यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। हम लोगों की मांग रही है कि अगर इस्तीफा नहीं होता है, तो बरखास्तगी होनी चाहिए। यही हम आपसे मांग करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुरली मनोहर जोशी।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : श्री राम कृपाल यादव ने सूचना दिया है। प्रो० अजित कुमार मेहता ने भी सूचना दिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जोशी जी, राम कृपाल जी का इसमें नाम है। मैं आपको बुलाता हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय : आज हम सब लोग चिन्ता में डूबे हुए हैं और सदन भी चिन्ता में डूबा हुआ है। सी०बी०आई० का जो रोल रहा है और जो नतीजे हैं, वे सामने आए हैं। मैं दो मिनट में यह पत्र पढ़ना चाहता हूं, जो खण्डेलवाल जी ने सुसाइडल नोट में लिखने का काम किया है। सी०बी०आई० के अधिकारी यह कहते हैं *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : वे पढ़ चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव : उन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उद्धृत कर रहा हूं *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : यह धोखाधड़ी है। यह फोर्ज्ड नोट है, इसको आपको सदन में नहीं पढ़ने देना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं उद्धृत कर रहा हूं – अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक यंत्रणा देने की वजह से आत्म-हत्या कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बहुत जलील किया एवं ऐसी बातें कहीं, जिसको मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं कर सका। जबर्दस्ती मार-पीट कर अपने द्वारा बनाये गये बयान पर मेरे हस्ताक्षर करवाये हैं एवं ऊलजलूल बातें लिखी हैं। ए०वी० सेल्स का जो भी काम ए०एच०डी० में हुआ है इसके लिए मेरा पार्टनर, पत्नी एवं मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। वे सभी निर्दोष हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : महोदय, आप इस चिट्ठी को ऑथंटीकेट करवाइए। *(व्यवधान)* अगर इसको पढ़ेंगे तो ऑथंटीकेट करके सदन के टेबल पर रखें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या पढ़ रहे थे ?

श्री राम कृपाल यादव : मैं इस पत्र को पढ़ रहा हूं। जिसमें उसने सुसाइडल नोट में लिखने का काम किया है। *(व्यवधान)* मैं जिम्मेदारी के साथ इस पत्र को पढ़ रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं इसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मैंने नोटिस में दे भी रेखा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, वह समाचार-पत्र से उद्धृत नहीं कर रहे हैं किन्तु वह सुसाइडल नोट का उल्लेख कर रहें हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : ठीक है, ऑथंटीकेट करके रखिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इसे प्रमाणित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कानून है या नहीं है। जो अधिकारी जांच करने का काम कर रहे हैं। *(व्यवधान)* सोमनाथ दा ने कहा है कि मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक बिहार की जनता और बिहार का विधायक लालू यादव के साथ है तब तक उनको कोई कम्पेल नहीं कर सकता। *(व्यवधान)* संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्य मंत्री इस्तीफा देने का काम करेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, जो बहुत सारे अभियुक्त जेल में पड़े हैं उनको भी सी०बी०आई० के अधिकारी धमका रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। अगर सी०बी०आई० के अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं किया गया, यही स्थिति रही तो कई लोग आत्महत्या करेंगे। जिन अधिकारियों की प्रताड़ना की बजह से हरीश खंडेलवाल ने आत्महत्या की है उन सारे अधिकारियों को पिछले दिनों सी०बी०आई० के द्वारा पुरस्कृत करने का काम किया गया है। देश की कानून-व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। सी०बी०आई० के अधिकारियों पर लोगों की आस्था उठ गई है, उनसे लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए सी०बी०आई० को भंग करके मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एजेंसी बननी चाहिए जो इन तमाम चीजों की जांच करें। आत्महत्या के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामकृपाल जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो देश की प्रतिरक्षा से संबंधित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के प्रतिरक्षा मंत्री सदन में उपस्थित हैं। उनकी जानकारी में यह घटना आई होगी और यह समाचार पत्रों से पता चला है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर 20 अप्रैल और 25 अप्रैल 1997 के मध्य पीस-टाइम एक्सरसाइज के दौरान नौसेना ने कुछ अभ्यास किए थे। इसमें एक सी-ईगल मिसाइल के बारे में परीक्षण किया गया था कि यह कितनी मारक क्षमता रखती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। आई०एन०एस० नीलगिरी को इसका टारगेट रखा गया था। यह मिसाइल निशाने पर लगने के बजाए समुद्र में जाकर डूब गयी। उसके बाद दूसरी मिसाइल छोड़ी गयी और वह भी समुद्र में जाकर डूब गयी। जिस समय यह घटना हुई उस समय एडमिरल भागवत जी और सी-ईगल कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ वहां उपस्थित थे। मुझे मालूम नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्री को इसके बारे में सूचना मिली है या नहीं मिली है अगर यह घटना इस प्रकार से हुई है तो सी-ईगल मिसाइल के बारे में विचार होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश की प्रतिरक्षा को बड़ा खतरा है। इसके बाद तुर्रे की बात यह है कि आई०एन०एस० नीलगिरी को टारपीडो मारकर डुबो दिया गया, केवल यह दिखाने के लिए कि मिसाइल ने ठीक प्रकार से काम किया।

इस मिसाइल के बारे में अभी तक यह कहा जाता था कि यह मिसाइल बहुत सुग्राही है, बहुत अधिक अचूक है, बहुत इंटेलीजेंट है, स्वचालित है। यह बताया गया था कि यह करीब-करीब 90 समुद्री मील तक मार कर सकती है और 20 करोड़ रुपये इसकी कीमत थी। ऐसी मिसाइलें हमारे पास काफी मात्रा में है। यह तब खरीदी गयी थी जब पाकिस्तान ने फैंच एक्सोसेट मिसाइल खरीदी थी जिसके बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त मार करने वाली मिसाइल खरीद ली है इसलिए हमें भी ऐसी मिसाइल खरीदने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इसकी खरीद कैसे हुई तथा क्या यह मिसाइल काम कर सकती है और यदि यह काम नहीं कर सकती है तो क्या सरकार ने दूसरी मिसाइल को खरीदने के लिए, इसका सब्स्टीट्यूट लाने के लिए कोई प्रबंध किया है ?

आज से कुछ महीने पहले सेवा निवृत होते समय हमारे नौसेना के अधिकारियों ने नौसना की हालत के बारे में जो विचार जाहिर किए थे मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारी नौसेना अपर्याप्त शस्त्रों से लैस है, इसमें डिफेंस की क्षमता नहीं है। आज के अखबार पायनियर में जो छपा है उसके बारे में भी मैं प्रतिरक्षा

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जोकि ई०के०एम० श्रेणी की पनडुबी के बारे में है जोकि 1986-1990 के दौरान रूस से खरीदी गयी थी। इसकी खरीद के बारे में तब भी सवाल उठाए गये थे और असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टॉफ ऑपरेशन ने इसकी खरीद पर बहुत आपत्ति की थी। अगर यह बात जो अखबार में छपी है सच है तो यह बहुत गंभीर मामला है। ये कहते हैं :–

[अनुवाद]

"पण्डुब्बी में पाई गई खामियों के बारे में वर्ष 1991 से अनेक नौ सेना कमांडरों द्वारा विस्तार से अनेक आंतरिक मीमो लिखे गए हैं। इस 3000 टन की पण्डुब्बी की सबसे बड़ी खामी इसकी इंडिस्क्रिएशन रेट है। किसी भी पण्डुब्बी में यह इंडिस्क्रिएशन रेट उसकी मारक क्षमता महत्वपूर्ण तत्व है।

यद्यपि एक मुख्य स्टाफ अधिकारी की रिपोर्ट में वास्तविक इंडिस्क्रिएशन रेट का उल्लेख किया गया है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसका उल्लेख नही किया जा रहा है। लेकिन अन्य पण्डुब्बियों जिनका पेट्रोलिंग के समय स्टैण्डर्ड इंडिस्क्रिएशन रेट 6 से 8 प्रतिशत होता है और संक्रमण काल में 12 से 15 प्रतिशत होता है, से यह इंडिस्क्रिएशन रेट काफी अधिक है। एक नौ सेना कमांडर के अनुसार, ई०के०एम० पण्डुब्बी में यह इंडिस्क्रिएशन रेट बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। सिंधु (भारत में ई०के०एम० का नामकरण) की शक्ति काफी कम है। संकट के दौरान इसकी 2X120 बैटरियां इसको 'सर्जिंग पावर' प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है।

सिंधु पण्डुब्बी की एक अन्य समस्या इसकी ध्वनि है; विशेषकर इसकी लो फ्रिक्वेंसी बैंड कवरेज और बार-बार विघ्न पड़ता रहता है।"

[हिन्दी]

पता नहीं लगता है कि जहाज किधर है ? इसका जो साऊंड-सिस्टम है यह बेकार और अन-उपयोगी है।

अपराह्न 1.00 बजे

"नौ सेना अधिकारी ने कहा कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड कवरेज किसी सब-कमांडर को अपने दुश्मन लक्ष्य का सही निशाना साधने में कठिनाई उत्पन्न करता है।"

"कोमोडोर पी०आर० फ्रेंकलिन, निदेशक, पण्डुब्बी परिचालन, नौ सेना मुख्यालय ने भी तीन वर्ष पूर्व कहा था कि इस प्रकार की खामियां जानी पहचानी हैं। इन सभी को दूर नही किया जा सकता है, और हमें कुछ को लेकर चलना होगा।"

"यह विशेषकर इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों अत्याधुनिक नौ सेना हार्डवेयर का संग्रह कर रहे हैं – अतः जब तक 4,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे उन्नत नहीं किया जाता तब तक यह ठीक नहीं होगा, ऐसा सुझाव कुछ वर्ष पूर्व नौ सेना मुख्यालय द्वारा सुझाया गया था।"

"पुनर्लेखः एक ई०के०एम० पण्डुब्बी, आई०एन०एस० सिंधुबीर रूस के एक जहाज रिपेयरिंग यार्ड पर व्यापक समान लगाने हेतु उतारा गया है। लागतः 74 करोड़ रुपए।"

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से प्रतिरक्षा मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि वह इस सारे प्रकरण की जांच कराएं। प्रतिरक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर उनके पास जानकारी हो तो वह इस सदन को जानकारी दें और देश को आश्वस्त करें कि देश की प्रतिरक्षा बिल्कुल ठीक है, किसी भी समय आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है, नौसेना बिल्कुल दुरुस्त रखी जाएगी तथा सबमैरिन, मिसाइल्स, जहाज और साथ ही नौसेना की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हम उनको पूरा करेंगे। यह आज बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में जैसी भारत की स्थिति है, वह बहुत खतरनाक मोड पर भी जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि सरकार इस मामले की जांच कराए और सारे तथ्यों को सदन के सामने रखे। यदि उनको इसमें यहां कथन करना हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अमेरिका के राजदूत द्वारा सूचना और प्रसारण सचिव के कार्यालय में अपने आप जाकर एक ऐसे विधेयक, पर सुझाव देने से संबंधित है जिसे अभी सभा में विचारार्थ लाया जाना है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारूप प्रसारण विधेयक पर चर्चा की गई है किंतु इस सभा को इस विधेयक की विषय वस्तु पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला है। कुछ समाचार पत्रों में यह विस्तार से लिखा गया है कि अमेरिका के राजदूत ने सूचना और प्रसारण सचिव से मुलाकात कर कहा कि विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के पूर्व मुझसे परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की व्यापार परिषद् और अमेरिकन चैनल्स कामेटी, विशेषकर इसकी इक्विटी संरचना, क्रौस मीडिया रिस्ट्रिक्शन्स और अपलिंकिग हेतु आवश्यक प्रबंध पर जानकारी चाहेंगे। उनका कहना था कि ये पाबंदियां उसमें नहीं होनी चाहिए और प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में अमेरिका के हितों का ध्यान रखा जाए।

यह अभूतपूर्व और असाधारण घटना है। इसमें सभा की गरिमा और सम्मान तथा देश की सार्वभौमिकता शामिल है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि

उनके बीच जो भी चर्चा हुई है उसे लोगों के समक्ष लाया जाना चाहिए और माननीय प्रधान मंत्री को इस बारे में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि इसमें सभा की गरिमा और सम्मान शामिल है।

अपराह्न 1.04 बजे

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति जी, आज से दिल्ली के बाजार बंद हो गए हैं व्यापारी, विशेषतः आन्दोलन करने पर उतर आए हैं। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1995 में इसी सदन ने सर्वसम्मति से दिल्ली किराया कानून पारित किया था। मैं नहीं जानता कि किन परिस्थितियों में वह बिल पारित हुआ? आज भी एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो उस बिल से सहमत हो। यह बिल उस समय पास हुआ जब दिल्ली में चुनी हुई सरकार थी और उस सरकार के प्रतिनिधियों से इस बारे में पूछा नहीं गया। उसके बाद इस कानून को लेकर दिल्ली में एक आन्दोलन हुआ कि अगर यह बिल पास हुआ तो इससे किरायेदार और मकान मालिक के बीच में झगड़े बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बिल एक तरफा माना गया था। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक समिति बनायी। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे। उसमें सी०पी०आई० थी, सी०पी०आई० (एम) थी, बी०जे०पी०थी, जनता दल थी, कांग्रेस थी। सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने एक रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट मेरे पास अभी सदन में मौजूद है। इसमें कहा गया कि इस बिल में इस प्रकार से संशोधन किए जाने चाहिए ताकि मकान मालिक और किरायेदार दोनों का हित हो। उस बात में इतना दम था कि उस समय के जो प्रधान मंत्री नरसिंम्हा राव जी थे, उन्होंने उस बिल को इसलिए लागू नहीं किया कि उनको लगा कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कही गई बात पर गौर किया जाना चाहिए। उस समय की जो शहरी विकास मंत्री थीं, उन्होंने भी यह बात कही। बिना कोई राय, बिना कोई संशोधन किये इस बिल को न पारित किया जायेगा और न लागू ही किया जायेगा। इसके बाद दूसरी सरकार आई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब भी इसे लागू नहीं किया गया, श्री देवेगोड़ा की सरकार आई, उसने भी उसे लागू नहीं किया। अब श्री गुजराल की सरकार आई है लेकिन तलवार किरायेदारों पर इस प्रकार लटकी हुई है जिसके कारण कभी भी और किसी भी समय किसी दुकान या मकान को खाली कराया जा सकता है। यदि आप बिल पर जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि एक आदमी का स्वर्गवास हो जाये तो उसके बाद तुरंत उसके बच्चों से मकान खाली करवा दिया जायेगा। उसमें किराया बढ़ाने का प्रावधान है कि 1949 से बढ़ा दिया जायेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मकान मालिक द्वारा ऐफिडेविट देने पर मकान खाली करवा दिया जायेगा, दो पड़ोसियों के आपस में झगड़ा होने पर यदि झगड़े की रिपोर्ट कर दी जाये तो मकान खाली करवा दिया जायेगा। मैं केवल किरायेदारों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा इस बात को भी कह रहा हूं कि दिल्ली के चुने हुये प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति के साथ और सभी राजनैतिक दलों ने एक साथ मिलकर संशोधन दिये हैं, उन संशोधनों को बिना स्वीकार किये, चर्चा किये इस सदन द्वारा यह बिल लागू नहीं किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, सरकार सामने बैठी है। यदि राजनैतिक दल इस किरायेदार कानून के पक्ष में हों तो खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जब सब लोगों की सर्वसम्मति इस बात पर बनी है तो सरकार को एक वक्तव्य यहां देना चाहिये कि व्यापारी और किरायेदार आन्दोलन के लिये मजबूर न हों।

सभापति महोदय, आज पूरी दिल्ली तीन दिन के लिये बंद है। एक-एक व्यापारिक संस्थान बंद हो गया है। आज किरायेदार को मालूम नहीं कि वह मकान या दुकान में रह पायेगा या नहीं ? ऐसी स्थिति में कोई अपना व्यापार कैसे कर पायेगा ? मेरी सरकार से मांग है कि श्री राम विलास पासवान इस बारे में वक्तव्य दें ताकि लोग चैन की सांस ले सकें और उन्हें मालूम हो कि जो संशोधन आये हैं, उनको बिना स्वीकार किये इस बिल को लागू नहीं किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस बात के लिये वक्तव्य दे। आज एक नहीं, हज़ारों-लाखों व्यापारी कनॉट प्लेस के अंदर गिरफ्तारियां देने के लिये मजबूर हो गये हैं। व्यापारी कभी आन्दोलन नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है लेकिन आज उनको पता चल गया कि कल उनके पास खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक वक्तव्य दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, श्री गोयल जी ने जो मसला उठाया है, वह मसला दिल्लीवासियों के लिये महत्वपूर्ण है। इस बात पर पूरी दिल्ली दो भागों में बंटी हुई है। एक वर्ग आज इस बिल को जस का तस लागू करना चाहता है और दूसरा वर्ग इसका विरोध करना चाहता है। इस स्थिति को देखते हुये दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खुराना ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में बी०जे०पी०, कांग्रेस, जनता दल, सी०पी०आई० (एम), सी०पी०आई० सब के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने दोनों पक्षों के सारे मतों को सामने रखकर एक ऐसा ड्राफ्ट बिल बनाने की बात की जो एक संतुलित बिल हो सकता है यह ठीक है कि 100 प्रतिशत समाधान तो नहीं हो सकता लेकिन एक संतोषजनक समाधान तो निकल ही सकता है। इस समिति की रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसमें उन तमाम राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। इस रिपोर्ट को शहरी कार्य मंत्री को सौंप दिया गया। उसके बाद शहरी विकास मंत्री के साथ बैठकें हुई हैं। मैं स्वयं ऐसी एक बैठक में उपस्थित थी। उस समय शहरी विकास मंत्री की बात से यह आभास हुआ और यदि मैं यह शब्द कहूं कि आश्वस्त हुई तो इससे संतोषजनक समाधान निकलेगा कि इन संशोधनों को स्वीकार करके एक अमेंडेड फॉर्म में बिल पार्लियामेंट में लायेंगें। मुझे लगता है कि सरकार की कोई मजबूरी आ गई कि एक पी०आई०एल०, दाखिल हुई है जिसमें सरकार को एक हल्फनामा दाखिल करना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कि सर्वदलीय समिति का हवाला देकर सरकार की सुझायी गयी अनुशंसायें हटाकर और इन अनुशंसाओं को हमें लागू करते हुये संशोधित बिल पार्लियामेंट में ला रहे हैं जिससे पार्लियामेंट बिल सामने आयेगी। यदि सरकार ऐसा हल्फनामा कोर्ट में दे दे तो उसके पीछे आसान रास्ता निकल सकता है। यदि सर्वदलीय समिति के आधार पर संशोधित बिल पार्लियामेंट में आ जाये और वह बिल पारित हो जाये तो दोनों वर्गों का समाधान होगा और इसमें से एक रास्ता निकल आयेगा। मैं चाहूंगी की श्री पासवान, जो लीडर आफ दी हाउस हैं और बाहर चले गये हैं, लेकिन कलैक्टिव रैस्पांसिब्लिटी है।

सभापति महोदय : बाद में देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई भी मंत्री खड़ा होकर कम से कम यह कह दे कि सर्वदलीय सहमति थी। या तो आप निर्देश दें कि सर्वदलीय समिति के द्वारा जो संशोधन सुझाए गए हैं, उनका समावेश करके सरकार अमेण्डेड फोर्म में बिल ले जाए और उसके पारित होने से मसला हल हो जाएगा। ... (व्यवधान)

श्री विजय गोयल : क्या सरकार इस पर वक्तव्य देगी ? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा जाना चाहिए। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने तीन दिन के लिए हड़ताल का आहवाहन किया है। इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं ... *(व्यवधान)* कृपया सरकार द्वारा इस दिशा में आगे आकर लोगों को आश्वासन दिया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि पूरी दिल्ली में तीन दिन के लिए बंद का आह्वान किया गया है। सरकार को मालूम था कि यह मसला उठेगा। आखिरकार दिल्ली के प्रतिनिधि मौन साधे नहीं रह सकते। जब दिल्ली में तीन दिन के लिए बंद का आह्वान हो तो ऐसे में एक भी मंत्री सदन में नहीं है जो इस पर रियेक्ट कर सके। आखिर प्रशासन इतना संवेदन-विहीन होकर चलेगा, वह मसले जिनका उठाया जाना अवश्यम्भावी है, उन पर भी सरकार प्रतिक्रिया नहीं करेगी तो हम इस सरकार के बारे में क्या भूमिका लेकर चलेंगे ? इसलिए आप निर्देश दीजिए कि सरकार इस पर प्रतिक्रिया दे।

सभापति महोदय : ठीक है। बाद में देंगे।

[अनुवाद]

उन्होंने इसको नोट कर लिया है। कल या परसों वे इस मामले में एक वक्तव्य देंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला : यह मात्र नोट करने का प्रश्न नहीं है, अपितु सरकार द्वारा कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने का है। व्यापारियों के बीच काफी असंतोष व्याप्त है। सरकार को इस संबंध में शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति जी, आपने कल वक्तव्य देने के लिए कहा है।

सभापति महोदय : यह कल या परसों देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : दो दिन दिल्ली बंद रहेगी। अगर आश्वासन दे दें तो बंद का आह्वान वापस लिया जा सकता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार इस प्रतिवेदन से सहमत है ... *(व्यवधान)* मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि श्री साहिब सिंह वर्मा की सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां। इस सरकार के मंत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता इसके संयोजक थे। उन्होंने इस प्रतिवर्दन को स्वीकार कर लिया है।

श्री राजेश पायलट : मेरा यह कहना है कि किसान पिछले तीन महीनों से धरने पर बैठे हैं। श्री साहिब सिंह वर्मा वहां गए थे और उन्होंने वायदा किया है। कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। यदि यह प्रतिवेदन जो वह बता रही हैं और जिसे श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा स्वीकृति दी गई क्या वह वैध है ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम सब इस रिपोर्ट के साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग तक इससे सहमत हैं ... *(व्यवधान)* सरकार को आगे आकर कुछ करना चाहिए। इससे व्यापक असंतोष है सरकार को हर व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चन्द्रशेखर, पिछली लोक सभा में जब यह

मुद्दा उठाया गया था तब आप ने अपनी बात कह दी थी।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : महोदय, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह एक आसान मुद्दा नहीं है। किसान, जिनकी भूमि, जिनकी दुकानें हथिया ली गई हैं, वे दयनीय जिन्दगी जी रहे हैं और ये व्यापारी उनकी कीमत पर ऐश कर रहे हैं। अतः, उन किसानों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विभिन्न ग्रुपों में किस बात पर सहमति हुई है मैं नही जानता। मैंने वह रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन यह सरकार या संसद द्वारा एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बाद में बोलियेगा। फातमी जी, आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी : दिल्ली का जो रेण्ट कंट्रोल एक्ट पास हुआ था, वह सर्वसम्मति से हुआ थ। सारी पोलिटिकल पार्टीज़ ने एग्री किया था, लेकिन आज कुछ बड़े लोगों के दबाव में आकर ये ऐसा कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आपकी पार्टी के लोग क्या दिल्ली में हैं जो दिल्ली का दर्द जानते हैं ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी : सारी पार्टियां उसमें थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री थोरात को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री संदीपान थोरात (पंढ़रपुर) : सभापति महोदय, मेरे शोलापुर जिला के निवासियों द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शोलापुर जिला औद्योगिक सहकारी बैंक अपने धन को अन्य चीजों में निवेश कर रहा है। यह शोलापुर से प्रकाशित दैनिक लोकमत में छपा है कि यह बैंक गैर कार्यशील परिसम्पत्तियों की श्रेणी में आता है करोड़ों रुपए, जो इस बैंक के क्षेत्राधिकार के बाहर है, अन्य जगह निवेश किए गए हैं। निवेशक इससे उत्तेजित हैं। अतः, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस मामले में जांच करे।

भारतीय रिवर्ज बैंक को इस बैंक की जांच के लिए कहा जाना चाहिए और इस सभा को बताया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैंने एक विषय पर बोलने के लिए आपको सूचना दी थी *(व्यवधान)* जरा सुन लीजिए। अगर इस तरह का अनार्किज्म पैदा करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, दस आदमी एक साथ खड़े हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है, यह क्या है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो हरिजन आदिवासियों के लिए बनाया गया है वह उनके साथ होने वाले शोषण, अत्याचार और अन्याय को रोकने के लिए है। लेकिन आज उसका काम क्या हो गया है। आज यह इन लोगों की सुरक्षा करने की जगह इन लोगों के शोषण और दमनचक्र को बढ़ावा देता है। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वे 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी हैं और इसका यह उदाहरण है कि-जब किसी पर कोई दमन या अत्याचार होता है और वह इनके पास जाता है तो ये लोग और परेशानियां पैदा कर देते हैं। साथ ही साथ वे लोग पीड़ित लोगों के साथ डांट-फटकार और दुर्व्यवहार करते हैं जिस उद्देश्य के लिए यह आयोग बना है यह उनके लिए और भी संकट पैदा किये हुए हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार और परेशानियां पैदा की जा रही हैं और किसी पीड़ित हरिजन आदिवासी की सहायता करने से स्थान पर नाजायज तरीके से नफा प्राप्त करने की यह संस्था बन गया है और जो लोग पीड़ितों के विरुद्ध होते हैं। उन्हीं की यह मदद करता है और हर आदमी अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात करता है, चाहे वह कोई भी पोलिटीकल पार्टी हो और इसके बारे में एक नई सोच बन रही है कि आखिर यह आयोग किसलिए बना है। इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी सी०बी०आई० से उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि इसके पास कितनी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और उसमें से कितनों को न्याय मिला है और कितनों को नहीं मिला है। तभी यह पता चलेगा कि यह आयोग क्या काम कर रहा है।

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, निश्चित रूप से अभी दिल्ली का प्रश्न उठ रहा था और उसके कारण सब लोग आंदोलित थे। मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकाय कर और मंडी कर आरोपित कर दिये जाने के कारण स्थिति बहुत विसंगतिपूर्ण बन गई है। सारे के सारे लोग और कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्यिक उद्यम, संस्थान सभी इससे प्रभावित हो गये हैं और कारोबार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने इन सारे करों का विरोध करने की दृष्टि से और अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए बंद और इसी प्रकार के आयोजन किये हैं। किसानों की हालत और खराब है। उनका कृषि उत्पादन और उनका अनाज खरीदने के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था और प्रणाली वहां पर नहीं है, जिसके कारण किसानों में निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार का करारोपण हुआ है उसकी विसंगतियां समाप्त करने का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 तारीख को इस विसंगत करारोपण का विरोध करने के लिए बंद का आह्वान किया है और मैं ऐसा समझता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसका समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश करना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन (केसरगोड़ा) : महोदय, मैं भारत सरकार और भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का ध्यान केरल में ए०जी० कार्यालय के सम्पूर्ण कर्मचारियों की चल रही हड़ताल की ओर दिलाना चाहता हूं। पर्यवेक्षी कर्मचारियों सहित कुल 35,00 कर्मचारी हैं और सभी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का कारण सभी संवर्गों में वृद्धिरुद्धता को हटाने की मांग है। 28 अप्रैल को कर्मचारियों के संघ ने सी०ए०जी० को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। परन्तु न तो सी०ए०जी० ने और न ही वित्त मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। इस हड़ताल से केरल सरकार के सभी विभागों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

इस सन्दर्भ में, मैं भारत सरकार विशेषकर वित्त मंत्री तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके हड़ताल का शीघ्र समाधान करें।

कर्मचारी संघ की महत्वपूर्ण मांगों के बारे में कुछ जानकारी सदन को देना चाहता हूं। वे निम्नलिखित हैं :-

1. पर्यवेक्षी कर्मचारियों सहित सभी संवर्गों में पदोन्नति आदेश।
2. एस०ओ०जी० जांच को पुनः आरंभ करना।
3. लेखाकारों और लिपिकों के बीच 70:30 के अनुपात के स्थान पर परमेश्वर समिति की सिफारिश अनुसार, 80:20 के अनुपात को लागू करना।
4. लेखा-परीक्षा दलों और लेखा-परीक्षा तिथियों को पुनः लागू करना लेखा-परीक्षा आयोजना के नाम में कटौती।
5. अवकाश श्रृंखला को लगभग 10 प्रतिशत तक पुर्नस्थापित करना।
6. मृत्यु, सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के फलस्वरूप खिन्न हुए पदों को भरना।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, रसोई गैस की एजेंसी तथा पेट्रोल पम्प का आवंटन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षित नवयुवकों को विशेषरूप से सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं किया जाता। इस बारे में संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज (अनु० जा०) असम में दो जिले हैं– करीमगंज और हैलाकण्डी– वहां पांच रसोईगैस एजेंसी हैं और आठ पेट्रोल पम्प अर्थात खुदरा दुकाने हैं, परन्तु केवल एक ही पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पास है। मुझे तेल उद्योग द्वारा लागू की जा रही सी सूत्री रोस्टर वाली औद्योगिक नीति समझ नहीं आती, जिसका संसद में विचार-विमर्श के प्रति पूरी तरह अनादर प्रदर्शित किया गया है तथा अनु० जाति। अनु० जनजाति के रसोई गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंम्प के उचित दावों की, विशेष रूप से सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों में, उपेक्षा की गई है।

अतः मैं भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सुझाव देना चाहता हूं कि वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 25% की दर से और सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 50% की दर से शिक्षित नवयुवकों को ऐसी ऐजेंसियां आवंटित करे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं लोक सभा में औरंगाबाद से चुनकर आया हूं जो बिहार का एक जिला है। वैसे तो पूरे बिहार में पेयजल का भारी संकट है लेकिन मेरे क्षेत्र औरंगाबाद में, पेयजल के संबंध में 1966 के पूर्व की स्थिति फिर से इस वर्ष पैदा हो गई है। हमारे यहां वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है। इसके परिणामस्वरूप सारे चापाकल सूख गए हैं, जितने पोखर, तालाब वगैरह थे, वे सब सूख गए हैं जिससे पेयजल का घोर संकट उपस्थित हो गया है। लोग लगातार 15-15 दिन तक स्नान नहीं कर पा रहे हैं। नहाने से वंचित रह जाते हैं। यदि उन्हें नहाना होता है तो घाट पर बैठकर, पहले पानी छानते हैं और फिर नहाते हैं–ऐसी स्थिति वहां पैदा हो गई है। यह स्थिति वाटर लेवल नीचे जाने के कारण उत्पन्न हुई है। वैसे तो केन्द्र सरकार की त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना है लेकिन उसके तहत काम नहीं हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह और निवेदन है कि तत्काल हमारे इलाके के लिए ऐसी योजना चलाई जाए जिससे प्रत्येक गावं में कम-से-कम एक चापाकल अवश्य लगाया जा सके ताकि वहां लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके। पीने के पानी का संकट जल्दी से जल्दी दूर करने की व्यवस्था होना जरूरी है। आज लोग गड्ढों और कुओं में पानी छान रहे हैं और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तुरन्त इस ओर ध्यान दे।

डा० बल्लभ भाई कठीरिया (राजकोट) : सभापति जी, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से गुजरात से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाने जा रहा हूं। गुजरात में ताप्ती हाई गैस एरिया में हर रोज लगभग 45-50 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा रही है। पहले यह तय हुआ था कि वहां से प्रति दिन 90 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकाली जाएगी, जितनी उसकी क्षमता थी लेकिन आज वहां क्षमता से 15 से 20 लाख क्यूबिक मीटर गैस ज्यादा निकाली जा रही है। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उनके समय में एक प्रौमिज किया गया था कि गुजरात में जो पिपावाव पावर प्रोजैक्ट बनेगा, उससे ताप्ती हाई गैस गुजरात को दी जाएगी।

सभापति महोदय, अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हुआ है। गुजरात में अब पावर की बहुत शार्टेज है। इस समय गुजरात में 48 सौ मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और वास्तव में जरूरत 62 सौ मैगावाट प्रति दिन की है। हमारा दूसरा पिपावाव पावर प्रोजेक्ट ताप्ती गैस हाई एरिया से मात्र 5-10 किलोमिटर की दूरी पर बन रहा है। गुजरात से जो ज्यादा मात्रा में गैस निकाली जा रही है, उसको जो पिपावाव

पावर प्रोजैक्ट है और जो उस ताप्ती गैस हाई के बिल्कुल निकट स्थित है, उसकी गैस नहीं दी जा रही है बल्कि वहां से उत्तर भारत में भेजी जा रही है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती है कि यह जो गैस ताप्ती हाई से निकाली जा रही है इसे पिपावाव पावर प्रोजैक्ट को दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा पूर्व में एक देशी आदिवासी रियासत थी। यह तीन ओर बंगालादेश से घिरा हुआ है। भूतपूवं पूर्वी पाकिस्तान और अब बंगलादेश से भारी संख्या में हुई घुसपैठ के कारण आदिवासी लोगों की संख्या कम हो गयी है। बंगलादेश से घुसपैठ अभी भी जारी है। यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

इसके अतिरिक्त उग्रवादियों द्वारा त्रिपुरा का पूर्वोत्तर में थाइलैंड से म्यांमार और बांगलादेश के रास्ते हथियार, गोला बारूद इत्यादि की तस्करी के लिए मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई०एस०आई० इस क्षेत्र में पर बहुत सक्रिय हैं। अब, इसने अपनी गतिविधियां पूरे क्षेत्र में बढ़ा दी है। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अनेक बार अनुरोध किया है कि त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाई जाए, सीमा सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाई जाए और सीमा पर सड़कों का निर्माण किया जाए।

गृह मंत्रालय की स्थाई समिति में गृह सचिव, श्री के० पद्मनाभैया ने स्पष्ट रूप से कहा कि गृह-मंत्रालय त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के पक्ष में है। उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक परियोजना भी भेजी है। परन्तु वे इसे वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं दिलवा पाए हैं।

मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूं कि वे इस क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए। सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए यह अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय को तुरंत इस परियोजना को मंजूरी देनी चाहिए ताकि कार्य शुरू किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाने जा रहा हूं। निजी क्षेत्र में कार्यरत दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड बैंक में हुए 150 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में समाचार देश के विभिन्न समाचार पत्रों में कई दिनों से प्रकाशित हो रहे हैं।

मान्यवार, दी बैंक आफ राजस्थान लि० की स्थापना 1943 में हुई थी। वर्तमान में 1650 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण एवं 3000 करोड़ रुपए से अधिक की जमाओं के साथ यह बैंक कार्यरत है। इस बैंक के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर एक उद्योगपति श्री केशव बांगड़ एवं उनके पिता श्री श्रीनिवास बांगड़ द्वारा 1992 में खरीदे गए थे। बैंक के मालिकाना हक पर नियंत्रण करने के पश्चात् इन लोगों ने वित्तीय कंपनी राजस्थान बैंक फाइनेंश्यल सर्विसेज, विज्ञापन कं०, अक्षर भारत, बांगड़ फाइनेंस लि० बी०एफ०एल० साफ्टवेयर लि०, मृदुला कमोडिटिज (प्रा०) लिमिटेड, कावेरी व्यापार (प्रा०) लि०, स्वागतम इंपैक्स (प्रा०) लि० क्षितिज एक्जीमा (प्रा०) लि० का निर्माण किया एवं उनके खाते दी बैंक आफ राजस्थान लि० की चुनिंदा शाखाओं में खोले।

मान्यवर, श्री बांगड़ द्वारा बैंक पर नियंत्रण स्थापित करते हुए अपने चहेते कई अफसरों की पदोन्नतियां एवं नियुक्तियां, अयोग्य होते हुए भी कर डाली। इन्हीं अपने चहेते लोगों को बैंक की प्रमुख शाखाओं एवं विभागों का जिम्मा संभलवा दिया। बैंक की 10 प्रमुख शाखाओं जिनमें कलकत्ता की चौरंगी रोड, नई दिल्ली की जनपथ एवं करोल बाग, मुम्बई की फोर्ट, मद्रास, बैंगलोर, जयपुर की एम०आई० रोड एवं जौहरी बाजार की शाखाओं को हाइटेक शाखा घोषित करते हुए अपने चहेते प्रबंध निदेशक श्री एन०एम० चौरड़िया के हाथों सीधे नियंत्रण में सौंप दिया। बैंक में 150 कसेड़ रुपए से अधिक का घोटाला मुख्यतः इन्ही में से कुछ शाखाओं में हुआ है।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स ने समय-समय पर इसकी शिकायतें बैंक के उच्चाधिकारी एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया को की थी, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण यह घोटाला संभव हुआ है। अतः मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रबल अनुरोध है कि इस सम्पूर्ण मामले की जांच सी०बी०आई० से कराकर वास्तविक स्थिति को सदन के पटल पर रखें ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लग सकें।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं और सोज़ साहब से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। पिछले साल अगस्त में अमरनाथ यात्रा की ट्रैजड़ी हुई थी जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए लगभग 300 लोग मारे गए थे।

उसके बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन दुर्भाग्य से उस रिपोर्ट पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। ऐसे समय में होम मिनिस्ट्री ने वह रिपोर्ट रिलीज की जब सदन समाप्त होने वाला था। इस कारण उस रिपोर्ट पर चर्चा पर चर्चा नहीं हो सकी। मेरा एक निवेदन यह है कि इस सदन में बाकायदा उस रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, मेरा सौभाग्य है कि आज गैलरी में जम्मू-कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं और मेरी बात कश्मीर सरकार तक जल्दी पहुंचेगी। हम सब जानते हैं कि पिछले साल जब यह घटना हुई तो बाद में यह कहा गया कि हमें अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आयेंगे और इस कारण से यह ट्रेजडी हो गयी। अमरनाथ यात्रा का एट्रेक्शन सारे देश के लिए बना हुआ है। वहां के हालात के मुताबिक चूंकि देश कश्मीर के साथ एक अटैचमेंट रखता है और लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जा नहीं पाते। यही एक मौका होता है जिस समय पूरे देश से इस तरह से लोग उमड़ पड़ते हैं। उसके लिए

[श्री चमन लाल गुप्त]

जो प्रबंध होने चाहिए, वह कोई एक-दो दिनों के प्रबन्ध के लिए नहीं है। वह यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं है जैसे किसी ने यहां से उठकर हरिद्वार जाना हो। यह बहुत कठिन यात्रा है। उसके लिए बहुत अधिक प्रबन्धों की जरूरत है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार को अभी से यानी बकायदा एक वार्निंग दी जाये, उनको चेताया जाये, उनको कहा जाये। केन्द्रीय सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर वहां पर जिन-जिन चीजों की जरूरत है उनका वे तुरंत प्रबंध करायें। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि पिछली वार जो स्थिति बनी थी, वह यही थी कि हम किसी भी तरह के वायरलैस सेट तक वहां नहीं रख सके थे। आर्म और सिविल का लायेजन बहुत जरूरी है। अगर हम अभी से उसका प्रबंध करना शुरू नहीं करेंगे तो यह यात्रा सफल नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह यात्रा सफल हो और इससे कश्मीर का नाम हो। परन्तु यह तभी होगा जब इसके लिए दोनों सरकारें चिन्ता करेंगी और जो चुने हुए नुमांइदे हैं उनको भी बीच में बैठाकर सारी व्यवस्थायें करके एक उत्तम व्यवस्था बनाये ताकि यह यात्रा एक सफल यात्रा हो सके।

सभापति महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती हैं।

अपराह्न 1.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.40 बजे

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत हुई।

(प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुई*)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर सरोवर से गाद निकालने के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) के अंतर्गत तीर्थाटन एवम् पर्यटन की दृष्टि से तीर्थराज पुष्कर स्थित हैं पुष्कर सरोवर में पहाड़ों तथा रेतीले टीलों की मिट्टी प्रतिवर्ष वर्षा के पानी-नालों के साथ बहकर आ जाती है। निरन्तर मिट्टी, रेत जमने से इस पवित्र सरोवर की गहराई कम हो गई है तथा पानी के प्राकृतिक स्रोत भी बन्द हो गए हैं। परिणामस्वरूप ग्रीष्म ऋतु में इस पवित्र सरोवर का पानी सूख जाता है और यहां आने वाले हजारों तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्नान की सुविधा नहीं मिलती।

पुष्कर का सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा तीर्थाटन एवम् पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। देश के विभिन्न कोनों से लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष यहां पुष्कर सरोवर में स्नानार्थ आते हैं। विदेशी भी बहुत संख्या में यहां निरन्तर आते रहते हैं। ऐसे पवित्र तीर्थराज की पवित्र झील में मिट्टी भर जाना और सूखने की स्थिति उत्पन्न होना उचित नहीं है। यहां का जल प्रदूषित हो गया है।

अतः भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर से सम्पूर्ण मिट्टी, रेत/गाद निकवाकर तथा इसे प्रदूषित होने से बचाने हेतु अविलम्ब एक विशेष योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करे जिससे पुष्कर का समुचित विकास हो सके।

(दो) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चीनी मिल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : जनपद उन्नाव में गन्ना किसानों को भारी कठिनाई है, जिले में कोई चीनी मिल न होने के कारण किसानों को बहुत दूर मिलों में गन्ना ले जाना पड़ता है। जिसके कारण किसान लोग धीरे-धीरे गन्ने का उत्पादन बंद करते जा रहे हैं।

मैंने पूर्व में भी संसद में कई बार उन्नाव जनपद में एक चीनी मिल लगाने की मांग की थी, खाद्य मंत्रालय से भी मुझे जानकारी मिली थी जनपद उन्नाव में चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय को भेज दिया गया है, लेकिन उद्योग मंत्रालय से कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

अतः मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में शीघ्र चीनी मिल लगाने की स्वीकृति प्रदान करे।

(तीन) कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया के हर देश में जब किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में जब भी किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाता है तो उसको समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान गन्ने का अधिक उत्पादन करता है तो उसके दाम गिर जाते हैं, आलू का उत्पादन बढ़ाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं, प्याज का उत्पादन बढ़ाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं। रबड़ का उत्पादन बढ़ाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं, कपास का उत्पादन बढ़ाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं। इससे किसान हतोत्साहित होता है और कृषि उपज के उत्पादन में गिरावट आती है जिसके परिणामस्वरूप कभी हमारे देश में चीनी की कमी हो जाती है और कभी अनाज की कमी हो जाती है। 1995 में हमें चीनी का आयात करना पड़ा और 1996-97 में गेहूं का आयात करना पड़ा।

यदि सरकार उत्पादन बढ़ने पर किसानों की समुचित सहायता करे तो हमारे देश में कृषि उपज की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हम कृषि आधारित उपज का स्थाई रूप से निर्यात कर सकते हैं। देश के किसानों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए मैं दो अनुरोध करना चाहता हूं–

1. कृषि उपज की उत्पादन लागत का आकलन करते समय जमीन की कीमत पर फसल की अवधि का ब्याज जोड़ा जाए।

2. एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में 80 प्रतिशत सदस्य किसान सम्मिलित किए जाएं।

(चार) उड़ीसा में मयूरभंज में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : महोदया, सरकार के निर्देशों के अनुसार, देश के अनेक जिलों में तथा उड़ीसा के कई जिलों में भी, कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि एक के बाद दूसरी सरकारों द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, देश के सबसे बड़े जिलों में से मयूरभंज को कृषि विज्ञान केन्द्र से वंचित रखा गया है। चूंकि मयूरभंज के निवासियों में अधिकांश आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, अतः इस जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने से यहां कृषि को बढ़ावा मिलेगा और स्पष्ट है कि इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में भी सहायता मिलेगी।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मयूरभंज (उड़ीसा) में यथाशीघ्र कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(पांच) चिलका झील में से नियमित रूप से गाद निकालने के लिए उड़ीसा के पुरी जिले में अरखा कुला में स्थायी अभियांत्रिकी स्कंध स्थापित करने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : महोदय, चिलका झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें अनेक प्रकार की मछलियां हैं। अरखा कुला मुहां चिलका का मुहाना है जहां वह समुद्र से मिलती है। इस मुहाने पर गाद के जमा हो जाने के कारण समुद्री लहरों के वेग में कमी आ गई है। चूंकि समुद्र का पानी हमेशा नहीं आता, अतः इससे चिलका में समुद्री जीव-जन्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के खुरदा जिले और पुरी जिले की तटवर्ती भूमि वर्षा ऋतु के दौरान जलमग्न हो जाती है। मित्रा आयोग ने चिलका मुहाने के तल से गाद को निकालने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की थी।

बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती बहाव को तथा पूर्वी घाट के पहाड़ों से सतही मिट्टी के चिलका में बह कर जाने को दृष्टिगत रखते हुए उसके मुहाने के तल से गाद के जमाव को नियमित रूप से हटाना परमावश्यक है।

चिलका के मुहाने से इस गाद को हटाने के लिए तटवर्ती सुरक्षा तथा विकास सलाहकार समिति द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

जल संसाधन मंत्रालय को नियमित रूप से गाद निकालने के लिए उड़ीसा के पुरी जिले में अरखा कुला में एक स्थाई इंजीनियरिंग विंग की स्थापना के उपाय करने चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दे।

(छः) तमिलनाडु में लघु पत्तनों को विकसित करने तथा महाबलीपुरम में लघु पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० परसुरामन (चेंगलपट्टू) : महोदय, देश के वर्तमान पत्तनों में और सुविधाओं की स्थापना और व्यवस्था के लिए प्राकृतिक और अवस्थितिगत दृष्टि से श्रेष्ठ लम्बी समुद्रतटीय सीमा है। हमारे देश में इस समय 11 मुख्य पत्तन है और 139 लघु पत्तन हैं। परन्तु मुख्य तथा लघु पत्तनों द्वारा नौभार संचालन के हिस्से की तुलना की जाए, तो यह देश के कुल नौभार संचालनों का मात्र आठ प्रतिशत ही बनता है। इसमें से अकेले गुजरात के लघु पत्तनों द्वारा ही सत्तर प्रतिशत नौभार संचालन किया जाता है। महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, अपने-अपने राज्यों के लघु पत्तनों को विकसित करने एवं उनमें सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग तथा सहायता एवं स्वीकृति से योजनाएं बना रहे हैं।

महोदय, तमिलनाडु में विशाल समुद्रतट है जहां अच्छी और सहायक स्थितियां विद्यमान हैं जो न केवल नये पत्तनों की स्थापना के लिए अपितु वर्तमान लघु पत्तनों के विकास के लिए भी उपयुक्त है कुड्डालोर, नागापट्टनम और तूतीकोरीन इत्यादि के वर्तमान लघु पत्तनों का विकास एवं संवर्धन करने की आवश्यकता है। इसमें केवल कुड्डालोर पत्तन ही कोयले के परिवहन द्वारा प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु बिजली बोर्ड के 200 करोड़ रुपये की बचत कर सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह महाबलीपुरम में एक लघु पत्तन की स्थापना पर विचार करे, जो नौवीं और दसवीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम नाम से काफी विख्यात था। पल्लव राजवंश के समय तथा ब्रिटिश काल में महाबलीपुरम पहले ही व्यापार हेतु एक लघु पत्तन का कार्य कर रहा था।

(सात) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में अजध्या पहाड़ी पर कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वीर सिंह महतो (पुरूलिया) : पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले के बणमंडी, बलरामपुर, बड़ाबाजार, मानबाजार और बंडुलन पुलिस स्टेशन,

[श्री वीर सिंह महतो]

के सात लाख लोग बंगाली भाषा बोलने वाले हैं। परन्तु इन्हें आसनसोल/कलकत्ता दूरदर्शन के टी वी कार्यक्रमों को देखने से वंचित रखा जाता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले के अजध्या पहाड़ी पर कम शक्ति का टी वी ट्रांसमीटर लगवाये।

(आठ) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जानेवाली पेंशन-राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के दावों के तेजगति से निष्पादनार्थ गृह विभाग के तदविषयक स्पेशल सेल में दो सदस्यीय स्पेशल ऑटिड टीम बनाई गई थी, किन्तु इस टीम को सहायक और स्टेनेग्राफर की सुविधा नहीं देने के कारण कार्य निष्पादन में अपेक्षा के अनुसार गति नहीं आई है। जो दावेदार दिल्ली आने की परेशानी उठाकर लगातार प्रयास करते हैं, उन्हीं की संचिका निष्पादनार्थ उपस्थापित हो पाती है। इस टीम को प्रभावी बनाने के लिए सहायक और स्टेनोग्राफर की व्यवस्था कर संचिकाओं के उपस्थापित करने की गति में अपेक्षित तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब करने की आवश्यकता है।

सम्मान पेंशन के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मात्र 1500 रुपए प्रति माह की छोटी सी राशि दी जाती है। स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में इसे बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति माह कर देना अपेक्षित और समीचीन है।

जिन सेनानियों ने कम से कम तीन महीने की जेल यातना भोगी है या उतनी अवधि में फरार रहे हैं, उन्हें ही यह सम्मान देने का प्रावधान है। जिनकी यातना की अवधि इससे थोड़ा भी कम है, उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। जो उचित नहीं प्रतीत होता। अतः अनुरोध है कि उक्त राशि को प्रति माह के आधार पर जिनकी जितनी अवधि की जेल यातना हो, उनको उतनी राशि का सम्मान पेंशन दिया जाए, न कि उन्हे स्वतंत्रता सेनानी की मान्यता भी न दी जाए, जबकि आजादी की लड़ाई में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अपराह्न 2.52 बजे

[अनुवाद]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में प्रस्ताव – जारी

सभापति महोदय : अब सदन मद सं० 9 पर विचार करेगी जिसका सम्बन्ध नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र सम्बन्धी प्रस्ताव से है और इसके लिए चर्चा हेतु सरकार ने पांच घण्टे निर्धारित किए हैं।

यदि सदन सहमत हो तो हम इस मद के लिए पांच घण्टे का समय अनन्तिम रूप से निर्धारित कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 26 फरवरी 1997 को सभा पटल पर रखे गए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र पर विचार करे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदया, अच्छा होगा कि माननीय मंत्री शुरू में कुछ बोलें ताकि चर्चा को एक खास दिशा दी जा सके।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : यदि अध्यक्षपीठ की अनुमति हो, तो मुझे इस विषय पर बोलने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि यह तो मेरा प्रिय विषय है। परन्तु चूंकि हमने दृष्टिकोण पत्र को बहुत पहले ही सभा-पटल पर रख दिया है, अतः मैंने यह उचित समझा कि मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का बाद में उत्तर दूँ।

सभापति महोदय : यह आप पर है कि आप पहले उत्तर दें या बाद में। यदि आप चाहें, आप अब बोल सकते हैं।

श्री राम नाईक : यह आपका विशेषाधिकार है कि आप इस विषय पर कुछ बोलें, अन्यथा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यह तो वैसा ही है। जैसे कोई माननीय मंत्री विधेयक पुरः स्थापित करता है तो यदि वह चाहे तो वह उस पर कुछ कह सकता है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : सभापति महोदया, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर योजना आयोग और योजना मंत्रालय को चर्चा के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दृष्टिकोण पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई है तथा मैं माननीय, सदस्यों को सहर्ष यह बताना चाहता हूं कि इसे देश में राज्य सरकारों द्वारा राजनैतिक भेदभाव के बिना समर्थन मिला है। दृष्टिकोण पत्र पर राज्य सभा में भी चर्चा की गई जहाँ पुनः इस देश में अपनाई जाने वाली योजना, योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना को प्रायः सराहा गया।

मूलतः, दृष्टिकोण पत्र विगत पांच से आठ वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसकी छानबीन करता है, उसमें यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था की क्या अच्छाइयां और खामियां हैं तथा इसके बाद आगामी पांच वर्षों के लिए नीति विकसित करना है। इसने नोट किया है कि उच्च विकास दर जारी है तथा जहो तक भुगतान संतुलन का संबंध है तो देश उससे ठीक तरह से निपट रहा है। लेकिन जहां तक कीमत का संबंध है तो पिछले वर्ष खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सामान्यतः यह संतोषजनक रहा है। लेकिन इसने इस बात को भी नोट किया है कि

कुछ ऐसी बातें भी हैं जो पर्याप्त चिन्ता का कारण हैं। ये कृषि विकास क्षमता को कम करने से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इसमें वृद्धि हुई है। पुरुष श्रमिकों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

मैं इस बात को बड़े महत्व की मानता हूं सभापति जी, क्योंकि गांव में जब कोई गरीब आदमी रोजगार के लिए जाता है तो उसको हम उसके दिन के स्तर पर उसका नाप करते हैं और अगर वह रोजगार के लिए जाए और उसको रोजगार पिछले काम की तुलना में कम मिले तो वह काफी गंभीर बात है।

[अनुवाद]

अतः, दृष्टिकोण पत्र में इस पर टिप्पणी की गई। इसे यह जानकर खेद हुआ है कि कुछ बड़े जनसंख्या वाले राज्यों में आय में बहुत कम वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में, प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर स्थिर रही है। बिहार में, इसमें गिरावट हुई है। दृष्टिकोण पत्र में इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर नीति तैयार की गई है तथा एक ऐसी दोहरी नीति प्रस्तुत की गई है जिससे कि यह दो सहारों पर खड़ा प्रतीत हो।

इसमें विकास पर सर्वप्रथम बल दिया जाता है। विगत वर्षों में हमने जो विकास दर प्राप्त की है उसमें भी भविष्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि छह से सात प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है तथा विगत में यह छह प्रतिशत औसत रहा है। वास्तव में, कुछ अंतराष्ट्रीय आलोचकों द्वारा यह पूर्वानुमान किया जा रहा है। उदाहरणार्थ शिक्षक लारेंस केल्विन का लिंक माडल, जो कि एक विश्व माडल है, ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि आगामी पांच वर्षों में भारत का विकास दर 6.8 प्रतिशत से सात प्रतिशत के लगभग रहेगा। वास्तव में, विगत दो या तीन वर्षों में इसका पूर्वानुमान करीब-करीब ठीक ही रहा है।

दृष्टिकोण पत्र में आगे कहा गया है कि यदि हम सरकार के राजस्व लेखे में होने वाला घाटे को कम करने में विशेष रूप से सफल होते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम 0.8 या 1.0 प्रतिशत की कमी कर पाते हैं तो यह संभव है कि 27 से 28 प्रतिशत का पूंजी निवेश संभव हो सकेगा। पूंजी उत्पादकता में कुछ सुधार कर हम सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। अतः, इस बात पर बल दिया गया है कि सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए तथा संरचनात्मक राज सहायता पर बल देते हुए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के फालतू खर्च को कम करके इस उच्च विकास दर को प्राप्त किया जा सकता है।

लेकिन अन्य लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि उन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जहाँ हमने अच्छे कार्य नहीं किए हैं या वैसा नहीं कर पाये जैसा कि हम करना चाहते थे। उदाहरणार्थ, आधारभूत न्यूनतम सेवायें चाहे वह प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता, देश के प्रत्येक बालक, महिला और पुरुष हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना तथा प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना है। पेय जल, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण आवास के क्षेत्रों में ऐसी आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को स्वीकार करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर एक साथ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। देश के सभी मुख्य मंत्रियों के साथ हमने दो दिन तक बैठक की। मैं समझता हूं कि नौंवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में आधारभूत न्यूनतम सेवा के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत के आभारी हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया है हम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के प्रति भी आभारी हैं। हम बिहार या उड़ीसा के मुख्य मंत्री के प्रति भी आभारी हैं। उन चारों मुख्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता मैंने की थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि इस क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों को हम एक साथ मिलकर करेंगे तथा इसके लिए परिव्यय को 2.400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष 3,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो वास्तविक अर्थ में 15% की वृद्धि है। यह कहना बहुत आसान है कि यह एक छोटी रकम है।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन वित्तीय पुनर्संरचना के दौर में अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु 2,400 करोड़ रुपए रखना और उसे 3,900 करोड़ रुपए करना एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम इस क्षेत्र में उपयोग करना चाहते हैं। यह मात्र संसाधन नहीं अपितु एक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

तरीका क्या है ? तरीका यह है कि राज्य सरकारें और हम इकट्ठे बैठ कर उस योजना का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तरीका यह भी है कि खाली हम अपने लक्ष्य की बात नहीं करेंगे। इन मुख्यमंत्रियों ने जो कि बहुत सीनियर हैं, यह भी कहा कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, हम 20 परसैंट साधन देंगे। जो गरीब राज्य हैं जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास इतना धन नहीं है। मुख्यमंत्रियों की कमेटी जिस का मैं चेयरमैन हूं, उसका यह निश्चय था कि आप इसमें अपना श्रम दें। श्रम तो हमारे पास है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने कहा कि हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं यह गलत बात मानता हूं। योजना में यह भी कहा गया है कि हमने राज्य सरकारों को प्रेरित किया। वैसे ही यह उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर पंचायतों और गांवों की कम्युनिटी को वैसी ही प्रेरणा देंगी जिससे कि वे इन योजनाओं में भाग ले सकें। अगर कम्युनिटी इसमें भाग लें और नए तरीके अपनाए जाएं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये-ये तकनीकी तरीके हैं और इससे एजुकेशन, हैल्थ इन सब चीजों की लागत कम आ सकती है। अगर कम्युनिटी भी इसमें इनवाल्व हो तो हम यह मानते हैं कि नियोजन का जो नया ढांचा है जिस को योजना आयोग कोआरेटिव फैडरलिज्म कहती है, यह योजना हम दिल्ली में नहीं बनाएंगे, वह योजना केवल

[श्री योगेन्द्र कुमार अलघ]

एक मंत्रालय की नहीं होगी, वह योजना हम राज्य सरकारों के साथ बैठ कर बनाएंगे। अगर कोई कहे कि यह बहुत आसान बात है तो यह आसान बात नहीं है। हम एक ढांचा बनाना चाहते हैं जिससे जिम्मेदारी के साथ इन समस्याओं के समाधान की बात हो सके और लक्ष्य व नीतियां बनायी जा सकें। केन्द्र सरकार या योजना आयोग को उपयुक्त साधन दिए जाएंगे लेकिन राज्य स्तर पर और लोकल कम्युनिटी के स्तर पर भी उन लक्ष्यों के लिए साधन हों जिससे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

ऐसी ही योजना यह भी कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जितना व्यय होना चाहिए, उतना नहीं हुआ।

[अनुवाद]

कृषि पूँजी निर्माण दर एक चिंता का विषय है। हमने इस बारे में भी कहा है कि इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम के द्वारा इस दिशा में शुरूवात की गई है।

यह त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम क्या है ? यह वह कार्यक्रम है जो परियोजनाओं की देखरेख करता है। इसमें कहा गया है–

[हिन्दी]

अगले दो या तीन साल में इस पर जो पैसे खर्च होंगे, वे तो ठीक है लेकिन किसान के खेतों में डैम या केनाल से पानी पहुंचाया जाए। उसको साधन कुछ केन्द्र सरकार दे और कुछ आप दें। पूर्वी विस्तारों के लिए विशेष योजना बनानी होगी। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय से बात भी की है। मैं खुद इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि पूर्वी राज्यों के लिए एक ट्यूबवैल बांड योजना बनायी जाए।

[अनुवाद]

जहाँ तक इन क्षेत्रों जैसे पानी, कृषि, आधारभूत संरचना का संबंध है तो योजना में कहा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में, सार्वजनिक आधारभूत संरचना चाहे यह विद्युत या संचार हो, सभी पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में सबसे कम ध्यान दिया गया है। दृष्टिकोण पत्र में इन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? ये क्षेत्र आधारभूत न्यूनतम सेवा में, लोगों की जिन्दगी, कृषि और ग्रामीण विकास आधारभूत संरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हैं। वास्तव में इन क्षेत्रों में हमने कहा है कि हम विस्तृत योजना बनायेंगे। हम, समुदाय गैर-सरकारी क्षेत्र, सहकारी समितियों और स्वैच्छिक संगठनों को सम्बद्ध करने, देश के अंदर और बाहर आधुनिक प्रौद्योगिकी को सम्बद्ध करने, संबंधी नीतियों के लिए योजना बनायेंगे और उस पर ज्यादा बल देंगे। शेष चीजों के लिए हम आर्थिक सुधार का कार्यक्रम जारी रखना चाहते हैं जिससे कि हम उच्च कृषि, औद्योगिक और समान विकास दर प्राप्त कर सकें। अतः ये सब नीतियां हैं जिन पर बातचीत की गई है।

उदाहरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लें। यह वह कार्यक्रम है जिसमें नीतियों तथा राज्य की भूमिका को दर्शाया गया है। हमने इसे उससे शुरू किया है, हमने वित्त मंत्री को राजी किया है। विगत चालीस या पचास वर्षों से हमारे पास ऐसे बड़े वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, जैसे सी०एस०आई०आर० हैं, जो विगत लगभग पचास वर्षों से विद्यमान हैं। इसलिए, यदि हम उसे समस्या के समाधान की दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि विज्ञान को व्यवहार में लाकर उनके द्वारा अर्जित प्रति रुपये पर सरकार द्वारा उन्हें अतिरिक्त एक रुपया दिया जाता है। इस समय विश्व में दिया जाने वाला यह सर्वाधिक बड़ा प्रोत्साहन है और इस वैज्ञानिक प्रतिष्ठान को समस्या के समाधान की कोशिश करनी चाहिए या हमें प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन करना होगा जहां वैज्ञानिक प्रतिष्ठान बड़े उद्योगों के साथ परियोजना पर ध्यान रखेगी और उद्योग से कुछ योगदान प्राप्त कर बड़ी समस्याओं का समाधान करेगी। इसका आशय यह है कि राज्य की अपनी कोई योजना नहीं होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में मैंने एक स्वर्ण जयंती योजना की घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि 'यदि कोई युवा भारतीय यह दावा करता है कि वह एक विश्वस्तरीय अनुसंधान-कार्य विश्व स्तर का नया अनुसंधान कार्य करना चाहता है और कोई परियोजना बनाता है तो हम उसे धन उपलब्ध करायेंगे या फिर वह अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित हो जहां इस समय हम क्रयोजनिक इंजन विकसित करने के लिए वचनबद्ध हैं। अब हम 2000 किलोग्राम तक उपग्रहों को सफलतापूर्वक छोड़ सकते हैं। क्रयोजनिक इंजन बनाने में प्रगति हो रही है चाहे भले ही वह थोरियम साईकल में परमाणु ऊर्जा को लाना या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में उसे लाना है। इस वर्ष हमने सभी जारी परियोजनाओं और कुछ नई परियोजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराया है।

इसलिए हमारा कहना है कि हम कुछ क्षेत्रों के लिए विस्तार से योजना बनाएंगे। बेरोजगारी की समस्या, गरीबी उन्मूलन तथा व्यापक कृषि विकास की समस्याओं के प्रति हम चिंतित हैं। व्यापक कृषि विकास संबंधी भी एक नीति सुझायी गई है जो कि योजना की मूल कृषि नीति है और जिसका योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। अतः मैं इनके लिए समय नहीं लेना चाहता किंतु मैं बाद में उत्तर दूंगा।

लेकिन प्रत्येक जिले में, जहां कृषि प्रसंस्करण संबंधी अवसर उपलब्ध हैं या जहां इसकी अतिरिक्त मांग है तो छोटे किसानों, मजदूरों को परियोजना लगानी चाहिए जिससे कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें तथा व्यापक व्यापार का कथन महानगरों तक ही सीमित न रखकर हमारे किसानों, हमारे श्रमिकों और हमारे कारीगरों को इसका लाभ मिल सके जिससे कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय विश्व स्तर पर विकसित होने वाले बाजार

हमारे कार्य बल और प्रौद्योगिकी से जुड़ा रहे जिससे कि हम अपनी कुशलता, परिवहन व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियंत्रण को उन्नत कर सके और इसे भारत के हर जिले में स्थापित किया जा सके। दृष्टिकोण पत्र में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है।

लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि थोड़े समय में इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में गरीब तथा बेरोजगार लोग होंगे जिनके लिए हमने भारत सरकार को रोजगार गारंटी योजना अपनाने का सुझाव दिया और वह इसे मान गई। भारत का कोई भी व्यक्ति जो जारी दर पर कार्य करना चाहता है जो मांग पर आधारित है—तो नौंवी पंचवर्षीय योजना में उसे कार्य दिया जाएगा।

ये सब चीजे हैं जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में रोजगार के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। मैं मात्र मुख्य नीति बता रहा हूं और मेरे विचार से इन बातें पर विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि इनमें से अधिकतर बातें दृष्टिकोण पत्र में हैं। चूंकि माननीय सदस्यों ने मुझे अवसर उपलब्ध कराया है अतः मैं उन्हें योजना आयोग में तथा राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्य सभा में विचार-विमर्श के दौरान होने वाली कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूँ।

वास्तव में इस चर्चा की राह देख रहा था। इस सभा में अनेक वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी सदस्य मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि योजना आयोग में कार्य करने का यह मेरा पहला मौका है। मैं मूलतः एक विश्वविद्यालय का अध्यापक हूं और गुजरात में कार्यरत रहा हूं किंतु 1974 में मुझे सलाहकार के रूप में योजना आयोग में आने को कहा गया। मैंने लोक सभा में चर्चा को हमेशा ही अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक पाया है तथा सरकारी दीर्घा में बैठकर सदस्यों का भाषण अत्यन्त ध्यान से सुनने को वे दिन मुझे याद हैं। आप लोगों की धारणा शक्ति तथा उनकी समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझने से हम अपने संसाधनों को आगे बढ़ा सकते हैं।

मेरा यही कहना है कि योजना आयोग को इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि ये बातें आसान नहीं है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अति मौलिक समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि योजना आयोग ने वर्ष 1990 में देश की मांगों के अनुरूप योजना को नया रूप देने की कोशिश की है। बाजार में व्याप्त व्यापक क्षमता के प्रति वह सजग है। विकेन्द्रीकृत बाजार की शक्ति व्यापक होती है और उसे लोगों के लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन इससे यह संदेश भी मिलता है कि जहाँ बाजार असफल रहता है, जहां बाजार नहीं है वहां राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत उसमें विश्वास नहीं करता। यह योजना को गंभीरता से लेती है तथा इस प्रकार का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले चुनींदा क्षेत्रों चाहे वे देश की आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक हों या भारत के गरीब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हों, में जारी रहेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1997 को सभा पटल पर रखी गयी नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र पर विचार करती है।"

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदया, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

इस दृष्टिकोण पत्र को देखने के बाद और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मुझे एक ही बात याद आती है—"दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।"

हम इस स्वर्ग, जिसे हम 'भारत' कहते हैं की स्थिति जानते हैं। इस दृष्टिकोण पत्र पर एक नजर डालने पर पता लगेगा कि यह एक इच्छाजनित धारणा है, यह एक धोखा है और यह आंकड़ो का खेल है।

मैं नहीं जानता कि किसी जादू से मंत्री जी अपनी आयंटित योजना द्वारा विश्व व्यापीकरण और बाजारीकरण की मूलभूत ताकतों को एकत्र कर सकेंगे। यह मूल रूप से तर्कहीन और गलत है तथा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने कहा है, 'हां हम हस्तक्षेप करेंगे'। वे किस प्रकार हस्तक्षेप करेंगे ? उस हस्तक्षेप का वास्तव में इस धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मेरे विचार से यह नकली दांतों का ढीला ढांचा और नकली ढांचा है जो भारतीय आयोजना और आर्थिक समस्याओं की सख्त परत को काटने में असमर्थ होगा।

माननीय मंत्री जी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों पर बोले हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा और वास्तविक स्थिति बताऊंगा। अगर योजना आयोग और यह सरकार इस देश की मूलभूत समस्याओं के प्रति गंभीर होती तो यह कोई बड़ी खोज करती, यह इस ओर भी ध्यान देती कि यह देश आठ पंचवर्षीय योजनाओं, आयोजना के चार दशक से अधिक बीतने के बाद भी इतनी दयनीय स्थिति में क्यों रहा है। ऐसा क्यों हैं ? अगर वे पिछले वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखें हैं तो उन्हे बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाई देखी। ऐसा नहीं है कि हमने अधिक तरक्की नहीं की है। हो सकता है हमने की हो। हमने हरित क्रांति भी देखी है। हमने श्वेत क्रांति भी देगी है। हमारी जीवन क्षमता बढ़ गई है। परंतु इस मुद्दे पर अपने आप में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह मुद्दा तुलनात्मक प्रगति का है कि किस प्रकार विश्व ने प्रगति की है और किस प्रकार हमने प्रगति की है ? मैं उन्हें आंकड़े दूंगा जिससे सही वास्तविकता का पता चलेगा।

अब अगर आप इस पर पिछले 50 वर्षों के दौरान देखना चाहें, तो 1950-51 में विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत था अब यह एक प्रतिशत से भी कम है। 1950-51 में

[श्री जगमोहन]

तीसरे विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 12 प्रतिशत भारत द्वारा दिया जाता था; इस समय यह हिस्सा 5 प्रतिशत रह गया है। औद्योगिक उत्पादन के संबंध में स्थिति कुछ भिन्न नहीं है। 1950-51 में भारत का औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत था; आज यह प्रतिशत लगभग 0.7 है। 1950-51 में तीसरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिशत भारत से आता था; अब यह लगभग 4 प्रतिशत तक गिर गया है। इस अधोगामी प्रवृति में विश्व के विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा 1951 के 2 प्रतिशत की तुलना में इस समय 0.6 प्रतिशत है। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं ? ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमने पूरे विश्व के बराबर प्रगति नहीं की है। परंतु अगर आप इसे विकासशील देशों के साथ भी तुलना करते हैं तो भी विकासशील देशों के संबंध में हम पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का यह वास्तविक रिपोर्ट कार्ड है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ऐसा क्या हैं ? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास इसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम केवल इच्छाजनित धारणा व्यक्त करते हैं। हम केवल सुनहरे सपने देखना चाहते हैं और उसी के सहारे जीते हैं।

माननीय मंत्री जी ने कृषि उत्पादन के बारे में कहा है। वे कह रहे हैं कि इसमें कमी आ रही है। हम कहते हैं कि यह बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति भी हुई थी। परन्तु मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का दूसरा पक्ष क्या है। वर्ष 1979-80 में हरित क्रांति के दौरान, देश के कृषि उत्पादन में केवल 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि में विकास की दर और उससे हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह बहुत ही निराशाजनक है। इस संबंध में इन्डोनेशिया का प्रतिशत– मैं किसी विकसित देश के आंकड़े नहीं दे रहा हूं–3.7 प्रतिशत था। मलेशिया में यह 4.7 प्रतिशत तथा थाइलैंड में यह 4.6 प्रतिशत था और हमने, जो हरित क्रांति की बात करते हैं, इसमें 2.1 प्रतिशत तक ही प्राप्त किया था।

विश्व की 3,500 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन की तुलना में भारत में धान का उत्पादन केवल 2,576 कि०ग्रा० है, जो एशिया में सबसे कम है।

यही स्थिति मक्का की है और मैं आपको उसके आंकड़े नहीं देना चाहता। सूरजमुखी की स्थिति भी उतनी ही बुरी है।

अब, अधिक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादन नहीं है, बल्कि खाद्य की प्राप्ति अधिक मायने रखती है। आज स्थिति क्या है ? भारत में 250 मिलियन लोग आवश्यक कैलोरी की मात्रा का तीन चौथाई से भी कम खाते हैं। और 55 मिलियन अन्य लोग आवश्यक कैलोरी की मात्रा का 50 प्रतिशत से भी कम ले पाते हैं। खाद्य उत्पादन का अर्थ क्या हुआ अगर लोगों का इतना प्रतिशत वास्तव में उतना खाद्य भी नहीं खा पाता, जितना उन्हें उनकी सेहत के लिए आवश्यक है ?

गरीबी समाप्त करने की क्या स्थिति है ? योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किया है कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और इसका प्रतिशत क्या है ? विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक सरकार का प्रबंधन का तरीका भिन्न होता है। अब वास्तव में स्थिति क्या है ? जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं वे अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। भारत में 55 प्रतिशत लोग गरीब है जबकि उप सहारा अफ्रीका में 47 प्रतिशत तथा चीन में 20 प्रतिशत है। पैमाना वही है। इसलिए, सवाल केवल तुलनात्मक आंकड़ों का है। अगर आप इस पैमाने को उदार बनाते हैं तो अन्य देश भी उस आंकड़े को अपनाना चाहेगा।

अगर सबसे अधिक गरीब देशों के वर्ग को लिया जाए तो भारत का प्रतिशत 33 होगा। चीन का प्रतिशत 8 है। उप सहारा अफीका में यह 30 है। आप अंदाजा लगा सकते है कि हमारी गरीबी का प्रतिशत क्या है।

अब, एक विद्वान व्यक्ति की तरह माननीय मंत्री जी को गरीबों की क्षमता अवधारणा का पता ही होगा–एक अर्थपूर्ण जीवन जीना, अपने लिए भोजन तथा बच्चों के लिए शिक्षा गरीबों की मुख्य चिन्ता है। गरीबों की क्षमता की यह धारणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित की गई है। अगर वे उस अवधारणा को लागू करते हैं तो भारत के 61.5 प्रतिशत लोग गरीबों के वर्ग में आ जाएंगे। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने यह किया और वह किया। वह विगत की बात है, परन्तु मेरी चिन्ता यह है कि माननीय मंत्री जी विगत की कमियों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

कृपया मानव विकास सूचकांक देखिए। यू०एन०डी०पी० की 174 राष्ट्रों की तालिका में से हमारा स्थन 134 वां है। *(व्यवधान)* अब यह 135 पर पहुंच गया है। संभवतः ऐसा नौवीं योजना के कारण होगा।

अब मैं स्त्री-पुरूष विकास सूचकांक की बात करता हूं। इस संबंध में भी यू०एन०डी०पी० के आंकड़े उपलब्ध हैं। माननीय मंत्री जी कल्याण मंत्रालय, कल्याण योजनाओं आदि की बात करते हैं। परन्तु स्थिति क्या है ? तालिका के अंतर्गत दिए गए 137 राष्ट्रों में से भारत का स्थान 103 है। यहां तक कि ईराक और ईरान का स्थान क्रमशः 75 और 96 है। केवल पाकिस्तान और बंगालादेश ही इससे थोड़ा नीचे है। यह अनुपात 1972 से कम होकर 1927 तक आ गया है।

माननीय मंत्री विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उल्लेख कर रहे थे। क्या यह तथ्य है कि यूनेस्को की रिपोर्ट, जो 1996 की विश्व विज्ञान रिपोर्ट कहलाती है, के अनुसार भारत का हिस्सा 1981 से 1995 के बीच कम हुआ है जो विश्व के कुल विज्ञान योगदान का 17 प्रतिशत है तथा भारत उन देशों के समूह में चला गया है जो इस अवधि में काफी नीचे जा रहे हैं ? नये औद्योगिक देश, जिनके विकास का तरीका हमारे द्वारा अनुकरणीय है, ने अपना भाग 312 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है जबकि हमारा कम हो गया है। चीन ने अपना हिस्सा,

247 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे विकास की बहुत अच्छी व्याख्या है।

माननीय मंत्री ने नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी कहा है। नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में सच्चाई क्या है ? इस आश्चर्यजनक सुधार प्रक्रिया के आरम्भ होने से पहले ऐसा समय था जब 10,000 मे०वा० नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित की जानी थी। 15,000 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री भी खरीदी गई थी। परन्तु फिर भी धन की कमी और अन्य चीजों की बातचीत हुई थी। इसे 5000 मे०वा तक कम कर दिया गया था फिर बाद में इसे कम करके 2300 मे०वा० कर दिया गया था और इसमें इसी प्रकार कमी आती गई। इस अवधि में ऊर्जा के मूल्यवान स्रोत में काफी कमी के साथ ही आवंटन में भी कमी आई है। सभी निजी संस्थाओं को, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नाभिकीय संयंत्रों तथा इसमें संलग्न सरकार के विभागों के लिए सामग्री बनाती हैं, नुकसान हुआ है। जब आवंटन में इतनी अधिक कमी आई है तब हम नाभिकीय विद्युत निगम से बाजार से ऋण लेने की बात करते हैं। उन्हें तुलनात्मक दर पर ऋण कौन देगा ? वे एक प्रकार के कुचक्र में फंस चुके हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम में भारी कटौती के कारण हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद काफी हतोत्साहित हो गये हैं। उनकी संख्या कम हो गई है और वे बाहर जा रहे हैं। वे या तो निजी क्षेत्र में जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। अब पुराने और सक्षम वैज्ञानिक, जिन्होंने संभवतः काफी काम किया है, कुछ समय में विलुप्त हो जाएंगे। युवा पीढ़ी इस खालीपन को भरने के लिए आगे नहीं आएगी। इसलिए जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय प्रगति का संबंध है हमारा, भविष्य क्या होगा ?

हमारे पास दूसरे दर्जे के कार्मिक रह जाएंगे क्योंकि पहले दर्जे के लोग तो चले जाएंगे। बहुत अधिक हतोत्साह पैदा हो रहा है। क्या हम एक सुखमय भविष्य का निर्माण कर रहे हैं या एक ऐसे भविष्य का जो उच्च कोटि के तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों से रहित होगा ? मुझे वास्तव में यह समझ नहीं आ रही है कि मंत्री जी किस तरह यह कह रहे हैं कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह करेंगे और वह करेंगे जबकि वे लोगों को इस देश से जाने दे रहे हैं।

इन पांच वर्षीय योजनाओं के दौरान हमने जो प्रगति की है वह यह है कि जनसंख्या बढ़ी है और इसी प्रकार ऋण भी। हमारा ऋण काफी बढ़ा है। आज, हम विश्व में सबसे अधिक ऋण में डूबा चौथा देश हैं। यहां तक कि हमारे दस्तावेज भी यह कहते हैं कि हम इस ऋण जाल से अगर अधिक दूर नहीं तो कम से कम कगार पर हैं और अगर हमारा निर्यात कम हो जाता है या कुछ अन्यथा हो जाता है तो हम निश्चित रूप से ऋण जाल में फंस जाएंगे। आंतरिक ऋण की क्या स्थिति है ? वही बात हो रही है क्योंकि ब्याज की वसूली अधिक होती जा रही है। पिछली पंच वर्षीय योजना के लिए भी अगर आप सभी राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा देखते हैं तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत होगा। यह इससे कम नहीं होगा।

अन्य क्षेत्र जिसमें वृद्धि हुई है वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार योजना का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले कुछ वर्षों में जो भी घोटाले और षड़यंत्र हुए हैं मुझे उनका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसका ब्यौरा, देने की भी आवयकता नही है कि काला धन किस प्रकार बढ़ रहा है और सरकार किस प्रकार लोगों को स्वैच्छिक घोषणा योजना का लालच दे रही है जिससे अधिकांश लोग काले धन के कुचक्र में फिर फंस जाए। यही एक तरीका है जो हम काले धन को रोकने के लिए कर सकते है। वास्तव, में अगर आप उत्पादक लागत को देखते हैं—मैं इसकी टैक्नीकलीटी में नहीं पड़ना चाहता 1—तो सच्चाई यह है कि इस देश में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक काला धन है।

अब, मैं सामाजिक पक्ष की बात करता हूं। मैं शिक्षा से शुरू करता हूं। हमारे निदेशक सिद्धान्त क्या है। यह है कि 10 वर्षों में हम सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। कई बार हमने सुना है जब पांच वर्षीय योजना इस सदन में शुरू की गई थी तो यह कहा गया था कि वे यह करेंगे या वह करेंगे। परन्तु आज हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं। यहां तक कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री भी यह कहते हैं कि इस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में धारेक हुआ है। अन्य विकासशील देशों के आंकड़े अच्छे हैं। वर्मा और श्रीलंका ने भी हमसे अच्छा कार्य किया है।

मुझे अच्छी तरह याद है कि 1986 में नई शिक्षा नीति द्वारा इस तरह के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। उस समय मैं जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल था। मुझे याद है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए आया था और नई राह का पता करके उसने यह कहा था कि यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि हम इस देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने वाले है। आप जानते हैं उन्होंने कश्मीर को एक विशेष कारण से चुना था। मुझ बेचारे को प्रत्येक समारोह में जाकर उद्घाटन करना और बोलना पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे अभिभाषण सुने थे कि इतिहास में ऐसा क्षण आया है तथा यह कर देंगे हम वह कर देंगे। आज इतिहास का वह क्षण कहां गया ? 1986 की वह शिक्षा नीति कहां गई जिसके लिए हमने इतना कुछ कहा था जितना हम अब अपने योजना उद्देश्यों और अन्य बातों के बारे बोलते हैं।

आज पचास प्रतिशत लोग बिल्कुल ही निरक्षर हैं। आपके जनगणना आंकड़े क्या कहते हैं ? आपके योजना दस्तावेज में इन सब बातों का कोई उल्लेख नहीं है। 1991 में जिन 461 जिलों के बारे में सूचना एकत्र की गई थी, उनमें से 196 में महिलाओं की साक्षरता बीस प्रतिशत से भी कम थी। यह सब जनगणना के आंकड़े हैं।

जिस कस्तूरबा शिक्षा योजना की आप बात कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या होगा ? इन सब मुख्य समस्याओं को आप कैसे सुलझायेंगे ? आपने कहा कि आप शिक्षा के लिए 2500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायेंगे। आप यह आवंटन तो कर सकेत है परन्तु क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा ? समस्या राशियों के आवंटन की नहीं अपितु मुद्दा यह है क्या कि लागू करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति विद्यमान

[श्री जगमोहन]

है, क्या आप वास्तव में अपना कर्तव्य निभा सकते हैं ? आप दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि कश्मीर में राज्यपाल शासन के दौरान, व्यवहारिक रूप से सभी बच्चे स्कूल गए। आपके कागज सब ठीक कहते हैं, आपके द्वारा आवंटित राशियों भी ठीक हैं परन्तु वहां तो एक भी अध्यापक नहीं है, वहाँ कोई स्कूल भी नहीं मिलेगा, केवल कुछ एकत्रित होने के स्थान हैं और इस तरह चलने वाले स्कूल भी महीने में बीस दिन तो बारिश की वजह से बंद रहते हैं क्योंकि छतों से पानी टपकता है और सभी छुटी पर रहते हैं। हमें इस तरह से नहीं चलना चाहिए। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। धन तो उपलब्ध करवाया गया है परन्तु वास्तव में क्या स्कूल चल रहा है, किसी को शिक्षा दी जा रही है या नही, असली मुद्दा यह है। यहीं हम पिछड़ जाते हैं और असल में हम पिछड़ चुके हैं।

हमारे बच्चों का भविष्य क्या है ? इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विश्व के सर्वाधिक भिखारी और बाल-श्रमिक हमारे देश में ही हैं। सन् 2000 तक अगले कुछ वर्षों में हमारी स्थिति क्या होगी ? बालश्रमिकों की संख्या यहाँ सर्वाधिक है, निरक्षर लोगों की संख्या यहां सर्वाधिक है एड्स रोगियों की संख्या यहाँ सर्वाधिक है। सब बातों में हम सबसे ऊपर हैं और हम कहते हैं कि पिछली कई योजनाओं से हम प्रभावशाली नियोजन कर रहे हैं। यह तो बहुत निराशाजनक तस्वीर है।

अब मैं स्वास्थ्य के विषय पर आता हूं। क्या यह सच है कि सत्तर प्रतिशत जनसंख्या के पास अभी भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है ? यदि आप जी०डी०पी० की प्रतिशतता देखें, तो स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में भारत का हिस्सा विश्व में निम्नतम है और यहां तक कि सब-सहारा अफ्रीका से भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो यही कहना है परन्तु आप स्वास्थ्य पर जी०डी०पी० का केवल एक प्रतिशत व्यय कर रहे हैं जबकि आपको पाँच प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है।

आप बेरोजगारी की चर्चा कर रहे थे और आपने स्वयं यह माना कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार अगले पन्द्रह वर्षों में 125 मिलियन बेरोजगार बढ़ जायेंगे। आप उन्हें कैसे रोजगार देंगे ? मुझे नहीं पता कि आप यह सब कैसे करने जा रहे हैं ?

सुधार और विकास के जो आंकड़े आपने उद्धृत किये हैं उन पर एक नज़र डाली जाए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विकास की गुणवत्ता और यदि यह विषमता पैदा करती है तो यह कोई विकास नहीं कहलाता, उसका विपरीत प्रभाव होता है। आकड़ों में चाहे यह विद्यमान हो परन्तु वास्तव में यह नहीं होगा। यहां विकास असन्तुलित है क्योंकि सड़क पर कारों की संख्या तो बढ़ती जा रही है परन्तु सड़कों के विस्तार के लिए कोई धन नहीं है। स्थानीय निकायों के पास कोई धन नहीं है। आपने सहकारी संघवाद की चर्चा की और गांव तथा जिले स्तर पर उन्हें पुनजीर्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। लगभग सभी स्थानीय निकायों के पास धन की कमी है। उनके पास धन नहीं है। वे केवल अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाते हैं वे कोई विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप, सिएलो कारें तो सड़क पर बहुत आ गई हैं परन्तु सड़कें खड्डों से भरी पड़ी हैं।

आप आज सुधारों, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि की बातें करते हैं। परन्तु हमारे देश में एक ट्रक दूसरे देशों की तुलना में दुगुना समय लेता है आप उनके साथ तब प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं जब कहां का परिवहन विश्व परिवहन की औसत गति से आधी गति पर चलता है ? आप उत्पाद शुल्क आदि में राहत दे सकते हैं परन्तु इन खामियों का क्या होगा ? इस देश में आपने आधारभूत ढांचे का जो अभाव बना दिया है उसका क्या होगा ?

आपने विद्युत क्षेत्र की बात की है और आपने साथ ही सहृदयता से यह स्वीकार भी किया कि विद्युत क्षेत्र का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं रहा। मैं कुछ और ब्यौरे भी देता हूं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में 85,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी। चूंकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे, अतः एक विशेष समिति का गठन किया गया। उस समिति ने कहा कि कम से कम 45,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु इसके लिए भी धन नहीं था। अंततः इसे भी कम करके 31000 मेगावाट कर दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में मंत्री जी ने इतना प्रावधान किया। इसकी उपलब्धि क्या है ? इसका उल्लेख कहीं नहीं है। 16,000 मेगावाट बिजली भी उत्पादित नहीं की जा सकी। आपने लक्ष्य के पचास प्रतिशत को भी प्राप्त नहीं किया। दोपहर के समय भी नगरों में बिजली नहीं होती। परन्तु सुधार अवधि का परिणाम क्या है ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में जितनी मात्रा की बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, उसका पचास प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया। मैं तो सुधार अवधि की बात कर रहा हूं किसी अन्य अवधि की नहीं। इससे मैं मूल मुद्दे पर आ जाता हूं कि यह एक तरह से दिखावा मात्र, बिना सोच-विचार- के अपनाया गया तथा कड़ा दृष्टिकोण है। यह केवल अभिलाषी विचार शक्ति मात्र है। यह क्या है कि सुधार की सभी चर्चाओं के बावजूद उनकी विचारशक्ति ऐसी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लक्ष्य के पचास प्रतिशत लक्ष्य को भी कार्यरूप नहीं दे सकती ? उनका कहना है कि वह निजी क्षेत्र के आगमन का आशा करते हैं। मध्यावधि आकलन क्या है ? क्या इस बात का आकलन वह मध्यावधि में नहीं कर सकते थे। यदि निजी क्षेत्र आगे नहीं आ रहा था तो क्या वह इस रिक्ति को किसी और तरह से पूरी कर सकते थे ? मुझे पता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय परियोजनाओं से दिल्ली को 450 मैगावाट बिजली मिलनी थी परन्तु उसको एक मैगावाट बिजली भी नहीं मिली क्योंकि उसने बिजली पैदा करने वाली किसी भी परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया है देश में यह कोई नहीं जानता कि उनके तंत्र का प्रभावी कार्य- निष्पादन क्या है ? यदि मैं एक क्षण के लिए यह भी मान लूं कि इससे लाभकारी परिणाम हासिल हो सकते हैं, तो भी वह सुधार मात्र आर्थिक सुधार नहीं होंगे। मेरे विचार से, यह नहीं

हो सकता। आखिरकार, वह पहले से भी अधिक मुसीबत अवस्था में पहुंच जायेंगे।

परन्तु 1991 में संकट की स्थिति पैदा हुई और वे नई दल में शामिल हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि दिशा निर्धारित की आई०एम०एफ० ने और आपने उसका अनुपालन किया। परन्तु हमने कोई अन्य कार्य नहीं किया। वास्तविक सुधार, आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं होते। भारत के लोगों की मानसिकता, भारत के दृष्टिकोण को बदले बिना कोई भी प्रशासनिक सुधार या आर्थिक सुधार सफल नहीं हो सकते। क्या आप कह सकते हैं कि सुधारों के छः वर्षों के पश्चात् हमारे कार्यालयों की कार्य संस्कृति बदली है या हम अधिक गतिशील हो गए हैं अथवा अधिक समर्पित भावना वाले हो गए है, या हम अधिक ईमानदार या सच्चे बने गए हैं। इसका उत्तर तो स्वाभाविक है कि दिखावा मात्र सुधारों के द्वारा वे एक नए देश का निर्माण नहीं कर सकते। उनकी समस्याएं विकट हैं परन्तु स्थिति यह है कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति जैसे इधर-उधर कभी-कभार एक-आध दवा ले ले और फिर समझे कि बीमारी दूर हो गई है, वैसा रवैया उनका है।

मुद्दा तो यह है कि जिस विकास की बात वह कर रहे हैं, उसके भी परिणाम नकारात्मक हैं। उदाहरणार्थ, हमारे शहरों में वातावरण की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। 1982 में दिल्ली सबसे खूबसूरत शहर था और एशियाई खेलों के समय दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बना। आज यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है। यह असंतुलित विकास के कारण है। यह इसलिए है क्योंकि इस समय वह सब कुछ दिल्ली की झोली में डाल रहे हैं, धुँआ, गन्दगी आदि सब कुछ यहीं एकत्रित होता जा रहा है और इस स्थिति से उबरने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है।

अब मैं कुछ थोड़े से ऐसे आंकड़े देता हूं जिन से यह पता चलेगा कि विकास की गुणवत्ता क्या है और इस खराब वातावरण के कारण क्या हो रहा है यह विश्व बैंक के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। वातावरण के दूषित होने से 30,000 असामयिक मौतें हुई और अस्पतालों में 1.70 करोड़ लोग दाखिल हुए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि यही वातावरण ठीक रहता तो उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु यह नहीं हो सकता, फिर 120 करोड़ प्रतिबन्धित श्रम दिवस है। लोग अपना काम करने में सफल नहीं हो पाते और उन्हें प्रतिबन्धित या किसी अन्य अवकाश पर रहना पड़ता है क्यों वे बीमार होने के कारण अपना काम नहीं कर पाते। इससे उत्पादकता की गति पर धीमी होगी।

अब क्या मैं मंत्री जी को यह भी बताऊँ कि क्या किया जाना चाहिए था। उन्हें एक मूल बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जब पण्डित नेहरू ने इस योजना को बनाने का काम शुरू किया तो उन्होंने विकास के मन्दिरों और बहुत सारी बातों की चर्चा की। उन्होंन कहा कि हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सोच में, कर्म में, संस्कृति में और मानवता की सेवा में शक्तिशाली हो। मैं इस माननीय सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यह देश भ्रष्टाचार में लापरवाही में, राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण में आगे क्यों बढ़ गया है? हम ऐसे क्यों हो गए हैं? वास्तविक राष्ट्र का अर्थ है– योजना की दूरदर्शिता, राष्ट्र की दूरदर्शिता। यह सभ्यतापूर्ण और सांस्कृतिक दूरदर्शिता है।

उन्होंने देश के भाग्य की चर्चा की और इस बात की भी कि नियति के साथ हमारा मिलन हुआ परन्तु हमने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि हमारा भाग्य क्या होना चाहिए। हमने यह कभी नहीं परिभाषित किया कि हम किस तरह कि सभ्यता का, किस प्रकार के आधार का और किस प्रकार के मूल्यों की रचना करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संतुष्टि, दया और रचनात्मकता से जुड़ी अपनी विरासत की रक्षा करने के बजाय हमने भ्रष्टाचार, निर्ममता और भ्रमपूर्ण संस्कृति पैदा की। यह इसलिए हुआ क्योंकि हम दिखावा, ओछापन, उपहास और स्वार्थ के शिकार बने रहे। क्यों? क्योंकि हमने कभी समस्या का गहन अध्ययन नहीं किया। 1947 में ही हमें यह देखना चाहिए था कि हमारी वास्तविक सभ्यता क्या हैं यदि मुझसे यह पूछा जाएं कि भारत का विशेष गुण क्या है तो मैं कहूँगा कि भारतीय मानसिकता की अन्तर्शक्ति ही उसका विशेष गुण है। यदि कोई मुझसे पूछे कि अमरीका का विशेष गुण क्या है तो मैं कहूंगा उद्यमशीलता। यदि मुझे जर्मनी वासियों का विशेष गुण पूछा जाए तो मैं कहूँगा–संगठित क्षमता से परिश्रम करना। जापानियों का विशेष गुण सभ्यता की सहयोगपूर्ण भावना, अंग्रेजों का विशेष गुण है–संतुलन बनाये रखना। भारत की वास्तविक शक्ति उसकी मानसिकता की शक्ति में बसी है।

मैं आज या अतीत की मानसिकता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जिसने धरती की महानतम सभ्यता पैदा की। विल डूरेन्ट ने भी इस मनः शक्ति की प्रशंसा की। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारतीय सभ्यता सभी सभ्यताओं की जननी है। उसमें वे सभी विचार सम्मिलित है जो इस विश्व में अस्तित्व में रहे। मैक्समुलर ने भी यही कुछ कहा। आप भगवद् गीता में क्या देखते हैं? भारतीय मानसिकता यह है–अर्जुन ने जो सूक्ष्म प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण ने दार्शनिक अर्न्तदृष्टि से पूर्ण जो उत्तर दिये। उनसे क्या पता चलता है? वे मन की शक्ति और उसकी रचनात्मक सामर्थ्य के प्रतिपादक हैं। हमने कोमल स्वभाव, सन्तुष्टि और सहानुभूति का विचार जाना, समन्वय और सामंजस्य, कर्मयोगी, निष्काम कर्म और निष्चल व्यवहारिकता की दृष्टि पैदा की। यह हमारी सभ्यता की महान सम्पत्ति थी–यही हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे–और यही हमारी सभ्यता के मूल्य।

क्या 1947 में हमने विनम्र स्वभाव का परिचय दिया अथवा हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और भात की शक्तिशाली मनस्विता पैदा की। और हम कुछ और क्रियात्मक और रचनात्मक बने अपना रास्ता स्वयं बनाने की बजाय हम नकल करने लगे हैं। पहले हम, एक आदर्श का अनुगमन कर रहे थे और आज हम दूसरे आदर्श का अनुसरण कर रहे हैं।

हममें रचनात्मक क्षमता थी परन्तु उसे हमने समर्पित कर दिया। हम रचनात्मक सामर्थ्य की ओर कभी नहीं उन्मुख हुए, हम शक्तिशाली मानसिकता के द्वारा अपनी समस्याओं पर अपनी तरह से विचार करके कुछ रचनात्मक और क्रियात्मक बना सकते थे। आज हम कभी

[श्री जगमोहन]

इधर कभी उधर, फिर अंधकार में भटक रहे हैं। भारतीय योजना प्रणाली की वास्तविक समस्या यही है कि जब तक एक नई मूल्य पद्धति एक नया रवैया पैदा किया जाता है जब तक त्याग-तपस्या तथा कर्मयोगी की मानसिकता नहीं पैदा की जाती, जब तक वास्तविकता में संतुलन, सौहार्द गतिशीलता नहीं आती, कोई भी समस्या नहीं सुलझेगी। आप चाहे धन-राशि ले आए वह चोरी हो जायेगी। हमेशा यही होता है। आज इतनी निराशाजनक तस्वीर क्यों है ? क्योंकि हमने समस्या का जड़ से अध्ययन करके उसका समाधान नहीं किया। जब तक कि हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम एक योजना से दूसरी योजना तक गलतियाँ करते चले जाएंगे। हम एक खुशफहमी को दर्शाते रहेंगे; हम कहते रहेंगे कि हम यह या वह कार्य करने वाले हैं, परन्तु गरीबी वैसे ही बनी रहेगी।

सुबह हम दृष्टिबाधिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। परन्तु जिस रोग के हम शिकार है वह विचारबाधिता है। यदि सुबह-सवेरे आप किसी रेलवे ट्रेन में सफर करते हैं तो आप खुले गन्दगी से भरे मैदानों को देख सकते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि सही सलामत है देख सकते हैं कि भारत ने कितनी प्रगति की हैं। हम डेंगू जैसे और अन्य सभी बीमारियां पैदा कर रहे हैं उस पर हम कभी भी विचार नहीं करते हैं हम कहते हैं कि हमने सोच-विचार कर लिया है; हमने झुग्गी-झोपड़ियों के सुधार के लिए 250 करोड़ या 350 करोड़ दे दिए हैं। कृपया आप किसी भी झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में जाकर देखिए और इस बात की वास्तविकता को देख पाएंगे कि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर से तिगुनी दर से झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ रही है।

अब हमने वहन करने योग्य मूल्य पर और खरीदे जा सकने योग्य आवासों और इस प्रकार की कई योजनाओं को भी आरम्भ किया है। क्या आप एक ऐसे भवन-निर्माता का नाम दे सकते हैं जिसने पिछले छह वर्षों के दौरान झुग्गी झोंपड़ी वालों के एक मकान का निर्माण किया है ? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वहां पर पानी नहीं है, वहाँ मल-निकास की व्यवस्था नहीं है, इसके परिणामस्वरूप आप सामाजिक तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। अन्ततः जो भी थोड़ा-बहुत आप योजना बनाकर हासिल कर सकते हैं वह इन सामाजिक तनावों के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

आपके प्रशासन के तंत्र क्या है; हमने पूरी तरह से इन तंत्रों को बेकार कर दिया हैं। हमने हमारी सेवाओं के बीच अत्यधिक अनैतिकता को पैदा कर दिया है, हमारी सेवाओं में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति व्याप्त है। ऐसे तंत्र कहां है जिनसे हम भलाई कर सकते हैं ? आज कोई भी क या ख या ग दल राज कर सकता है, परन्तु यदि तंत्र ही नहीं होंगे, यदि तंत्र ही बेकार हो जाएंगे तब आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में हमने जन-प्रशासन को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके हैं। हम इसे पूरी तरह कुपोषण का शिकार बना चुके हैं। हरकोई एक अध्यात्मिक शुन्यता, वैचारिक शून्यता में कार्य कर रहा है और कोई अपने लिए कार्य कर रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम यह होगा कि कुछ भी कार्य निष्पादन और क्रियान्वयन नहीं होगा।

"कई मोर्चों पर भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को इसे कुछ गम्भीर अन्तरावलोकन के लिए प्रेरित करनी चाहिए; पूर्ववर्त्ती योजनाओं के योजना बनाने और क्रियान्वयन की दुर्बलताओं से उचित सबक सीखें; कार्य निष्पादन हेतु सजनीत्मक और रचनात्मक मस्तिष्क लगाएं; एक नई वचनबद्धता और नई प्रेरणा जगाएं और राष्ट्र को 21वीं सदी में ले जाने का समर्थ प्रदान करने वाली एक नई दृढ़ बुनियाद प्रदान करें जिससे कि यह एक महान भारत के निर्माण में समर्थ हो सकें जिसकी बुनियाद प्रचानी शान्ति की महानता पर टिकी हो और जिसका भवन कर्मयोगियों के कंधों पर दृढ़ता से टिका हो।

परन्तु वर्तमान सत्ताधीशों ने क्या किया है ? उन्होंने पुरानी और जंग खायी हुई सामग्री से मात्र एक खिलौने का निर्माण किया और उसको चमका दिया। उन्होंने सोचा कि एक राष्ट्र को, एक अवयस्क बालक के समान, इसे धोखा दिया जा सकता है और उसकी झेली जा रही पीड़ाओं और दर्द को भुलाया जा सकता है। यह सब अन्ततः कहां ले जाएगा ? स्पष्ट रूप से और ज्यादा निराशा, और ज्यादा मनुष्यद्वेषी सिद्धान्त और कुण्ठा, खण्डवाद के दैन्य के साथ और देश के समक्ष अस्पष्ट रूप से व्याप्त नव-उपनिवेशवाद के साथ, राष्ट्र की प्रतीक्षा कर रही है।

यह स्थितियों को देखने का मेरा नजारिया है। मैं पूरी गम्भीरता से परामर्श देता हूं कि हमारे मस्तिष्कों का मौलिक परिवर्तन होना चाहिए।

हमारे सोच-विचार में मौलिक परिवर्तन आना चाहिए। अन्यथा हम प्रगति बाधक बन जाएंगे। यह सही है कि योजना बनकर आ रही है। हम एक और लैटिन अमरीकी देश बनकर रह जाएंगे। हमें हमारे समक्ष चुनौती रखनी चाहिए। हमें इस अवसर पर सोचना चाहिए कि क्या हम एक और तीसरे दर्जे के देश बनना चाहते हैं या हम हमारी स्वयं की एक सभ्यता का निर्माण करेंगे जो दूसरों के लिए आदर्श की भूमिका निभाएंगी। इससे हमारी अपनी एक कार्य शैली बन सकती हैं, हमारे अपने जीवन की एक रूपरेखा जिसकी जड़े शांति का प्राचीन सामर्थ्य, समरसता और न्याय और सत्य के अन्य मूल्यों में जमी है। परन्तु आज की स्थिति में हर कोई धृष्ट हो गया है और केवल पैसे के पीछे दौड़ रहा है और सत्ता के पीछे दोड़ रहा है और यही कमजोरी उन सभी प्रकार की कठिनाइयों को उत्पन्न कर रही है। जिनका हम आजकल सामना कर रहे हैं। सभी प्रकार से गति रूक गई है और हमारी संरचना चली गई है और हमारी आत्मा चली गई है। हम हमारे शरीर आत्मा और मस्तिष्क पर बहुत घाव लगा चुकें हैं और हम हमारे हिस्से में सड़े हुए परिणामों को इकट्ठा कर चुकें हैं। हमे हमारे हिस्से से उन सभी सड़े हुए परिणामों को दूर करना होगा। तभी हम सीना तानकर और कुछ सुगन्ध को बिखेरते हुए चल पाने में समर्थ हो पाएंगे। परन्तु मैं देखता हूं कि हमारे मस्तिष्क विचारहीन पड़े हैं। हमारे पास नए विचार नहीं है। हम प्रतिदिन कई चीजों का अनुसरण कर रहे हैं। हम गिर पड़ेंगे। हम हमारे शरीर पर लगे असंख्य घावों के कारण पहले

ही गिर पड़े हैं और यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें और घाव लगेंगे और हम एक धूमिल छवि के साथ 21 वीं सदी में प्रवेश करेंगे। टोयनबी ने 1952 में कहा था कि 50 वर्षों के बाद अमरीका विश्व पर आधिपत्य जमाएंगा परन्तु 21 वीं सदी ऐसा करने वाला भारत हो सकता है। इस भविष्यवाणी का आधा भाग तो सत्य साबित हुआ है। अमरीका शासन कर रहा है। दूसरा भाग सही साबित नहीं हो पा रहा है। उसका जो अर्थ था वह यह नहीं था कि हम सैनिकों के साथ विजय अभियान पर जाएंगे या हम आधिपत्य जमाएंगे। उसका यह अर्थ था कि मूल्य व्यवस्था जिसे भारत ने परिलक्षित किया था, संतुष्टि और सहानुभूति की संस्कृति, त्याग, तपस्या, सत्य, न्याय, कर्मयोग इन मूल्यों को संसार द्वारा स्वीकारा जाएगा और यह विजय स्वयं को जीत चुके व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाएगी। यह उनका विचार था। परन्तु हम हमारे सभी सम्पदाओं को छोड़ आए है और यदि मैं उस भाषा में बात करता हूं किसी वाद के साथ जोड़कर दूर कर दिया जाएगा। जब तक कि आप इस देश में एक नई संस्कृति और नई प्रेरणा और नई प्रतिबद्धता और नई गतिशीलता को सृजित नहीं करते हैं तो हमारी योजना ऐसे ही असफल होगी, वस्तुतः अतीत में हुई असफलताओं से ज्यादा पैमाने पर असफल होगी।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : जिस सांस्कृतिक शक्ति की महत्ता के साथ माननीय सदस्य ने अपनी बात समाप्त की उसे हम स्वीकारते हैं जो कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में हमारी महान देन होगी। परन्तु तुलना के स्तर पर, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह मुद्दा बार-बार उठेगा, मैं अब एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए गरीबी को लीजिए। आपने इण्डोनेशिया और भारत का उल्लेख किया था। इण्डोनेशिया को परामर्श देने वाला एक विशेषज्ञ रहा हूं। मुझ अतीत के 50 वर्षों के समर्थन में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल पिछले जून में ही योजना मंत्री बना हूं और मेरे विचार से दृष्टिकोण पत्र अतीत की एक संतुलित आलोचना को प्रस्तुत करने का एक ईमानदार प्रयास है। परन्तु गरीबी को ही लीजिए। इण्डोनेशिया में गरीबी का मानदण्ड चावल के सौ किलोग्राम का उपभोग है। आपने इसे उल्लेखित किया था। यदि हम उस मानदण्ड को अपनाएं तो भारतीय गरीबी 20 प्रतिशत से भी कम होगी। परन्तु कोई भी अत्यंत आराम के साथ से कह सकता है कि भारत की गरीबी लगभग 40 प्रतिशत है। परन्तु हम हमारी संख्याओं के बारे में अत्यधिक सावधान रहते हैं। हमारी एक लम्बी परम्परा रही हैं हम हमारे आँकड़ों का बचाव करते हैं। हम सांख्यिकी के मामले में सपष्ट हैं। मैं आपसे इस मामले पर पूर्णतः असहमत हूं कि जब आप यह कहते हैं कि योजना आयोग आँकड़ों में हेरफेर कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, श्रीमान जगमोहन यह बात स्पष्ट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ही लीजिए मैंने कई ब्यौरों को देखा था क्योंकि मैं भी आपके जितना ही चिन्तित हूं। मैं पिछले वर्ष जून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बना था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुल कार्यनिष्पादन कम होता जा रहा है। परन्तु यह बताता है कि वह व्यक्ति जो इन संख्याओं जोर देते है कि हमें समय-समय पर इन तुलनाओं को नहीं करना चाहिए।

क्योंकि प्रयोग में लाए गए पत्रिकाओं की संख्या अलग हो सकती है। यदि आप स्विट्जरलैंड या स्पेन के बारे में जो कह रहे थे, उस प्रकार के मानदण्ड को लेते हैं तो वैज्ञानिक पत्रिकाओं को निकालने में उनका हिस्सा नहीं रह जाता है। इसी कारण मेरा केवल यह निवेदन है कि जब हम अर्न्राष्ट्रीय तुलना करते हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हमारा एक खुला और मुक्त देश है। हमारे आँकड़े उपलब्ध हैं। ऐसे देशों से तुलना की गई थी जो इस प्रकार से सूचना नहीं देते है। मैं आपको ऐसा आंकड़ा दिखा सकता हूं जो यह दर्शाता है कि आपके द्वारा उल्लिखित कई संकेतकों के बारे में--वस्तुतः मैं इसे कल दूंगा, मैं इसे अभी नहीं देना चाहता हूं--ये अन्य देशों से ज्यादा हो सकते हैं परन्तु हमारी उन्नति की दर बेहतर है--भारत की उन्नति बहुत ज्यादा हुई है। हमारे स्तर आरम्भ में बहुत कम थे, परन्तु यह एक अलग मामला है। मैं केवल सावधानी का आग्रह कर रहा हूं। जब हम चालीस या पचास वर्षों की अवधि को लेते हैं और विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को लेते हैं तो हम इस पर निर्णय पारित करने के बारे में सोच सकते हैं। यही मेरी बात है।

श्री जगमोहन : मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं एक मिनट लूंगा। मेरी बात यह है कि मैं केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज और राष्ट्रीय दस्तावेज को उल्लिखित कर रहा हूं। यदि यह मानदण्ड 'क' देश पर लागू होता है तो यह 'ख' देश पर भी लागू होगा। मैं आपको सही आंकड़े दे रहा हूं। मैं आपको सही आंकड़े दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : यह सही नहीं है। मैं आपको गरीबी के मानदण्डों के बारे में बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : यह सत्य नहीं है कि दुनिया उत्पादन की तुलना में हमारा वैज्ञानिक उत्पादन कम नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : नहीं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री जगमोहन : आपको इसका खण्डन उसी समय करना चाहिए था जब मैंने यह कहा था।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं इसका खण्डन कर रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं। यही बात मैं बता रहा हूं। यदि आप 1980 और 1995 के इन्हीं पत्रिकाओं की तुलना करते हैं तो भारत का प्रतिशत कम हुआ है। परन्तु उद्धरणवार जो वह करते हैं वह ये कि वे कवरेज को बदलते रहते हैं। तब आपको भिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपने एक विशिष्ट प्रश्न इस विशेष मुद्दे पर किया है मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप स्पेन या स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों के उद्धरण अनुक्रमाणिक को लेते हैं तो वह कम प्रतिशत में समाप्त होगी। ऐसा तभी होगा यदि आप एक-समान देशों की तुलना करने पर आपको एक बेहतर स्थिति प्राप्त होगी। यही सांख्यिकी का पहला नियम है। *(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : आप कुछ भी कहें मेरा आशय सीधा-सादा है। मैं यू०एन०डी०पी० के आंकड़े ले रहा हूं; मैं विश्व बैंक के आंकड़े ले

[श्री जगमोहन]

रहा हूं और मैं यूनेस्को के आंकड़े ले रहा हूं और मानदण्ड लागू है। मैं यह नहीं कहता कि आप आंकड़ों से बेइमानी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एक एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति है। एक बार आपने कहा था कि प्रतिशत-वार यह एक है *(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : गरीबी के बारे में ऐसा आपने कहा था।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप इन सभी बातों का उत्तर जब आप वाद-विवाद का उत्तर देंगे तब दे सकते हैं।

श्री जगमोहन : पहले गरीबी का अनुपात 20 था। अब यह 40 हो गया है। इसे योजना आयोग द्वारा ही दिया गया था। इस प्रकार दोनों में से कोई एक पक्ष है जो आंकड़ों में हेर-फेर कर रहा है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए। यह योजना आयोग पर हेरा-फेरी का एक अति विशिष्ट आरोप है।

सभापति महोदय : आप इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मेरे विचार से, इस मुद्दे पर यदि आप अनुमति देते हैं, मैं स्पष्ट करूंगा। यदि आप अनुमति नहीं देते हैं तो मैं चुप रहूंगा। यह योजना-आयोग पर हेरा-फेरी करने के एक विशेष आरोप का विशेष मुद्दा है। यह सही नहीं है। गरीबी का आकलन करने की एक विधि थी जिसे एक कार्यदल ने बनाया था जिसकी अध्यक्षता 1978 में मैंने की थी। 1980 के दशक की समाप्ति पर मैंने अनुभव किया कि इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। मैं योजना आयोग का सदस्य था। हमने लकडवाला समिति का गठन किया। इसने एक नयी विधि दी। भारत के कुछ विद्वान व्यक्तियों को लेकर विशेषज्ञ समिति को गठित करने के पश्चात् हमने उस विधि का अनुसरण करने का निर्णय किया था। दोनों विधियों ने यह दर्शाया था कि गरीबी का प्रतिशत कम हुआ था। परन्तु कमी अत्यधिक भिन्न थी। यदि आप उपसहारा अफ्रीका और इण्डोनेशिया के लिए विश्व बैंक की जिन विधियों का प्रयोग किया है, उन का प्रयोग करते हैं तो भारत की गरीबी 25 प्रतिशत से कम होगी। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। योजना आयोग इसमें हेराफेरी नहीं कर रहा है। दोनों विधिवों पर इसने आंकड़े दिए हैं। हमें इसके बारे में अत्यधिक स्पष्ट होना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं केवल एक मिनट लूँगा क्योंकि उन्होंने इसमें चालाकी की है। तथ्य यही है कि मात्र वर्तमान योजना आयोग ने एक भिन्न प्राक्कलन को प्रस्तुत किया है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट कई दिन पहले प्रस्तुत की गई थी। योजना आयोग उन टिप्पणियों को अपनी रिपोर्टों में शामिल करने से दृढ़ता के साथ से मना कर रहा था *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए, तब आप विस्तार-पूर्वक बोल सकते हैं। मंत्री महोदय चर्चा का जवाब देते समय इन सभी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल (इरन्दोल) : महोदया, मैं केवल एक मिनट लूँगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको दस सेंकड दिए जाते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : मैंने आज ही सारे पेपर पढ़े हैं। उसका शीर्षक है "इण्डिया टॉप्स इन पावर्टी इन साउथ एशिया।" यह एशियाई विकास बैंक द्वारा बताया गया है और इसमें सभी आंकड़े दिए गए हैं अतः मैं यह महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उन आंकड़ों से सहमत होंगे, जो आजकल समाचार-पत्रों में तथा सभी जगह के प्रकाशनों में प्रकाशित हो रहे हैं।

अपराह्न 4.01 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

श्री अनादिचरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या यह माननीय मंत्री महोदय और माननीय श्री जगमोहन के बीच हास-परिहास था। मैं बहुत दुःखी मन से यह नहीं कहूंगा कि हम किसी शुष्क क्षेत्र में रहते हैं। हमें अपनी तुलना अन्य देशों से नही करनी चाहिए। आइए, हम यह जानने की कोशिश करें कि हमने पिछले पचास वर्षों में क्या-क्या किया। जब हम पिछले पचास वर्षों की बात करते हैं, जब हम अतीत की बात करते हैं, तो हम नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र की प्रशंसा कर सकते हैं।

महोदय, मैं दृष्टिकोण पत्र को आरम्भ में खड़ा 100, मीटर की दौड़ में तेज भागने वाले व्यक्ति की तरह ही समझूंगा। वे भागने के लिए तैयार हैं तो उसके पास बाहु बल, फेफड़ों में शक्ति और प्रथम व्यक्ति के रूप में जीतने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यही वह पृष्ठभूमि है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दृष्टिकोण पत्र के बारे में विचार करते हुए हमें अन्य पृष्ठभूमि के बारे में भी विचार करना चाहिए अर्थात वे पंचवर्षीय योजनाएँ, जो समाप्त हो चुकी हैं। हमारी कुछ उपलब्धि तो अवश्य रही है अन्यथा हम पिछले पचास वर्षों से उसी घोर गरीबी में ही पड़े रहते। हमारा देश गरीब नहीं रहा है। गरीब लोग चाहे 42 प्रतिशत हैं अथवा 52 प्रतिशत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तथ्य यह है कि हमने काफी विकास किया है। योजना का उद्देश्य है नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। क्या हमने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है? मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा कि आप विभिन्न योजनाओं पर गौर करें जिनके लिए हमने बहुत पहले लक्ष्य निर्धारित किये थे।

पहली योजना (1951-56) को ही लीजिए। यह एक शुरूआत थी। हमने अपने लिए योजना तैयार की और योजना बनाते समय हमने आर्थिक

स्थिरता और खाद्यान की कमी को दूर करने के बारे में सोचा। उन दिनों यह मूल आवश्यकता थी। हमें दिन भर में दो जून का खाना भी नहीं मिलता था। अतः, उस समय की मूल आवश्यकता थी भोजन प्राप्त करना। हमने योजना तैयार की और अपने लिए खाद्यान प्राप्त करने के बारे में भी सोचा।

दूसरी योजना 1956-61 को लीजिए। इस योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। पहले हमने कृषि से आरम्भ किया, उसके बाद हम औद्योगिकीकरण पर आए क्योंकि औद्योगिकीकरण के बिना हम सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त नहीं कर सकते थे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

फिर हम तीसरी योजना पर आए। उस योजना का लक्ष्य था राष्ट्रीय आय में स्व-पोषित विकास। फिर, हमारे पास खाद्यान की कमी थी। अतः खाद्यान उत्पादन पर ध्यान दिया गया और हमने मानव-शक्ति संसाधनों के उपयोग के बारे में विचार किया। पहली बार, हमने मानव संसाधनों का उपयोग करने के बारे में सोचा। तीसरी योजना में हमने इस बारे में सोचा। हमने इसे किस तरीके से किया ? धीरे-धीरे हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करना आरम्भ किया।

अब, मैं चौथी योजना पर आता हूं। चौथी योजना में देर हो गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। वह मूल उद्देश्य था। कोई भी योजना लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकती है और समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकती है। यहां, हमने सामाजिक क्षेत्र पर विचार किया। चौथी योजना में खाद्यान्न की कुछ मात्रा प्राप्त होने के बाद और मूल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमने मानव संसाधनों को एकत्रित करना आरम्भ किया। तत्पश्चात् हमने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे पर विचार किया।

पांचवी योजना में हमने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर विचार किया। जब हमने देखा कि वहां घोर गरीबी है सम्पन्न और विपन्न के बीच भारी अन्तर विद्यमान है, तो योजनाकारों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए कुछ करने के बारे में सोचा।

छठीं योजना में, योजनाकारों ने कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बारे में विचार किया। हम कृषि के अत्यंत पुराने तरीकों को अपना रहे थे। योजनाकारों ने कृषि तथा उद्योग के बेहतर आधारभूत ढांचे तथा निवेश में तीव्र वृद्धि के बारे में सोचा। इस बजट में भी, हमने इस बारे में विचार किया है। हमे निवेश में तीव्र वृद्धि के बारे में अवश्य सोचना चाहिए अन्यथा उद्योगों का विकास नहीं होगा।

सातवीं योजना में, हमने योजना के विकेन्दीकरण के बारे में विचार किया। जब हमारे पास कुछ लोगों के भीतर ताकत जमा हो गई, जब हमारे पास उच्च स्तर पर काफी लोग हो गए, जब हमने यह देखा कि जिन लोगों को निर्णय लेना है केवल वही लोग उच्च स्तर पर बैठे हैं, तो इससे काफी समस्याएं उत्पन्न हुई, इसलिए हमने विकेन्द्रीकरण के बारे में सोचा।

अब, मैं आठवीं योजना पर आता हूं। मैं पिछली योजनाओं की पृष्ठ भूमि के बारे में संक्षेप में ही बता रहा हूं। आठवीं योजना में यद्यपि कुछ राजनीतिक कारणों से इसमें विलंब हो गया था फिर भी इस योजना में घरेलू संसाधनों की आत्मनिर्भरता, पर्याप्त रोजगार का सृजन तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पर जोर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बाते हैं, जनसंख्या वृद्धि, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा शुद्ध पेयजल, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, सामाजिक क्षेत्र में साझा न्यूनतम मूल आवश्यकताएं तथा भुगतान संतुलन और आधारभूत समायोजनों में संकट से निपटना। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बाते हैं।

हमने अनेक तथ्यों पर विचार नहीं किया है। योजनाकारों के लिए सभी पहलुओं पर विचार करना मानव संभव नहीं है। मैं यहां 'हैमलेट' से शेक्सपियर की कुछ पंक्तियों को उद्धरित करना चाहूंगा जो उनका एक महान् दुखान्त नाटक है। "होरेशन, आपके दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त भी धरती तथा स्वर्ग में अनेक चीजें हैं।" योजनाकारों के जो भी विचार रहे होंगे जो कुछ भी उन्होंने सोचा होगा, उसके अतिरिक्त भी, कुछ अन्य ऐसे कारण होंगे जो लक्ष्य की प्राप्ति में निर्णायक होंगे, आपका मार्गनिर्देश करेंगे और आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे आप यदि कोशिश भी करें तब भी उन कारणों को दूर नहीं, कर सकते हैं। योजनाकारों और कार्यकारी एजेंसियों के बीच कथनी और करनी का अन्तर होता है। उन्होंने कुछ सोचा है। वह उसे कार्यकारी स्तर पर कुछ कठिनाईयों अथवा शिथिलता अथवा निष्क्रियता के कारण हासिल नहीं कर सके।

मैं अपने अनुभव से आपको एक साधारण सी कहानी सुनाऊंगा। वर्ष 1992 में मैं रेंज डी०आई०जी० था। मैं उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में नक्सलवादी ताकत का अनुमान लगाने के लिए गुप्त रूप से जा रहा था। चूंकि मैंने अपना भेस बदला हुआ था, इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। मुझे दस से पंद्रह वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों का एक दल मिला। वे खुम्बी बेच रहे थे मैंने उनमें रुचि ली। खुम्बी मेरी कमज़ोरी है। मैं कुछ खुम्बी खरीदने वहां पहुंचा। मैंने एक पंद्रह वर्ष के लड़के को देखा। उस गांव में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कहा गया था कि पूरे गांव को शिक्षित बना दिया गया है। इसलिए, मैंने उस लड़के को बुलाया, और पूछा कि क्या वह स्कूल गया है। तो उसने कहा, नहीं। मैंने उससे कारण पूछा क्योंकि उनके गांव में इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कहा गया था कि पूरा गांव शिक्षित बना दिया गया है। उसने मुझे एक तरफ बुलाया और मेरे कान में धीरे से कहा कि मेरे 'गांव नायक' अर्थात गांव के मुखिया ने मुझसे कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं पढ़ना-लिखना जान गया हूं, तो मुझे कहना चाहिए कि मैं पढ़ा-लिखा हूं।' इस तरह से एक कार्यकारी प्राधिकारण ने हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न की हैं। क्या हम इतने सभी तथ्यों को जानते थे ? मेरे विचार में योजनाकारों ने कुछ और ही सोचा होगा। फिर सब गड़बड़ हो गया।

[श्री अनादिचरण साहू]

मैं एक और कहानी सुनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। मैं छठी शताब्दी की संस्कृत की कहानी सुनाऊंगा। मैं समझता हूं, यह किसी के लिए तो रूचिकर होगी विशेषकर शिक्षाविद और योजनाकार डा० अलघ के लिए यह रूचिकर होगी। यह तीन व्यक्तियों की कहानी है; एक युवक है जिसका शरीर दुर्बल था लेकिन जो दिमाग का बहुत ही तेज था और एक अच्छा लेखक था। उसकी एक पत्नी थीं। स्वाभाविक है कि किसी भी युवक की पत्नी तो होगी ही। उस युवक का साथी एक दृढ़ शरीर वाला व्यक्ति था, वह एक पहलवान था एक लम्बा, कृष्णकाय प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। वे दोनों अच्छे मित्र थे। जैसा कि हम आजकल पिकनिक पर जाते हैं, उन्होंने भी बनदुर्गा की पूजा के लिए पहाड़ी की चोटी पर बनदुर्गा मन्दिर जाने और वहीं पर खाना बनाने और खाना खाकर वापस आने का निर्णय लिया। तीनों वहां गए। हमारे हिन्दू देवकुल में देवी उपकारी तथा अपकारी दोनों होती हैं। उस समय एक कपालिक, एक औझा वहां आया। लड़की को पहाड़ी से नीचे पानी लेने के लिए और खाना बनाने के लिए भेजा गया था जैसा कि सामान्यतया लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ये दोनों युवक गप्पे मार रहे थे। कापालिक आया और उसने तत्काल इन दोनों युवकों का सिर काट दिया और उनका खून बनदुर्गा को चढ़ा दिया, उसे, कुछ वरदान मिला और वह चला गया। जब लड़की वापस आई, तो उसने देखा कि उसका पति और उनका दोस्त दोनों मरे पड़े हैं। वह खूब रोई और उसने बनदुर्गा से प्रार्थना की कि वह उन्हें जीवनदान दे दे। फिर, देवी का परोपकारी रूप सामने आया। देवी प्रकट हुई और उसने लड़की से पूछा कि वह क्या चाहती है। लड़की ने कहा कि उन दोनों युवकों को जीवनदान दिया जाए। वह रोई 'मैं कैसे जा सकती हूं मेरे पति यहां हैं, मेरे पति के मित्र यहां हैं।'

देवी ने कहा, 'ठीक है, सिर और धड़ को एक साथ मिलाओ और पानी छिड़को। वे जीवित हो जायेंगे।' उस औरत ने सोचा, 'कि क्यों न मैं एक सुन्दर और तेज़ दिमाग तथा हृस्ट-पुस्ट शरीर वाला पति ले लूं। इसलिए उसने शरीर तथा धड़ आपस में बदल दिए।

कोई, भी व्यकित अपने सिर से पहचाना जाता हैं, और उसका पति वह था जिसका, छोटा सिर था, लेकिन तेज़ दिमाग था और शरीर पहलवान का था। पहलवान का शरीर छोटा था क्योंकि उसका शरीर लेखकर वाला था।

वे वापस चले गए। अगली सुबह उसका पति कहानी लिखने के लिए उठा, एक पैरा अथवा एक श्लोक उसने लिखना चाहा, लेकिन वह लिख नहीं सका क्योंकि उसके हाथ उसे लिखने की अनुमति नहीं दे रहे थे। दूसरा व्यक्ति पहलवानी के लिए अखाड़े चला गया लेकिन उसका शरीर व्यायाम नहीं कर पा रहा था। वे दोनों दयनीय बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।

उस औरत ने जब यह सब देखा, तो सोचा कि मैंने गलती कर ली है, मुझे उन दोनों को वापस अपनी जगह, पर लाकर गलती सुधार लेनी चाहिए फिर, वे तीनों वनदुर्गा के पास गए। उसने देवी से प्रार्थना की 'हे देवी, मैंने गलती की है। उन्हें वापस अपनी जगह पर ले आइए।' तब परोपकारी वनदुर्गा ने कहा, 'उनके सिर काटो और उन्हें उनके उपयुक्त स्थानों पर रखो और पानी छिड़को। वे जीवित हो जायेंगे।' ऐसा ही उसने किया।

इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अलग-अलग चीज़ों को आपस में नहीं मिलाइए।

यदि आप विभिन्न पहलुओं को एक साथ मिला देंगे तो उपयुक्त आयोजना नहीं हो सकती हैं; चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, सुनिश्चित रोज़गार योजना हो' अथवा आर०एल०ई०जी०पी०, एन०आर०ई०पी० अथवा जे०आर०वाई० हो। आपने ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए इन बातों का उल्लेख किया है। मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसके विस्तार में जाने का कोई कारण नहीं है।

हमारी कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य रही है, चाहे वह एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति से न होकर सवारी गाड़ी की गति से ही हो। लेकिन हम कुछ अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। योजनाकारों ने कहा है कि वह कृषि मजदूरों को मंदी के मौसम के दौरान 100 दिन के कार्य-दिवस प्रदान करेंगे। क्या वे इसे प्राप्त कर सके ? वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष में केवल उन्नीस दिन ही प्राप्त किए जा सकें तो, वे इसे कम क्यों नहीं कर देते ?

हम टी०पी०डी०एस० का उदाहरण लें। वे प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल देने पर विचार कर रहे हैं। यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 120 कि०ग्राम होगा। अब हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन लगभग 190 कि०ग्रा० प्रतिवर्ष है। मेरे विचार में सही मात्रा 189.65 कि०ग्रा० के लगभग होगी। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न हैं लेकिन हम गरीबों को खाद्यान्न आवंटित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था में गलत प्रणाली वह हो सकती है कि सड़के अच्छी न हों अथवा जिन व्यक्तियों को वह कार्य सौंपा गया हो, वे चोरी कर रहे हों। इस संबंध में आयोजना के स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार को तो हम एक आम बात मानें। विकासशील अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को तो बढ़ना ही है। हम इस भ्रम में नहीं पड़ सकते कि 'हम सब ईमानदार हैं और कल सभी ईमानदार हो जाएंगे।' भ्रष्टाचार को एक आम बात मानते हुए, हम इस बात पर विचार करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर तरीके से कारगर कैसे बनाया जा सकता है ताकि 100 कि०ग्रा० से 120 कि०ग्रा० चावल अथवा गेहूं गरीबों को दिया जा सके। इस समय हम उन्हें केवल 90 कि०ग्रा० के लगभग प्रदान कर रहे हैं।

इस वर्ष योजना निर्माता सभी ब्लाकों में एक बेहतर इम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2300 ब्लाकों को शामिल किया है। वे इसे विस्तार देने और सभी ब्लाकों को इसमें शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

साथ ही, वे इम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम में चावल पर एक रुपये और राज सहायता देने पर विचार कर रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि वे चावल पर और अधिक राजसहायता दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है लेखक और पहलवान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगल-अलग चीजों को मिलाएं नहीं। योजना निर्माता को नीति बहुत ही स्पष्ट दृष्टि से सोचना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए कि आपको केवल यह करना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं।

जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना का उदाहरण लें। इन स्कीमों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ऐसे मामलों के बारे में जानता हूं जिनमें गरीब लोगों यहां तक कि महिलाओं को भी इन्दिरा आवास योजना के लिए 1000 रु० अथवा 1500 रु० देने पड़ते हैं।

ब्लाक स्तर पर छोटे-मोटे राजनीतिज्ञ अथवा छोटे-मोटे अधिकारी रिश्वत लेते हैं और आप इससे बच नहीं सकते। इस ढांचे में जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो अथवा इन्दिरा आवास योजना अथवा अन्य कोई योजना हो। यह एक ठोस योजना होनी चाहिए। बहुत सी चीजों के मिले होने से लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा हम अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। हमारी अगली आवश्कता है शक्तिशाली यांत्रिक शक्ति की। आपको यांत्रिक शक्ति कैसे मिलेगी ? इसके लिए हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस समय हम 2.1 प्रतिशत के राजस्व घाटे को वहन कर रहे हैं।

घरेलू बचत में कमी आई है। मैं इसके आकड़ों में नहीं जाऊंगा, माननीय मंत्री महोदय मुझसे अधिक जानते हैं। घरेलू बचत कम हुई है। हमें विभिन्न क्षेत्रों में राज सहायता प्राप्त हैं। भुगतान के संबंध में हमारी स्थिति आज अच्छी है कल यह बिगड़ सकती है तेल के उत्पादन में कमी आई है। तेल पर दी जाने वाली राजसहायता 20,000 करोड़ से बढ़कर अब 90,000 करोड़ रु० तक है। आप वित्तीय घाटा कैसे पूरा कर सकते हैं ? जब हम योजना पर विचार करते हैं तो हम वार्षिक योजना अथवा योजना के पहले वर्ष के बारे में सोचते हैं। हमें अन्य चार वर्षों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम इसे कैसे पूरा करेंगे और कैसे अपेक्षित राशि प्राप्त करेंगें ?

योजना को संयोजित करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। वे क्या हैं ? हमें जनसंख्या पर अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। यह पहली बात है। यहां हमें अन्य उन देशों की तरह नहीं सोचना चाहिए जो अपनी जनसंख्या और अन्य चीजों की केवल जांच कर रही है। हमारे देश में हमें सोचना चाहिए कि हम जनसंख्या पर कैसे रोक लगा सकते हैं। जब मैं स्कूल विद्यार्थी था। इस देश की जनसंख्या 35 करोड़ अथवा 40 करोड़ थी। अब यह बढ़कर 95 करोड़ हो गई है। महत्वपूर्ण यह है कि यहां खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है।

बाईबल में लिखा है, "भगवान ने पक्षियों की रचना की है; उसने उनके लिए भोजन जुटाया है; लेकिन वह उसे उनके घोंसलों में नहीं पहुंचाता है।" इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जैसे पक्षी अपना भोजन जुटाने के लिए प्रयास करते हैं हमें भी प्रयास करने चाहिए। अवश्य ही हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यह किसी योजना अपना किसी विकास कार्य को संयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है।

इसके अतिरिक्त तीसरी बात है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन। आप इसे कैसे करते हैं ? दृष्टिकोण पत्र में इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के बारे में विस्तार से दिया गया है। योजना निर्माताओं ने जनसंख्या के मामले को टाल मटोल वाला रवैया रखा है। और माननीय मंत्री महोदय ने प्रौद्योगिकी और क्षेत्रों की अखण्डता के बारे में अच्छा विश्लेषण किया है।

बहुत पहले, मैंने राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में एक सेमिनार में भाग लिया था। पंजाब के एक प्रोफेसर जो उत्कल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे, अकादमी में आए हुए थे। उस समय उन्होंने हमें बताया, "जवानों, आप सोच सकते हैं कि अगले तीन, चार और पांच वर्षों में पंजाब विस्फोटक स्थिति में होगा; पंजाब जर्मनी की तरह विकसित होगा और अन्य राज्य पिछड़े हुए रह जाएगें और पंजाब में अशांति होगी। वह एक अर्थशास्त्री थे; मैं अब उनका नाम भूल गया हूं। जो उन्होंने उन दिनों कहा था—1975-76 में कहा था—पांच-छः वर्षों में वह बिल्कुल सच साबित हुआ है।

अतः क्षेत्रों की अखण्डता को विभिन्न तरीकों से बनाए रखा जा सकता है ये तरीके हैं—परिवहन, संचार व्यवस्था और उस क्षेत्र के दलितों का आर्थिक सुधार आदि। अनेक अन्य बातों पर ध्यान दिया जाना है और नौंवी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से इन पर बल दिया जाना है। इस दृष्टि से आप क्षेत्रों की अखण्डता को कैसे बनाए रख सकते हैं ? हमें अवश्य इस बारे में सोचना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय अनिवार्यता है। इसे कैसे पूरा किया जाए ? यह अच्छी बात है कि वह आनुपातिक आयकर को लाए हैं। इस बजट में इसे शुरू किया गया है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी। इसका निर्णय योजना निर्माताओं को लेना है कि किस प्रकार इसमें सफलता मिल सकती है। यदि आपने आधार को व्यापक बनाया है। यदि आपका करों का आधार अच्छा है तो वित्तीय घाटा अवश्य कम होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए योजना में राज्यों का हिस्सा आवश्यक है।

योजना के लिए हमें 80 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार से और 20 प्रतिशत राज्यों से प्राप्त होती है। लेकिन राज्यों का हिस्सा कम हो रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह विचार किया गया कि राज्यों का हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत होगा लेकिन अब यह कम होकर 35.6 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं, इनमें एक-दो प्रतिशत इधर-उधर हो सकता है। यदि राज्यों का हिस्सा कम होता है। तो क्या होगा ? हम कृषि, मूलभूत न्यूनतम सेवाओं, स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली के क्षेत्रों में अपने लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त योजना के भी अपने लक्ष्य पूरे नहीं होंगे।

[श्री अनादिचरण साहू]

जहां तक शिक्षा का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा एक बड़े पेड़ के समान है जो कि चारों ओर अनावश्यक बेलों से घिरा हुआ है। उच्च शिक्षा को तराशा जाना चाहिए तभी केवल हमें अच्छी शिक्षा मिल सकती है। सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षकों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने में असफलता मिली है यह लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मानना है चूंकि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इसपर विचार नहीं करेंगे। लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अध्यापकों को जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। जो भी धन राशि आप दे रहे हैं वह बेकार जा रही है। अतः शिक्षा पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

आपने सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा की योजना बनाई। आपने मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया। लक्ष्य था कि 7.5 करोड़ विद्यार्थी विद्यालयों में आएंगे लेकिन केवल 5.71 करोड़ विद्यार्थी ही आए। क्यों ? हमें स्वयं से पूछना चाहिए। बच्चों को उनके माता-पिता अन्य कार्यों में लगा रहे हैं। चाहे वह बाल श्रम में लगे हो अथवा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की कोई प्रोत्साहन न देता हो। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए हमें कोई और तरीका सोचना चाहिए। हमें कोई अन्य योजना बनानी चाहिए जिससे जो बच्चे–1.5 करोड़ बच्चे–स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने लगें।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत, परिवार को खाद्य वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा, खाना स्कूल में ही बनना चाहिए। मैंने अपने राज्य में देखा है जब छोटे-छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है वे उसे गेट से बाहर ले जाते हैं और उसे वे अपने छोटे भाई-बहनों के साथ बांटकर खाते हैं। यही कारण है कि उड़ीसा में सूखे के बावजूद कोई मौत नहीं हुई है क्योंकि छोटे बच्चे अपना भोजन बांटकर खाते हैं। आप मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दौरान अधिक खाना दे सकते हैं और इसके लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : कालाहोडी के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री अनादि चरण साहू : यह कहना गलत है कि वहां लोग मरे हैं।

इसलिए उन्हें अधिक भोजन दीजिए। यदि आप मध्याह्न भोजन अच्छी तरह से देते हैं तो विद्यार्थी स्कूल आएंगे और 1.5 करोड़ बच्चे जो नहीं आते हैं वह भी आने लगेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा है और मैं इसे दोहराता हूं कि आपको उच्च शिक्षा को कम करना चाहिए। यह कुछ निहित स्वार्थी के लिए लगभग लाभकारी तंत्र बन गया है।

श्री ए०सी० जोस (इदुक्की) : यह उद्योग बन गया है।

श्री अनादि चरण साहू : जी हां, यह उद्योग बन गया है।

मैं पुनः योजना प्रक्रिया के निरन्तर बने रहने की बात कहता हूं। मैं सहकारी क्षेत्रों को पुनः चालू करने के पक्ष में हूं। जनशक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों में, जिनमें लगे लोग विकास प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में सहयोग देते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें अनुभव है। गांवों के लोगों को अनुभव है। उन्हें किसी न किसी बात का अनुभव है चाहे तालाब खोदने का हो अथवा कुआं खोदने अथवा शिक्षा के बारे में सोचने और अन्य किसी प्रकार का हो। अतः सहकारिता के पहलू को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, कृषि में मूल निवेश सिंचाई, उर्वरक और छोटे और सीमान्त किसानों के लिए नकदी का प्रवाह है। मैं सिंचाई और उर्वरकों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस बारे में आप सब विस्तार से जानते हैं और मैं समझता हूं कि इस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने भी संकेत दिए हैं। छोटे और सीमान्त किसानों के लिये नकदी का प्रवाह ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। छोटे और बीच के किसानों को उपकरण, उर्वरक, बीज खरीदने अथवा उन्हें बेहतर बनाने अथवा अपने ढंग से सिंचाई और विशेष अवधि के लिए छोटे कटाई यंत्रों के लिए बैंकों अथवा अन्य निगमित निकायों से धन प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है। कुछ लोगों को विशेष अवधि के लिए कटाई यंत्रों की आवश्यकता होती है। कुछ समय के बाद वह उनके लिए बेकार है परन्तु फिर भी जरूरी है। इसलिए जब हम निवेशों को उपलब्ध कराने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें इन लोगों को नकद राशि उपलब्ध कराने पर अवश्य विचार करना चाहिए।

अब मैं दलित वर्ग पर आता हूं। चाहे वे अल्पसंख्यक है अथवा महिलाएं हैं। हम इक्यासिवें संविधान संशोधन के बारे में सोच रहे हैं। हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। संस्कृत में इसे 'अरण्यरोदन' कहते हैं अर्थात जिसे कोई सुनने वाला न हो। गांवों में उन्हें इस प्रकार उपेक्षित न छोड़े। महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए।

समाज में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। यदि हम किसी महिलाओं को शक्ति प्रदान नहीं करते तो कुपोषण बढ़ेगा और उस महिला के बच्चें का भार कम होगा। परिवारों में भी भेदभाव किया जाता है। हम बहुत से ऐसे परिवारों को जानते हैं जहां लड़की को अच्छा खाना नहीं दिया जाता, जहां उसे सबके खाना खा लेने के बाद खाना दिया जाता है और कभी-कभी उसे सब्जी भी खाने को नहीं मिलती। यह अब भी हो रहा है और पहले भी ऐसा होता था। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते। इस बात की चिन्ता न करें कि अन्य देशों में क्या हो रहा है। अपने बारे में सोचें। भलीभांति इस बात पर विचार करें कि हम किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र महिलाओं और दलितों को उचित दर्जा दिला सकते हैं।

अंत में, हमें उद्योगों में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन यह सफलता बढ़ती हुई जनसंख्या और अन्य आनुषंगिक मामलों के अनुपात में नहीं है। इसलिए हमें उद्योगों पर और अधिक बल देना चाहिए।

यदि हम उद्योगों को अधिक बल नहीं देते तो हम कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होंगे।

दृष्टिकोण पत्र में कमियाँ अथवा कठिनाईयाँ जो कि योजना के सामने आ रही है, को बताते हुए नौ मुद्दे बताए गए है। यदि हम इन मुद्दों को ध्यानपूर्वक देखें तो क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं अत्यंत आशावादी नहीं बन रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अत्यंत आशावादी चित्र प्रस्तुत किया और माननीय श्री जगमोहन ने बहुत ही निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। मैं केवल यथार्थ की बात करूंगा और यथार्थ यह है कि हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। योजना निर्माता को अपने दृष्टि कोण में कुछ वास्तविकता लानी चाहिए। उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है।

योजना निर्माता और इसे क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के बीच बड़ा अन्तराल है। आप ब्लाक स्तर पर क्रियान्वयन अधिकारी नहीं है। आप बहुत पहले ब्लाक स्तर पर क्रियान्वयन अधिकारी हो सकते हैं वह समय बीत गया। चालीस वर्ष के बाद, आप कैसे जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं ? यदि आप अब मुझे किसी जिले में भेजते हैं तो मैं पुलिस अधीक्षक के रूप में पूर्णतः असफल रहूंगा। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। यदि आप मुझे पुलिस स्टेशन का प्रभारी बनाते हैं तो मैं बिल्कुल असफल रहूंगा क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन प्रभारी का प्रशिक्षण 30 वर्ष पहले लिया था। योजना निर्माता को देखना चाहिए कि प्रारम्भिक स्तर पर ब्लाक स्तर पर क्या हो रहा है। किसी उपयुक्त योजना के बारे में सोचने से पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आपका सोचने का ढंग अच्छा है। आप शुरूआत करिए। पहला स्थान प्राप्त करने की इच्छा से निवेश, प्रोत्साहन और इसमें शामिल कार्यों को सामने रखते हुए सही उद्देश्य से सही ढंग से शुरूआत कीजिए।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : सभापति महोदय, मैं योजना आयोग द्वारा पंच वर्षीय योजना के लिए प्रस्तुत दृष्टिकोण पत्र के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

समाज के सभी हिस्सों के विकास के लिए योजना एक राजनैतिक प्रक्रिया है। यह समाज के अधिकतम संभव विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में योजना बनाने वालों के मौलिक तरीके से उत्पाद का वितरण भी शामिल है। योजना का लक्ष्य राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव सुरक्षित रख कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का हिस्सा बनेगा।

इस दृष्टिकोण के आधार पर मैं 'लोगों' पर जोर दे रहा हूं। 'लोगों' से मेरा अर्थ देश के सभी लोगों से है, न कि उन लोगों से जो अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं, या जो धन इकट्ठा करने की स्थिति में हैं क्योंकि उनमें आंतरिक क्षमता है जो उन्हें सभी खतरों से बचा सकती है। इसलिए सभी लोगों को शामिल किया गया है। जब हम किसी योजना की बात करते हैं तो हम अ०जा० के लोगों, अ०ज०जा० के लोगों तथा अ०पि०व० के लोगों को एक साथ लेते हैं।

महोदय, यह कहा गया है कि इस योजना के द्वारा इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय किया जाएगा। परन्तु क्या हमने वास्तव में उन लोगों की मदद की है जिन्हें वास्तव में राज्य की मदद की आवश्यकता है ? जहां तक न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं का संबंध है ये लोग अपनी न्यूनतम अखण्डता भी कायम नहीं रख सकते। इसलिए हमने आठवीं पांच वर्षीय योजना और उससे पहले की योजनाओं से क्या सीखा है ? आठवीं पंच वर्षीय योजना में रोजगार सृजन, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, प्राथमिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण, स्वच्छ पेयजल, खाद्य में आत्मनिर्भरता पाना और निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करना, विकास के लिए आधार संरचना को मजबूत बनाने इत्यादि को वरीयता दी गई है। अगर हम इन सभी का विश्लेषण करते हैं और एक-एक करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि अब भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनपढ़ हैं विश्व के अशिक्षित लोगों की आधी जनसंख्या भारत में रहती है। इसलिए जो भी प्रयास किए गए हैं वे कुछ योजना निर्माताओं कुछ दार्शनिकों और कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं। पर वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं पहुंचा है।

इसलिए नौंवी पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जनवरी, 1997 में बैठक हुई थी। वे इस तथ्य को महत्व देने में एकमत थे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सात प्रतिशत होना चाहिए और कृषि की विकास दर प्रति वर्ष 4.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

इसके अलावा संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा मुख्य मंत्रियों की बैठक के आधार पर कुछ सुझाव दिए हैं।

अन्य मुख्य मंत्रियों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों और राष्ट्रीय विकास परिषद की सर्वसम्मति प्रस्ताव के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में नौ मदों पर जोर देना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार सृजन को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। एक स्थिर मूल्य ढांचा बनाया जाना चाहिए। योजना में सभी के लिए पोषाहार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सब के लिए प्राथमिक शिक्षा, आवास और सामूहिक विकास को वरीयता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, तथा सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा को भी वरीयता दी जानी चाहिए। महिलाओं अ०जा०, अ०ज०जा०, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को भी वरीयता दी जानी चाहिए। देश भर में पंचायती राज के विकास पर भी जोर दिया गया है। आत्म निर्भरता के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

[श्री सुधीर गिरि]

महोदय, सबसे पहले मुझे प्रतिपादनों का विश्लेषण करना होगा कि क्यों प्रतिपादनों को वरीयता दी जानी चाहिए। सबसे पहले पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया जा गया है। उत्पादक रोजगार के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाए बिना आंतरिक बाजार को बढ़ाया नहीं जा सकता और अगर आंतरिक बाजार नहीं बढ़ाया जाता तो हमें अन्य देशों के बाजारों पर काफी निर्भर रहना पड़ेगा। परन्तु भारत में विद्यमान आधार संरचना, पुरानी प्रौद्योगिकी और अन्य तत्वों के साथ हम उच्च औद्योगिकीकृत देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए, हम अन्य देशों के बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए, हमें अपने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी। बड़े जमीदारों से जमीन छीन लेनी चाहिए। ऐसा, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के पास अधीक जमीन होने से काफी लोगों में गरीबी हो सकती है। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका लाभकारी उपयोग तब तक नहीं हो सकता, जब तक बड़े जमींदारों से उनकी संपत्ति पर अधिकतम सीमा लगाकर, उनकी संपत्ति नहीं छीनी जाती। तभी गरीबों के पास खेती के लिए जमीन होगी।

इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि भूमि सुधार के तरीके अपनाए जाने चाहिए। यद्यपि योजना दस्तावेजों में यह बात कही गई है कि भूमि सुधार किए जाने चाहिए, फिर भी हम देखते हैं कि इस पत्र में सम्पूर्ण भूमि सुधार का एक शब्द भी नहीं है। हमारे देश में, हम देखते हैं कि बड़े जमींदारों ने जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों पर कब्जा किया हुआ है। जब तक उस जमीन को छीनकर गरीबों में नहीं बांटा जाता, तब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाजार का आंतरिक विस्तार भी जमीन छीनने तथा फिर उसके वितरण करने पर निर्भर करता है। छोटे और कुटीर उद्योग को भी बढ़ाया जाना चाहिए। खेती में निवेश के क्षेत्रों का भी स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। तथा निवेश की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। यह कहा गया है कि स्थिर मूल्यों से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी। परन्तु हम देखते हैं कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के लिए आगे आ सकती है जिससे मूल्य क्षेत्र में लगातार प्रतिक्रियाएं होगी। सरकार को इसका उचित ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा मूल्य वृद्धि से लोगों को काफी चोट पहुंचेगी। मूल्य रेखा को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार को लोगों द्वारा न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर कम से कम उन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, तो लोग स्थिर मूल्यों पर न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं खरीद सकेंगे। आर्थिक प्रक्रिया इस तरह से प्रबंधित की जानी चाहिए कि मूल्य आम लोगों की पहुंच से बाहर न हों।

मैं यह कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं और ये क्षेत्रीय भिन्नताएं इसलिए हैं कि केन्द्र में आर्थिक मामलों को इस तरह प्रबंधित किया जाता है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उचित आर्थिक उपाय करें जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके।

महोदय, यह कहा गया है कि स्वच्छ पेयजल की मौलिक न्यूनतम आवश्यक सेवा प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम प्रचलन में है क्योंकि पिछली सरकार ने ये उपाय अपनाए थे। परन्तु कुछ राज्यों में इन क्षेत्रों में निधियों का आयंटन सही ढंग से उपयोग में नहीं लाया गया और यद्यपि कुछ-कुछ अन्य राज्यों ने उन्हें सही तरीके से उपयोग भी किया है फिर भी मात्रा इतनी कम थी कि वे आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि जो राज्य सरकारें वित्तीय बाध्यताओं से ग्रस्त हैं तथा जो राज्य इन परियोजनाओं को वास्तव में लागू करना चाहते हैं उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान की जाएं। कई ऐसे गांव है जहां पेय जल की सुविधा नहीं है। इन गांवों का समुचित, ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त पेय जल प्रदान किया जाना चाहिए।

महोदय, आम लोगों को तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी नहीं है। कोई योजना होनी चाहिए तथा इस योजना पर बल दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह कहा गया है कि व्यापक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए। इसका समर्थन इसलिए भी किया गया है क्योंकि सार्वभौम शिक्षा के बिना स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं आ सकती और इसे बनाये नहीं रखा जा सकता। लोगों के स्वास्थ्य की सही देखभाल तब तक नहीं हो सकती जब तक लोगों को मूलभूत न्यूनतम शिक्षा नहीं दी जाती।

बहुत से लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास से वंचित हैं। शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोग फुटपाथों और गलियों में रहते हैं। उनके पास आवश्यक छत नहीं है। इसलिए सरकार को आगे आकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासहीन लोगों का सही मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कम से कम उनके सिर पर रात को सोते हुए छत हो।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव दूर-दराज इलाकों में हैं। वे सड़कों से जुड़े नहीं हैं तथा कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ आदि जैसे संकट के समय अन्य गांवों या बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना चाहिए। कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से सम्पर्क और सम्पर्क के विस्तार को वरीयता देनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चाहे उत्पादन हो या स्वास्थ्य रक्षा, लोगों को लाभ देना चाहिए।

जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की दर इतनी अधिक है कि इतने परिश्रम के बाद भी उन्हें इसका फल नहीं मिलता। अगर लोगों को मूलभूत शिक्षा दी जाती है, अगर उन्हें स्वास्थ्य के संकटों के प्रति सही शिक्षा दी जाती है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गरीबी हटा दी जाती है और अगर उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाते हैं तो मूल रूप से जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए अगर

उनके लाभ के लिए अधिक निधि का प्रावधान किया जाता है तो जनसंख्या विस्फोट को और अधिक रोका जा सकता है। यदि हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि के खतरों के प्रति सचेत करना चाहते हैं तो उन्हें उचित ढंग से शिक्षा देनी होगी ताकि वे जनसंख्या वृद्धि के खतरों के प्रति सचेत हो सकें।

ये भी कहा गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक अच्छा सुझाव है। उन्होंने इस मुद्दे पर ठीक ही जोर दिया है। हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य के लिए हमें यह देखना होगा कि कम से कम राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रणाली में महिलाओं को एक विशेष दर से प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

महोदय, योजना दस्तावेज में यह कहा गया है कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है। वे इसे अनिवार्य कैसे बनाएंगे ? हम चाहते हैं कि निचले स्तर पर भी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। केवल इतना ही नहीं हम यह भी चाहते हैं कि योजना ऊपर के लोगों द्वारा नहीं नीचे के लोगों द्वारा बनाई जाए। योजना की वर्तमान स्थिति यह है कि उपर के लोग बनाकर उसे नीचे के लोगों पर लागू कर देते हैं। इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। अतः मेरा विचार यह है कि प्राथमिकता इस बात को दी जानी चाहिए कि निचले स्तर के लोग ही योजना बनाए ताकि वे इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावशाली रूप से योगदान कर सकें।

यह कहा गया था कि आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रस्ताव को कैसे लागू किया जा सकता है ? यदि हम प्रौद्योगिकी को विकसित करें तभी हम इस प्रस्ताव को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुधीर गिरि : महोदय मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

जैसा कि अन्य देशों में किया गया है उसी तरह यहां भी प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि इस उद्देश्य के लिए आंतरिक बाजार का विस्तार आवश्यक है। मध्य वर्गीय लोगों को जीवन यापन की अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। वे अन्य क्षेत्रों में निवेश के उद्देश्य से अधिक धन बचा सकें। कम से कम उद्योग और कृषि के क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से समाज के पिछड़े वर्गों पर विभिन्न प्रकार से कर नहीं लगाए जाने चाहिए। बागवानी, डेयरी और पशुपालन के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को विकसित किया जाना चाहिए और हम इस प्रस्ताव पर काफी लंबे समय से जोर देते आ रहे हैं। यद्यपि कुछ राज्य इससे अवगत हैं और संविधान को भी समुचित रूप से संसोधित किया गया है जिससे ये राज्य पंचायतों के चुनाव तथा पंचायती राज प्रणाली को कायम रख कर लोगों के साथ न्याय कर सकें परन्तु कई ऐसे राज्य हैं जो इस मामले में काफी पीछे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुधीर गिरि : मैं समाप्त कर रहा हूं। कई राज्य इसमें पीछे हैं।

जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है मैं इस बात पर जोर दूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण विकास बैंक को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अलग-अलग दृष्टिकोण की बजाय, सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मोनीटरिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

जहां तक 'ट्राइसेम' का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि इस योजना द्वारा गरीबों की दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए परन्तु उन्हें आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री सुधीर गिरि : विपणन सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्हें समूह बीमा योजना भी प्रदान की जानी चाहिए।

सभापित महोदय : श्री सुधीर गिरि जी, कृपया अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए।

श्री सुधीर गिरि : इसके अतिरिक्त, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। गरीबों को बंजर भूमि के विकास का हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि देश में इतनी अधिक बंजर भूमि है कि अगर गरीबों को इसका हिस्सा मिलता है तो वे निश्चय ही इस जमीन का विकास करेंगे। साथ ही कृषि संबंधी गरीबी भी कम हो जाएगी। और कृषि उत्पादन भी बढ़ जाएगा।

सभापति महोदय : यह आपका आखिरी वाक्य है।

श्री सुधीर गिरि : महोदय मैं समाप्त ही करने वाला हूं। यह मेरी बात का आखिरी पैराग्राफ है।

मैंने भूमि सुधार के बारे में पहले ही उल्लेख किया है परन्तु जो एक बात कहने से रह गयी थी वह है गरीबी उन्मूलन के उपाय, जातिगत भेद हटाना, जातिगत भेद समाप्त करना और मानवता का उत्थान। सम्पूर्ण भूमि सुधार का इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पालन करना चाहिए। इसके लिए, अधिकतम सीमा नियम बनाए जाने चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

[कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए]

जो किसान तथा बरघादार हैं उन्हें पट्टे के आधार पर भूमि विकास प्राधिकरण या सहकार से ऋण मिलना चाहिए और रिकार्ड तैयार किए

[श्री सुधीर गिरि]

औद्योगिक उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि औद्योगिक विकास लोगों के हित में होना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो न केवल निर्यातोन्मुख हो अपितु जो लोगों के हित में भी हों क्योंकि यदि ऐसे उद्योगों का विकास किया जाता है तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस उद्देश्य के लिए वहां प्रतियोगिता भी होनी चाहिए और ग्रामीण और लघु-उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास भी होना चाहिए और औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को उचित महत्व देकर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मैं दो अन्य तथ्यों के बारे में कहना चाहूंगा और फिर मैं भाषण समाप्त करूंगा। शहरी बुनियादी ढांचे के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों को लाया जा सकता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि अभी कई अन्य वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं और अब समय बहुत ही कम है।

श्री सुधीर गिरि : मैं केवल दो वाक्य ही कहूंगा। जहां तक शहरी विकास का सम्बन्ध है शहरी बुनियादी ढांचा बनाया जाना चाहिए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों के सुधार उपायों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए और जल आपूर्ति योजनाओं को भी लागू किया जाना चाहिए।

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जलकूप लगे हुए हैं उनमें खारा पानी आ गया है। मैं इसलिए सरकार को परामर्श देना चाहूंगा कि विकास कार्यक्रम को इस प्रकार चलाया जाना चाहिए कि खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सके। उन संयंत्रों को बिना किसी विलम्ब के क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से पांच वर्षों में नौंवी पंचवर्षीय योजना को कार्यक्षेत्र में लाने के लिए समय पर्याप्त होगा।

मैं हरे-भरे या सुहावने दृश्य की चित्रकारी करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं योजना आयोग के समान एक अच्छा कलाकार नहीं हूं। परन्तु मैं कला को ठीक से समझने वाला भी नहीं हूं इसीलिए अंकित दृश्य को मैं वैसे ही देखूंगा जैसाकि वह मेरे सामने रखा गया है। मैं नौंवी योजना के दृष्टिकोण पत्र द्वारा परिलक्षित स्थिति से आकर्षित नहीं अपितु चौकन्ना हुआ हूं।

हम पिछले छह वर्षों या कुछ ज्यादा समय से नई आर्थिक नीति के बारे में सुन रहे हैं जिसे देश में प्रारंभ किया गया है। वे हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के बारे में सोंच और बात कर रहे हैं। तब उस संदर्भ में हम जोर देकर एक योजना की प्रक्रिया का भी अनुसरण कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या इन दोनों में मेल है। इस पूरी प्रक्रिया, जिसमें वे सभी प्रकार की विभिन्न शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं, में योजना बनाने की क्या प्रासंगिकता है ? बाजार विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को निर्धारित करेगा कि किसे उत्पादित किया जाये। और इसे किस मूल्य पर बेचा जाए। तब यह हमें योजना बनाने और इस आधुनिक सोच विचार जिसको सरकार ने प्रारम्भ किया है, के मूल प्रश्न पर ले आता है।

महोदय, प्रासंगिकता और भी ज्यादा आलोचनात्मक हो जाती है जब हम पिछली पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करते हैं जो कि नई आर्थिक नीति जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकार बहुत ज्यादा बात करती थी, के साथ-साथ चल रही थी। इस योजना की उपलब्धियां, मुझे कहते हुए खेद होता है, अत्याधिक दुःखद रही। वस्तुतः किसी को भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भी कहा गया है उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए और उस बारे में प्रसन्न नहीं होना चाहिए।

बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट सभी लक्ष्य वास्तव में अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। इस अवधि में मुद्रास्फीति बढ़ी है। मेरे विचार से मुद्रा स्फीति ने भी कतिपय क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धि की बेहतर तस्वीर को प्रस्तुत करने में योजना आयोग की सहायता की है।

महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, कि मेरे विचार से, मंत्री महोदय हमें योजना बाने की प्रसंगिकता और नई आर्थिक नीति में राज्य की भूमिका के बारे में बताएं, क्या राज्य वही भूमिका निभाएगा जो उसने पिछले 50 वर्षों में भारत में निभायी थी। और क्या यह हस्तक्षेप करने वाली भूमिका निभाने जा रहा है। यह राज्य का हस्तक्षेप वहां पर रहेगा तो बाजार की भूमिका क्या होगी ? एक ही उद्देश्य के लिए राज्य का हस्तक्षेप और बाजार की ताकतें किस प्रकार कार्य करेगी। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं समझता हूं सरकार हमें स्पष्ट करना चाहेगी। यह योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण वर्ष भी है। हमनें गैट के साथ और अब विश्व व्यापार संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम वास्तव में इन बहुस्तरीय अभिकरणों और विभिन्न राष्ट्रों से कपितपय वचनबद्धताओं पर सहमत हो गए हैं। एक वचनबद्धता सीमाशुल्क कम करने के सम्बन्ध में है। सम्भवतः यदि हम एक निश्चित समयावधि में सीमाशुल्क को कम करने जा रहे हैं तो हमें हमारे घरेलू उद्योग को जीवित रखने के लिए आबकारी शुल्क को भी कम करना होगा। यह सही है कि आजकल वे आवकारी शुल्कों को कम करने की तुलना में ज्यादा तेजी से सीमा शुल्कों को कम कर रहे हैं। यह पूरी तरह एक अलग प्रश्न हैं यदि हम यह मानते हैं कि हमारी वचनबद्धता के अनुसार हम सीमा शुल्कों को कम करने जा रहे हैं और हमारे घरेलू उद्योगों को सीमित रखने के लिए आबकारी शुल्कों को कम कर रहे हैं तो फिर हम कहां से इन संसाधनों को, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जुटाएंगें ? एक और विश्व व्यापार संगठन की दी गई अन्तर्राष्ट्रीय

वचनबद्धता है और दूसरी और नौवीं पंचवर्षीय योजना के नए योजना लक्ष्य को प्रापत करने के लिए इतने ज्यादा संसाधनों को जुटाने की भी आवश्यकता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि वह इन दोनों बातों को एक साथ किस प्रकार निभाएंगें। मेरे विचार से सरकार को हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता को निभाते हुए इन बहुत ज्यादा संसाधनों को किस प्रकार जुटाने जा रहे हैं। नौवी पंचवर्षीय योजना में विश्व व्यापार संगठन का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं अगले पांच वर्षों में कतिपय कार्यों को किए जाने पर सहमति होने के मानदण्डों के भीतर पूरी योजना बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए।

अब यह नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। यह संसद में प्रस्तुत किया गया पहला बजट हैं हमने हाल ही में वित्त-विधेयक पारित किया हैं हम सम्भवतः यह अनुभव कर हरे हैं, यद्यपि इसे कई शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है कि समाचार समाज के एक विशेष वर्ग को लक्षित करने बजाय ऊपर से नीचे की ओर होने वाले प्रभाव पर विश्वास कर रही है। हम अनुभव करते हे कि सरकार को बड़े पैमाने पर कतिपय कार्य करने चाहिए और ऊपर से नीचे की ओर होने वाला प्रभाव सबसे निचले स्तर पर अनुभव किया जाय और गरीबी का उन्मूलन किया जाए। ऐसी कई बातें हैं जो उचित क्रम में नहीं है जिन पर बाजार की ताकतों को स्वयं ध्यान देना होगा ऊपर से नीचे की ओर होने वाला प्रभाव इसका स्वयं ध्यान रखेगा। परन्तु मैं समझता हूं इस प्रकार के कल्याणकारी सोच हमारी सहायता नहीं करेगी जबकि इसने मार्गरेट थैचर की सहायता की थी। पांच वर्षों के पश्चात श्रीमती मार्गरट थैचर के अनुगामियों को चुनाव हारना पड़ा था क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर व्याप्त होने वाला प्रभाव शायद सरकार को उस लक्ष्य तक, जिस तक वे पहुंचना चाह रहे थे, पहुंचने में सहायता नहीं कर पाया था।

एक और क्षेत्र जिसके बारे में हम सब चिन्तित है यह सरकार का वित्त प्रवन्धन है। हम कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए के परिमाण वाले संसाधनों को पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जुटाने की बात कर रहे हैं जिसे इसी कार्य में निवेश करना है और इसमें से 8.9 प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रमों में से ही आने वाले हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को योजना में लगभग 6,63,000 करोड़ के लगभग निवेश करना होगा। चालू वर्ष के लिए हमारा कुल ब्याज भार सरकार की वर्त्तमान आय का 48 प्रतिशत है। हमारे ऋणों को चुकाने के लिए धनराशि 1,45,000 करोड़ के लगभग है और हमारा कुल सकल राजस्व लगभग 1,65,000 करोड़ है। हम पहले ही उस स्तर पर पहुँचने वाले हैं जहां अन्य क्षेत्रों – सामाजिक और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश के लिए शायद ही कुछ धनराशि उपलब्ध रहती है। यह बात हम जानना चाहते हैं कि हम इन बड़े संसाधनों को कहां से प्राप्त करेंगे जो कि इस निवेश हेतु आवश्यक है। यह सम्भवतः चिन्ताजनक स्थिति है कि सरकार को एक ओर आबकारी और सीमा शुल्कों को कम करना है और दूसरी ओर सरकारी निवेश जिसे कि इसमें लगना है, अत्यधिक तीव्र दर से बढ़ रहा है।

इस प्रकार आज देश पर कुल ऋण भार 6,00,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा ही है। ब्याज जिसका भुगतान करने हेतु हम वचनबद्ध है वह 60,000 करोड़ रुपए है और शायद अगले दो वर्षों के समय में, आज जितनी है उससे कहीं ज्यादा होगी क्योंकि जिस दर से सरकार उधार ले रही है, जैसा कि योजना प्रपत्र में लिखा है, उससे से उधार बढ़ता जा रहा है। सरकारी बाण्डों की कूपन दर आजकल 13 प्रतिशत से ज्यादा है। पुराना ऋण जिसे 15 या 16 वर्ष पहले पांच या छह प्रतिशत पर जुटाया गया था अब एक अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध है। यदि आप मान भी लेते है कि ऋण का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो ब्याज भार अपने आप बढ़ता जाएगा क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा दर पर उधार ले रही है और यह बात भी गम्भीर भावना उत्पन्न करती है कि यो सारा निवेश जो सरकार योजना में लगाने की सोच रही है क्या यह सम्भव हो पाएगा और क्या सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हो पाएंगें या नहीं।

महोदय, एक क्षेत्र जोकि योजना बनाने वालों के साथ-साथ सरकार और सम्भवतः सभी के लिए अत्यधिक महत्व रखता है : किस प्रकार हम बुनियादी ढांचे में इन निवेशों को करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम 200 बिलियन डालर के निवेश की बात करता है जोकि आवश्यक है। योजना का एक प्रपत्र था जिसे कुछ वर्षों पहले तैयार किया गया था, और यह लगभग 165 बिलियन डालर के बारे में कहता है। कृष्ण मोहन समिति की रिपोर्ट जिसे आपने नियुक्त किया था, निवेश का प्राक्कलन कर रही है जो कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आवश्यक है वह और भी ज्यादा है।

महोदय हम इसके केवल एक क्षेत्र विद्युत को लेते हैं। भूतपूर्व विद्युत मंत्री यहां बैठे हुए थे और मुझसे कह रहे थे कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी उनहें चिन्ता है। सम्भवतः यह न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक व्यक्ति को चिन्तित करता है। योजना आयोग के अनुसार नई क्षमता जो कि हमें अगले पांच वर्षों के दौरान सृजित करनी है वह विद्युत की 57,000 मेगावाट है एक सामान्य नियम के रूप में लगभग विद्युत के प्रति मेगावाट के लिए 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है केवल विद्युत क्षेत्र में जाने के लिए आवश्यकत धनराशि इतनी ज्यादा है कि सम्भवतः हमारे पास किसी अन्य कार्य के लिए कुछ भी धन नहीं बचेगा, यदि हम केवल विद्युत पैदा करने ही सोंचें तो यह सम्भाव्य नहीं है।

कृष्ण मोहन समिति की रिपोर्ट 5,40,000 करोड़ रुपए के बारे में बात करती है जो कि विद्युत क्षेत्र में लगने आवश्यक है। इस प्रकार क्या यह उन आंकड़ों के प्रति गम्भीर है जो यहां उल्लेखित किए गए हैं या क्या हम केवल एक योजना दस्तावेज को संतुष्ट और सृजित करने के लिए दे रहे है ? क्या हम सच में इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे? आंकड़ों की अत्यधिक मात्रा इतनी ज्यादा मस्तिष्क को परेशान करने वाली है क्या यह अंकगणितीय अभ्यास या राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता है जोकि इस योजना दस्तावेज में वास्तव में दिया गया है।

विद्युत की उतनी मात्रा जो कि आवश्यक है हम इसका वित्त पोषण किस प्रकार करेंगे ? मैं जानता हूं ऐसे कई स्वतंत्र विद्युत उत्पादक हैं जिन्हें इस विद्युत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए सरकार का एक मानदण्ड यह है कि अपेक्षित धन के

[श्री सुरेश प्रभु]

40 प्रतिशत तक को देश के वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है। यह उन्हें संस्थाओं से ऋणों के अतिरिक्त धन के 60 प्रतिशत को जुटाने के लिए छोड़ देता है। क्या यह उत्पादक भारत से, पूंजी बाजारों से इस धन के 60 प्रतिशत को जुटाने के लिए समर्थ हो पाएंगें ? क्या वे इस धन को विदेश से, बाहरी वाणिज्यिक उधारों से जुटाने में समर्थ हो पाएंगें ? यदि इस परिमाण के बाहरी वाणिज्यिक उधारों को लिया जाता है तो सरकार की समग्र अधिकतम सीमा जिसे उन्होंने लाया है का क्या होगा ? उन्होंने आन्तरिक उधारों को यह कहकर बंद कर दिया कि सरकार विश्व स्तर पर कितना धन जुटा पाती है। इस प्रकार हम कैसे इतने धन को जुटा पाएंगे? इन स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को किस प्रकार सृजित किया जाएगा और उनका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा ?

महोदय, एक दूसरी बात और, मेरे विचार से मंत्री महोदय हमें इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय अंत में बताएंगे, हम इतनी विद्युत को किस प्रकार पैदा कर पाएंगें। यह एक पक्ष है। फिर दूसरा पहलु यह है कि, जो हम जानना चाहेंगे, इस प्रकार की सभी क्षमताओं के सृजन के बाद इस विद्युत के लिए उपभोक्ताओं को कितने मूल्य का भुगतान किया जाना होगा इसके बारे सरकार क्या विचार रखती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह आशंका व्यक्त की जाती है कि उपभोक्ताओं को बिजली के प्रति यूनिट के लिए 10 रुपए से कुछ ज्यादा का भुगतान करना होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि आज उपभोक्ताओं का केवल 60 प्रतिशत भाग ही इसका भुगतान कर सकता है। बिजली को कम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की प्रवृत्ति, कृषि के फार्मों और अन्य कार्यों के लिए इसे मुफ्त में इस्तेमाल करना बिजली के अन्य प्रयोक्ताओं को उस मूल्य के भुगतान का भार उठाना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त अब हम हमारी कई परियोजनाओं में आधारभूत सामग्री के रूप में नाफ्था का प्रयोग करने जा रहे है। इसका आयात मूल्य और रुपये की घटती कीमत इसे खरीदने के लिए और ज्यादा महंगा बना देगी। इसी कारण सम्भवतः हमें बिजली खरीदनी होगी या उपभोक्ताओं को 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना है जो कि वास्तव में चिन्ताजनक है।

मैं समझता हूं योजना प्रपत्र को इस बात का कोई संकेत देना चाहिए कि लोगों को शायद आज से चार या पांच वर्षों बाद या नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद कितनी कीमत पर बिजली उपलब्ध होगी।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख मेरे विख्यात सहयोगी श्री जगमोहन ने किया है वह विभिन्न संस्थाओं की भूमिका के बारे में है। इसीलिए मैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूं। परन्तु कार्यपालिका के भीतर विभिन्न संस्थाएं जिन्हें इस वितरण प्रणाली, उत्पादन, विभिन्न लाभग्राहियों को सेवा पहुंचाना चाहिए। चलानी चाहिए, विघटित हो रही है। यह संस्थाएं अन्तिम प्रयोक्ताओं को एक गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के वृहत् कार्य को सम्भालने में असमर्थ होती जा रही है। योजना प्रपत्र में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था कि हम किस प्रकार इन संस्थाओं को सुधार सकते हैं। वैसे यह योजना बनाने का वास्तविक अंश नहीं है फिर भी इसके बिना यदि यह बात क्षीण हो जाती है तो सम्भवतः इसके अन्त में हम उस बात को हासिल नहीं करेंगे जिसके बारे में हम सोच-विचार कर रहे हैं।

महोदय, एक मुद्दा जो मेरे विचार से अत्यधिक संवेदनशील है और जिसे मंत्री महोदय मेरे द्वारा दोहराया जाना पसन्द नहीं करेंगे वह आंकड़ों के संकलन और उन आंकड़ों की वैधता के बारे में है जिस पर हम भरोसा करते हैं। ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए सी०एम०आई० जैसी प्रतिष्ठित संस्था को लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उस बात पर भरोसा करेंगे जो उन्होंने कहा है।

सरकार के अतिरिक्त विभिन्न आंकड़े एकत्रित करने वाली एजेंसियों ने उसी मुद्दे पर अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन गरीबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि गरीबी निर्धारण के तरीके भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन आंकड़े जिन पर निर्भर रहते हैं, और जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं, भिन्न नहीं हो सकते। अतः, उसके लिए एक स्वतंत्र आंकड़े एकत्रित करने वाला तंत्र का गठन करना चाहिए जिसका दर्जा निर्वाचन आयोग के बराबर का होना चाहिए। उन आंकड़ों की समय-समय पर कुछ एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। यह सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने संबंधी नीति के अनुरूप होगा। यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में ही हमारे समस्त आंकड़े एकत्रित करने संबंधी कार्य कार्यकारिणी से स्वतंत्र हो सकेगा। तब हम इस पर निर्भर रह सकेंगे क्योंकि इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना वांछनीय नहीं है। मैं राजनीतिक आधार पर इसको नहीं उठा रहा हूं। मेरे कहने का आशय यह है कि हम एक स्वतंत्र आंकड़े एकत्रित करने वाले तंत्र की स्थापना करें जिसकी लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी से समय-समय पर करवायी जानी चाहिए।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय, आंकड़े के बारे में एक मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं स्टाटिस्टिक्स मंत्री भी रहा हूं। हमारे यहां एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान भी है। इसके चैयरमैन का दर्जा राज्य मंत्री का होता है। वह एक विशेषज्ञ होता है। उनका नाम श्री प्रवीन विसारिया है। वह देश के एक अच्छे जनांकिकी विशेषज्ञ है और विश्वविख्यात हैं। हमारे यहां राष्ट्रीय लेखों संबंधी एक सलाहकार समिति हैं जब मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का उप-कुलपति था तब मैं इसका सभापति था मंत्री बनते ही मैंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया। इस समय इसके चैयरमैन श्री राकेश मोहन हैं जो कि नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड रिसर्च के महानिदेशक है। इसमें बहुत यशस्वी लोग हैं।

अतः, जहां तक आंकड़ों का संबंध है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें क्योंकि इस बारे में हमारे सामने अनेक कठिनाईयां आती रही है। लेकिन हम उन्हें दूर करने के प्रयास कर

रहे हैं। हमने इसमें समाधान के लिए उच्च व्यावसायिक विशेषज्ञों को कार्यभार सौंपा है। हमारी सभी प्रक्रियायें स्पष्ट, पारदर्शी और लिखित में है। मैंने सरकार से कहकर एक नीति स्वीकृत करवायी है जिसमें यह कहा गया है कि जब भी आपको किसी सूचना की आवश्यकता होगी तो वह कम्प्यूटर फाइल के जरिए या जो भी हो, पहले भारतीय विश्वविद्यालय में तत्पश्चात विश्व में किसी को भी उपलब्ध होगी। इसके लिए बाहर वालों को डालर में कुछ अधिक धन देना होगा। अतः, इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहता हूं। योजना मंत्री के रूप में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां हूं तब तक हम रिपोर्ट प्रकाशित करते रहेंगे। जब मैं कृषि कीमत आयोग का चैयरमैन था मैंने उनकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जब मैं बी०आई०सी०पी० का चैयरमैन था, मैंने उनकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अतः पारदर्शिता एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है और मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। यदि आपके पास कोई ठोस सुझाव है तो कृपया मुझे बतायें। मतभेद हो सकता है। उदाहरण के लिए इस वर्ष की राष्ट्रीय आय को लें। राष्ट्रीय आय के आंकलन का तरीका बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी है। लेकिन वर्ष के शुरू में किए गए आंकलन भिन्न हो सकते हैं। वास्तव में, अब हम 23 देशों की अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रणाली में शामिल हैं। हम विश्व के कुछ चुने हुए देशों में से हैं जहां त्रै-मासिक आंकलन तैयार किए जाते हैं।

अब, पूरे विश्व में ये बदल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले त्रै-मासिक का आंकलन दूसरे त्रैमासिक से भिन्न होता है। अतः, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अपने मजबूत सांख्यिकीय एजेंसियों पर विश्वास करें। वे लोग व्यावसायिक लोग हैं। उनकी स्वायत्ता का मैं पूरा समर्थन करता हूं। इन संगठनों का नेतृत्व पारदर्शी ग्रुपों के उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय आय सलाहकार समिति है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि उनके पास कोई ठोस सुझाव हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा।

सभापति महोदय : सदस्य के कहने का आशय यह था कि सरकारी आंकड़े संग्रहकर्त्ता एजेंसियों के अतिरिक्त वे भी काफी सक्षम हैं। क्या आपने कभी आंकडों की किसी निजी एजेंसियों से पुनः जांच करवायी है। यदि ऐसा किया होगा तो उनमें भी अंतर होगा। आप कितना अंतर चाहते हैं ? क्या आप पांच या दस प्रतिशत का अंतर चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : इन सभी कार्यों के लिए हमारे पास स्वायत्त व्यावसायिक समितियां हैं। मैं यही कह रहा था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चैयरमैन श्री वी०एन० दांडेकर थे। जब मैं सरदार पटेल इस्टिट्यिूट का निदेशक था, तो मैं इसका एक सदस्य था। मुझे सरकार से कोई सरोकार नहीं। अब, श्री प्रवीण विसारिया आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक हैं। सरकार के राष्ट्रीय आय सलाहकार समिति के सभापति और सी०एस०ओ० एन०सी०ए०ई०आर० के महानिदेशक हैं। वह एक नीधि व्यक्ति होता है। निसंदेह, सरकार की सांख्यिकीय एजेंसियां भी इन चीजों का अनुसरण करती हैं। लेकिन हमारे सभी बड़ी सांख्यिकीय एजेंसियों की खुली और पारदर्शी प्रक्रिया है। उनका नेतृत्व व्यावसायिक सलाहकार ग्रुपों द्वारा किया जाता है और भारत के महान सांख्यिकीयों द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। यह सच है। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ और है तो मैं उन पर ध्यान दूंगा।

श्री जगमहोन : उदाहरण के लिए शहरी गरीबी को लें। लाकड़वाला समिति के अनुसार शहरी गरीबी का स्तर 40 प्रतिशत के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि योजना आयोग को उन मानदंडों के बारे में, जो वह अपनाने जा रहा है, अपना विचार स्पष्ट करना चाहिए। योजना आयोग ने शहरी गरीबी को 18 प्रतिशत माना है। 18% और 40% के बीच काफी अंतर है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : माननीय सदस्य को इस बारे में व्यापक जानकारी नहीं है। योजना आयोग ने इस पर निर्णय ले लिया है।

श्री जगमोहन : कितने वर्षों के बाद योजना आयोग ने इस संबंध में निर्णय लिया है ? जब हम हो हल्ला मचाते हैं तभी इसमें परिवर्तन होता है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजना आयोग ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और विगत छह महीनों में हमने उस बारे में निर्णय किया है। हमने उस बारे में विशेषज्ञों की राय ली और तत्पश्चात इसे सभा पटल पर रखा। योजना आयोग पहले भी इन प्रक्रियाओं पर चर्चा करती रही है। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन वास्तविकता यह है कि योजना आयोग ने नई प्रक्रिया के अनुसार इसका आंकलन किया है।

श्री जगमोहन : क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह लाकड़वाला समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री लाकड़वाला मेरे बहुत घनिष्ट मित्र रहे हैं। हमने एक ही संस्थान में काम किया।

श्री जी०एल० कनौजिया : कृपया स्पष्ट उत्तर दें और ये सब न बताएं।

[हिन्दी]

आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपना पॉइंट नहीं बता रहे हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं।

श्री जी०एल० कनौजिया : आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप क्या थे, क्या नहीं थे लेकिन टू द पॉइंट नहीं बात रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे इन बातों पर चर्चा नहीं चाहता। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी टिप्पणियां अपने अंतिम उत्तर के लिए कृपया सुरक्षित रखें।

[श्री जी०एल० कनौजिया]

[हिन्दी]

कनौजिया साहब, आप बैठ जाइये, आप प्रभु साहब का टाइम ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैंने सारे जवाब दिए हैं।

श्री जी०एल० कनौजिया : आप जवाब दीजिए।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : नो, नो, यह सब नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रभु आप बोलिए।

श्री सुरेश प्रभु : वास्तव में उस मुद्दे पर हमारा भी वही विचार था। मैं भी यह कह रहा था कि हमारे देश में काफी अच्छे व्यक्ति मौजूद हैं और डा० अलघ उनमें से एक हैं जो यह कार्य कर रहे हैं। वास्तव में, वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा भी यही कहना है कि एक स्वतंत्र आंकड़े संग्रहकर्ता तंत्र होना चाहिए जो कार्यकारिणी से स्वतंत्र हो। उनका स्तर निर्वाचन आयोग की भांति या वैसा ही कुछ होना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र होकर आंकड़े एकत्र करने चाहिए और उन्हें अलग से इनकी लेखापरीक्षा करनी चाहिए जिससे कि वे जो सूचना एकत्र करते हैं उन पर ज्यादा विश्वास किया जा सके। जब हम विश्वीकरण कर रहे हैं तो आंकड़े संग्रह करने के लिए विश्व स्तर क्यों नहीं होना चाहिए ? मैं यही बात कहना चाहता था।

मैं मंत्री महोदय से एक और छोटी सी सूचना चाहता हूं। विगत में अनेक बार ऐसा हुआ है कि, चाहे जिस कारण से हुआ हो, योजना नहीं बनी। अनेक कारणों से योजना के क्रियान्वयन को टाला गया। कुछ कारणों के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान कोई योजना नहीं बनायी गई। क्या उस अवधि के दौरान अपने विकास किया या नहीं? यदि हमने वास्तव में उस अवधि के दौरान, जब भारत में योजना लागू नहीं की गयी थीं, यदि हमने प्रगति की है तो उस प्रगति की दर क्या थी ?

अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अवधि के दौरान योजना की कितनी संगतता थी।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा सहकारिता और गैर-सरकारी संगठनों के बारे में है। हमने हमेशा ही सहकारिता को एक तंत्र के रूप में माना जो परिवर्तन लाता है। आठवीं पंचवर्षी योजना दुर्भाग्यवश एक अपवाद था। आठवीं योजना में सहकारी संस्थानों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हम इसकी मांग करते रहे हैं। सहकारिता संघ में विश्वास रखने वाले यह सोचते हैं कि यह देश की सबसे अच्छा संघीय संस्थान है जिसमें सदस्य प्रत्यक्ष रूप से इसके विकास में भाग लेते हैं क्या हम वास्तव में इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि योजना दस्तावेज में इस बारे में दुर्भाग्यवश कोई उल्लेख नहीं है। क्या हमने सहकारिता के इस बड़े क्षेत्र को योजना प्रक्रिया और विकास में शामिल करने के बारे में सोचा है ? इन चीजों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए पहले योजना दस्तावेज में गैर-सरकारी संगठनों पर काफी बल दिया गया है। मेरे विचार से उन्होंने भारत सेवक समाज का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था और उन्होंने देश में गैर-सरकारी संगठनों की संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु संस्थान का निर्माण किया था और उन्होंने कहा था कि गैर-सरकारी संगठन काफी विकास ला सकते हैं। क्या हम अब गैर-सरकारी संगठनों को भूला चुके हैं या योजना प्रक्रिया में हम उन्हें वांछित भागीदारी उपलब्ध करायेंगे, ये सभी चीजों के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

एक पहलू भीगोलिक विकास का भी है। हमारे देश में क्षेत्रीय असमानतायें विद्यमान हैं। हमने उत्तर-पूर्व के बारे में बातचीत की है। लेकिन क्या हम योजना दस्तावेज में उल्लिखित बातों से भिन्न बातों को अपनाने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : मेरा यह अनुरोध है कि अब आप अपना भाषण समाप्त करें ?

श्री सुरेश प्रभु : ठीक है । क्या हम इन असमानताओं के संबंध में भिन्न रास्ता अख्तियार करेंगे क्योंकि यहां अनेक विकसित राज्य भी है ? यदि आप योजना आयोग के आंकड़ों को देखते हैं तो पाएगें कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है। लेकिन उस राज्य के कुछ जिले और कुछ तहसीलें हैं जो शायद बिहार के कुछ तहसीलों से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो राज्य के रूप में तो विकसित हैं लेकिन क्या हम तहसील या जिला को एक इकाई के रूप में मानकर पिछड़ापन निर्धारित करने जा रहे हैं और नौंवी और दसवीं योजना के अंतर्गत आगामी दस वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न मानदंड निर्धारित करने वाले है ? ऐसा करके ही हम उन लोगों के जीवन में, जो पिछड़े राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़े हैं, व्यापक परिवर्तन ला पाएंगे। क्या आप इस प्रक्रिया को अपनाने को तैयार हैं ?

मैं सरकार से जोरदार मांग करता हूं कि तहसील या जिला को इकाई मानकर न कि राज्य को एक इकाई मानकर योजना प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र में निवेश, जिसके बारे में हम बातचीत करते रहे हैं और जिसके लिए हम काफी श्रेम लेते हैं, में प्रसंगवश कमी आयी है। विगत पांच वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्रों में निवेश में गिरावट आयी है। चिकित्सा और जब स्वास्थ के लिए सातवीं योजना में कुल राशि का 1.69% और आठवीं योजना में 1.62 प्रतिशत राशि दिए जाने की आवश्यकता थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उस समय जब हमने अपना विश्वीकरण किया, उस समय जब हमने लोगों के जीवन, स्वास्थ और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना चाहते थे, पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में कम धनराशि आवंटित की गई। हम नई नीति अपनाकर योजना के स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन इसमें भी उस सामाजिक क्षेत्र को उसका अंश मिलना चाहिए। वित्त विधेयक और बजट पर चर्चा के दौरान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता था वह यह था कि क्या हम ऐसे संसाधनों की उगाही करने जा रहे हैं जो मूल ऋण पर ब्याज की अदायगी में ही समाप्त हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र भी न्याय की गुहार कर रहा है। क्या हम

सामाजिक क्षेत्र हेतु अलग से संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप एक ऐसा कर लगाना चाहते हैं जो मूलतः सामाजिक क्षेत्र के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा ? यदि आपके पास करों या राजस्वों का ऐसा कोई विशिष्ट संग्रह नहीं है तो हम सामाजिक क्षेत्र के लिए वे सब नहीं कर सकते जो करना चाहिए। भविष्य में हमें वैसा ही करना होगा। दुर्भाग्यवश इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भविष्य में प्रशासन की लागत में कमी कैसे करेंगे। पांचवे वेत आयोग से उत्पन्न खतरे, नए राज्यों के सृजन की मांगे, छोटे राज्य जिनकी आवश्यकता है, से खतरा विद्यमान है। केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर पर आप प्रशासनिक व्यय में कैसे कटौती करेंगे, इन बातों का उल्लेख योजना दस्तावेज में होनी चाहिए थी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे हम अनेक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रभु : जी हां। महोदय, अब हम स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मुझे जल्द ही समाप्त करना है। दुर्भाग्यवश, मैं अपनी चार्टड एकाऊटेंट के रूप में प्रशिक्षण को नहीं भूला सकता हूं। क्या मैं माननीय मंत्री और सरकार से पिछले पचास वर्षों की उपलब्धियों के तुलन पत्र की मांग कर सकता हूं ? क्या हम अपने देश की उपलब्धियों का तुलन पत्र तैयार कर सकते हैं ? क्या हम, उन वास्तविक संपत्तियों, जिन्हें हमने बनाया है, का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं ? वास्तव में, जब डा० राजा चेलिमा वित्त मंत्रालय में सलाहकार थे तब मैंने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार ऐसा तुलन पत्र तैयार कर सकती हैं ऐसा इसलिए की हम सरकार के अंशदान में पारदर्शिता चाहते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं ? क्या हमने जो पाया है और सरकार के कुल दायित्वों और संपत्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं ? योजना शुरू करने हेतु तुलन पत्र को ही आधार माना जाना चाहिए – दसवीं पंचवर्षी योजना में शायद यह संभव हो। तभी हम पांच वर्ष की अवधि में एक-दूसरे की तुलना में तुलन पत्र का मुल्याकंन कर सकते हैं। तभी इस देश की उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है।

एक मुद्दा है जिस पर सरकार बातचीत करने से कतरा रही है और मैं उनकी विषय परिस्थिति को समझ सकता हूं। हम कृषि क्षेत्र में व्यापक निवेश चाहते हैं। साथ ही, हमारे कुछ मित्र कृषि में यह सुधार चाहते हैं कि भूमि ज्यादा लोगों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। साथ ही, कृषि में अच्छे निवेश के लिए हम कृषि को संगठित भी करना चाहते हैं। कृषि के संगठन से न केवल भूमि के विखण्डन की धारणा बनती है अपितु विद्यमान भूमि अनेक लोगों के हाथों से निकल कर किसी एक निकाय के पास केन्द्रीत हो जाने का भी खतरा है *(व्यवधान)* एक ओर कृषि सुधार और भूमि सुधार तथा दूसरी और कृषि प्रक्रिया में अधिक निवेश हेतु ज्यादा सुसंगठन की मांगों को कैसे पूरा कर सकते हैं ? आप को इस बारे में भी हमें बताना चाहिए। मेरा हमेशा यह मत रहा है कि विकास हेतु कोई माडल नहीं बनाया जा सकता है। सभी देशों को स्वतः अपना मॉडल तैयार करना होता है। भारत को भी अपना मॉडल स्वयं ढूंढना होगा। हमें अपना मॉडल तैयार करना होगा। हम चीन का मॉडल अपना सकते हैं। हम अपने कुछ सामाजिक मानदंडों को चीन के सामाजिक मानदंडों के साथ तुलना करने पर उस बारे में समझ पायेंगे। यद्यपि चीन की जनसंख्या भारत से अधिक हो सकती है किन्तु सामाजिक क्षेत्रों के विकास में चीन ने हमसे ज्यादा उन्नति की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.32 बजे

आधे घंटे की चर्चा

बाक्साइट खनन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा को श्री भगवान शंकर रावत द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर अपराह्न 5.30 चर्चा करनी थी। लेकिन श्री भगवान शंकर रावत ने अध्यक्ष से इसे स्थगित करने का अनुरोध किया है और अध्यक्ष ने श्री भगवान शंकर रावत के आधे घंटे की चर्चा को स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

तत्पश्चात, श्री के०पी० सिंह देव, 18.3.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3630 का पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न एक मुद्दे, पर चर्चा करेंगे।

श्री के०पी० सिंह देव अब बोलेंगे।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मुझे यह मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। यह आधे घंटे की चर्चा एक अत्यंत आसान अतारांकित और हानि रहित प्रश्न से उत्पन्न हुई है। संसद ग्रंथालय में एक रिपोर्ट हेतु लगातार तीन महीने के मेरे प्रयत्न के बाद मुझे सफलता मिली। संचार माध्यमों द्वारा लगातार लोगों द्वारा यह आशंका जाहिर की जाती रही है कि उपरी इन्दावति बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना में गाद भर जाएगी। 1968 में बदावत समिति कृष्णा-गोदावरी बेसिन से जल की दिशा बदलने हेतु सहमत हुई। श्री शंकर राव चव्हाण, श्री वेंगल राव, श्रीमती नंदनी सतपथी तथा दो अन्य मुख्य मंत्रियों के साथ उस समय के चार मुख्य मंत्री इससे सहमत थे। 1200 करोड़ रुपए के विश्व बैंक के ऋण द्वारा यह सिंचाई योजना शुरू की गई थी। वास्तव में, हमारे पूर्व सहयोगी श्री पी०के० देव 1957 से 1980 तक लगातार इस योजना की मांग करते रहे हैं। तत्पश्चात श्री मोरारजी देसाई ने 1978 में वहां भूमि पूजन किया। विगत तीस वर्षों से कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट जिला, जिन्हें सामान्यतः के० बी०के० जिले के नाम से जाना जाता है, सूखा, भूखमरी, पलायन और आदमखोर बाघ का पर्याय बन गया है। लेकिन इस वर्ष, पहली बार उन्हें इन्द्रावती परियोजना से 30,000 हेक्टेयरस भूमि की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है।

[श्री के०पी० सिंह देव]

इसलिए मैंने एक सरल प्रश्न किया था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने इन्द्रावती परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले बपहलिमाली अबरख खदान के संबंध में कोई पर्याघरणीय प्रभाव का विश्लेषण किया है ? लेकिन मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। वह सूचना केवल मुझे ही उपलब्ध नहीं करायी गयी अपितु संसद सदस्यों को भी उस सूचना से तीन महीने तक वंचित रखा गया। इसलिए, मैंने यह आधे घंटे की चर्चा उठायी है।

यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण और वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करता है तो उसे इसकी जानकारी मिलेगी। मैंने यह सोचा था कि मेरे अच्छे माननीय मंत्री इस बात पर गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि वह एक ऐसे मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की योजना, संवर्द्धन, पर्यावरण और वन कार्यक्रमों के समन्वय संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अंग है और इनकी पूर्ति पर्यावर्णीय प्रभाव संबंधी आंकलन से पूरी की गयी। यही प्रश्न था।

पर्यावर्णीय प्रभाव संबंधी आंकलन (ई०आई०ए०) के अध्याय चार में मेरे अच्छे मित्र, जिन्होंने सभा-पटल पर रिपोर्ट रखी, ने कहा :

> "सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्यावर्णीय प्रभाव संबंधी संसाधन (ई०आई०ए०) प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में सर्वप्रथम यह वर्ष 1978-79 और फिर 1994 में नदी घाटी योजना के लिए प्रारम्भ किया गया था। कतिपय सीमा के बाहर निवेश हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 29 विकाश संबंध गति-विधियों के लिए ई०आई०ए० अब अनिवार्य है।"

इसके अतिरिक्त, नदी घाटी बहुउद्देशीय पणबिजली परियोजनायें, खदान परियोजनायें, औद्योगिक परियोजनायें, ताप विद्युत परियोजनायें, अवसंरचनात्मक विकास, और परमाणु उर्जा परियोजनायें संबंधी मूल्यांकण समिति भी हैं। इसके साथ ही, निगरानी प्रणाली भी है।

महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो सरकार यह करती है कि वह पारदर्शिता में विश्वास करती है, उसने इस सूचना को संसद सदस्यों से क्यों छिपा रखा था। वास्तव में, तीन महीने के के बाद मुझे यह रिपोर्ट मिली। संसद ग्रंथालय ने अंततः इसे कर लिया।

मुझे इस बात पर गर्व है कि इतनी अच्छी रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है। यह एक बहुत ही सक्षम और व्यावसायिक रिपोर्ट है। इसमें हर पहलू पर गौर किया गया और मेरी यह राय थी कि उनके मंत्रालय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इस रिपोर्ट को संसद में रेखा है क्योंकि भूगर्भशास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं यही मात्र कह सकता हूं कि "यह एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है" वास्तव में, इसमें हर पहलू पर चर्चा की गई है। लेकिन इसे दबाकर क्यों रखा गया ? मेरे विचार से ऐसा इसलिए किया गया कि पर्यावर्णीय प्रभाव संबंधी मूल्यांकन इन्द्रावति नदी के आस-पास वाली बपहिमाटी पहाड़ी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही यह सीमत है। इसलिए इस खदान का निर्यात और अन्य सुविधाओं हेतु दोहन करने की अनुमति दी गई। अनेक बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियां इसके लिए यहां आयी। यह इन्द्रवति नदी के आस-पास है।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उस प्रश्न को पूछें जिस पर वह और स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री के०पी० सिंह देव : प्रस्ताव पेशकर्ता के रूप में यदि मैं इसके उठाये जाने के कारणों का वर्णन न करूं तो यह उचित नहीं होगा। यह वहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी जीविका का प्रश्न है।

सभापति महोदय : यह मात्र आधे घंटे के लिए होती है और उनमें से आपको कुछ वक्त मंत्री जी के उत्तर के लिए भी छोड़ना होगा।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, मैं जनाता हूं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। कालाहांडी, कोदापुट और बोलनगीर क्षेत्र में आने वाले सूखे के संबंध में प्रत्येक वर्ष हम इस सभा में चर्चा करते आये हैं। इस परियोजना की स्वीकृति 1995 में दी गई थी जो इस मंत्री द्वारा नहीं है। हमारा विगत अनुभव क्या रहा है ? उड़ीसा-आंध्र प्रदेश मचकुंद पणबिजली परियोजना 1950 में शुरू की गई थी। आज गाद के फलस्वरूप कुल अनुमानित विद्युत का 25% ही उत्पादन किया जा रहा है उड़ीसा का हीराकुंड परियोजना जो 1960 में पूरी हो गयी थी, की तलहटी में 50% तक गाद भर चुकी है और पानी में ठूंढ़ होने के परिणामस्वरूप इसे निकाला भी नहीं जा सकता। ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इसके कार्य पूरा हो जाने के बाद भी इससे एक इंच भूमि भी अब तक सिंचित नहीं की जा सकी है। और इस नदी में गाद भर जाने के फलस्वरूप 28 मील तक यह फैल गया है जिससे अनेक समृद्ध विस्थापित हो गए हैं। उपरी क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में लौह-अयस्क, मैंगनीज, डोलोमाईट और लाईमस्टोन की खुदाई के कारण भारी तलठती जमा हो गया है। ब्राह्मनी और महानदी मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। उड़ीसा सरकार के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बांयी और दांयी नहर हेतु केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक से धन प्राप्त हुए हैं और मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि काफी विलम्ब के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अंततः पर्यावर्णीय और वन की स्वीकृति प्रदान की है। आज वहां 1,800 करोड़ रुपए की परियोजनायें जारी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में हमें संदेह हो रहा है क्योंकि कोई उत्तर नहीं दिया गया है। किसी भी उत्तर में यह नहीं दर्शाया गया है कि क्या कदम उठाये गए हैं और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देते समय उन्होंने क्या मानदंड अपनाये हैं। वे वन संबंधी स्वीकृति के बारे में कुछ नहीं बात रहे हैं। वहां चार सुरक्षित वन हैं। मुझे ज्ञात है कि रेंगाली परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण पर्यावरण और वन मंत्रालय

में एक वर्ष तक विलम्ब किया गया।

मैंने इस रेंगाली परियोजना की स्वीकृति के लिए सलाहकार समिति की दो बैठकें की हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से ऐतिहासिक, निरोधात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है? इंजीनियर्स इंडिया की यह रिपोर्ट त्वरित पर्यावरण प्रभाव संबंधी मूल्यांकन से संबंधित है। यह पूरी विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। यह उसी त्वरित पर्यावरण प्रभाव संबंधी मूल्यांकन पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि इसके अतिरिक्त नौ अन्य केन्द्रीय सरकार की संगठने हैं जो विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। मुझे यह पता कि इसकी देखरेख कौन कर रहा है और वह कौन हैं जो विभिन्न गतिविधियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की परियोजना नहीं है; यह खान विभाग से संबंधित है। लेकिन मुख्य मंत्रालय पर्यावरण और वन मंत्रालय हैं अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी पूंजी के विरुद्ध, जो यहां आये हैं, और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; उनके विरुद्ध सरकार या पर्यावरण और वन मंत्रालय कौन से एतियाति, कठोर और दंडात्मक कदम उठाने जा रही है।

मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं। चूंकि समय की कमी है। इसलिए मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं उच्चतम न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप उड़ीसा में 355 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वन नियमों और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया था।

मेरे पास *इंडियन एक्सप्रेस* में 21 दिसम्बर का एक प्रेस क्लिपिंग मौजूद है जो "एन अनक्लिएर्ड एजेन्डा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। मैं उसको यहाँ उधृत करता हूं :

> "यह आश्चर्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश राष्ट्रीय पर्यावर्णीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान द्वारा जांच-पड़ताल के बाद सभी पांचों परियोजनाओं में कोई न कोई खामियां पायी गई थीं। इसके फलस्वरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को दी गई पर्यावरण संबंधी स्वीकृति सवालिया निशान लगते हैं।"

सभापति महोदय : आपको मंत्री जी के जबाव के लिए भी कुछ वक्त छोड़ना होगा।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं आपको पूरा पाठ पढ़ कर बता रहा हूं।

> "परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के बाद भी उन्हें विभिन्न शर्तों के अध्यधीन सशर्त स्वीकृति ही दी जाती है। उच्चतम न्यायालय में दर्ज अपनी याचिका में भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने कहा, " प्राथमिक रिपोर्ट, त्वरित पर्यावर्णीय प्रमाण संबंधी मूल्यांकन और निर्माण स्थल का सरसरी तौर पर निरीक्षण तथा किसी अनुवर्ती कार्यवाही और निर्णय में पारदर्शिता के अभाव के फलस्वरूप सशर्त पर्यावर्णीय स्वीकृति देने की तकनीक से देश का पर्यावरणीय स्थिति को नुकसान हो रहा है। आधे से अधिक परियोजनाओं में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने त्रुटि करने वाले परियोजना अधिकारी या राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से इंकार कर दिया है। इन परियोजनाओं में न केवल अचर्चित सरदार सरोवर और टिहरी बांध ही शामिल हैं अपितु सरिसैलम, तेलगू-गंगा, उपरि कृष्णा, जैसायेन, राजघाट, चमेरा, वास्पा, दुलहस्ती, बनसागर, डंटीवाड़ा, सिपू, कोयना, स्वर्ण रेखा, उपरि इन्द्रावति, टिस्ता, कोपली और दो सौ अन्य परियोजनायें शामिल हैं।"

पर्यावरण और वन मंत्रालय की यह पृष्ठभूमि है।

अतः हम इससे चिंतित हैं।

सभापति महोदय : आप प्रश्न का दायरा बढ़ा रहे हैं।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपने प्रश्न तक ही सीमित रहें। यदि आप मुझे बोलने दें तो मैं नियम पढ़कर सुनाता हूं।

नियम में उल्लेख है कि :

"सदस्य, जिसने नोटिस दिया है, एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और किसी तथ्य पर राय जानने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। तत्पश्चात् मंत्री उसका जबाव शीघ्र देंगे।"

श्री के०पी० सिंह देव : यदि आप मुझे एक मिनट का वक्त और दें तो मैं समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय : आप पंद्रह मिनट ले चुके हैं।

नियम में कहा गया है :

"परन्तु यह कि चार सदस्यों से अनधिक, जिन्होंने महासचिव को पूर्व सूचना दी है, को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी . . ."

और इन सारी प्रक्रियाओं में आधे घंटे का वक्त लगना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्न करें।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं अपने अंतिम मुद्दे पर हूं। यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं शीघ्र ही अपना प्रश्न पूछूंगा।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि इन्द्रावती परियोजना में 1200 करोड़ रुपए की लागत आयी है; उसमें चार बांध बांधे गए हैं; आठ चेक बांध बांधे गए हैं; एक नदी शाखा भी बनाई गई है; फील्ड चैनल बनाये गए हैं और पिछले वर्ष इससे 90,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई है। क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लगाए गए शर्तों से इसमें गाद जमने से बचाया जा सकता है ? या क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वे कोई सुरक्षोपाय करेंगे ?

[श्री के०पी० सिंह देव]

क्या आप मुझे और वक्त नहीं देंगे ? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दक्षिण-पश्चिम कगार से इसमें गाद जमा होगी। जो सीधे इन्द्रवति के जलग्रहण क्षेत्र में जाएगा। अतः क्या हम इससे भविष्य में सुरक्षित, एतियाति, कितने कठोर और दण्डात्मक उपाय कर सकते हैं ? चूंकि उन्होंने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सर्वप्रथम मैं दो और सदस्यों को पूछने की अनुमति दूंगा तत्पश्चात मंत्री जी व्यापक उत्तर दे सकेंगे।

अब मैं प्रो० रासा सिंह रावत को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत, अब अपना पाइंटिड सवाल पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : थोड़ी भूमिका के साथ, मैं अपना सवाल पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय : रूल्स के अंतर्गत भूमिका की अनुमति नहीं है, फिर भी दो मिनट में आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति जी, यह प्रश्न मूल रूप से बॉक्साइट माइनिंग से संबंधित है जिसके कारण इंदिरावती परियोजना की पूर्णता में बाधा उपस्थित हुई और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से आज्ञा लेनी पड़ी। यह विषय माइनिंग से संबंधित है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 1980 में हमारा जो पर्यावरण सुरक्षा एवं वन संरक्षण अधिनियम बना और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, उस फैसले के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले हजारों श्रमिकों का भविष्य क्या होगा, आदि।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच०डी० देवेगौड़ा ने खान मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जो आश्वासन दिया था कि जहां आवश्यक होगा वहाँ सरकार राज्य द्वारा खनिजों के उचित उपयोग के लिए खनन अधिनिमय में संशोधन करेगी। केन्द्र सरकार उस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक माइनिंग एक्ट में परिवर्तन कर दिया जाएगा ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण देश की तमाम खदानों में काम करने वाले हजारों-लाखों श्रमिकों के सामने जो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है; दूसरी तरफ सरकारों की आय के स्त्रोत खनिजों का दोहन न होने के कारण, बंद हो गए हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए, तथा श्रमिकों को फिर से रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का 'बी' पार्ट है कि आज चाहे नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाला सरदार सरोवर प्रोजैक्ट हो, राजस्थान के जालौर में बनने वाला प्रोजैक्ट हो, गुजरात के कच्छ एरिया में बनने वाला प्रोजैक्ट हो, सौराष्ट्र में बनने वाला प्रोजैक्ट हो, जिससे पीने का पानी उपलब्ध होगा, अथवा दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर हजारों कारखानों को शहर से बाहर ले जाने के कारण उत्पन्न हुई समस्या हो, या इससे जुड़ी कोई दूसरी समस्या हो, पर्यावरण को शुद्ध करने के नाम पर, वनों की सुरक्षा के नाम पर या विकास के नाम पर, आज जितनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसी तरह अगर जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा, जनता को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया तो उससे क्या स्थिति बनेगी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, आधा घंटे की चर्चा के अन्तर्गत आज से तीन साल पूर्व हम लोगों ने उड़ीसा के अकाल पर बहस की थी और इसी विषय के संदर्भ में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आधे घण्टे की चर्चा एक सीमित समय में की जाने वाली चर्चा है।

श्री राजीव प्रताव रूडी : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं।

सभापति महोदय : यह बॉक्साईट के खनन के प्रश्न तक सीमित है; कृपया आधे घण्टे की चर्चा को लम्बा मत खींचिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इसे लम्बा नहीं, खींचा जा रहा है। मूलतः चार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति है। सौभाग्य से आज केवल दो सदस्य उपस्थित हैं अतः हमें और समय दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : सदस्य चाहे दो हों या चार, परन्तु विषय बॉक्साईट के खनन से ही संबंद्ध रहेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। इसका विषय केवल बॉक्साईट खनन तक ही सीमित नहीं, इसका सम्बन्ध उसकी सरकार द्वारा स्वीकृति से भी है।

सभापति महोदय : ये तो 18 मार्च 1997 के अतारांकित प्रश्न सं० 3630 के दिए उत्तरों से उत्पन्न मुद्दों से सम्बन्धित है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यदि आप उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे तो, महोदय आप इस बात को समझ जाएंगे।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मुझे पहले विषय को स्पष्ट करने दीजिए। क्या आपने इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया है ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अच्छा बोलिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, मैं यही तो कर रहा

हूं, लेकिन मैंने पहला सेंटेंस शुरू किया और आपने वहीं काट दिया। सर, मैं कैसे अपनी बात को रखूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह इसलिए है क्योंकि आप इस चर्चा को अधिक समय तक जारी रखना चाहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : नहीं, मैं अधिक समय नहीं ले रहा। मैं केवल उन घटकों की चर्चा कर रहा था जो इस स्थिति के लिए उत्तरदायी थे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय पर चर्चा हुई है, उस विषय में जो बाक्साइट की फैक्ट्री वहां लगाने का प्रस्ताव है अर्थात जहां इस फैक्ट्री को अवस्थित किया जाएगा वह स्थान इंदिरा प्रोजैक्ट के फ्रिज पर है। बार-बार हमने पर्यावरण के संबंध में कहा है कि जहां-जहां बड़ी-बड़ी परियोजनाएं आ रहीं हैं, जहां-जहां बड़े डैम्स आ रहे हैं, वे ऐसे स्थान हैं जहां पहाड़ों को काटकर माइनिंग की जाएगी। इसके कारण जो रेत का प्रवाह है वह इन डैम्स और परियोजनाओं की ओर हो जाएगा। पानी के साथ पहाड़ों की रेत बहकर आएगी और इन डैम्स की तलहटी में भर जाएगी जिससे इनका जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। उस इंदिरावती परियोजना की लाइफ 46 वर्ष के आसपास निर्धारित की गई है और इस बाक्साइट माइनिंग के लिए जो बाबली मल्ली उद्योग है, उसकी अवधि एक-चौथाई हो जाएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे विश्व में आज दुनियां अकाल और भुखमरी से लड़ने को प्राथमिकता दे रही है, जहां हमारी प्राथमिकता उड़ीसा के अकाल से लड़ने की होनी चाहिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह तो पूरे मामले से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : इसका सम्बन्ध पूरे विश्व से नहीं है कृपया अपने विषय तक ही सीमित रहिए और तदानुसार अपना प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव गांधी रूडी : मेरा प्रश्न वही है। यदि ई०आई०ए० बनाई गई थी और यदि सरकार ने उसे पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई विशेष सिफारिशें की है कि बॉक्साईट के खनन सम्बन्धी जो गतिविधि वहां संचालित की जायेगी वह उस विशिष्ट इन्दिरामति परियोजना के किनारे स्थित है ? तथा क्या इससे जिसपर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिंचाई परियोजना पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उड़ीसा के इस भाग का भाग्य उस विशिष्ठ चैनल की सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं पर निर्भर करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाकर किस सन्दर्भ में और किन परिस्थितियों में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस महीने की पन्द्रह तारीख से भा०ज०पा० उस क्षेत्र के स्थानीय विधानसभा सदस्य और श्री भक्त चरण दास, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, इस कार्यक्रम के विरोध में राज्य व्यापी आन्दोलन करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रूडी जी, आप मंत्री जी को थ्रेट दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कोई व्यक्ति हड़ताल करने जा रहा है इत्यादि, यह कहकर आप मंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। अब आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। यह कोई मुद्दा नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यही मामला तो उठाया जा रहा है। पूरे राज्य में इस बारे में रोष है। इसके विरुद्ध जन-आदोलन होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किन हालात में यह किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए। यह हाफ एन आवर डिस्कशन है। जो भी कमी रहे, वह आप इनके कमरे में जाकर बता देना कि भाई साहब ऐसा करो, नहीं तो हड़ताल हो जाएगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि इसको एनवायरनमेंटल क्लियरेंस किस परिस्थिति में दी गई जबकि इसका प्रभाव पूरे राज्य की सिंचाई परियोजनाओं एवं सिंचाई पर पड़ने वाला है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री के०पी० सिंह देव को यह आश्वासन देता हूं कि कोई भी सूचना उनसे छिपाई नहीं गई। मैंने स्वयं इस पूरे प्रश्न का अध्ययन किया है और मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए नोटों में से उत्तर नहीं दिया। मैंने स्वयं जांच-पड़ताल की और पाया कि ई०आई०एल० भी एक लम्बी रिपोर्ट माननीय सदस्य को अग्रेषित नहीं की जा सकी। इसमें कुछ कमी रह सकती हैं परन्तु सम्पूर्ण उत्तर दिया गया है। किसी भी सूचना को छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कभी नहीं हो सकता।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं यह अवश्य कहूंगा कि रिपोर्ट का भाग (ख) पूर्णतया छिपा दिया गया। मूल प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। *(व्यवधान)*

[श्री के०पी० सिंह देव]

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उस पर आप कुछ रोशनी डाल दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : हां, मैं इसकी चर्चा करूंगा। जहां तक पूरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका सम्बन्ध बौक्साइट के खनन से है। जिस रिपोर्ट की श्री के०पी० सिंह देव ने जांच पड़ताल की, वह ई०आई०एल० की रिपोर्ट है। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं और श्री रावत और श्री रूडी ने भी ऐसा ही किया है। मैं उसकी चर्चा करूंगा। चूंकि यह तकनीकी रिपोर्ट है, अतः इसके तकनीकी पहलु हैं। मैं पहले कुछ तथ्य के समुचित रूप से रिकार्ड पेश करूंगा फिर संक्षेप में मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

माननीय सदस्य श्री के०पी० सिंहदेव ने अतारांकित प्रश्न सं० 3630 जो कि दिनांक 18-3-97 का है और जिसका सम्बन्ध उड़ीसा में बौक्साइट के खनन से है, के माध्यम से कुछ सूचना मांगी ? हमने संक्षेप में उत्तर दिया परन्तु माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने और विवरण मांगे। विशेषतः उन्होंने तथाकथित मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटिड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुख्य तत्व सार सम्बन्धी सूचना चाही और चूंकि उत्तर में इस सम्बन्ध में विवरण शामिल नहीं था, अतः उन्होंने यह समझ लिया कि मेरे मंत्रालय ने उस सूचना को छिपाने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में मैं शुरू में यह कहना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय द्वारा उस सूचना को बिल्कुल दबाने या छुपाने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे मामलों से सम्बन्धित कोई सूचना हम हमेशा माननीय सदस्यों को पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

मैं इस मामले सम्बन्धी कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं और साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रकृति, ई०आई०ई० द्वारा इस परियोजना में कराए गए अध्ययन के मुख्य सार तत्वों का विवरण देना चाहता हूं, शायद इनसे माननीय सदस्य और अन्यों को संतोष हो सके।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक-आर्थिक पहलू सहित पर्यावरण के विभिन्न घटकों के संबंध में परियोजना गतिविधियों के लाभकारी और प्रतिकूल पक्षों के सम्भावित परिणाम की जांच करता है। इस प्रक्रिया में आधारभूत आकड़ों का तैयार किया जाना, उनका विश्लेषण तथा अर्थान्वयन शामिल था, जिस आधार पर पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार की गई।

उदाहरणार्थ—मैसर्ज इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने मैसर्ज उत्कल एलुमीना इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिए वह अध्ययन सम्पन्न किया। उस अध्ययन में बहुत सी तकनीकी पहलु शामिल किये गए जिनसें निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

1. परियोजना का सामान्य विवरण
2. भू-गर्भ और खनन स्कीम
3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पद्धति
4. मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति
5. परियोजना के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव की पहचान, पूर्वानुमान और मूल्यांकन
6. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना और
7. परियोजना-पश्चात पर्यावरणीय निगरानी

अतांराकित प्रश्न के उत्तर में लगभग 140 पृष्ठों की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में दी गई सभी तकनीकी जानकारी दे पाना बहुत कठिन है। हमने 8 मई, 1997 को अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति संसदीय ग्रन्थालय को भेज दी है। हमने 9 मई 1977 को लोक सभा सचिवालय को एक विस्तृत नोट भी भेज दिया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि माननीय सदस्य को यह सूचना प्रदान किए जाने में मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। यदि ई०आई०ए० के संबंध में अभी भी और विवरणों की आवश्यकता है मैं कुछ मुख्य बातें पढ़कर सुना सकता हूं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।

मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचना देना चाहूंगा कि मैसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटिड द्वारा दी गई रिपोर्ट की खनन परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी है।

मैं उन कुछ मुद्दों की चर्चा बाद में करूंगा जो पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति पत्र में स्वीकृति देते समय सम्मिलित किए गए हैं।

परियोजना अधिकारियों ने इन शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि कर दी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभी राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए गए उस आदेश के प्रभावों की चर्चा की है जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर वन-क्षेत्र की गतिविधियों से इतर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ? हम यह जानना चाहते हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : माननीय सदस्य कृपया मुझे सहयोग दें। मैं एक भिन्न प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

परियोजना अधिकारियों ने उपरोक्त शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि की है। भुवनेश्वर में स्थित मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृति पत्र के पालन की निगरानी कर रहा है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। परियोजना अभी शुरू होनी है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि परियोजना को स्वीकृति देते समय परियोजना से जुड़े पर्यावरण से सम्बद्ध सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। हमें आशा है कि उड़ीसा के इस विकासशील क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए इस परियोजना को जल्दी ही शुरू किया जायेगा।

सभापति महोदय : छः बज चुके हैं। क्या सभा चाहती है कि बैठक के समय को मंत्री महोदय का उत्तर पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : हम मंत्री जी के उत्तर को पूरा होने तक सदन की बैठक को बढ़ाते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर बोलने वाले अगले वक्ता है—श्री शिवराज पाटिल। वे अपना भाषण शुरू कर सकते हैं और फिर बाद में इसे जारी रख सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : जब मैं सुरक्षा-उपायों की चर्चा करूंगा। इंजिनियर्स इंडिया लिमिटिड ने 1994 में इंदिरावती सरोवर के मुहाने पर बौक्साइट खनन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया था। वह अध्ययन रिपोर्ट यहां उपलब्ध है और इसके सार अंश माननीय सदस्य को बताए जा सकते हैं।

श्री के०पी० सिंहदेव : यह अध्ययन इन्दिरावती पर नहीं किया गया है। वह तो केवल दस किलोमीटर के रेडियस वाली बाफामली पहाड़ी है। इन्दिरावती तो दस किलोमीटर आगे है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : हमने आवश्यक सुरक्षा कदम सम्बन्धी मुद्दे नोट कर लिए है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की चिन्ता निराधार है।

इस अध्ययन का सारांश 1994 में प्राप्त किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति सितम्बर, 1995 में दी गई थी। इसके पश्चात् पूर्व संसद सदस्य उड़ीसा के महाराना पी०के० देव ने एक शिकायत की। इस शिकायत की उड़ीसा सरकार को जांच करनी थी। उड़ीसा सरकार ने पाया कि शिकायत ठीक नहीं है।

श्री रावत ने विकास का प्रश्न उठाया है। हमें बीच का रास्ता अपनाना है। पर्यावरण जरूरी है, परन्तु विकास के मूल्य पर नही। विकास जरूरी है, परन्तु पर्यावरण के मूल्य पर नहीं।

शिकायत की मंत्रालय ने जांच-पड़ताल की है। कुछ प्रश्न उठाए गए जिनका उड़ीसा सरकार ने उत्तर दिया है। एक व्यापक प्रश्न जो श्री के०पी० सिंहदेव ने उठाया है वह उन सावधानियों के बारे में है जो हमने ले ली हैं। मैं बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा करूंगा। इस रिपोर्ट के पूरा होने के बाद सावधानियां ली गई हैं। आपके विशेषज्ञ दल में केवल साधारण लोग ही नहीं है। यह नहीं कि केवल मंत्री ने ही कोई निर्णय लिया हो। उन्हें पूर्व विश्वस्त होना पड़ता है। हमने परियोजना को स्वीकृति देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इसे स्वीकृति देने में सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए गए है। उदाहरणार्थ यदि आप मुझे इस के बारे में कुछ पढ़ने की अनुमति दें तो मैं पढ़ता हूं:-

"यह नोट किया गया है कि ओवरबर्डन (अतिरिक्त कार्य-भार के संबंध में कार्य छठे वर्ष से शुरू होता है। इस अतिरिक्त कार्यभार को और पहले पूरा किए जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए की यह परियोजना ऊपरी इन्दिरावती परियोजना के कैचमैट में स्थित है कुछ समयावधि पूर्व से ही खोदी गई खदानों को भरने का काम किया जाना चाहिए। जल साधनों और भूमिवर्ती पहाड़ियों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए बाह्य ओबी डम्पों का उचित प्रबन्धन किया जाना चाहिए। सी बारलेंड ड्रेन, चेक डैमस् तथा ब्रुश वुड ग्रास आदि प्रदान करने के अतिरिक्त डम्पों का ढलान अधिकतम 28° तक रखा जाना चाहिए।

इसे 30 डिग्री नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं था। जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह अपेक्षित है। विशेषज्ञों को वहाँ जाना चाहिए *(व्यवधान)* प्राकृतिक स्थितियों के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारियों को उचित सामुदायिक विकास उपाय लेने चाहिए जिसमें परियोजना क्षेत्र में आदिवासी लोगों को कृषि संबंधी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने की दृष्टि से परियोजना से कुल जनसंख्या के कम से कम तीस प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात हरित क्षेत्र के संबंध में *(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा *(व्यवधान)* क्या हेर-फेर की गई है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : स्वीकृति देने के लिए तकनीकी विवरण में हेरा-फेरी की गई है *(व्यवधान)* यदि अध्यक्षपीठ अनुमति दें *(व्यवधान)* समान परिस्थितियों में देश में अनेक परियोजना होगी जिन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की गई होगी। यदि अध्यक्षपीठ अनुमति दे तो मैं इस स्थिति को चुनौती देता हूं कि समान परिस्थितियों में अनेक परियोजना ऐसी होंगी जिसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई होगी। पर्यावरणीय कार्यवाही के विरुद्ध इस विशिष्ट परियोजना को ही विशेष मामला क्यों बनाया गया है। *(व्यवधान)* यदि सभापति महोदय मुझे अवसर दें तो मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूं जिनमें समान परिस्थितियों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहां इस बात का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों का स्वागत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री-महोदय से जाकर मिलने के लिए हमेशा आपका स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह नीति का मामला है। *(व्यवधान)*

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

सभापति महोदय : आपका मंत्रीजी से मिलने के लिए स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : पूरे मामले को समाप्त कर दिया गया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्रीजी, कृपया माननीय सदस्य को मिलने का अवसर प्रदान करें।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सरकार ने यह देखने के लिए रिपोर्ट में हेरा-फेरी की है कि स्वीकृति *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : मैं एक लम्बी चर्चा के लिए तैयार हूं लेकिन यह उपयुक्त नहीं है मेरी राय में स्वयं समिति पर यह लांछन लगाना कि उन्हें एक ओर किसी न किसी प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, सही नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्यों नहीं ?

सभापति महोदय : कृपया श्री रूडी, आप उनसे मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : इसकी आवश्यकता नहीं है *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भुवनेश्वर में यह पहले से ही है। उद्योग अभी आरम्भ नहीं हुआ है। अतः माननीय सदस्यों के दिमाग में किसी प्रकार की चिन्ता का प्रश्न नहीं उठता। मैं केवल आपको आश्वासन दे सकता हूं *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम चाहते हैं कि यह नई सरकार अपनी समझ से काम करे।

सभापति महोदय : श्री रूडी, इतने व्यवधान न डालिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोई व्यवधान नहीं होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूडी, कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : जो पूर्वोपाय हमने किए हैं, उस संबंध में अन्ततः श्री के०पी० सिंहदेव ने प्रश्न उठाया है। हमने सभी पूर्वोपाय किए हैं। मैं कह रहा हूं कि यह विशेषज्ञों की समिति है। यदि आप चाहते हैं कि मैं नाम बताऊं तो मैं बता सकता हूं। आप स्वयं जानते हैं।

श्री के०पी० सिंहदेव : आपने केवल पूर्वोपाय करने की सिफारिश की थी। यह कौन देखने जा रहा है कि वह पूर्वोपाय किए जा रहे हैं ? हम यही जानने के इच्छुक हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : विशेषज्ञ समिति।

श्री के०पी० सिंहदेव : हम अनिवार्य शर्तों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने लगाई हैं और उन्हें कौन लागू कर रहा है। इसे 200 मामलों में लागू नहीं किया जा रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : यह प्रयोग आरम्भ नहीं हुआ है। यह उद्योग किसी दिन आरम्भ होगा। *(व्यवधान)*

श्री के०पी० सिंहदेव : यह आश्वासन दिया गया है कि इसे लागू किया जाएगा। *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : यह पहले ही है *(व्यवधान)*

श्री के०पी० सिंहदेव : धन्यवाद *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : पूरा राष्ट्र जागरूक है। सभापति महोदय, हमारा निगरानी एकक वहां है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मेरे विचार में माननीय सदस्य की चिन्ता उचित है। कि जो पूर्वोपाय आपने अधिसूचित किए हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्या यह देखने के लिए कोई एजेंसी है कि उन पूर्वोपायों का वहां पर वास्तव में पालन किया जा रहा है क्योंकि यह मेरी जानकारी में है कि मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और खान की खुदाई बिना जांच के की जा रही है ? इस बात की जांच करने के लिए कोई नहीं है। मेरे विचार में उनको इसी बात की चिन्ता है। क्या उन पूर्वोपायों को क्रियान्वित करने के लिए कोई तंत्र है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : मैं आपको बता दूं और आपके द्वारा पूरे राष्ट्र को यह जान लेना चाहिए। कि जहां तक पर्यावरणीय कानूनों का संबंध है, हमारे कानून विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में काफी व्यापक हैं। हाल ही में, हम पर्यावरण अपील प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः पारदर्शी बन गए हैं। जिसके चेयरमैन जस्टिस वेंकटचेलैया हैं वे समिति के चेअरमैन का पद संभालने के लिए सहमत हो गए हैं। यह पर्यावरण अपील प्राधिकरण ऐसा है कि इसकी प्रक्रिया को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि यह न केवल दिल्ली में स्थापित होगा बल्कि यह लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए देश के किसी भी भाग में जा सकती है। *(व्यवधान)*

श्री के०पी० सिंह देव : क्या हम न्यायपालिका की सजगता और सक्रियता को बढ़ावा दे रहे हैं ? *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : हमारा निगरानी एकक पहले से ही भुवनेश्वर में है। उनका कार्य यह सूचना देना है कि जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनका उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। मैं नहीं समझता कि इस चिन्ता को और बढ़ाना चाहिए क्योंकि मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है कि किसी भी सूचना को रोका नहीं गया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री द्वारा आश्वासन पर्याप्त उपाय है।

(व्यवधान)

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, मैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा था कि पूर्वोपाय किए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि किसी भी सूचना को रोका नहीं गया। केवल 8 मई को ही यह रिपोर्ट संसद में आई थी। संसदीय ग्रंथालय नवम्बर माह से कोशिश कर रहा था। पहले ही पांच महीने हो चुके हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो भी किया है। मानदंड के अनुसार किया है। हमने किसी बात को छिपाया नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह कार्यवाही वृतान्त में जा रहा है। आपके पास पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर परम्परा के अनुसार दिया है। चूंकि आप अधिक सूचना चाहते हैं इसलिए हमने आपको और सूचना दी है।

अब मैं प्रो० रावत द्वारा उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। उन्होंने कहा है कि खान की खुदाई को बंद नहीं करना चाहिए। मैं कभी-कभी इस बारे में चिन्तित होता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खान की खुदाई से कुछ लोगों की रोजी-रोटी चलती है। पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम खानों को बंद कर दे तो किसी की रोज़ी-रोटी छिन जाएगी। इसलिए, मेरा मंत्रालय, इस संबंध में सतर्क हो गया है। हम पर्यावरण विद्दो द्वारा दिए गए उपयुक्त सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे। पर्यावरण महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ हमें विकास भी बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ विदेशी एजेंसियों ने हमें परामर्श देने आरम्भ कर दिए हैं। हम इस बारे में सतर्क हैं। हमारे पास भूमि हैं। हमें विकास करना है। मैं बीच में हूं। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि विकास के एवज में पर्यावरण और

पर्यावरण के एवज में विकास नहीं होना चाहिए। यह उत्तर है।

प्रो० रासा सिंह रावत : सरकार खान अधिनियम में कब संशोधन कर रही है ? पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा राज्य मंत्रियों को यह आश्वासन दिया गया था कि वे खान अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रो० रावत, आप बाद में माननीय मंत्री महोदय से मिल सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैंने उनका सुझाव सुना है। लेकिन मैं तदर्थ आधार पर कार्य नहीं कर सकता । मुझे इस बारे में सोचना होगा। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। उन्हें मेरे साथ बैठने दीजिए। मैं निश्चय ही उनके सुझाव पर विचार करूंगा।

अपराह्न 6.11 बजे

नौंवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, मैं लातूर से माननीय सदस्य श्री शिवराज वी० पाटिल से बोलने का अनुरोध करूंगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : माननीय सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि आपने मुझे आज और कल भी बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : आप कल भी अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 मई, 1997/23, वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।